त्रयोदश माला, खंड 29, अंक 13

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2002
14 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...54
Date ...3/1/03

(खण्ड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 13, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2002/14 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 244	10-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 261	29-68
अतारांकित प्रश्न संख्या 2639 से 2856	68-326
सभा पटल पर रखे गए पत्र	326-331
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	331
रेल संबंधी स्थायी समिति	
की–गई–कार्यवाही संबंधी विवरण	331
सभा का कार्य	331-335
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही कठिनाइयां	337-360
श्री लक्ष्मण गिलुवा	337
श्री टी. आर. बालू	337-339, 356-360
प्रो. दुखा भगत	340-341
श्री नरेश पुगलिया	342
श्री एस. बंगरप्पा	342
सरकारी विधेयक–पारित	368-375
(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन विधेयक	368
विचार करने के लिए प्रस्ताव	369, 374-375
श्री ए. राजा	368-369, 373-375
श्री के. ए. सांगतम	369-371
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	371-373

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
खण्ड 2 और 1	374
पारित करने के लिए प्रस्ताव	374-375
(दो) काउंटेस ऑफ डफरिन निधि (निरसन) विधेयक	375-385
विचार करने के लिए प्रस्ताव	376
श्री ए. राजा	375-376, 382-385
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	376-378
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	378-379
श्री रमेश चेन्नितला	379-381
डा. वी. सरोजा	381-382
खण्ड 2 और 1	385
पारित करने के लिए प्रस्ताव	385
(तीन) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक	385-398
विचार करने के लिए प्रस्ताव	388
श्री ए. राजा	385-388, 396-398
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	388-391
श्री हन्नान मोल्लाह	391-392
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	392-394
डा. वी. सरोजा	394-397
खण्ड 2 से 5 और 1	397
पारित करने के लिए प्रस्ताव	397-398
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	398
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित	398-402
(एक) ट्रस्ट निगम विधेयक	398
श्री महबूब जाहेदी	398-399
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 371अ का अंतःस्थापन)	399
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	399
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक—विचाराधीन (अनुच्छेद 44, आदि का लोप)	399
श्री के. जना कृष्णामूर्ति	400-401

लोक सभा

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2002/14 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी, श्री सैयद लियाकत हुसैन के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सैयद लियाकत हुसैन, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के प्रतिनिध के रूप में, 6 दिसम्बर, 1978 से 22 अगस्त, 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री हुसैन वर्ष 1979 में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री हुसैन वर्ष 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री हुसैन, डा. राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की समाजवादी विचारधारा में प्रबल विश्वास रखते थे और उन्होंने आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा करने और उसकी दशा बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया।

श्री सैयद लियाकत हुसैन का 70 वर्ष की आयु में, कुछ समय बीमार रहने के पश्चात्, महाराष्ट्र में 9 नवम्बर, 2002 को निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा, शोकाकुल परिवार को शोक–संवेदना प्रेषित करने में मेरे साथ होगी।

अब, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(व्यवधान)

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी–अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको इस मुद्दे पर बोलना है तो मैं 'शून्य काल' में आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूरे सत्र तक आपने सहयोग दिया है। कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाएं समझता हूं। आपने मुझे सहयोग दिया है, आपका धन्यवाद। अब अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए। आप वहां से जो चाहें, वह बोल सकते हैं। मैं आप सबको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिए। मेरे सामने इस विषय पर दो–तीन एडजर्नमेंट मोशन के नोटिसेस आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी भावना यहां व्यक्त कर सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपको जो कुछ कहना है,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही मैं बोलने वाला हूं। आप सब लोगों ने सदन को चलाने में बहुत अच्छा सहयोग दिया है। मैं चाहता हूं कि आप आज भी सहयोग करें। इसका महत्व मैं जानता हूं।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : क्या महत्व है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए महत्व नहीं है लेकिन जिन लोगों ने मुझे एडजर्नमेंट मोशन की नोटिसेस दिए हैं, उनके लिए इसका महत्व है। इस विषय पर आपको जो कुछ कहना है, वह आप कह सकते हैं। मैं जीरो ऑवर में सबको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मल्होत्रा जी को सुनता हूं। मल्होत्रा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सब लोग बैठिए। देखिए, मेरा और आप सब लोगों का काम है कि हम सदन को चलाएं। मैं मल्होत्रा जी को पूछता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : पहले क्वश्चन ऑवर लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जरा बैठिए, आपके नेता खड़े हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्वश्चन ऑवर में कोई सबमिशन करना या कोई चीज यहां उठाना, इसका कोई औचित्य नहीं है। जीरो ऑवर के अन्दर भी ये यहां पर ऐसा करते हैं। 10 साल से यह कर्मकांड हो रहा है। 1992 से लेकर 10 साल से लगातार यह मसला उठाया जा रहा है। यहां पर जिस तरीके की बातें की जाती हैं, इस पर एक पूरा डिस्कशन हो जाए, लेकिन हर पांच तारीख को इस तरह से करना और हाउस का समय बर्बाद करने को एलाऊ नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष जी यह तय करते हैं, लेकिन प्रश्न काल में ये बेकार की बातें उठाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए। मैंने मल्होत्रा जी को इजाजत दी तो मैं आपको भी इजाजत दूंगा। उन्होंने यहां अपनी बात कही है।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : ये अपनी बात कहने के बाद हमारी बात सुनना नहीं चाहते, यह इनका स्वभाव बन गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए। इस सदन की ग्रह तो पद्धति रही है कि हम क्वश्चन ऑवर पूरा करते हैं और क्वश्चन ऑवर होने के बाद जो इश्यूज हैं, उन पर जीरो ऑवर में चर्चा लेते हैं। माननीय मल्होत्रा जी ने यह भी कहा है कि इस विषय पर चाहें तो वे पूरी चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अभी जब मैंने आपकी बात सुनी है तो मुझे इनको भी सुनना पड़ेगा कि इनका क्या ऑबजैक्शन है। आपका जो सुझाव है, वह ये मान लेंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमने कभी यह नहीं कहा कि किसी दिवस की कार्यवाही पूरी करने में हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। आज का दिन न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ईद का त्यौहार है, बल्कि उस घटना की याद के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पंथनिरपेक्षता में गहरी आस्था रखने वाली भारत की जनता के लिए दुखदायी है। आपके समक्ष हम जो मुद्दा लाए हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण दिन हम कुछ निवेदन करना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : कल ईद है, इसलिए यहां चर्चा मत करो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि हाउस का बिजनेस चले तो आपको इनको सुनना पड़ेगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर हम आपके निदेश का अवश्य पालन करेंगे और 'शून्य काल' के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।...*(व्यवधान)* कृपया सुनिश्चित कीजिए कि हम, देश में जो हो रहा है, उस पर इनकी तरफ से कोई व्यवधान हुए बगैर, अपनी बात, अपनी टिप्पणी और आकलन कर सकें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : कल ईद है और ईद के दिन आतंकवादियों ने भी सीजफायर किया है और वे इस तरह की बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। यहां सभी के प्रश्न आ सकते हैं, पांच मिनट में यह विषय पूरा हो सकता है, आप लोग थोड़ा सहयोग करिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अब तक तो उसे पूरा हो जाना चाहिए था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगले पांच मिनट में हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भरोसा है कि हरेक इस बात से सहमत होगा कि हमने संसद में आपके साथ पूरी तरह सहयोग किया है। प्रायः हरेक कार्य पूरा हो रहा है...*(व्यवधान)* महोदय, हम आपके और सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक सरकारी कार्य पूरा हो रहा है। हम सहयोग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, अब तक तो इसे पूरा हो जाना चाहिए था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, मैंने आपको इजाजत दी, मुझे उनको भी सुनना पड़ेगा। शिवराज जी, आप बैठिए।

श्री मदन लाल खुराना : ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि कल ईद है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। देखिए, बहुत सीनियर लीडर बोल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या बात है। स्पीकर की बात सुनिए न।

[अनुवाद]

हमारा इरादा सभा को आज स्थगित करा देने का नहीं है, न ही किसी तरह 'शून्य काल' में व्यवधान देने का है। ...*(व्यवधान)* चाहे हमारे मित्रों को पसंद हो या न हो, हरेक के लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा कहना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : आज तो कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ पांच दिसम्बर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो उसमें क्या बात है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : 6 दिसम्बर, 1992 राष्ट्रीय शर्म का दिवस था। इस अवसर पर हम, प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी कटिबद्धता प्रकट करते हैं। हम बाबरी मस्जिद का जानबूझकर और निर्लज्जतापूर्वक किया गया विध्वंस, जो 6 दिसम्बर, 1992 को सुनियोजित तरीके से किया गया था, का विरोध करते हैं...*(व्यवधान)* प्रतिपक्षी दल पंथनिरपेक्ष भारत देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना चाहते हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करना चाहते हैं। हम उन लोगों का पर्दाफाश कर देना चाहते हैं जो मजहब और सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बंटवारा करा देने पर तुले हुए हैं...*(व्यवधान)* यही कारण है कि हम आज यह मुद्दा उठा रहे हैं...*(व्यवधान)* इसी कारण से यह दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देशवासी को राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। इसीलिए, हम आज सभा में यह मुद्दा उठाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक मिनट के भीतर 'प्रश्न काल' शुरू करना चाहूंगा। श्री रामजीलाल सुमन, संक्षेप में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस चलाने में आपको सहयोग करना चाहते हैं। जैसे अभी सोमनाथ चटर्जी साहब ने कहा कि छः दिसम्बर बहुत महत्वपूर्ण दिन है।...*(व्यवधान)* कल के दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रावले जी आप बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन : ये लोग मुरली मनोहर जोशी जी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि हाउस चलना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। मैं अब 'प्रश्न काल' शुरू करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 242 लेंगे। श्री नरेश पुगलिया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : इनको क्यों दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं शिष्टाचार का पालन कराने वालों में हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने 'प्रश्न काल' निलंबित रखने को आपके नोटिस को स्वीकार नहीं किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैंने भी नोटिस दिया है।

جناب جی۔ایم بنات والا (پونانی): میں نے بھی نوٹس دیا ہے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस स्वीकार नहीं किए गए हैं। अब हम 'प्रश्न काल' शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपको अधिकार है, नोटिस लेने का।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करके मैंने इजाजत नहीं दी। पुगलिया जी आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : हमें भी बोलने का अवसर दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री जी. एम. बनातवाला, श्री राम विलास पासवान और श्री हन्नान मोल्लाह की ओर से 'प्रश्न काल' निलंबित रखने के नोटिस मिले हैं। मैंने इन सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया है। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी और आप अपनी बात कह चुके हैं। मैं 'प्रश्न काल' प्रारम्भ

करने के लिए कह चुका हूं। प्रथम प्रश्न पूछा जा रहा है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। आप सहयोग करें तो आपका आभारी होऊंगा। मेरा विचार है कि यह मुद्दा सभा में ढंग से उठा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : हमें कहने दीजिए।...*(व्यवधान)* हमें वाक आउट करने पर मजबूर न करें।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): ہمیں کہنے دیجئے.....(مداخلت) ہمیں واک آؤٹ کرنے پر مجبور نہ کریں۔

अध्यक्ष महोदय : आप वाक आउट न करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में चर्चा मत करिए।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले की कोई बात कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैंने भी क्वैश्चन आवर ससपेंशन के लिए नोटिस दिया है।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): جناب، میں نے بھی کوئسچن آور کیلئے نوٹس دیا ہے۔

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है, जीरो आवर में इजाजत दूंगा। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टक्कर-रोधी उपकरण

+

***242. श्री नरेश पुगलिया :**
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों को टक्कर से बचाने के लिए बनाए गए टक्कर–रोधी उपकरण के टिकाऊपन और विश्वसनीयता और फाटकों पर होने वाली टक्करों का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन रेल खंडों के नाम क्या हैं जहां पर इन टक्कर–रोधी उपकरणों को लगाया गया है/लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में सभी रेल खंडों में टक्कर–रोधी उपकरण कब तक लगा दिए जाने की संभवना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) टक्कर–रोधी उपकरण के टिकाऊपन और उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन व्यापक फील्ड परीक्षणों के आधार पर, जो कि 15.8.2002 से उत्तर रेलवे के जालंधर–अमृतसर खंड पर चल रहे हैं, किया जा रहा है। ये परीक्षण जनवरी, 2003 तक किए जाने हैं। प्रारंभिक परीक्षण पहले पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और कोंकण रेलवे पर किए गए हैं।

(ग) टक्कर–रोधी उपकरणों को अभी भारतीय रेलों के किसी खंड पर उपयोग में नहीं लाया गया है। बहरहाल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कर–रोधी उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एक निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण–मध्य रेलों पर व्यापक फील्ड परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के आधार पर टक्कर–रोधी उपकरणों की व्यवस्था करने के

लिए, प्रत्येक पर 750 मार्ग कि.मी. के लिए रेडियो और मार्ग सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई है।

(घ) व्यापक फील्ड परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद और निधि की उपलब्धता के आधार पर बड़े पैमाने पर टक्कर–रोधी उपकरणों को उपयोग में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी से इस महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रापर रिप्लाई की अपेक्षा थी ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, एन्टी कोलिजन डिवाइस के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह सैटिसफैक्ट्री नहीं है। उत्तर में उन्होंने कहा है कि एन्टी कोलिजन डिवाइस की ट्रायल ली जा रही है और 15 अगस्त, 2002 को जालंधर–अमृतसर सैक्शन में इसका उपयोग किया गया है। 15 अगस्त के शुभ दिन माननीय मंत्री जी ने रेलवे को एक सुरक्षा कवच के रूप में देन दी है। हमें इस बात की खुशी है कि एन्टी कोलिजन डिवाइस की रिसर्च कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने की है और उनको इंटरनेशनल एवार्ड भी मिला है। पिछले तीन सालों में–1999–2000 में 463 एक्सीडेंट्स, 2000–2001 में 473 एक्सीडेंट्स और 2001–2002 में 415 एक्सीडेंट्स ओर इस साल 30 नवम्बर, 2002 तक 227 एक्सीडेंट्स–करीब 1400 एक्सीडेंट्स हुए हैं। इतने एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी यह इन्स्ट्रूमेंट ट्रायल के रूप में लगा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभाग में इसके रिजल्ट आने के बाद यह रक्षा कवच पूरे देश में कब तक लग जाएगा और इसका ट्रायल कब तक पूरा हो जाएगा? इसमें जो इंटरनेशनल एवार्ड हमारे कोंकण रेलवे के एक अधिकारी को मिला है। भारत सरकार ने, खासकर रेल मंत्रालय ने उन अधिकारियों को या कोंकण रेलवे कार्पोरेशन को किस प्रकार से सम्मानित किया है, इसका उत्तर मंत्री जी देंगे। धन्यवाद।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एंटी कोलिशन डिवाइस का ईजाद कोंकण रेलवे ने किया है। यह गाड़ियों की टक्कर जैसी स्थिति को रोकने के लिए इस उपक्रम का विकास किया गया। इसका भी प्रारम्भिक ट्रायल कोंकण रेलवे में और बाद में दो दिन के लिए एनएफ रेलवे में भी किया गया था। इस पर जो आरडीएसओ है, उसने भी इसका पूरा अध्ययन किया और उसके बाद रेलवे ने यह महसूस किया कि इसका एक्सटेंडेड फिल्ड ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि इस बात को देखा जा सके कि इस डिवाइस को लगाने के बाद इसका कितना प्रभाव होता है। सब चीजों का ध्यान रखते हुए 15 अगस्त से इसकी शुरूआत जालंधर और अमृतसर में की गई है। शुरूआती दौर में साफ्टवेयर में कुछ कमियां सामने आईं, उनमें सुधार करके 20 अक्तूबर से इसका ट्रायल चल रहा है और योजनाओं के हिसाब से जनवरी महीने तक इसका एक्सटेंडेड फिल्ड ट्रायल चलेगा। इसके अनुभव के आधार पर इसमें जहां कहीं भी कोई त्रुटि नजर आएगी उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। इस नतीजे के बाद इसे बड़े पैमाने पर लागू करने पर हम निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई नए उपक्रम को हम लगाएंगे तो हर प्रकार से उसे जांचना और परखना होता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि दुनिया में पहली बार इस प्रकार के उपक्रम का विकास हुआ है। इन्होंने जो ग्लोबल पोजिशन सिस्टम इस्तेमाल किया है और एक नए सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो एंगुलर डिविएशन काउंट प्रिंसिपल है, उसके आधार पर इन्होंने काम किया है। यह देश और राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे यहां जब इसका इस्तेमाल सफलतापूर्वक करेंगे तो दुनिया भर में इसका अनुकरण किया जा सकेगा, इससे राष्ट्र का सम्मान भी बढ़ेगा। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने पहली बार इसका ईजाद किया है और यह टक्कर जैसी स्थिति को रोकने के लिए, कहीं भी, किसी सैक्शन में भी कोई टक्कर जैसी स्थिति नहीं आएगी। तीन किलोमीटर दूर से ही यह पता चल जाएगा और इसके सहारे उसकी गति धीमी हो जाएगी। दो ट्रेनों के आसपास पहुंचने से पहले ही यह ट्रेन रुक जाएगी, इसकी यही खासियत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका तेजी से एक्सटेंडेड फिल्ड ट्रायल समाप्त हो जाए ताकि हम इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के बारे में आगे की कार्यवाही करें।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पिछले तीन साल में 1400 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं और उनमें मरने वालों की संख्या काफी बड़े पैमाने पर है। इसमें जो रीजन दिया है–ड्यू टू फेल्योर ऑफ रेलवे स्टाफ, इसकी संख्या 60 प्रतिशत से ज्यादा है। हमारे देश में जितने एक्सीडेंट रेलवे के होते हैं, उसमें मुख्य रीजन यह होता है, रेलवे स्टाफ की गलती होती है। एक करोड़ दस लाख पैसेंजर्स रोज ट्रेन में बैठते हैं, इसलिए इसे मजबूत करने के लिए, इतने बड़े पैमाने पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें आपने हमारे कोंकण रेलवे में जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट की खोज की है, उस माध्यम से आपने कहा है कि हम जल्दी ही पूरे देश में इसके रिजल्ट आने के बाद इसे लगाएंगे। अगर कोई प्लेन एक्सीडेंट होता है तो पैसेंजर्स को पूरा पैसा मिलता है, बाकी एक्सीडेंट होते हैं तो इंश्योरेंस कवर होता है, तब

भी उन्हें पैसा मिलता है हम जब तक फुल प्रूफ नहीं कर लेते, एक्सीडेंट्स में कमी नहीं लाते तब तक पैसेंजर्स की सुरक्षा नहीं कर सकते। खासकर उनके लाइफ इंश्योरेंस के लिए रेलवे ने स्टेप लिया है। आपने पिछली बार कहा था कि हमने रेलवे सेफ्टी के लिए केन्द्र सरकार से 17,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए अब तक बजटेड प्रोविजन छः साल में मिलने वाला है। बकाया पांच हजार करोड़ रुपया आप पैसेंजर से वसूल करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ग्रुप-इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत यात्रियों को कवर करके इस दिशा में आप कुछ करेंगे। आपने जो आंकड़े दिए हैं उसमें वर्ष 1999-2000 में 616 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें रेलवे ने 9 करोड़ 34 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए हैं। उसके बाद 2000-2001 में 216 जानें गईं जिसमें रेलवे ने 7 करोड़ 97 लाख रुपए दिए। उसके बाद सन् 2001-2002 में 300 जानें गईं, जिसमें रेलवे ने 4 करोड़ 11 लाख रुपए दिए हैं, जो कि बहुत कम हैं। मेरा सुझाव है कि एक रुपया या दो रुपए आप पैसेंजर पर सरचार्ज लगाकर फर्स्ट-क्लास, सैकिंड-क्लास या एसी-फर्स्ट-क्लास की अलग-अलग बीमा योजना बनाकर रेलवे विभाग यात्रियों की बीमा योजना बनाने की कोशिश करें।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न एंटी-कौलीजन डिवाइस के बारे में था। उसके बारे में अगर सदस्य महोदय कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।

श्री नरेश पुगलिया : जब एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आप मरने वालों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं तो दीजिए।

[अनुवाद]

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, मैं आपसे सुरक्षा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूं। इसीलिए मैंने माननीय मंत्री से आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रोटेक्शन तो सबसे पहले हमें चाहिए। अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न का स्पैसिफिक जवाब देना तो संभव नहीं है क्योंकि इन्होंने एक जनरल प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर भी जनरल दिया जा सकता है।

श्री नरेश पुगलिया : मेरा प्रश्न एंटी कौलीजन डिवाइस से ही संबंधित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं कड़े शब्दों में कहूं, आपका पूरक प्रश्न इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता। किन्तु आपके प्रश्न का महत्व समझते हुए मैंने माननीय सदस्य को आपके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष जी, आप एंटी कौलीजन डिवाइस हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, यही काम मैं करता हूं। मेरी ड्यूटी है कि दोनों में टकराव न हो जाए।

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य की बात को हम देखें तो उन्होंने एक्सीडेंट्स पर चिंता व्यक्त की है और उनकी चिंता स्वाभाविक भी है। मूल प्रश्न एंटी कौलीजन डिवाइस से संबंधित है जिसकी ईजाद कोंकण रेलवे ने गैसल की दुर्घटना के बाद की। दुर्घटना के बाद वहां के अधिकारियों को लगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए और उनको एक आइडिया आया और उस आइडिये पर उन्होंने धीरे-धीरे काम किया। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसके आधार पर उन्होंने एक एंगुलर डैविएशन काउंट प्रिंसीपल का ईजाद किया और उसी के आधार पर जितने ट्रैक्स हैं उनको ट्रैक-आइडेंटिटी दी। जितने स्टेशन के यार्ड्स हैं उनके ले-आउट के आधार पर उनका डैविएशन काउंट प्रोफाइल तैयार किया। उन्होंने देखा कि यह अच्छा काम कर रहा है। इसी के आधार पर उन्होंने धीरे-धीरे उसे डैवलेप किया और तब पता चला कि इससे टक्कर को रोका जा सकता है। इससे न केवल टक्कर को रोका जा सकता है बल्कि यह लैवल-क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स को रोकने में भी सहायक हो सकता है। इस प्रकार चार एसीडी अगर लोकोमोटिव में लगें, गार्ड के वाहन में लगें, स्टेशन पर लगें और लेवल-क्रॉसिंग गेट्स पर लगें तो कई प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। आगे की टक्कर, पीछे की टक्कर और साइड की टक्कर को रोकने का इससे प्रबंध हो सकता है। अगर मिड-सैक्शन में कोई गाड़ी रुक गई है

तो वैसी स्थिति में भी इस मशीन के माध्यम से वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं।

श्री नरेश पुगलिया : मेरी और आपकी टक्कर तभी बंद हो सकती है जब आप ग्रुप इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस करके उनको मुआवजा देने की बात करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि मैं इनका उत्तर देना नहीं चाहता हूं। पैसेंजर इंश्योरेंस पर उनको अलग से सवाल पूछना चाहिए था। रेल सिस्टम के माध्यम से पैसेंजर जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है और हम सबसे पहले एक्स-ग्रेशिया पेमेंट करते हैं। इसके अलावा इसके लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल बना हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री को टक्कररोधी उपायों पर विचार करने हेतु बधाई देता हूं लेकिन मैं मानता हूं कि यह कुल सुरक्षोपाय का ही एक भाग है। मेरी चिंता माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रश्न के भाग (घ) के बारे में दिए गए उत्तर के बारे में है। इसमें कहा गया है, "टक्कररोधी उपायों के बड़े पैमाने पर शामिल करने पर विस्तृत क्षेत्र परीक्षणों और धन की उपलब्धता के सफलतापूर्वक पूरा होने के आधार पर विचार किया जाएगा।" मेरी विशेष चिन्ता धन की उपलब्धता के बारे में है। यदि यह सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने का प्रश्न है और जिनके लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बड़ी धनराशि का आश्वासन दिया गया है और टिकटों के माध्यम से धन एकत्र किया जा रहा है इसलिए धन की उपलब्धता का मुद्दा सुरक्षोपाय के एक भाग के रूप में टक्कररोधी उपाय को कार्यान्वित करने के मार्ग में नहीं आना चाहिए।

मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री सभा को भरोसा दिलाएंगे कि जहां तक टक्कररोधी उपाय को शामिल करने का संबंध है, धन की उपलब्धता समस्या नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचार से पूरी तरह सहमत हूं। हम एंटीकॉलिजन डिवाइज के एक्सटैंडिड फील्ड ट्रायल के साथ-साथ सैमिलटेनियस्ली एक्शन भी ले रहे हैं। इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले सर्वे करना पड़ेगा। जो रूट सर्वे है, व रेडियो रिसैप्शन कहां किस प्रकार है, इसका सर्वे करना होगा। जीपीएस का रिसैप्शन कैसा है? स्टेशन और यार्ड का एक अलग सर्वे करना पड़ता है ताकि हम डिविएशन प्रोफाइल तैयार कर सकें। यह काम हम लोगों ने ऑलरेडी दो सैक्शन्स में एप्रूव किया है। हम एडवांस में एक्शन ले रहे हैं। मुझे इस बात की पूरी सम्भावना है कि यह प्रशिक्षण सफल होगा। पूरे सिस्टम को लागू करने के लिए जल्दी से जल्दी फेज-वाइज सारे प्रयत्न किए जाएंगे। यह बात सही है कि ऐसे कदम उठाने के लिए पैसों की कमी नहीं आनी चाहिए। 17 हजार करोड़ रुपए का एक स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है। उसमें सेफ्टी एनहांसमेंट आइटम का एक कम्पोनेंट है। हम अपना काम उससे प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके लिए अन्य प्रकार से भी इंतजाम करके इसे लगाना चाहिए। यह रेलवे की सेफ्टी का सवाल है और लोगों की जान की रक्षा का भी सवाल है।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

इस वक्तव्य से पता चलता है मंत्री यह सोच रहे हैं कि टक्कररोधी उपाय रेलवे की सुरक्षा करेंगे। रखरखाव, सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में रेलवे की कर्मचारियों की स्थिति क्या है? रेलवे की निम्न श्रेणियों में पिछले पांच वर्षों से नियुक्ति नहीं की गई है। समपारों पर द्वारपालों को लगातार दो से तीन दिन तक काम करने के लिए विवश किया जाता है। केरल में कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि द्वारपाल लगातार काम करने के कारण मूर्छित हो गए। स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थितियों के कारण प्रतिस्थानी नहीं मिल रहा है। यहां भी रेलवे उपयुक्त कार्मिक शक्ति के बिना रेलवे को चलाने की सोच रहा है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि रेलवे में विशेषकर निम्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरा जाए ताकि हम रेल दुर्घटनाओं और रेलों की टक्करों से बच सकें। मैं माननीय मंत्री से रिक्तियां भरने के प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी सेफ्टी कैटेगिरी की वकैंसियां हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसके लिए निर्णय भी ले लिए गए हैं और इसके लिए जरूरी निर्देश अभी जारी किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : चौदह सौ दुर्घटनाओं के बाद मंत्री महोदय के मन में यह विचार आया कि टक्कररोधी उपकरण देश में संस्थापित किए जाएं? यदि हमने इस पर विचार किया है तो दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने की क्या पद्धति है? यदि हमने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली थी तो पिछले तीन वर्षों में हुई इन 1400 घातक रेलवे दुर्घटनाओं के क्या कारण थे? क्या इस उपाय से मानव और यांत्रिक गलतियों को नहीं बल्कि षड्यंत्र पर भी नियंत्रण करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी? यदि ऐसा है यदि ऐसी प्रणाली है जिसका सुझाव दिया गया है और परीक्षण किया गया है, तो कृपया मंत्री जनता और रेल उद्योग को यह आश्वासन दें कि इन टक्कररोधी उपायों की संस्थापना हेतु बजट आवंटन पूरी की जाने वाली मांगों के अनुरूप नहीं है जो टक्कररोधी उपायों को शामिल करने के मार्ग में नहीं आना चाहिए? हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सरकारी क्षेत्र के लिए अपनी तमाम धनराशि छोड़ने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जब फील्ड ट्रायल जनवरी तक पूरा हो जाएगा, पैसे का आकलन तभी होगा लेकिन एक अंदाज है कि अगर 7 हजार लोकोमोटिव्स और 7 हजार रेलवे स्टेशनों—सब पर लगाया जाएगा तो धन का एक रफ एस्टीमेट होगा लेकिन इसके बारे में कोई फौर्मल प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल लगभग कोंकण रेलवे ने तैयार किया था। उसके हिसाब से लगता है कि इन सब कामों के लिए 1600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अब यह राशि क्या होगी, जब पूरे तौर पर इसकी योजना बनेगी तो पता चलेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सम्पूर्ण रेलवे के लिए है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : पूरे रेलवे में ए.सी.डी. इंट्रोड्यूस करने और मार्ग सर्वे करने के लिए हर किलोमीटर के लिए 10 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। इन सब कामों के लिए पैसे की जरूरत होगी। माननीय सदस्या ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह स्वाभाविक रूप से सही है। उनके विचार स्वागत योग्य हैं। इस प्रकार के कामों के लिए धन को आड़े नहीं आने दिया जाना चाहिए। यदि आप सब लोगों के विचार हैं तो इससे रेल मंत्रालय को और बल मिलेगा। इस काम के लिए जहां कहीं से भी धन का आवंटन होता है, इस बात को हम मजबूती से रख पाएंगे। इस प्रकार के कदम उठाने के लिए, जिसका संबंध सेफ्टी से है, उसके आड़े नहीं आने देना चाहिए। यही कारण है कि नीयत स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने 17 हजार करोड़ रुपए का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड का निर्माण किया है। हमारे रिन्युअल और पैंडिंग काम जो कई सालों से पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए पैसा लिया है। इसमें हम लोगों ने सेफ्टी एनहैंसमेंट आइटम्स रखी हैं। इसके माध्यम से हम तत्काल काम प्रारम्भ भी कर सकते हैं। हम आपके समक्ष धन का प्रस्ताव रख सकते हैं।

जहां तक माननीय सदस्या ने एक्सीडेंट प्रोन एरियाज को आइडैंटिफाई करने की बात कही है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनके बारे में मालूम है कि डीरेलमेंट होती है, उस इलाके की भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़ी बहुत जानकारी रेलवे को भी होती है। इसके लिए रेल मंत्रालय बराबर नजर रखता है कि कहीं ट्रेक फ्रेक्चर है या कोई और त्रुटि है। जहां तक सैबोटाज की बात कही गई है, रेल मंत्रालय खुद इसका भुक्तभोगी होती है। इसमें राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। जहां तक सिक्यूरिटी का सवाल है, यह राज्य सरकारों का दायित्व होता है लेकिन जहां तक सेफ्टी का प्रश्न है, यह भारत सरकार का और रेल विभाग का दायित्व है। रेल मंत्रालय की तरफ से बराबर राज्य सरकारों से सम्पर्क रखने का प्रयास किया जाता है। हमारे पास जो जानकारी आती है, उनसे आग्रह करते हैं। जहां तक सैबोटाज के जरिए जो डीरेलमेंट कराने की घटनाएं होती हैं, इसके लिए हम लोगों ने रेलवे बोर्ड से कहा है कि इसका कोई रास्ता निकाले। वे इसे एग्जामिन कर रहे हैं। स्टेशन एरिया में ट्रेक सर्कटिंग की जा रही है ताकि यदि ट्रेक में डिसकंटिन्युटी पैदा होती है तो इसके बारे में पहले से जानकारी मिल जाए और ट्रेन को कंट्रोल किया जा सके। इन सारी चीजों पर काम हो रहा है और हर क्षेत्र में इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोंकण रेलवे को और आपको धन्यवाद देता हूं।

रेलवे द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

+

*243. **श्री अखिलेश यादव :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या रेल मंत्री रेलवे द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

के बारे में 7 मार्च, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कोई परियोजना समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और उस रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय–सीमा तय की गई है या नहीं? यदि इसकी कोई समय–सीमा होगी तो कब तक इसके कम्पलीट होने का समय बांधा जाएगा?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय और एन.टी.पी.सी. के बीच में इसी साल 18 फरवरी को एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके आधार पर रेलवे और एन.टी.पी.सी. मिलकर दो हजार मेगावाट तक का पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, जो रेलवे की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए हैं उसमें प्रावधान था कि एक प्रोजेक्ट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें रेलवे और एन.टी.पी.सी. दोनों के अधिकारी होंगे। इस प्रोजेक्ट कमेटी के जिम्मे कुछ काम दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट कमेटी का गठन 7 मार्च, 2002 को किया गया है। यह प्रोजेक्ट कमेटी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट कमेटी को साइट आइडेंटीफाई करनी हैं कि कौन सी साइट्स बेहतर होंगी, जहां एन.टी.पी.सी. और रेलवे मिलकर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलवा उन्हें और भी काम दिए गए हैं। जैसे पावर की जनरेशन होगी, उसे हम ट्रांसमिट करके रेलवे के जो सब–स्टेशन हैं, जहां से ट्रैक्शन के लिए बिजली जाती है, वहां तक ट्रांसमीशन कर सकें और सब–स्टेशन के लिए क्या व्यवस्था होगी। आज ऊर्जा के जो कानून हैं, उनके हिसाब से या जो रेलवे का एक्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से कौन से इंतजाम हो सकते हैं, इस तरह की सारी बातें उन्हें तय करनी हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि प्रोजेक्ट कमेटी अपना काम कर रही है और इसने अब तक तीन साइट्स का अध्ययन किया है और अभी चौथी साइट का अध्ययन करने के लिए गई है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं वह भी बता सकता हूं कि इन्होंने जिन तीन साइट्स का अध्ययन किया है उसमें नागपुर के निकट मौदा है। रायगढ़ की साइट का भी अध्ययन किया है। उसके बाद मानुगुरु साइट का अध्ययन किया है और नबीनगर का अध्ययन करने के लिए टीम जा रही है। इस तरह से सारी साइट्स का अध्ययन करके जब टीम आएगी तो उसके आधार पर हम आगे का निर्णय लेंगे।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि समिति समय पर रिपोर्ट न दे पाए तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एम.ओ.यू. के हिसाब से इस कमेटी का समय एक साल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक साल के अंदर ही यह प्रोजेक्ट कमेटी साइट्स आइडेंटीफाई करके आएगी और एम.ओ.यू. में यह व्यवस्था है कि जब साइट आइडेंटीफाई होगी तो एक ज्वाइंट वैंचर कमीशन इस पावर प्लांट के लिए बनाया जाएगा। जब ज्वाइंट वैंचर कमीशन बन जाएगा तो यह प्रोजेक्ट कमेटी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी प्रोजेक्ट कमेटी अपना पहला काम कर रही है। उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ओर सारे दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। इसमें कई काम एन.टी.पी.सी. को करने हैं। जैसा मैंने चार साइट्स के बारे में बताया है कि उसका उन्होंने अध्ययन किया है और एन.टी.पी.सी. के लोग अभी नबीनगर की साइट पर जा रहे हैं। वे वहां का अध्ययन करके पूरी चीजें लाएंगे तो एक कम्पैरेटिव स्टडी होगी कि कौन सी साइट बेहतर होगी, जहां रेलवे और एन.टी.पी.सी. मिलकर पावर प्लांट लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट कमेटी अपना काम ठीक ढंग से कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह समय के अंदर इसे पूरा करेगी। लेकिन फिर भी यदि जरूरत पड़ेगी तो समय बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इन्हीं का प्रावधान है कि या तो आप उसकी टर्म को बढ़ा सकते हैं या जे.वी.सी. बनाने की बात आ जाएगी तो यह कमेटी समाप्त हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे।

श्री सुकामी सरोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर विद्युत लोकोशेड को पास हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसके लिए धन भी स्वीकृत हो चुका है। हम लोग जब भी वहां से गाड़ी में बैठते हैं तो वहां के लोग हमेशा इसके बारे में प्रश्न किया करते हैं कि इस तरफ अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि इसे पास हुए काफी दिन हो गए हैं। कृपया मंत्री जी इस बारे में बताएं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह पावर प्लांट से संबंधित सवाल है पर इनका लोकोशेड का सवाल है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय, माननीय मंत्री के विद्युत परियोजनाओं से संबंधित उत्तर में उन्होंने कुछ स्थानों और स्थलों का उल्लेख किया है जहां विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है। मैं नहीं जानता उन्होंने किन स्थानों का उल्लेख किया है। यह बहुत स्पष्ट नहीं था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तीन अथवा चार स्थानों का उल्लेख किया है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विशाल पैमाने पर काम कर रहा है और कायाकुलम में भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना है। रेल मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक लाइनों का विद्युतीकरण कराया गया है। फिर भी बहुत कुछ करना शेष है, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी करेंगे।

इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए क्या रेल मंत्री राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सहयोग से केरल में स्वतंत्र विद्युत परियोजना की स्थापना करेंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि रेलवे और एन.टी.पी.सी. के बीच में एक सहमति बनी है कि रेलवे की बिजली के इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन की जरूरतों को और नॉन इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन की जरूरतों को, जिसको 2000 मेगावाट असैस किया गया है, उसको पूरा करने के लिए उस क्षमता का एक पावर प्लांट लगाया जाए। यह रेलवे और एन. टी.पी.सी. के बीच में बात हुई। एक प्रोजेक्ट कमेटी बनाई गई और उसने एक वर्किंग ग्रुप बनाया और इनको जो काम दिया गया, वह यह था कि वे डिसाइड करें कि कौन से लोड सैंटर्स होंगे। रेलवे को ट्रैक्शन परपज के लिए जो पावर की जरूरत है, तो मेजर लोड सेंटर्स कौन से हैं। डिफरेंट रेलवे में इलेक्ट्रिफाइड रूट है। कितने पावर की कहां जरूरत है इसको देखें। इसके अलावा उनको यह मैनडेट दिया गया कि आप देखिए कि एन.टी.पी.सी. के किसी एक्जिस्टिंग पावर प्लांट के एक्सपैन्शन से क्या काम चल सकता है। दूसरा उन्होंने यह स्टडी किया कि क्या हम और कोई एक्जिस्टिंग एन.टी.पी.सी. के प्लांट को ले सकते हैं। यह भी कहा गया कि कई स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज ने ऑफर किया है कि हमारे पावर प्लांट्स को एन.टी.पी.सी. ले ले। क्या उस प्रकार के पावर प्लांट्स को लिया जाए इन सारे ऑप्शन्स पर विचार हुआ और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वे सारे ऑप्शन्स संभव नहीं हैं और इसलिए लोड सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह तय किया कि हमें ग्रीनफील्ड पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसको लगाना है तो एन.टी.पी.सी. के पास कई डिफरेंट साइट्स की स्टडीज मौजूद हैं। उनके आधार पर रेलवे और एन.टी.पी.सी. ने मिलकर जो लोड सेंटर्स की बात सोची, उसके आधार पर इन्होंने कुछ साइट्स आइडेंटिफाइ कीं जिसकी मैंने अभी जानकारी दी। नागपुर के पास एक मौदा नाम की जगह है, छत्तीसगढ़ में रायपुर था, फिर आंध्र प्रदेश में मानुगुरु है। इन सब जगहों का उन्होंने अध्ययन किया और फिर कई तरह की कठिनाइयां उनमें हैं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं कोयले की एवेलेबिलिटी नहीं है। कई तरह की समस्याओं को वह देख रहे हैं। चूंकि इनको टैक्नो इकोनॉमिक फीजीबिलिटी स्टडी करनी है और फिर उसके आधार पर प्रैलिमिनरी रिपोर्ट देनी है, फिर एन.टी.पी.सी. ने सुझाव दिया और बात आई कि नबीनगर साइट है जिसके बारे में पहले भी स्टडी हुई है। वहां भी एक टीम जाने वाली है और वह स्टडी करके आएंगे। फिर हमने कहा है कि और जगहों पर भी पता लगा लें और सारी जगहों पर पता लगाकर जहां किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो प्रोजेक्ट कमेटी में इसको डिसकस करेंगे और तब आगे बात होगी। इसलिए जो आपने कहा, इसमें मूल काम एन.टी.पी.सी. ही कर रही है। वह जहां भी मुनासिब समझेगी, वहां के बारे में स्टडी करके लाएगी और रेलवे का इंटेन्शन है कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एन.टी.पी.सी. के साथ मिलकर पावर प्लांट लगाएं। यह उन लोगों पर निर्भर करता है कि कौन–सी साइट टैक्नो इकोनॉमिक कंसिडरेशन पर जस्टिफाइ करते हैं और कहां कितना सहयोग मिलेगा इसके आधार पर किसको वह लगाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

राइफलों और लाइट मशीनगनों का उत्पादन

***244. श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिची स्थित आयुध कारखाना और ईशापुर स्थित राइफल फैक्ट्री उत्पादन संबंधी समस्याओं के कारण सेना की राइफलों और हल्की मशीन गनों की मांग पूरी नहीं कर पा रही है;

(ख) क्या उनके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उपकरण शून्य से कम तापमान में सर्दी के कारण नहीं चल पाते हैं;

(ग) क्या सैन्य बलों में 5.56 एम.एम. की हथियार प्रणालियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं और राष्ट्र के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) आयुध निर्माणी, त्रिची तथा राइफल निर्माणी, ईशापुर, सेना की राइफलों तथा हल्की मशीन गनों की आवश्यकताओं को, आपसी सहमति के आधार पर तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार पूरा कर रही हैं।

(ख) शून्य से कम तापमान पर 'शीत जकड़न' (कोल्ड अरेस्ट) की समस्या, जो दिसम्बर, 1999 में देखने में आई थी, की जांच आयुध निर्माणी बोर्ड, गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा सेना के एक संयुक्त दल द्वारा की गई थी और इस समस्या की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। उसके बाद से 'शीत जकड़न' की समस्या की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सैनिकों के लिए वैयक्तिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा 7.62 एम.एम. की स्वभरण राइफलों तथा हल्की मशीन गनों को 5.56 एम.एम. राइफलों तथा हल्की मशीन गनों से बदलने के लिए आपूर्ति कार्यक्रम, सेना द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम माननीय मंत्री के अभी भी पद पर आसीन रहने पर अपना गम्भीर विरोध व्यक्त करते हैं और तहलका आयोग विफलता की स्थिति में है। अतः हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.49 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि माननीय मंत्री को दोषमुक्त नहीं किया गया है इसलिए हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.49½ बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री के. येरननायडू : महोदय, लोकतंत्र में भी अर्थ होता है। हमें भारत के संविधान का सम्मान करना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन से बाहर जाना उनका अधिकार है। किन्तु मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदन में बैठना नहीं चाहता तो मैं उसे सदन में बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : सर, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराजसिंह चौहान : सर, यह राजनीतिक ड्रामा है।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह शोभनीय नहीं है। मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं। ये प्रजातंत्र के रूल के खिलाफ कर रहे हैं। विपक्ष यह कार्य राजनीति से प्रेरित होकर कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया उसे सुन लीजिए।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : सर, कल को ये इधर हुए और इनके साथ विपक्ष ऐसा व्यवहार करेगा, तो क्या इन्हें अच्छा लगेगा। मेरा निवेदन है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : सर, यह लोकतंत्र का मजाक है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, यह खेद की बात है कि कुछ माननीय सदस्य राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को सुनना नहीं चाहते...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है, यह प्रश्न गंभीर परिणामों से संबंधित है। जैसा कि माननीय मंत्री जी को विदित है, वर्ष 1980 में स्टील कोर अम्युनिशन वाली 5.56 एम.एम. ऐंसाल्ट राइफल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् सरकार को इनका उत्पादन आरंभ करने में दो वर्ष लगे। इन्सैस 5.56 एम.एम. राइफल का उत्पादन अथवा विनिर्माण बहुत देरी से आरंभ हुआ जिससे अंतरिम अवधि के लिए हमारी सेनाओं के पास केवल अप्रचलित आयुध-सामग्री रही। जब ऐसा हुआ तो कतिपय अनियमितताएं पाई गई। इनमें से एक अनियमितता थी-बर्फीले स्थानों पर राइफलों के निष्क्रिय हो जाना। अब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि इस मामले की छानबीन की गई है और इस समस्या को दूर कर दिया गया है।

लेकिन यह भी सच है कि इस राइफल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह गोलियों के समाप्त होने पर कुंदे की तरह लटक जाए। स्पष्ट रूप से, ऐसा नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, जहां तक राइफल के आकार का संबंध है, क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि क्या इसका रिसीवर और पिस्टल ग्रिप का आकार कलीश्नीकोव की तरह का है, और इसका बट और गैस रेगूलेटर बैल्जीयन एफएन-एफए-2 जैसा, फोर एंड यू.एस.ए.आर.-15 जैसा है और कोकिंग होल जर्मन हैकलर और कोच जैसा है? इस तरह की विभिन्नता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली इस राइफल के कार्य से क्या सरकार अब भी संतुष्ट है अथवा यह परेड के लिए प्रदर्शन की एक वस्तु मात्र है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, थल सेना आवश्यक रूप से इन राइफलों का उपयोग करती है। यदि प्रयोग करने वाला संतुष्ट है तो किसी को इसके बारे में शिकायत नहीं हो सकती। थल सेना इससे संतुष्ट है यह इस बात से स्पष्ट है कि इन वर्षों में जब से इसका उत्पादन आरंभ हुआ, वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के बीच की अवधि के दौरान 5.56 एम. एम. वाली 2,76,210 राइफलों का वितरण किया गया। आयुध कारखानों के पास जो आदेश हैं मैं उनकी संख्या आपको बता सकता हूं। वर्ष 2002-2003 के लिए एक लाख राइफलों की मांग है और आगामी दो वर्षों के लिए यह मांग प्रति वर्ष एक लाख राइफल है और वर्ष 2005-2006 के लिए 95,000 राइफलों की मांग है।

दूसरे शब्दों में, थल सेना इन राइफलों का उपयोग कर रही है और वह इन राइफलों से संतुष्ट है। बर्फीले स्थानों पर राइफलों के निष्क्रिय होने की समस्या एक विशेष स्थिति में पनपी जब स्पष्ट रूप से ग्रीज हटाने का कार्य न किया गया हो अथवा किसी ऐसे ही तेल का उपयोग किया गया जिससे यह समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या का समाधान कर दिया गया है और ये राइफलें वांछित परिणाम दे रही हैं, जैसा कि थल सेना ने प्रमाणित किया है।

श्री चन्द्र विजय सिंह : माननीय मंत्री जी ने थल सेना की आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया है। मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या थल सेना ने यह आवश्यकता बताई है क्योंकि उत्पादन इकाइयां थल सेना की वास्तविक मांगों के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाई हैं?

जहां तक संख्या का सवाल है, हमारी थल सेनाओं की संख्या, मेरी पूरी जानकारी के अनुसार एक मिलियन के लगभग है। इन कारखानों ने लगभग 3,00,000 अजॉल्ट राइफलों की

आपूर्ति की है। आप संख्या की विसंगति को कैसे छिपाएंगे जिसमें एक मिलियन लोगों से भी अधिक संख्या वाली थल सेना है और लगभग 2,75,000 और इतनी ही राइफलों की आपूर्ति की गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो महोदय मैं आपको थल सेना द्वारा प्रस्तुत वर्ष–दर–वर्ष का लक्ष्य बताऊंगा और थल सेना को की गई आपूर्ति के संबंध में बताऊंगा। वर्ष 1993–94 में, यह लक्ष्य 7,000 राइफलों का था और 5000 राइफलों की आपूर्ति की गई थी। वर्ष 1994–95 में यह लक्ष्य 20,000 राइफलों का था और आपूर्ति हुई 15,007 राइफलों की। वर्ष 1995–96 में, लक्ष्य 20,000 राइफलों का था और पूरा–पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 1996–97 में लक्ष्य था 40,000 राइफलों का और यह आपूर्ति पूरी की गई थी। वर्ष 1997–98 में, लक्ष्य था 60,000 राइफलों का और आपूर्ति हुई थी 60,003 राइफलों की। वर्ष 1998–99 में लक्ष्य था 60,000 राइफलों का और 60,2000 राइफलों की आपूर्ति की गई थी। वर्ष 1999–2000 में 76,000 राइफलों की आपूर्ति का लक्ष्य था और पूरी मात्रा में 76,000 इकाइयों की आपूर्ति की गई। वर्ष 2000–01 में लक्ष्य था 80,000 राइफलों का और सभी 80,000 राइफलों की आपूर्ति की गई थी। वर्ष 2001–02 में, 80,000 राइफलों का लक्ष्य था और 80,000 राइफलों की आपूर्ति की गई थी। इसीलिए, थल सेना ने जो भी लक्ष्य दिया उसे पूरा किया गया।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम विपक्ष के एक भाग द्वारा सभा से बाहर जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। सभा से बाहर जाने संबंधी परंपरा के स्थापित नियम हैं। उनका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई नियम अवश्य होना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए। यह न केवल मंत्री जी का अपमान है बल्कि यह पूरी सभा का भी अपमान है। यह सभा की अवमानना है। ऐसा बार–बार हो रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वह हमारे रक्षा मंत्री जी हैं और हमारे देश की रक्षा का भार उनके ऊपर है और उनका कोई अपमान हमारे जवानों, सेना, नौसेना और वायु सेना का अपमान है। कृपया दिशा–निर्देशों को लागू करें। जैसा कि आप जानते हैं कुछ स्थापित दिशा–निर्देश हैं और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत कर रहा हूं।

श्री अजित कुमार पांजा : सदन से इस बहिर्गमन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं, इछापोर राइफल कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : चूंकि उन्हें कुछ आपत्तियां हैं, इसीलिए उन्हें मंत्री जी को कोई पत्र भी नहीं लिखने चाहिए। उन्हें मंत्री महोदय के साथ कोई संपर्क नहीं करना चाहिए।

श्री के. येरननायडू : वे सभा के बाहर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सभा में यह ऐसा कर रहे हैं।

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : वे निवेदन और अन्य बातों के लिए मंत्री जी से नियमित रूप से मिल रहे हैं लेकिन सभा में वे प्रश्न क्यों नहीं पूछते?

श्री अजित कुमार पांजा : जैसा कि मंत्री जी जानते हैं, इछापोर राइफल कारखाना सबसे पुराना और सबसे अच्छे कारखानों में से एक है। इसे पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है, इसलिए इसके समक्ष समस्याएं आ रही हैं। दूसरे, विश्व भर में अत्याधुनिक मशीनों का आविष्कार किया गया है। यदि उनके लिए इस प्रकार की मशीनों की आपूर्ति की जाए तो यह अच्छा होगा। इस कारखाने के मजदूरों की बुद्धिमत्ता और अनुभव सभी को भली–भांति विदित है। वे प्रणाली से भली–भांति परिचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत कुमार पांजा, क्या आप अपनी बात जल्दी–जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि शीघ्र ही प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा और हो सकता है कि आपको मंत्री जी से जवाब न मिले।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं यह समझता हूं और मैं भी घड़ी की ओर देख रहा हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इछापुर राइफल कारखाने को पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएगी, क्या इसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी और अंततः क्या माननीय मंत्री जी इस कारखाने की समस्याओं को जानने के लिए इसका दौरा करने की कृपा करेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने इछापोर राइफल कारखाने का दौरा किया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह

एक सदी से भी पुराना कारखाना है और वे इन राइफलों का उत्पादन कर रहे हैं जो इस प्रश्न का विषय है। जहां तक आधुनिकीकरण और अधिक आधुनिक मशीनों को प्राप्त करने का संबंध है, हमने न केवल इछापोर राइफल कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि बजट के तहत प्रदान की है बल्कि आयुध कारखानों के लिए भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***245. श्री वी. वेत्रिसेलवन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रिंट मीडिया' और 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बंटवारे का समाधान करने के प्रयासस्वरूप उनके मंत्रालय को स्टार टी.वी. की ओर से भारत से 'अपलिंक' करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या मीडिया घरानों से विदेशी निवेश की अनुमति प्रसारण क्षेत्र के बराबर देने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) भारत से हिन्दी और अंग्रेजी में 'स्टार न्यूज' चैनल को अपलिंक करने के लिए स्टार न्यूज ब्राडकास्टिंग लिमिटेड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

दी गई सूचना के अनुसार, आवेदक कम्पनी का अपना प्रधान कार्यालय हांगकांग में और पंजीकृत कार्यालय ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में हैं। इस कम्पनी के तीन निदेशक हैं—दो (2) अमरीकी और एक (1) ब्रिटिश।

(ग) जी, नहीं, हालांकि समाचार उद्योग के कुछ वर्गों ने प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश के पक्ष में एक तर्क के रूप में विदेशी टी.वी. चैनलों के लिए केबल के जरिए आसान पहुंच का उल्लेख किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायिक प्रणाली में खामियां

***246. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान न्यायिक प्रणाली की अनेक कमियों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली को कारगर बनाने हेतु इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) न्यायपालिका में लंबित मामलों की बड़ी संख्या के प्रति सरकार और न्यायपालिका, दोनों ही चिंतित हैं। सरकार मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इनमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना सम्मिलित है। उच्च न्यायालयों ने मलिमथ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में बकाया मामलों की संख्या में कमी लाने और उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए उपाय किए हैं। अन्य उपायों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना और माध्यस्थम तथा सुलह जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को अपनाना सम्मिलित है। लोक अदालतों को विवाद समाधान के अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है। जिला न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों की अवसंरचना में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के द्वारा सुधार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य बिजली बोर्डों से बकाया राशि की वसूली

***247. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय को अनेक राज्यों के बिजली बोर्डों से बकाए की भारी राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों से बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान बकाया राशि का भुगतान कर दिया है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा रा.वि. बोर्डों से अपनी बकाया राशियां वसूल की जानी हैं।

(ख) 30.9.2002 की तिथिनुसार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सरकार ने देय राशियों की शीघ्र वसूली हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) सरकार ने मार्च, 2002 में 30.9.2001 की तिथिनुसार देय बकाया राशियों के एकमुश्त समाधान हेतु एक स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है। स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार और आरबीआई के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। अभी तक 21 राज्य सरकारों ने टीपीए हस्ताक्षरित किए हैं और 3 राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समेत) ने सिद्धांततः सहमति प्रदान कर दी है। शेष 5 राज्य सरकारों के साथ टीपीए हस्ताक्षरित किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(2) स्कीम में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत मंत्रालय के सीपीएसयू नामशः नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नॉर्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको), दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) की देय बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण किए जाने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बकाया देय राशियों को 30.9.2001 की तिथिनुसार 60% ब्याज/अधिभार की छूट देने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले 8.5% कर मुक्त बॉण्डों में परिवर्तित किया जाएगा। बॉण्डों में मूलधन वसूली के लिए 5 वर्ष की विलंबन अवधि का प्रावधान है जिसमें समस्त मूलधन छठे वर्ष और 15वें वर्ष के बीच वसूल किया जा सकेगा। तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल की सिफारिश के आधार पर इस स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया गया था।

(3) वर्तमान देय राशियों के भुगतान के लिए रा. वि. बोर्डों/राज्य यूटिलिटियों द्वारा अपने पिछले 12 महीनों की औसत मासिक बिलिंग के 105% समकक्ष मूल्य का अप्रतिसंहार्य साख-पत्र खोला जाना अपेक्षित है। यदि कोई यूटिलिटी 3 माह से अधिक अवधि तक भी विद्युत संबंधी अपनी बकाया देय राशियों का भुगतान नहीं करता है तो स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के आरबीआई में प्रचलित खाते से धनराशि वसूल करने की व्यवस्था है।

(4) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) और पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) त्रिपक्षीय स्कीम के क्षेत्र में नहीं आते हैं क्योंकि रा.वि. बोर्डों द्वारा देय बकाया राशियां पूंजीगत प्रकृति की हैं।

(घ) 30.9.2001 की तिथिनुसार सीपीएसयू के पक्ष में संबंधित राज्यों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉण्डों का मूल्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जहां तक शेष दो सीपीएसयू नामशः आरईसी और पीएफसी, जो स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, का संबंध है पीएफसी ने गत एक वर्ष के दौरान 80.100 करोड़ रुपए वसूल किया है और आरईसी ने 183.49 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। राज्यवार विस्तृत ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय (सांकेतिक) बकाया देनदारियां

(30.09.2002 की तिथिनुसार)

(मूलधन और प्रभार)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रा.वि.बो./राज्य	एनटीपीसी			एनएचपीसी			पीजीसीआईएल			नीपको		
		मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	70.31	25.67	95.98	0.00	0.00	0.00	13.40	0.90	14.30	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.94	0.90	2.84	4.40	2.90	7.30	24.22	3.18	27.40
3.	असम	48.84	33.54	82.38	2.19	0.39	2.58	149.80	63.30	213.10	798.10	161.92	960.02
4.	बिहार	1322.52	1096.95	2419.47	21.98	20.56	42.54	239.20	91.50	330.70	0.00	0.00	0.00
5.	चंडीगढ़	0.52	0.00	0.52	3.27	7.27	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	149.89	233.60	383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	डीएनएच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	डीवीबी	1850.69	2047.65	3898.34	316.03	361.33	677.36	146.90	95.30	242.20	0.00	0.00	0.00
10.	गोवा	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
11.	गुजरात	502.23	82.24	584.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	23.97	14.34	38.31	36.01	45.30	81.31	0.40	0.40	0.80	0.00	0.00	0.00
13.	एचएसईबी (एचवीपीएनएल)	417.16	369.53	786.69	93.19	516.90	610.09	14.30	21.90	36.20	0.00	0.00	0.00
14.	जम्मू एवं कश्मीर	163.38	37.14	200.52	114.68	14.47	129.15	25.50	10.10	35.60	0.00	0.00	0.00
15.	झारखंड	1288.61	914.56	2203.17	5.31	0.00	5.31	25.20	3.50	28.70	0.00	0.00	0.00
16.	कर्नाटक	170.48	83.00	253.48	0.00	0.00	0.00	8.20	24.60	32.80	0.00	0.00	0.00
17.	केरल	1145.51	168.59	1314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1551.99	643.94	2195.93	0.00	0.00	0.00	47.50	19.40	66.90	0.00	0.00	0.00
19.	महाराष्ट्र	496.07	378.00	874.07	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	19.20	12.28	31.48	31.80	15.80	47.80	159.66	21.40	181.06
21.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.14	1.34	1.48	0.10	1.30	1.40	24.73	2.21	26.94
22.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	3.50	2.65	6.15	0.00	0.20	0.20	54.53	7.97	62.50
23.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	5.26	4.35	9.61	9.90	7.20	17.10	68.38	7.71	76.09
24.	उड़ीसा (ग्रीडको)	1063.98	315.75	1379.73	6.80	11.75	18.55	17.40	0.90	18.30	0.00	0.00	0.00
25.	अन्य (वायु)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पांडिचेरी	−7.06	20.77	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
27.	पंजाब	306.18	63.62	369.80	146.82	211.89	358.71	1.20	2.70	3.90	0.00	0.00	0.00
28.	राजस्थान	269.59	72.79	342.38	79.83	11.47	91.30	29.30	2.70	32.00	0.00	0.00	0.00
29.	सिक्किम	31.22	21.52	52.74	2.20	0.26	2.46	10.90	6.00	16.90	0.00	0.00	0.00
30.	राज्य सरकारें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	397.69	190.19	587.88	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	3.88	1.85	5.73	5.30	0.30	5.60	83.51	11.28	94.79
33.	उत्तर प्रदेश	2882.89	989.93	3872.82	300.22	52.02	352.24	127.30	38.20	165.50	0.00	0.00	0.00
34.	उत्तरांचल	270.79	154.75	425.54	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
35.	डब्ल्यूबीएसईबी	876.82	933.28	1810.10	0.04	17.69	17.73	56.50	40.50	97.00	0.00	0.00	0.00
	योग	15294.53	8891.35	24185.88	1162.49	1294.67	2457.16	992.60	458.70	1451.30	1213.13	215.67	1428.80

31 मार्च, 2002 के अनुसार

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय (सांकेतिक) बकाया देनदारियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रा.वि.बो./राज्य	पीएफसी			डीवीसी			आरईसी		
		मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.65	0.00	0.65	0.40	0.00	0.40	0.00	0.05	0.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
3.	असम	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	67.16	174.79	241.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	1.42	0.00	1.42	353.50	740.97	1094.47	153.58	342.87	496.45
5.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	114.89	151.28	266.17
7.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	डीएनएच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	डीवीबी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
11.	गुजरात	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	24.67	14.53	39.20
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
13.	एचएसईबी (एचवीपीएनएल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.15
15.	झारखंड	17.39	0.00	17.39	559.41	658.85	1218.26	0.00	0.00	0.00
16.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.73	4.09
17.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	852.20	847.46	1699.66
19.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
20.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	3.92	7.97
21.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	मिजोरम	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	6.69	6.97	13.66
23.	नागालैंड	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
24.	उड़ीसा (ग्रीडको)	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	अन्य (वायु)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	27.03	44.27
26.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32
28.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	राज्य सरकारें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.13	0.53
31.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.91	2.91
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	2.34	3.37
33.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.91	586.78	994.69
34.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	डब्ल्यूबीएसईबी	0.13	0.00	0.13	450.82	613.89	1064.71	189.65	423.06	612.71
	योग	85.43	0.00	85.43	1365.83	2013.71	3379.54	1843.91	2584.37	4428.28

झारखंड सहित

30 सितम्बर, 2002 की स्थितिनुसार

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय (सांकेतिक) बकाया देनदारियां

(करोड़ रु. में)

सीपीएसयू का नाम	मूलधन	ब्याज	कुल
1	2	3	4
एनटीपीसी	15294.53	8891.35	24185.88
एनएचपीसी	1162.49	1294.67	2457.16
पीजीसीआईएल	992.60	458.70	1451.30
नीपको	1213.13	215.67*	1428.80
पीएफसी	85.43	0.00	85.43
डीवीसी	1365.83	2013.71	3379.54
आरईसी	1843.91	2584.37	4428.28
कुल	21957.92	15458.47	37416.39

*31 मार्च, 2002 की स्थितिनुसार

विवरण-II

एकमुश्त योजना के तहत प्रतिभूतिकृत किए जाने वाले दिनांक 1.10.2001 की स्थिति अनुसार बकाया देनदारियों की राज्यवार और सी.पी.एस.यू. वार सारांश

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रा.वि.बो./राज्य	एनटीपीसी बांड मूल्य	एनएचपीसी बांड मूल्य	पीजीसीआईएल बांड मूल्य	डीवीसी बांड मूल्य	नीपको बांड मूल्य	कुल बांड मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	113.94	0.00	8.44	0.30	0.00	122.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.26	7.40	0.00	19.58	28.24
3.	असम	52.78	0.84	202.28	1.70	622.20	879.80
4.	बिहार	1616.24	23.52	194.36	627.02	0.00	2461.14
5.	छत्तीसगढ़	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	210.73

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	डीवीबी (डेसू)	2243.26	404.26	141.24	0.00	0.00	2788.76
7.	गोवा	−0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.36
8.	गुजरात	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01
9.	हरियाणा	375.32	299.77	11.78	0.00	0.00	686.87
10.	हिमाचल प्रदेश	31.12	56.07	0.68	0.00	0.00	87.87
11.	जम्मू एवं कश्मीर	81.54	62.24	148.46	0.00	0.00	292.24
12.	झारखंड	1128.23	1.44	9.20	715.21	0.00	1854.08
13.	कर्नाटक	214.21	0.00	16.12	0.00	0.00	230.33
14.	केरल	738.85	0.00	11.44	0.00	0.00	750.29
15.	मध्य प्रदेश	1397.90	0.00	45.80	0.00	0.00	1443.70
16.	महाराष्ट्र	541.98	0.00	4.30	0.00	0.00	546.28
17.	मणिपुर	0.00	19.40	48.58	0.00	124.23	192.21
18.	मेघालय	0.00	0.53	4.44	0.00	12.48	17.45
19.	मिजोरम	0.00	5.60	8.20	0.00	35.79	49.59
20.	नागालैंड	0.00	6.58	20.30	0.00	57.77	84.65
21.	उड़ीसा	731.13	11.43	7.00	0.00	0.00	749.56
22.	पंजाब	187.53	313.62	22.92	0.00	0.00	524.07
23.	राजस्थान	357.59	64.56	29.80	0.00	0.00	451.95
24.	सिक्किम	34.55	2.40	10.84	0.00	0.00	47.79
25.	तमिलनाडु	400.79	0.00	5.40	0.00	0.00	406.19
26.	त्रिपुरा	0.00	2.94	11.20	0.00	63.31	77.45
27.	उत्तर प्रदेश	3054.53	252.56	49.40	0.00	0.00	3356.49
28.	पश्चिम बंगाल	1185.59	12.52	65.86	613.36	0.00	1877.33
	योग	14877.46	1541.54	1085.44	1957.59	935.36	20397.39

विवरण-III

दिनांक 1.10.2001 से 30.9.2002 तक की एक वर्ष की अवधि के मध्य आरईसी और पीएफसी द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से वसूली गई बकाया देनदारियां

ए—रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	30.09.2001 तक			01.10.01 से 30.09.02 तक वसूली		
		मूल	ब्याज	कुल	मूल	ब्याज	कुल
1.	असम	57.33	136.55	193.88	0.00	0.40	0.40
2.	बिहार/झारखंड	143.39	315.31	458.70	0.00	39.38	39.38
3.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	839.87	695.91	1535.78	0.00	44.72	44.72
4.	उत्तर प्रदेश	412.72	553.28	966.00	0.00	55.00	55.00
5.	पश्चिम बंगाल	158.21	395.73	553.94	0.00	44.01	44.01
	कुल	1611.52	2096.78	3708.30	0.00	183.49	183.49

बी—पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	एसईबी	30.09.2001 तक			01.10.01 से 30.09.02 तक वसूली
		मूल	ब्याज	कुल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	एमपीएसईबी	31.13	39.31	70.44	69.15
2.	एपीजीईएनसीओ	3.57	4.52	8.09	7.44
3.	तेंगुघाट बीएनएल	15.65	17.91	33.56	16.17
4.	ग्रिडको	0.26	6.14	6.40	6.35
5.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	0.00	0.03	0.03	0.03
6.	डीपीएल	0.00	0.18	0.18	0.05
7.	एएसईबी	0.00	0.04	0.04	0.04
8.	मिजोरम	1.50	1.67	3.17	1.35
9.	अपट्रांसको	0.00	0.22	0.22	0.22
10.	जीईबी	0.00	0.27	0.27	0.00

1	2	3	4	5	6
11.	सीएसईबी	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	बिहार एसएचपीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	उड़ीसा एचपीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	52.11	70.29	122.40	100.80

[अनुवाद]

पी.जी.सी.आई. द्वारा उच्च वोल्टेज का पारेषण

***248. श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया' (पी.जी.सी.आई.) के माध्यम से उच्च वोल्टेज का पारेषण नेटवर्क विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की संकल्पना वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस समस्या से निबटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) बिना किसी बाधा के क्षेत्रों के बीच विद्युत के अंतरण को सुविधा-जनक बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके में एचवीडीसी स्टेशनों/ बाइपोल और 765 केवी ए.सी. लिंकों के माध्यम से एक 'राष्ट्रीय ग्रिड' का निर्माण करके देश में सभी क्षेत्रों को एकीकृत करने हेतु एक योजना तैयार की गई है। ग्रिड प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा उच्च क्षमता के लम्बे एचवीडीसी लिंकों और ए.सी. लिंकों की योजना बनाई गई है जिन्हें बड़ी परियोजनाओं के साथ चालू किया जाएगा। अंतिम चरण में बड़े विद्युत उत्पादन संसाधनों से विद्युत की निकासी करने के लिए एक ठोस समकालिक राष्ट्रीय विद्युत पारेषण ग्रिड की परिकल्पना की गई है। इसमें 'चिकन नेक' क्षेत्र (सिलीगुड़ी तक) के रास्ते उत्तर-पूर्व को जोड़ने वाला एक उच्च क्षमता का 400 केवी पारेषण गलियारे का विकास और पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों को अंतःसंयोजित करने वाली 765 केवी लाइनों के एक रिंग की स्थापना शामिल है। विभिन्न स्थानों यथा जेयपोर-गजुवाका, तलचेर-कोलार, चन्द्रपुर-रामागुंडम इत्यादि में ठोस 400 केवी एचवीडीसी लिंकों के माध्यम से दक्षिणी ग्रिड को पूर्वी एवं पश्चिमी ग्रिडों से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रिड की अंतःक्षेत्रीय पारेषण क्षमता वर्ष 2011-12 तक बढ़कर लगभग 30000 मेवा. हो जाएगी।

(ग) और (घ) विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उत्पादन में पर्याप्त घरेलू/विदेशी निवेश विभिन्न घटकों के कारण फलित नहीं हो पाया है। इसका प्राथमिक कारण उन अधिकतर राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि.बो.) की वित्तीय स्थिति खराब होना है जो स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत के बिलों का नियमित भुगतान करने के संबंध में बड़ी संख्या में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की वित्तीय क्षमता नहीं रखते हैं। वित्तीय समापन प्राप्त करने वाली निजी विद्युत परियोजनाओं के मामले में राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति और ठोस भुगतान सुरक्षा पैकेज के लिए ऋणदाताओं का आग्रह मुख्य समस्या रही है। निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजना के शीघ्र विकास की अन्य बाधाओं में विभिन्न ठेकों को अंतिम रूप प्रदान करने में विलंब होना, न्यायालय में मुकदमेबाजी होना, तरल ईंधनों की कीमतों में वृद्धि होना इत्यादि शामिल हैं।

इस समस्या के समाधान तथा निजी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति पद्धति के सरलीकरण/विकेन्द्रीकरण और विद्युत सेक्टर में और अधिक निवेश आकृष्ट करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं-

-- विद्युत क्षेत्र सुधार और पुनर्गठन।

– सुधार के लिए प्रतिबद्ध राज्यों के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

– रा.वि.बो. की देय बकाया देयताओं का एकमुश्त निपटान।

- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधिनियमन से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग व राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 21 राज्यों ने नियामक आयोगों का गठन अथवा उनकी अधिसूचना जारी कर दी है।
- राज्य विद्युत बोर्डों के मार्गदर्शन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता से विद्युत खरीद करार (पीपीए) तथा ईंधन आपूर्ति करार का माडल तैयार करना।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए जरूरी स्वीकृतियों की संख्या कम करना।
- सीईए से स्वीकृति प्राप्त करने वाली विद्युत परियोजनाओं की सीमा में बढ़ोत्तरी।
- निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए वैकल्पिक सुरक्षा प्रविधि विकसित करना।

ईरान से भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

***249. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
डा. अशोक पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में 'साउथ पार्स' क्षेत्र से उत्तरी और पश्चिमी भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने हेतु कुछ समय पहले भारत और ईरान के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या रूस की 'गैसप्रोम कंपनी' ने ईरान से भारत तक पाकिस्तानी समुद्रतटीय जल से होते हुए प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। द्विपक्षीय सहयोग के तहत भारत–ईरान संयुक्त समिति ने ईरान से प्राकृतिक गैस का आयात करने के सारे विकल्पों की खोज करने के लिए उसे सहायता प्रदान करने हेतु एक संयुक्त तकनीकी उप समिति का गठन किया था। संयुक्त समिति ने पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) के बाहर ईरान से भारत तक पाइप लाइन बिछाने के लिए एक अपतटीय व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ करने का निर्णय लिया है। भारत से गेल (इंडिया) लिमिटेड और ईरान से राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी (एन आई ओ सी) को संबंधित सरकारों द्वारा पाइप–लाइन परियोजना के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। तदनुसार गेल और एन आई ओ सी ने ईरान से भारत तक पाइप लाइन के लिए संयुक्त रूप से एक अपतटीय पाइप लाइन व्यवहार्यता अध्यन आरम्भ किया है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) अगले वर्ष के आरम्भ में पूरी की जा सकती है। परियोजना पर कार्रवाई करने का निर्णय परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। तथापि पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत रूस संयुक्त कार्य दल की 21–22 जनवरी, 2002 को आयोजित 8वीं बैठक में गैसप्रोम ने ईरान से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए तीन पाइप लाइन विकल्पों पर गेल को प्रस्तुतिकरण दिया था अर्थात् (1) पाकिस्तान से होती हुई जमीनी गैस पाइप लाइन, (2) पाकिस्तान के क्षेत्रीय समुद्र क्षेत्र के भीतर एक उथला जल पाइप लाइन, और (3) अंत में भारत तक एक गहरे समुद्र वाली गैस पाइप लाइन।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और पूर्ति

***250. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
श्री थावर चन्द गहलोत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान मांग और पूर्ति कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने चालू योजनावधि के अंत तक पेट्रोलियम उत्पादों की सम्भावित मांग का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मांग की पूर्ति के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) वर्ष 2001–02 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और उत्पादन क्रमशः 100.4 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) और 104.2 एम एम टी था। वर्तमान वर्ष के लिए तदनुरूपी अनुमान 103 एम एम टी और 108 एम एम टी है।

दसवीं योजनावधि के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की सम्भावित मांग 118 एम एम टी और 134.6 एम एम टी के बीच आंकी गई है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की वर्धित मांग को अधिकांशतः स्वदेशी रिफाइनरियों और एल पी जी प्रभाजकों से पूरा किया जाना परिकल्पित है। उत्पादों की मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच के अंतराल को आयात से पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

अश्लील और अशिष्ट फिल्मों के निर्माण पर प्रतिबंध

***251. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'सेंसर बोर्ड' के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सिनेमा में युवाओं और बच्चों के दिमाग को कुप्रभावित करने वाले दृश्यों को निरंतर प्रदर्शित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में रिलीज फिल्म 'रोड' सहित कुछ अन्य फिल्मों में बहुत ही अश्लील दृश्य फिल्माए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा दृश्यों को फिल्माने अथवा काटने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सेंसर प्रमाण–पत्र जारी करते समय ऐसी फिल्मों को दिखाने से रोकने अथवा इस आशय के मार्ग–निर्देशों को क्रियान्वित करने हेतु सी.बी.एफ.सी. को निर्देश जारी करने के लिए मार्ग–निर्देश/मानदंड बनाने हेतु कोई समिति गठित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मार्ग–निर्देशों को कड़ाईपूर्वक कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन और निर्माण पर नजर रखने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (के.फि.प्र.बो.) को कुछ राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में अप्रमाणित फिल्मों या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा हटाए गए दृश्यों को फिल्मों में जोड़ने अथवा बोर्ड को नहीं दिखाए गए हिस्सों को शामिल करके फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं। हालांकि, चलचत्रिकी अधिनियम को लागू कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने उक्त अधिनियम के उल्लंघन संबंधी मामलों का पता लगाने तथा चार महानगरों में सिनेमाघरों में नियमित जांच करने और संबंधित राज्य प्राधिकारियों को तत्काल जांच करने और संभव अभियोजन के लिए उनकी रिपोर्ट देने हेतु वर्ष 2001–2002 के दौरान एक निजी जासूसी एजेंसी की सेवाएं भी किराए पर ली थीं।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 6.12.1991 की अधिसूचना के द्वारा चलचित्रकी अधिनियम के खंड 5ख के उपखंड (2) के अधीन पहले ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जिसका आशय अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि मानवीय संवेदनशीलता का अभद्रता, अश्लीलता या चरित्रहीनता के द्वारा उल्लंघन न होने पाए। 'रोड' फिल्म का पूर्वदर्शन करने वाली केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जांच समिति ने एकमत से यह सिफारिश की है कि फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र दे दिया जाए।

[अनुवाद]

विक्रांत का संग्रहालय में परिवर्तन

*252. **श्री किरीट सोमैया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न युद्धपोतों, विशेषकर विक्रांत को स्थायी संग्रहालय में परिवर्तित करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार उनके मंत्रालय के साथ इस प्रस्ताव पर लम्बे समय से बातचीत कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए कितना योगदान दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विक्रांत को स्थायी संग्रहालय में परिवर्तित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) भा.नौ.पो. विक्रांत को स्थायी संग्रहालय में परिणत करने के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। भा.नौ.पो. विक्रांत, जिसे 16 फरवरी 1961 को सेवा में शामिल किया गया था, को 31 जनवरी, 1997 को सेवा से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने जून 1997 में रक्षा मंत्रालय के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह विक्रांत को एक समुद्री संग्रहालय में तब्दील करने के लिए इसे अपने हाथ में लेने को तैयार है। माननीय रक्षा मंत्री ने विक्रांत को निःशुल्क महाराष्ट्र सरकार को अंतरित करने के लिए अक्तूबर 1998 में मंजूरी प्रदान कर दी। पोत के स्क्रैप मूल्य, जो 18 करोड़ रुपए आंका गया था, को भी माफ कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने, अंतरण से पूर्व अनिवार्य अनुरक्षण हेतु, जुलाई 1999 में 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

तब महाराष्ट्र सरकार ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई तथा 124 करोड़ रुपए की लागत से विक्रांत को एक समुद्री संग्रहालय-सह-हेलिपैड-सह-सम्मेलन केन्द्र में परिणत करने के लिए एक वाणिज्यिक साझेदार की भी तलाश की। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं की है। इस दौरान, भारतीय नौसेना ने 30 नवम्बर, 2001 को पोत के कुछ हिस्सों को एक संग्रहालय में बदल दिया तथा पोत को मुम्बई स्थित नौसेना के लंगर तक ले जाया गया और इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। तब से भारी संख्या में दर्शकों ने भा.नौ.पो. विक्रांत को देखा है।

उच्च गति का रेल यातायात

*253. **श्री जी. पुट्टास्वामी :**
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च गति का रेल यातायात विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मार्गवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कब तक हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने भी हैदराबाद-बंगलोर और बंगलोर-चेन्नई के बीच उच्च गति का रेल यातायात विकसित करने हेतु प्रस्ताव पेश किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, मुंबई-अहमदाबाद के बीच उच्च गति वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए स्पेन की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए धन की सहायता से एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) से (च) रेल मंत्रालय ने इस दिशा में और आगे खोजबीन करने और पुष्ट प्रस्तावों का पता लगाने के लिए हैदराबाद-बंगलोर और बंगलोर-चेन्नै सहित 7 गलियारों को चिह्नित किया है। कर्नाटक सरकार भी चिह्नित किए जाने से संबंधित इस कार्य के लिए सहमत हो गई है। उल्लेखनीय संभावनाओं को देखते हुए पहले कदम के रूप में मुंबई-हैदराबाद गलियारे का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

घुमंतू जनजातियों के बारे में सिफारिशें

*254. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग ने देश में अनेक घुमंतू जनजातियों के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और कितनी घुमंतू जनजातियों की पहचान कर ली गई है;

(ग) क्या सरकार आयोग की उक्त सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त सिफारिशों की एक प्रति संलग्न विवरण में है।

(ग) सिफारिशों को समीक्षा और कार्यवाही करने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय और स.माजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को भेज दिया गया हं। जनजाति कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यायावर जनजातियों को संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि, अधिसूचित न की गई जनजातियों के वर्ग में उनके लिए अनन्य रूप से विनिर्दिष्ट निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं, किंतु वे, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में उनके प्रवर्गीकरण के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों के अधीन उपलब्ध फायदे/रियायतें पाने की हकदार हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि ऐसे समूहों का विकास एक सतत प्रक्रिया है अतः, इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

विवरण

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

अधिसूचित न किए गए जनजातियां/समुदाय और यायावर तथा अर्ध-यायावर जनजातियां/समुदाय

10.12.1 अधिसूचित न की गई जनजातियों/समुदायों को अन्यायपूर्ण रूप से अपराध प्रवृत्त के रूप में कलंकित किया जाता रहा है और विधि तथा व्यवस्था के प्रतिनिधियों के साथ ही जनसाधारण समाज द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। उनमें से कुछ को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है और अन्यों को अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित किया गया है। उनके विकास के प्रति विशिष्ट भावना को आगामी योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विकास से संबंधित कार्य समूहों की रिपोर्टों में और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में व्यक्त किया गया है और उस पर जोर दिया गया है। अधिसूचित न की गई जनजातियों के संबंध में विशेष रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। उनकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है। आयोग यह सिफारिश करता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजाति कल्याण मंत्रालय कार्य समूहों की और राष्ट्रीय आयोगों तथा निर्दिष्ट अन्य रिपोर्टों में अंतर्विष्ट इन सभी सामग्रियों और सिफारिशों को इकट्ठा करें और अधिसूचित न की गई जनजातियों के आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, उनके लिए रोजगार के अवसरों को तैयार करने, सामाजिक उदारता तथा उनके पूर्ण पुनर्वास के लिए सुदृढ़ कार्यक्रम बनाएं। विमुक्त जातियों के लिए जो कुछ भी कहा गया है वह यायावर और अर्ध-यायावर जनजातियों/समुदायों के संबंध में भी लागू होता है। आयोग यायावर और अर्ध-यायावर जातियों/समुदायों की बाबत उन्हीं कार्यवाहियों की सिफारिश करता है जैसी अधिसूचित न की गई जनजातियों या विमुक्त जनजातियों के बारे में की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की सूची में विभाजित समुदायों के इन समूहों की लगातार दुर्दशा अनुच्छेद 46 सहित संविधान के आदेश का गंभीरतापूर्वक पालन करने के संबंध में देश में योजना, वित्तीय संसाधनों के आवंटन और बजट तथा प्रशासन की मशीनरी के असफल रहने का एक स्पष्ट उदाहरण है। आयोग यह भी उल्लेख करता है कि ऊपर पैरा 10.5.2 से

10.5.3 में सिफारिश किए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण, आदि के एकीकृत नेटवर्क की स्थापना एस.सी.पी. और टी. एस.पी. के ढांचे के भीतर विमुक्त जाति और साथ ही यायावर और अर्ध–यायावर जनजातियों/समुदायों के साथ व्यावहारिक रूप में बर्ताव करने के लिए एक अवसंरचनात्मक तंत्र का उपबंध करेगी। इसी प्रकार, नीचे पैरा 10.14 में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के विकास की विचारधारा में ऐसी विमुक्त जाति और यायावर तथा अर्ध–यायावर जनजातियों/समुदायों के साथ, जो पिछड़े वर्गों की सूची में हैं, व्यावहारिक रूप में बर्ताव करने की भावना अंतर्विष्ट है।

10.12.2 आयोग ने अधिसूचित न किए गए और यायावार जनजाति अधिकार कार्रवाई समूह की ओर से दिए गए अभ्यावेदनों पर भी विचार किया और यह विनिश्चय किया कि उन्हें इस सुझाव के साथ कि वे अधिमानतः एक आयोग के माध्यम से उनकी समीक्षा कर सकते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाए।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा एन.सी.सी. के साथ सहयोग

***255. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) की गतिविधियों में सहयोग नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो एन. सी.सी. के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी राज्य एन.सी.सी. की गतिविधियों में मदद करते हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन भी एन.सी.सी. के संचालन के लिए धन, कार्मिक आदि मुहैया कराते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एन.सी.सी. के लिए वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

अनुमोदित शांतिकालीन स्थापना के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एन.सी.सी. को लेखाकारों, लिपिकों, ड्राइवरों, चौकीदारों, सफाई कर्मचारियों तथा लश्कर आदि के रूप में सिविलियन कार्मिक मुहैया कराने होते हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सिविलियन कर्मचारियों की कुल प्रधिकृत 15,114 नफरी के मुकाबले 11,200 सिविलियन कर्मचारी मुहैया कराए गए हैं।

वित्तीय सहायता तथा एन.सी.सी. में राज्य सरकारों के सिविलियन कर्मचारियों की कमी से संबंधित मुद्दे पर रक्षा सचिव ने 15.12.2000 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को लिखा था। इसके अलावा, माननीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 12.6.2002 को आयोजित 15वीं संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों तथा एन.सी.सी. के उप महानिदेशकों की बैठक के दौरान एन.सी.सी. की गतिविधियों को पूर्ण सहायता मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से कहा गया था।

विवरण

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर को वित्तीय सहायता संबंधी स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों द्वारा निधियों की प्रस्तावित मांग के मुकाबले आवंटन की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	84
2.	अरुणाचल प्रदेश	55
3.	असम	36
4.	मणिपुर	82
5.	मेघालय	30
6.	मिजोरम	90
7.	नागालैंड	74
8.	त्रिपुरा	36
9.	बिहार	89

1	2	3
10.	झारखंड	85
11.	दिल्ली	100
12.	गुजरात	87
13.	दमन और दीव (दादरा नगर हवेली सहित)	22
14.	जम्मू और कश्मीर	93
15.	कर्नाटक	72
16.	गोवा	17
17.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	64
18.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	78
19.	महाराष्ट्र	81
20.	उड़ीसा	65
21.	पंजाब	78
22.	हरियाणा	77
23.	हिमाचल प्रदेश	42
24.	चंडीगढ़	100
25.	राजस्थान	77
26.	तमिलनाडु	100
27.	अंडमान और निकोबार	75
28.	पांडिचेरी	100
29.	उत्तर प्रदेश	96
30.	उत्तरांचल	97
31.	पश्चिम बंगाल	82
32.	सिक्किम	71
	औसत	80 प्रतिशत

नौवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि

*256. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षमता लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और आठवीं एवं नौवीं योजना के दौरान पृथक-पृथक क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) क्या नौवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) 8वीं योजना के दौरान 30538 मे.वा. क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 16422.6 मे.वा. की क्षमता जोड़ी गई थी। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मे.वा. में)

	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र		निजी क्षेत्र		समग्र रूप से	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
थर्मल	8498	6252	9010	6040.5	2646	1262.4	20156	13554.9
हाइड्रो	3260	1465	5860	794.7	162	168.0	9282	2427.7
न्यूक्लियर	1100	400	–	–	–	–	1100	440.0
कुल	12585	8157	14870	6835.2	2810	1430.4	30538	16422.6

नौवीं योजना के दौरान 40245.2 मे.वा. क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 19015.17 मे.वा. की क्षमता जोड़ी गई थी। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकडे मे.वा. में)

	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र		निजी क्षेत्र		समग्र रूप से	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
थर्मल	7574	3084	4933.0	5537.97	17038.5	4975	29545.5	13597.97
हाइड्रो	3455	540	5814.7	1912.20	550	86	9819.7	4538.20
न्यूक्लियर	880	880	0.0	–	0.0	–	880.0	880
कुल	11909	4504	10747.7	9450.17	17588.5	5061	40245.2	19015.17

(ग) इन योजना अवधियों के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के विस्तृत कारण निम्नवत् हैं :

(i) एस्क्रो की अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तीय समापन में विलंब।

(ii) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में निधियों की कमी।

(iii) भूमि अधिग्रहण में विलंब।

(iv) निवेश संबंधी निर्णय में विलंब।

(v) आर एंड आर संबंधी समस्या।

(vi) संविदात्मक समस्याएं।

(घ) योजना अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों के आवंटन और समुपयोजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	आवंटन	समुपयोजन
8वीं योजना	79,589.32 करोड़ रु.	76,677.38 करोड़ रु.
9वीं योजना	1,24,526.00 करोड़ रु.	1,09,087.06 करोड़ रु.

आपदा प्रबंधन और सशस्त्र बल

*257. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित 'आपदा-प्रबंधन और सशस्त्र बल' संबंधी संगोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि भारत को परमाणु और आतंकवाद संबंधी आपदाओं से निबटने हेतु लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना मुख्यालय और इंजीनियर संस्थान (भारत), दिल्ली स्टेट चैप्टर ने 11 सितंबर, 2002 को नई दिल्ली में 'आपदा प्रबंधन और सशस्त्र बल-एक राष्ट्रीय प्रयास' विषय पर एक दिन की संगोष्ठी आयोजित की थी।

इस संगोष्ठी का मुख्य विषय आपदा प्रबंधन के इंजीनियरी पहलुओं से सम्बद्ध था। परमाणु से विनाश का मुद्दा प्रसंगवश उठा था। यह सुझाव दिया गया था कि केवल सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करना ही काफी नहीं है बल्कि आपदा से निपटने के लिए निचले स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। सरकार इस संगोष्ठी की सिफारिशें प्राप्त होने पर उन पर संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके पूर्ण रूप से विचार करेगी।

देश में विद्युत की मांग

*258. **श्री पी. एस. गढ़वी** :
श्री जी. जे. जावीया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2005 तक विद्युत की अनुमानित मांग का राज्य–वार, विशेषकर गुजरात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत संयंत्र विद्युत की मांग को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय विद्यमान विद्युत संयंत्रों की राज्यवार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण में किए गए प्रक्षेपण के आधार पर वर्ष 2005 तक अखिल भारतीय ऊर्जा की आवश्यकता 635065 मिलियन यूनिट अनुमानित की गई है और समनरूपी व्यस्ततमकालीन भार 102160.8 मे.वा. होगा। गुजरात राज्य के समनरूपी आंकड़े क्रमशः 54970 मि.यू. और 9470 मे.वा. है। राज्यवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। अखिल भारतीय अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 106266.90 मे.वा. (31.10.2002 की तिथिनुसार) है। राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 41110 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि लक्षित की गई है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 3000 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की प्रत्याशा है। 10वीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र से उच्च क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। योजना आयोग ने 10वीं योजना के लिए 143399 करोड़ रुपए परिव्यय का आवंटन किया है जो कि नौवीं योजना परिव्यय से 214% अधिक है। 10वीं योजना के लिए अभिज्ञात सभी परियोजनाओं की विद्युत मंत्रालय में आवधिक अंतरालों में मानीटरिंग और समीक्षा की जाती है।

नई विद्युत उत्पादन क्षमता से लाभों के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की स्थिति में निम्न के माध्यम से सुधार होने की प्रत्याशा है।

– ऊर्जा संरक्षण उपायों को आरंभ करना जिसके लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से लगभग 25% बचत होने की संभावना है।

– वितरण में तकनीकी हानियों में कमी लाना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की डिजाइन की गई है।

– विद्यमान विद्युत स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण आरंभ करना। इसके साथ उन्नत प्रचालन व अनुरक्षण कार्यों से उच्च उपलब्धता और विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा।

– अखिल भारत आधार पर विद्युत उत्पादन क्षमता के समुपयोजन को अधिकतम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड के क्रमिक विकास के द्वारा विद्युत का अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण।

विवरण-I

वर्ष 2004–05 के लिए विद्युत स्टेशन बस–बारों पर प्रत्याशित ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन भार

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	व्यस्ततमकालीन भार (मे.वा. में)
1	2	3
दिल्ली	22991	3860
हरियाणा	22089	4203
हिमाचल प्रदेश	4437	844
जम्मू एवं कश्मीर	8072	1706
पंजाब	36596	6730
राजस्थान	35216	5912
उत्तर प्रदेश	61681	9907
चंडीगढ़	1785	336
गोवा	2004	322
गुजरात	54970	9470
मध्य प्रदेश	46765	7737
महाराष्ट्र	94650	14801
दादरा व नगर हवेली	1119	188
दमन एवं दीव	761	123

1	2	3
आंध्र प्रदेश	60633	988
कर्नाटक	39467	6826
केरल	19378	3626
तमिलनाडु	49478	7978
पांडिचेरी	2265	386
बिहार	17932	3320
उड़ीसा	16157	2673
सिक्किम	204	52
पश्चिम बंगाल	28114	5265
आंध्र प्रदेश	264	85
असम	4558	853
मणिपुर	857	208
मेघालय	811	168
मिजोरम	433	119
नागालैंड	335	85
त्रिपुरा	832	211
अंडमान एवं निकोबार	194	40
लक्षद्वीप	37	8.8
अखिल भारत	635065	102160.8

विवरण-II

31.10.2002 को राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	उत्पादन क्षमता (मे.वा. में)
1	2
हरियाणा	3127.32
हिमाचल प्रदेश	664.80
जम्मू एवं कश्मीर	1233.63
पंजाब	5655.94
राजस्थान	4510.72
उत्तर प्रदेश	7602.60
उत्तरांचल	1286.15
चंडीगढ़	64
दिल्ली	3097.60
केन्द्रीय अनावंटित	884.00
गुजरात	8861.78
मध्य प्रदेश	4220.21
छत्तीसगढ़	1898.00
महाराष्ट्र	15208.27
गोवा	454.76
दमन एवं दीव	14.20
दादरा व नगर हवेली	15.50
केन्द्रीय अनावंटित	891.30
आंध्र प्रदेश	9317.24
कर्नाटक	5655.77
केरल	3043.44
तमिलनाडु	9230.81
पांडिचेरी	174.50
केन्द्रीय अनावंटित	610.00
बिहार	3059.16
झारखंड	1815.89
उड़ीसा	3406.48
पश्चिम बंगाल	6550.84
सिक्किम	60.80

1	2
केन्द्रीय अनावंटित	1303.51
असम	1119.49
मणिपुर	154.11
मेघालय	285.96
नागालैंड	101.46
त्रिपुरा	199.46
अरुणाचल प्रदेश	162.43
मिजोरम	86.30
केन्द्रीय अनावंटित	179.20
लक्षद्वीप	9.97
अंडमान एवं निकोबार	49.30
अखिल भारत	106266.90

एफ.टी.आई.आई. का उन्नयन

***259. श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफ.टी.आई.आई.) का उन्नयन कर उसे विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे सेंटर इंटरनेशनल डि लाइजन डिस इकोल्स डे सिनेमा एल डे टेलीविजन विश्व का प्रमुख फिल्म और टेलीविजन स्कूल संघ से सम्बद्ध सिनेमा और टेलीविजन प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय संस्थान है। कुछ अत्यधिक विख्यात अभिनेता, अभिनेत्री, निदेशक और तकनीशियन, जिन्होंने विश्व सिनेमा में देश का नाम रोशन किया है, इस संस्थान के पुराने छात्र हैं। संस्थान में प्रत्येक बैच वर्ष में अफ्रीकी-एशियाई छात्रों के लिए दो सीटों को कोटा आरक्षित है।

संस्थान का शासन और महत्वपूर्ण नीति निर्धारण भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की सोसाइटी के सदस्यों को शामिल करके तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित एक शासी परिषद द्वारा तैयार की जाती है जिसमें सिनेमा जगत् के प्रसिद्ध व्यक्ति और सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। केन्द्र सरकार सोसाइटी की वार्षिक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए इसे अनुदान देती है।

सरकार संस्थान की आधारभूत संरचना और अन्य विकास संबंधी आवश्यकताओं के रूप में इसकी जरूरतों की सतत रूप से समीक्षा करती है। सरकार संस्थान की प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों तरह से सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। इस उद्देश्य से संकाय और छात्रों दोनों के लिए अन्य संस्थाओं के साथ नई पद्धतियों और प्रवृत्तियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने पर और अधिक जोर देकर दसवीं योजना-प्रस्ताव के अंतर्गत संस्थान के मानव संसाधन विकास की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है। दसवीं योजना में संस्थान के लिए 12.10 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए नई मूल्य प्रणाली

***260. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने तटीय और अंतर्देशीय भागों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री हेतु एक नई मूल्य प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई मूल्य प्रणाली लागू हो जाने के बाद तटीय भागों में पेट्रोल और डीजल का मूल्य कम हो जाएगा जबकि अंतर्देशीय भागों में उपभोक्ता को इनका अधिक मूल्य देना होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इन ईंधनों के मूल्य में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए तेल कंपनियों ने भाड़ा लागत को चरणबद्ध तरीके से वसूल करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मूल्य प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्य निर्धारण

व्यवस्था (ए पी एम) के समापन से पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी हैं। जबकि मुक्त बाजार परिदृश्य में माल भाड़ा लागतें इन उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों में प्रतिबिम्बित होंगी, वहीं ए पी एम युग से मुक्त बाजार परिदृश्य में सहज पारगमन को सुसाध्य बनाने के विचार से सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां वर्तमान में इन अंतर्देशीय माल–भाड़ा लागतों को कुछ सीमा तक देश के अंतर्गत पृथक स्थानों के बीच समान कर रही हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों पर अनियमितताएं

***261. डा. चरण दास महंत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ ने पाया है कि देश के उत्तरी भागों के अस्सी प्रतिशत पेट्रोल पंप डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट इत्यादि में मिलावट सहित अनेक अनियमितताओं में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे पेट्रोल पंप डीलरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। मिलावट रोधी प्रकोष्ठ ने (इसके द्वारा निरीक्षण किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के अंतर्गत) जुलाई, 2001 से जुलाई, 2002 तक नमूना विफलता के लगभग 20 प्रतिशत मामलों तथा कुछ एक कदाचारों एवं संभावित मिलावट के अन्य 60 प्रतिशत मामलों का पता लगाया था।

(ख) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें मिलावट/कदाचारों का पता लगा था, संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) से विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों तथा/अथवा डीलरशिप करार के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

(ग) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना के अलावा तेल विपणन कंपनियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) वाले मिट्टी तेल को नीला रंग देने, खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित/औचक निरीक्षण, टैंकर–ट्रकों के लिए छेड़छाड़ रोधी ताला प्रणाली की शुरूआत, विशेष सतर्कता अभियान, इत्यादि जैसे कदम उठाए जाते हैं। गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध ओ एम सीज द्वारा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों तथा/अथवा डीलरशिप करार के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारें भी पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए किन्हीं नियंत्रण आदेशों के अतिक्रमण में संलिप्त होने वाले किसी भी डीलर के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करती हैं।

[अनुवाद]

सिगनलिंग कार्यशालाएं

2639. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सिगनलिंग उपकरणों और उनके पुर्जों की मरम्मत और रख–रखाव के लिए अनेक सिगनलिंग कार्यशालाओं की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ उपकरणों की मरम्मत तथा रख–रखाव निजी एजेंसियों के माध्यम से कराई गई है जबकि मरम्मत के लिए पुर्जे उपलब्ध थे लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इन उपकरणों की जोनल रेलवे कार्यशाला में मरम्मत न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) सिगनल कारखाने भायखला, हवड़ा, गाजियाबाद, मेट्टुगुडा, गोरखपुर, पांडु (गुवाहाटी), पोद्दानूर, साबरमती तथा खड़गपुर में स्थित हैं। ये कारखाने रेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी किस्म के ब्लॉक उपकरणों तथा रिले की ओवर हालिंग करते हैं। गोरखपुर, गुवाहाटी तथा पोद्दानूर कारखाने में भी पाइंट मशीनों की मरम्मत/ओवरहालिंग की जाती है। इन कारखानों में कुछ कारखाने सिगनल उपस्करों का भी विनिर्माण करते हैं। कारखानों का औसतन मासिक निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सिगनल कारखानों का मासिक निष्पादन

क्र.सं.	रेलवे	कारखाने	उत्पादन (लाख रु. में)
1.	म.रे.	भाखला	95
2.	पू.रे.	हवड़ा	65
3.	उ.रे.	गाजियाबाद	60
4.	पूर्वो.रे.	गोरखपुर	105
5.	पू.सी.रे.	पांडु	10
6.	द.रे.	पोदानूर	216
7.	द.म.रे.	मेद्दुगुडा	80
8.	द.पू.रे.	खड़गपुर	18
9.	प.रे.	साबरमती	46

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2640. श्री मानसिंह पटेल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दिशा में की गई प्रगति के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में इस कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में ब्लॉक स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करके और उनके कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन निर्वाह और उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हेतु, यथासंभव सीमा तक, ऊर्जा स्रोतों के ईष्टतम मिश्रण का प्रावधान शामिल है। गुजरात और अन्य राज्यों में आईआरईपी का कार्यान्वयन दो संघटकों के माध्यम से किया जा रहा है, नामतः केन्द्रीय क्षेत्र संघटक जिसके अंतर्गत स्टाफ और उनके प्रशिक्षण के प्रावधान सहित क्षमताओं के विकास के लिए सहायता दी जाती है, और राज्य क्षेत्र संघटक जिसके अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण ऊर्जा युक्तियों के संवर्धन, विस्तार और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्य परिव्यय के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) का कार्यान्वयन गुजरात में 19 ब्लॉकों में किया जा रहा है, इस राज्य में यह कार्यक्रम राज्य नोडल एजेंसी–गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) आईआरईपी की प्रगति पर 'आईआरईपी का विश्लेषण और क्षमता निर्माण नीति का विकास' नामक एक अद्यतन अध्ययन कार्य वर्ष 1999–2000 में गुजरात सहित बारह राज्यों में सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से आरंभ किया गया। इस अध्ययन से यह पता चला है कि आईआरईपी के फलस्वरूप जिला एवं राज्य स्तरों पर ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं एवं परियोजनाओं को तैयार करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना की स्थापना कर ली गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऊर्जा समस्या के विभिन्न आयामों को समझक आईआरईपी को समेकित किया जाना चाहिए, राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और कार्यक्रम की मॉनीटरिंग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(घ) से (च) जैसा कि उपरोक्त अध्ययन से पता चला है, कुछ पहलुओं पर आईआरईपी को सफलता मिली है, परन्तु अन्य राज्यों सहित गुजरात में कार्यान्वयन पहलु को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकारों की ओर से अधिक संसाधनों की जरूरत है।

दूरदर्शन पर गुटखा और सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

2641. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर गुटखा और सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुटखा और सिगरेट के विज्ञापनों से सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा विनियंत्रित होते हैं। सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अथवा उनको बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर

2642. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर 'सात ध्रुव' तीनों रक्षा सेवाओं में संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है; और

(ख) इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है और रक्षा सेनाओं की सेवा में कितने हेलिकॉप्टर सम्मिलित किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना परिव्यय राशि पूंजीगत परिव्यय के लिए 57.46 करोड़ रुपए तथा आस्थगित राजस्व व्यय के लिए 75.91 करोड़ रुपए है। रक्षा सेनाओं तथा भारतीय तटरक्षक बल में अभी तक नौ ध्रुव हेलिकॉप्टर शामिल किए गए हैं।

बिहार में सी एन जी

2643. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 के दौरान बिहार में सी एन जी के कुल कितने डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित किए गए;

(ख) वर्ष 2003–2004 के दौरान राज्य में कुल कितनी सी एन जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसियों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस उद्देश्य से स्थलों का निरीक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्ष 2002 के दौरान बिहार राज्य के अंतर्गत कोई संपीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में, बिहार राज्य में कोई सी एन जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप परियोजना नहीं हैं, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में 'कारगो डिवीजन डिपो' की स्थापना

2644. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य में कृषि, जलचरपालन और बागवानी के उत्पादों हेतु पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशाखापट्टनम में कारगो डिवीजन डिपो की स्थापना के लिए कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ वार्ता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारतीय कंटेनर निगम (कानकोर) विशाखापतनम पोर्ट में रेल सम्बद्ध कंटेनर हस्तांतरण सुविधा पहले से ही परिचालित कर रहा है। कनकोर कंटेनरीकृत कारगो के लिए परिवहन मुहैया कराने के लिए विशाखापतनम में कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने की व्यावहारिकता का अध्ययन भी कर रहा है।

[हिन्दी]

जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री

2645. श्री अशोक अर्गल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा विनियंत्रित जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों में प्रत्येक बिक्री केन्द्र के माध्यम से कितनी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की बिक्री की गई; और

(ख) इनकी स्थापना से प्रत्येक जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में जुबली तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों (जे.आर.ओ.) के माध्यम से पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान बेचे गए पेट्रोल और डीजल की मात्रा और इन जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र का स्थान और जिला	निम्न अवधि के दौरान बिक्री (किलोलीटर में)						जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रदान की गई सुविधाएं
		1999–2000		2000–2001		2001–2002		
		पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड								
1.	बईओरा (कंचरिया) जिला राजगढ़	26	2401	98	2001	180	3005	बिक्री भवन, टैंक और पम्प, यार्ड प्रकाश, कैनोपी, सिंगनेजेस, हवा, प्रसाधान, जल और ढाबा, एस टी डी/पी सी ओ
2.	धाममोड एन एच 3, जिला धार	–	–	116	2235	384	7043	बिक्री भवन, टैंक और पम्प, यार्ड प्रकाश, कैनोपी, सिंगनेजेस, हवा, प्रसाधान, जल सुविधा
3.	सिरोंजा सागर एन एच 23 जिला सागर	36	470	84	1976	78	1936	बिक्री भवन, टैंक और पम्प, यार्ड प्रकाश, कैनोपी, सिंगनेजेस, हवा, प्रसाधान, जल और ढाबा, और एस टी डी/पी सी ओ
4.	जबलपुर (हथना), जिला जबलपुर	–	–	6	294	66	2015	बिक्री भवन, टैंक और पम्प, यार्ड प्रकाश, कैनोपी, सिंगनेजेस, हवा, प्रसाधान, जल सुविधा
5.	सतरुन्दा, जिला रतलाम	–	–	–	–	–	–	बिक्री भवन, टैंक और पम्प, यार्ड प्रकाश, कैनोपी, सिंगनेजेस, हवा, प्रसाधन, जल सुविधाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	देवास, शाजापुर रोड, जिला देवास	–	–	–	–	–	–	बिक्री भवन, टैंक और पम्प, यार्ड प्रकाश, कैनोपी, सिंगनेजेस, हवा, प्रसाधान, जल सुविधा
	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड							
7.	अष्टा, जिला सीहोर	–	6	258	2226	321	2763	मुफ्त हवा, पानी का कूलर, प्रसाधन, पार्किंग उपलब्ध, नहाने का स्थान और अनेक संबद्ध सुविधाओं वाला ब्लाक जिसमें ढाबा, स्टोर, एस टी डी/पी सी ओ सम्मिलित है, टायर की मरम्मत करने वाली दुकान का निर्माण किया जा रहा है
8.	तेवड़ी, जिला कटनी	0	6	69	963	84	912	मुफ्त हवा, पानी का कूलर, प्रसाधान, नहाने का स्थान, ढाबा, स्टोर पार्किंग
9.	सतरती, जिला खरगोन	0	12	201	2728	213	3483	मुफ्त हवा, पानी का कूलर, प्रसाधान, नहाने का स्थान, ढाबा, स्टोर, पंक्चर–मरम्मत दुकान और पार्किंग
10.	अमिया पीठा, जिला रतलाम	0	6	55	233	158	1452	मुफ्त हवा, पानी का कूलर, प्रसाधान, नहाने का स्थान, ढाबा, स्टोर, पंक्चर–मरम्मत दुकान और पार्किंग

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र को प्रति गारंटी

2646. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2001 से सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में कितनी प्रति गारंटी दी गई;

(ख) इन प्रति गारंटियों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास प्रति गारंटी संबंधी कोई और अनुरोध लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की प्रति गारंटी स्कीम को एक अस्थायी उपाय के रूप में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था और वर्ष 1994 में यह निर्णय लिया गया था कि उन 8 आरंभिक परियोजनाओं को भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान की जाएगी जिन्हें विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भी निर्णय लिया गया था कि इन पूर्व अनुमोदित आठ विद्युत परियोजनाओं के सिवाय किसी किसी अन्य विद्युत परियोजनाओं को भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान नहीं की जाएगी। मार्च, 2001 के बाद निजी क्षेत्र की किसी भी विद्युत परियोजना को भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) निजी क्षेत्र की किसी विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार की प्रति गारंटी हेतु कोई अनुरोध भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में विद्युत परियोजनाओं में निवेश

2647. श्री बीर सिंह महतो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किए गए निवेश का, परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें राज्य सरकारों के हिस्से की धनराशि कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) दामोदर वैली कारपोरेशन ने 797.815 करोड़ रु. की लागत से मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 4 (210 मेवा.) को क्रियान्वित करने का कार्य हाथ में लिया है। उपगत व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2000–01	रु. 0.45 करोड़
2001–02	रु. 70.03 करोड़
2002–03 (अक्तूबर, 2003 तक)	रु. 33.63 करोड़ (अनंतिम)

पश्चिम बंगाल सरकार ने उक्त परियोजनाओं के लिए कोई अंशदान नहीं किया है।

वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान पश्चिम बंगाल में पुरुलिया पम्प्ड स्टोरेज स्कीम (4x225 मे.वा.) पर उपगत व्यय क्रमशः 64.10 करोड़ रु. तथा 101.29 करोड़ रु. था।

[अनुवाद]

इफ्को और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स द्वारा ओ एन जी सी को देय धनराशि

2648. डा. वी. सरोजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफ्को और गुजरात राज्य फर्टिलाइजर्स पर ओ एन जी सी को देय बहुत बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो भुगतान योग्य देय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राशि की वसूली के लिए ओ एन जी सी द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के अनुसार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) तथा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (जी एस एफ सी) से बकाया राशि देय हैं। मुख्यतः ये राशियां अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1987 अवधि के दौरान थर्मल समतुल्यता मूल्य पर ओ एन जी सी के दावे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त मूल्यों के बीच गैस मूल्य में अंतर के कारण देय हैं। ब्याज के अलावा बकाया देय राशियां निम्नवत् हैं :

(1) इफको	–	218 करोड़ रुपए
(2) जी एस एफ सी	–	118 करोड़ रुपए

ओ एन जी सी ने यह मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ केन्द्र सरकार तथा गुजरात राज्य सरकार के साथ भी उठाया है।

मद्रास रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विलयन

2649. श्रीमती प्रभा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने कर बचत की दृष्टि से मद्रास रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड (एम आर पी एल) का अपने साथ विलय करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इनके विलय से कितने कर की बचत होगी;

(ग) क्या ओ एन जी सी का विचार एच पी सी एल में अपने 37.39% शेयर को स्वामित्व में लेने का है जो कि इससे पूर्व एम आर पी एल में लगाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो एच पी सी एल के शेयर की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या ओ एन जी सी निवेश में गैस क्षेत्रों के दोहन हेतु विभिन्न कंपनियों के साथ वार्ता कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो विदेश में चुने गए गैस क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई वार्ता के क्या परिणाम रहे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल) में बड़ी मात्रा में शेयर अर्जित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) एम आर पी एल की व्यवहार्यता को और सुधारने के उद्देश्य से, पुनर्गठन के भाग के रूप में, ओ एन जी सी ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के शेयरों को अर्जित करने में रुचि दिखाई है।

(ङ) और (च) ओ एन जी सी की एक शत–प्रतिशत अनुषंगी कंपनी ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) ने वियतनाम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा म्यांमार में गैस क्षेत्रों/ब्लाकों में भागीदारी हित अर्जित किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने रूस में सखालीन–1 परियोजना के तेल और गैस क्षेत्रों में शेयर अर्जित किए हैं। ओ वी एल लीबिया तथा कजाखस्तान जैसे अन्य देशों में भी अवसर तलाश रही है।

रेल यात्रियों के लिए टेलीबुकिंग सुविधाएं

2650. श्री टी. गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे देश में राज्य–वार, टेलीबुकिंग सुविधाओं की शुरूआत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) यात्रियों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी किया गया को–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के प्राधिकार पर दूरभाष पर आरक्षण मुहैया कराया जाता है, एक टेलीबुकिंग योजना केवल भारतीय रेल सम्मेलन (आई आर सी ए) इमारत, नई दिल्ली में शुरु की गई है।

सिकन्दराबाद कैन्टोनमेंट में भूमिगत जल-मल व्ययन प्रणाली

2651. श्री गुन्नीपाटी रामैया :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिकन्दराबाद कैन्टोनमेंट में भूमिगत मल–जल व्ययन प्रणाली शुरू करने तथा बहकर आने वाले जल के लिए निकास प्रणाली सुचारु बनाने के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सिकन्दराबाद कैन्टोनमेंट विशेषकर लक्ष्मीनगर और अन्य स्थानों में वर्षों पुरानी पुलियों के विस्तार और उन्हें नए ढंग से बनाने हेतु वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है जैसा कि सिकन्दराबाद कैन्टोनमेंट के रक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, नहीं। सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड आत्मनिर्भर होने के कारण अपने ही संसाधनों से विकास संबंधी कार्यकलाप करने की स्थिति में है। बोर्ड ने हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं मल–जल निकास बोर्ड द्वारा निष्पादित की जाने वाली एकीकृत भूमिगत जल–निकास प्रणाली में अपनी भागीदारी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बहकर आने वाले जल के निकास की सुविधाओं की मरम्मत/चरणबद्ध तरीके से उनका निर्माण किया जा रहा है।

(घ) से (च) बोर्ड ने बोल्टन सड़क की पुलियों को चौड़ा किया है तथा विमन नगर की पुरानी पुलियों का पुनर्निर्माण किया है। छावनी बोर्ड ने लक्ष्मीनगर की पुलियों के अपनी निधि में से पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव हाथ में लिया है।

[हिन्दी]

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम

2652. श्री राजो सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार के और क्षेत्रों को अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत लाने की कोई ठोस योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार सहित सम्पूर्ण देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए बायोगैस, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ऊर्जा पार्क, सौर प्रकाशवोल्टीय, लघु पनबिजली, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत, सौर विद्युत, बायोमास गैसीफायर, सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर कुकर, नई प्रौद्योगिकियां और अपशिष्टों से ऊर्जा जैसी व्यापक श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2002–03 के दौरान बिहार में 500 बायोगैस संयंत्रों; 500 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों; 200 सौर सड़क रोशनी प्रणालियों; और 25 सौर जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना की योजना है जिसके लिए कुल 66.00 लाख रु. की निधियों का आवंटन किया गया है। इसके अलावा राज्य में 15 मे. वा. क्षमता की 10 लघु पनबिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिना बिजली वाले 22 गांवों का विद्युतीकरण का कार्य भी आरंभ किया गया है।

[अनुवाद]

ओमान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना

2653. श्री एम. दुराई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान–भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिन व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा गया था; उन्हें भविष्य के प्रस्तावों के संदर्भ में आमंत्रित न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) ओमान–भारत पाइपलाइन परियोजना निम्नांकित कारणों से छोड़नी पड़ी थी–

- इस परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध नहीं हो पाई थी।
- इस परियोजना के लिए पर्याप्त गैस भंडार निर्धारित नहीं किए गए थे।
- पाइपलाइन बिछाने वाले संविदाकार इंजीनियरिंग तथा शुरूआत पूर्ण जोखिम स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे और वे अपनी प्रस्तावित कार्यपद्धति का प्रदर्शन करने हेतु धन व्यय करने के लिए तत्पर नहीं थे; तथा
- गहरे समुद्र में सुधारी कार्य आरम्भ करने के लिए प्रमाणित प्रौद्योगिकी की कमी।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि यह परियोजना व्यवहार्यता स्तर पर छोड़ दी गई थी, प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्यूनिकेशन

2654. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय रेल में डुप्लेक्स मोबाइल ट्रेन कम्यूनिकेशन प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रेल का राज्यवार कितना क्षेत्र आ जाता है;

(घ) इस प्रणाली के अंतर्गत अन्य मार्गों को भी लाने हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) सभी मार्गों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रेलों के निम्नलिखित खंडों पर डुप्लेक्स मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्यूनिकेशन (एम टी आर टी) परिचालित हैं :

(i) भुसावल–इटारसी–नागपुर (म.रे.)

(ii) नागपुर–दुर्ग (द.पू.रे.)

(iii) दिल्ली–मुगलसराय (उ.रे.) (चुनिंदा गाड़ियों में)

(iv) चर्चगेट–विरार (प.रे.) (उपनगरीय गाड़ियों में)

इसके अलावा, मध्य, पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कुल 2415 मार्ग कि.मी. को शामिल करते हुए 6 कार्य स्वीकृत किए गए हैं और प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) और (ङ) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलों के 'ए', 'सी' और 'बी' मार्गों पर एम टी आर सी की व्यवस्था के लिए रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। तदनुसार, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन मार्गों पर एम टी आर सी के कार्य स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2655. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के नागपर मंडल और दक्षिण पूर्व रेलवे में तीन सौ से अधिक व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ग्रेड–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनको रोजगार देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उनमें से प्रत्येक को कब तक नियुक्ति मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेल के नागपुर मंडलों में अनुकंपा के आधार पर केवल 219 व्यक्ति नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं।

(ख) 219 व्यक्तियों में से अनुकंपा के आधार पर ग्रुप 'ग' में 74 व्यक्ति तथा ग्रुप 'घ' में 145 व्यक्ति नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने में देरी आश्रितों के अवयस्क होने, उपयुक्त पदों के उपलब्ध न होने, न्यायालयों आदि में कानूनी मामलों के लंबित होने के कारण होती है।

(घ) सभी लंबित मामलों के यथासंभव शीघ्र निपटान के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. नियमों में छूट

2656. श्री जय प्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक केवल एक मीडिया व्यापार में संलग्न घराने ने डायरेक्ट–टू–होम (डी.टी.एच.) सेवा के लिए आवेदन किया है जिसे देश में शुरू हुए दो वर्ष हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डी.टी.एच. नियमों में छूट सहित कुछ अन्य उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) देश में डी.टी.एच. सेवा शुरू करने की अनुमति मांगने के बारे में दो आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में बी पी सी एल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2657. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्ष 1999 से डी एस बी द्वारा चयनित किए गए स्थापना हेतु लंबित बी पी सी एल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना संबंधित एल ओ आई से लीज आधार पर भूमि न मिलने के कारण लंबित है;

(ग) यदि हां, तो क्या बी पी सी एल ने एल ओ आई धारकों को स्थान के लिए बाजार मूल्य देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) क्या बी पी सी एल भी प्रत्येक एक वर्ष के बाद लीज के आधार पर ली गई भूमि के किराए में 10% की वृद्धि करने की उद्योग की परम्परा का पालन कर रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(च) खुदरा बिक्री केन्द्रों की शीघ्र स्थापना हेतु बी पी सी एल द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) की बिहार राज्य में वर्ष, 1999 से अब तक डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन के पश्चात आरंभ होने के लिए लंबित 24 खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरशिपें हैं। इन 24 स्थानों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केवल दो स्थान नामतया मदनपुर (औरंगाबाद जिला) तथा किशनगंज (किशनगंज जिला) आशय पत्र धारकों से पट्टा आधार पर भूमि की आवश्यकता के कारण लंबित हैं।

(ग) स्थान मदनपुर के लिए बी पी सी एल ने सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन पर आधारित पट्टागत किरायों का प्रस्ताव किया है। स्थान किशनगंज के लिए आशय-पत्र धारक ने अभी तक उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव नहीं किया है।

(घ) पट्टा किरायों की वृद्धि के विषय में उद्योगगत कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए भूमि के पट्टे के विषय में बी पी सी एल की अपनी नीति है।

(ङ) उपर्युक्त 'घ' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) खुदरा बिक्री केन्द्र शीघ्र चालू करने के लिए आशय पत्र धारकों तथा अन्य दूसरे सांविधिक प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करने में विभिन्न स्तरों पर बी पी सी एल के अधिकारी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	जिला
1	2	3
1.	मदनपुर	औरंगाबाद
2.	औरंगाबाद बाई पास	औरंगाबाद
3.	बांका म्युनिसपल एरिया	बांका
4.	बेगूसराय-3	बेगूसराय
5.	नारायणपुर	भागलपुर
6.	गोपीनाथपुर	बक्सर
7.	चाका	पूर्वी चम्पारन
8.	मोतीहारी	पूर्वी चम्पारन
9.	चौरादानो	पूर्वी चम्पारन
10.	बाराचाती	गया
11.	गया	गया
12.	बथुआ बाजार	गोपालगंज
13.	जहानाबाद	जहानाबाद
14.	परवत्ता	खगड़िया
15.	रा. रा. मार्ग संख्या 31-किशनगंज	किशनगंज
16.	बेनीपाती	मधुबनी
17.	सिजोलिया	मधुबनी
18.	गिरयाक	नालन्दा
19.	बिहार शरीफ	नालन्दा
20.	पटना बाई पास	पटना
21.	पुरनिया	पुरनिया
22.	सरौनी	सहरसा
23.	बेला	सीतामढ़ी
24.	पिपरा बाजार	सुपौल

ओ एन जी सी की अतिरिक्त निधि

2656. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओ एन जी सी की लगभग 6000

करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि का विशेष लाभांश के द्वारा प्रयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में ओ एन जी सी ने शून्य ऋण की स्थिति प्राप्त कर ली है और उसे सूडान के तेल क्षेत्रों में शेयर प्राप्त करने और कच्चे तेल पर बढ़े हुए उपकर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस प्रकार की पहल से ओ एन जी सी की आरक्षित राशि कम होगी और इसकी भावी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विशेष लाभांश के माध्यम से ओ एन जी सी की अधिशेष निधियों का उपयोग करने का निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

डा. राकेश मोहन समिति की सिफारिशें

2659. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. राकेश मोहन समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वैगनों की कमी

2660. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से गेहूं निर्यात हेतु रेल वैगनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अक्टूबर–नवंबर, 2002 के दौरान गेहूं के निर्यात के लिए संबद्ध एजेंसियों द्वारा कितने वैगनों की मांग की गई;

(घ) गेहूं निर्यात हेतु उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा कितने वैगनों की आपूर्ति की गई; और

(ङ) गेहूं निर्यात हेतु वैगनों की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी सूची

2661. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री राम सजीवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 13 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना संग्रह कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना कब तक संग्रह कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) दिनांक 13.12.2001 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3781 (हि.) के संबंध में दिया गया आश्वासन इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.7.2002 को पहले ही पूरा कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विमान को खरीदा जाना

2662. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विशिष्ट व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए एक्जीक्यूटिव जेट्स विमान को खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार की अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने–ले जाने के लिए एक्जीक्यूटिव जेट विमान खरीदने की योजना है। विक्रेता के साथ बातचीत चल रही है। इस खरीद के बारे में समय–सीमा बता पाना संभव नहीं होगा।

रद्द की गई डीलरशिपों को फिर से बहाल किया जाना

2663. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रद्द की गई डीलरशिपों को फिर से बहाल करने और नियंत्रित मूल्य प्रणाली को हटाए जाने से खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप आदि को शुरू करने में हुई देरी के लिए क्षमा–याचना के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को अधिकार प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी पी सी एल ने कुछ ऐसे डीलरशिप को फिर से बहाल कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मुद्दे पर इसी तरह का निर्णय लेने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को भी अधिकार प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राहत लेने हेतु आवेदन जमा करने की क्या क्रियाविधि है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जबकि खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें चालू करने में किसी विलंब को माफ करने के मामले में तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के ऊपर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, वहीं ये तेल विपणन कंपनियां समाप्त किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एस के ओ–एल डी ओ डीलरशिपों को पुनः चालू करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं हैं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. ने दो खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, जो पहले समाप्त कर दी गई थीं, को सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर पुनः चालू कर दिया है।

खरीद अधिमानता नीति

2664. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के निष्प्रभावी होने वाले उत्पादों और सेवाओं हेतु खरीद अधिमानता नीति को अगले 2 वर्षों तक लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को लागत प्रभावी और स्व–वित्तपोषी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित उत्पादों व प्रदत्त सेवाओं के लिए क्रय अधिमानता नीति की अवधि आगामी दो वर्षों अर्थात 1.4.2002 से 31.3.2004 तक के लिए बढ़ा दी है और इस बारे में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.6.2002 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में लागत कम करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय–समय पर अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य–निष्पादन की आवधिक समीक्षा, व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, नई पूंजी का निवेश, निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण, अधिकाधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, समझौता ज्ञापन, संयुक्त उद्यमों का गठन, सरकारी उपक्रमों के उत्पादों एवं उनकी सेवाओं के लिए क्रय अधिमानता, श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत

2665. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत संकट से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित योजनाएं, परियोजनाएं और आकलन क्या हैं;

(ग) वर्ष 1999 से आज तक गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों, मुम्बई और दिल्ली में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन चक्की, समुद्र जल और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया और इस पर कितना व्यय किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक विद्युत-स्रोत पर कितना खर्च किया गया; और

(ङ) वर्ष 2003 के दौरान इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पनबिजली जैसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 3075 मे.वा. का क्षमता संयोजन का प्रस्ताव रखा है जिसके लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 895.00 करोड़ रु. की कुल निधियां आवंटित की हैं।

(ग) और (घ) गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य, जिसमें इन राज्यों के विभिन्न जिले शामिल हैं, में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की स्थिति और पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-02 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। अधिकांश क्षमता निजी निवेशों के माध्यम से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में स्थापित की गई है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 400 मे.वा. के अतिरिक्त क्षमता संयोजन की परिकल्पना की गई है।

विवरण

गुजरात, महाराष्ट्र एवं दिल्ली राज्यों में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन और वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दोरान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा

(क) विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्यक्रम	गुजरात	महाराष्ट्र	दिल्ली
1.	पवन विद्युत	–	370 मेगावाट	–
2.	बायोमास विद्युत और खोई सहउत्पादन	–	15.50 मेगावाट	–
3.	बायोमास गैसीफायर	7440 किलोवाट	700 किलोवाट	–
4.	सौर विद्युत	–	75 किलोवाट	10 किलोवाट
5.	लघु पनबिजली	–	29 मेगावाट	–
6.	अपशिष्ट से ऊर्जा	450 किलोवाट	900 किलोवाट	–

(ख) उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा (करोड़ रु. में)

क्र.सं. कार्यक्रम	गुजरात			महाराष्ट्र			दिल्ली		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1. पवन विद्युत	0.04	0.00	0.00	1.88	0.02	0.96	0.00	0.01	0.00
2. बायोमास विद्युत और खोई सहउत्पादन	0.13	0.06	0.32	6.05	0.74	0.07	0.07	0.05	0.10
3. बायोमास गैसीफायर	0.03	0.15	0.56	0.01	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4. सौर विद्युत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. लघु पनबिजली	0.00	0.00	0.00	0.34	0.01	1.25	0.00	0.00	0.00
6. अपशिष्ट से ऊर्जा	0.25	0.00	0.20	1.55	3.60	0.74	0.28	0.24	0.10

[अनुवाद]

गैंगमेन और ट्रैकमेन की भर्ती

2666. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–पूर्वी रेलवे के मंडल कार्यालय को गैंगमेन और ट्रैकमेन के पद भरने का अधिकार है, इसके बावजूद यह अनिवार्य है कि आरआरबी ही भर्ती अभियान आयोजित कर सकती है;

(ख) यदि नहीं, तो इस तरह का अभियान क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा आयोजित करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस भर्ती अभियान में महिला अभ्यर्थियों की यंत्रणादायक शारीरिक जांच भी करवाई गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह जांच सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है; और

(छ) यदि नहीं, तो जांच करवाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) नौकरी की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित मानदंडों अनुसार महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक कुशलता जांच उत्तीर्ण करना अपेक्षित है जो इस प्रकार है :

(i) एक बार में 20 कि.ग्रा. भार को उठाकर गिराए बिना 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम होनी चाहिए, और

(ii) एक बार में 4 मिनट में 400 मीटर की दूरी तक दौड़ने में सक्षम होनी चाहिए।

(च) जी, हां।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भेल (बीएचईएल) का सुझाव

2667. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल (बीएचईएल) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार को कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझावों में मुख्य रूप से किन विषयों को उठाया गया है; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भेल ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए सरकार को कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

थाइलैंड के मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों से भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी

2668. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर, 2002 के दूसरे सप्ताह में पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना में थाइलैंड के मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों से भारतीय मछुआरों पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप जान–माल की कितनी क्षति हुई; और

(ग) इस संबंध में और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) बंगाल की खाड़ी में भारतीय मछुआरों पर थाई जलपोतों द्वारा कथित गोलाबारी की घटना की पुष्टि इस क्षेत्र में तैनात तटरक्षक द्वारा स्थानीय मछुआरों से की गई बातचीत के बाद नहीं हुई थी।

तथापि, इस क्षेत्र में तटरक्षक यूनिटों को बराबर तैनात किया हुआ है ताकि भारतीय समुद्र में मछली मारने वाले विदेशी जलयानों की घुसपैठ को रोका जा सके।

रडार प्रणाली हेतु इंडोनेशिया को स्पेयर पार्टों की आपूर्ति

2669. डा. बी. बी. रमैया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत वर्ष इंडानेशिया के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) क्या समझौते के निबंधन और शर्तों के मुताबिक भारत इंडोनेशिया के सशस्त्र बलों को स्पेयर पार्टों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल) के इंडोनेशिया को रडार प्रणाली हेतु स्पेयर पार्टों की आपूर्ति में असफल रहने के कारण भारत उलझन में पड़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। भारत तथा इंडोनेशिया ने जनवरी 2001 में रक्षा सहयोग हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) इस करार में, अन्य बातों के साथ–साथ उत्पाद सहायता सहित दोनों देशों के पारस्परिक हित के क्षेत्रों में रक्षा उद्योगों के मध्य सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने इंडोनेशिया को टी.आर.एस. 2215 रडार के अतिरिक्त हिस्से–पुर्जों तथा संघटकों की आपूर्ति का वचन दिया था, जिनकी उन्हें मूल रूप से आपूर्ति मैसर्स थाम्सन सी एस एफ (अब थेलस एयर डिफेंस सिस्टम) द्वारा की गई थी। यह इस तथ्य के आधार पर हुआ कि बी ई एल ने पहले ही मूल उपस्कर विनिर्माता से प्रौद्योगिकी हस्तांरण के तहत इस उपस्कर के विनिर्माण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था तथा इंडोनेशिया को यह रडार प्रणाली निर्यात करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। मूल उपस्कर विनिर्माता ने अब बी ई एल को सूचित किया है कि प्रक्रिया में परिवर्तन के चलते बी ई एल को निर्यात के लिए सीधे फ्रांस की सरकार से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करना है। बी ई एल ने अनापत्ति के मुद्दे को थेलेस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ रडार के हिस्से–पुर्जों की इंडोनेशिया को आपूर्ति के लिए निर्यात पेशकश की पुष्टि करने हेतु उच्च्य स्तर पर उठाया है।

[हिन्दी]

भारतीय सैनिकों को दिया गया सम्मान

2670. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को हाल ही में सम्मानित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सैनिक हैं; और

(ग) इन सैनिकों के निवास स्थानों के नाम क्या हैं और वे किन–किन कैन्टोनमेन्टों में तैनात थे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

उना-नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन

2671. श्री सुरेश चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान उना–नांगल–तलवाड़ा बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु आवंटित कोष में वृद्धि करने के लिए जोनल रेलवे यूजर्स कन्सलटेटिव कमेटी से अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त रेल लाइन के निर्माण पर कितना धन खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) 25.9.2002 को आयोजित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति की बैठक के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि परियोजना के शीघ्र समापन के लिए 40–50 करोड़ रु. की जरूरत है।

(ग) और (घ) बजटीय समीक्षा के दौरान चालू वर्ष के लिए जरूरी निधियों पर विचार किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान, परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि आगामी महीनों में कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कुरियारकुट्टी-करप्पारा जल विद्युत परियोजना की स्थिति

2672. श्री पी. सी. थामस : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर केरल की जल विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी परियोजनावार क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केरल सरकार ने कुरियारकुट्टी–करप्पारा जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) संस्थापित क्षमता तथा अद्यतन क्रियान्वयन कार्यक्रम समेत देश में निर्माणाधीन हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के परियोजना–वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) करप्पारा–कुरियारकुट्टी मल्टी परपज हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम (84 मे.वा.) की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग द्वारा फरवरी 2001 में इस अनुरोध के साथ केरल राज्य सरकार को वापस कर दी गई थी कि वह टिप्पणियों के अनुसरण में सिंचाई तथा विद्युत घटकों के लिए एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विवरण

I. देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

(गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधीन अक्षय ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का कार्यक्रम अद्यतन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	2004–05	

1	2	3	4	5	6
2.	चमेरा चरण-2 (एनएचपीसी)	हि.प्र.	300.00	2004-05	
3.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जे. एंड के.	390.00	2003-04	
4.	पुरुलिया पीएसएस (एनएचपीसी)	प. बंगाल	900.00	2006-07	संयुक्त उद्यम
5.	तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी)	सिक्किम	510.00	2006-07	
6.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी)	मणिपुर	90.00	2008-09	कार्य रुका हुआ है
7.	पार्बती चरण-2 (एनएचपीसी)	हि.प्र.	800.00	2009-10	
8.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	म.प्र.	1000.00	2004-06	संयुक्त उद्यम
9.	नाथपा-झाकड़ी (एनजेपीसी)	हि.प्र.	1500.00	2003-04	
10.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	2002-04	
11.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	400.00	2005-06	
12.	तुरियल (नीपको)	मिजोरम	60.00	2006-07	
13.	कोपिली चरण-2 (नीपको)	असम	25.00	2003-04	
14.	कोल डैम (एनटीपीसी)	हि.प्र.	800.00	2008-10	
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)		8055.00		
राज्य क्षेत्र					
उत्तरी क्षेत्र					
15.	बगलीहार	जम्मू व कश्मीर	450.00	2004-05	
16.	लारजी	हि.प्र.	126.00	2004-05	
17.	मनेरी भाली-2	उत्तरांचल	304.00	2005-06	
18.	लखवर व्यासी	उत्तरांचल	420.00	11वीं योजना	कार्य रुका हुआ है
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)		1300.00		
पश्चिमी क्षेत्र					
19.	सरदार सरोवर	गुजरात/म.प्र./महाराष्ट्र	1450.00	2002-07	यूनिट 3 और 3 चालू
20.	माधीखेड़ा	म.प्र.	40.00	2004-05	
21.	बाण सागर फेज-4	म.प्र.	20.00	2004-05	
22.	घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.00	2004-05	
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)		1760.00		

1	2	3	4	5	6
दक्षिण क्षेत्र					
23.	प्रियदर्शिनी जुराला	आ.प्र.	235.00	2006–07 (में दो यूनिटें) 4 यूनिटें 11वीं योजना में	
24.	श्रीसेलम एलबीपीएच	आ.प्र.	900.00	2000–04	यूनिट–1 से 4 चालू
25.	अलमट्टी बांध	कर्नाटक	290.00	2004–06	
26.	पाइकारा अल्टीमेट	तमिलनाडु	150.00	2003–04	
27.	भवानी बैराज	तमिलनाडु	90.00	2004–05	अंतर्राज्यीय समस्या
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)		1665.00		
पूर्वी क्षेत्र					
28.	बालीमेला विस्तार	उड़ीसा	150.00	2005–07	
29.	बालीमेला बो बांध	उड़ीसा	60.00	11वीं योजना	कार्य रुका हुआ है
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)		210.00		
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
30.	कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी)	असम	100.00	2004–05	
31.	मिंत्दू	मेघालय	84.00	2006–07	
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		184.00		
	कुल (राज्य क्षेत्र)		5119.00		
निजी क्षेत्र					
32.	बास्पा चरण–2	हि.प्र.	300.00	2003–04	2002–03 में चालू होने की संभावना
33.	धामवाड़ी सुण्डा	हि.प्र.	70.00	2006–07	
34.	विष्णुप्रयाग	उत्तर प्रदेश	400.00	2006–07	
35.	महेश्वर	म.प्र.	400.00	2005–07	
			1170.00		
	कुल (निजी क्षेत्र)		14344.00		
उपरोक्त में जल विद्युत क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है			700.00		
निष्पादनाधीन निवल हाइड्रो क्षमता			13644.00		

II. देश में स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाएं

(गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधीन अक्षय ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर)

कार्य जो शुरू किया जाना है :

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का कार्यक्रम अद्यतन	टिप्पणियां
राज्य क्षेत्र					
उत्तरी क्षेत्र					
1.	किशांग	हि.प्र.	66.00	2006–07	
2.	उहल–3	हि.प्र.	100.00	11वीं योजना	
3.	शाहपुर कंडी	पंजाब	168.00	2006–07	
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)		334.00		
दक्षिण क्षेत्र					
4.	कुटियाडी संवर्धन	केरल	100.00	2006–07	अंतर्राज्यीय समस्या
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)		100.00		
	कुल (राज्य क्षेत्र)		434.00		
निजी क्षेत्र					
5.	अलियान दुहंगन	हि.प्र.	192.00	2008–09	
6.	श्रीनगर	उ.प्र.	330.00	11वीं योजना	
	कुल निजी (क्षेत्र)		522.00		
	कुल (अखिल भारत)		956.00		

[हिन्दी]

एल पी जी एजेंसियों को बंद किया जाना

2673. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर राजस्थान में इस समय कितनी एल पी जी एजेंसियां बंद पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इन एजेंसियों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) दिनांक 1.12.2002 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की 226 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, जिनमें 6 राजस्थान राज्य की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल हैं, कदाचारों में शामिल होने, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों के उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न कारणों से बंद पडी हैं।

(ख) और (ग) नीतिगत मामले के रूप में, अनियमितताओं/कदाचारों के कारण समाप्त की गई एजेंसियों को तेल विपणन कंपनियां पुनः चालू नहीं करती हैं।

(घ) जब तक कि बरखास्त डिस्ट्रीब्यूटर के स्थान पर नियमित डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ जाता, बरखास्त डिस्ट्रीब्यूटरों के ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध निकटतम डिस्ट्रीब्यूटर की सेवाएं दी जा रही हैं।

[अनुवाद]

मेघालय में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

2674. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेघालय में सौर ऊर्जा परियाजनाओं की स्थापना हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वहां कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय मेघालय राज्य सहित देश भर में सौर ऊर्जा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी के साथ विभिन्न प्रकार की सौर ऊर्जा प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों की स्थापना का संवर्धन किया जा रहा है। मेघालय में ये कार्यक्रम मेघालय अपारंपरिक एवं ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी (एमएनआरईडीए), शिलांग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

31.3.2002 के अनुसार राज्य में कुल 4,875 सौर लालटेन, 540 सौर घरेलू प्रणालियां, 593 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां, 7 सौर जल पंपन प्रणालियां, 67 सौर जल तापन प्रणालियां और 1,030 सौर कुकरों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त एमएनआरईडीए ने समग्र 42 किवा.पी. क्षमता के 25 ग्रामीण स्तर के सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों की स्थापना की है।

मंत्रालय के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए एमएनआरईडीए को 600 सौर घरेलू प्रणालियों की स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है। राज्य एजेंसी ने भी इस वर्ष एसपीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य में मंत्रालय की सब्सिडी और एमपीएलएडी योजना की निधियों के साथ जवाई जिले में 3 गांव अर्थात् हिंगारिया, हुरोई और लैलोंग में सौर रोशनी प्रणालियां स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसने परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है, मैसर्स सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि. से मंत्रालय के कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुरूप इसमें संशोधन करने को कहा गया है। संशोधित प्रस्ताव जब प्राप्त होता है, मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

मैसूर-मंगलोर और मैसूर-तेल्लीचेरी रेल लाइन के लिए

2675. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में मैसूर–मंगलोर और मैसूर–तेल्लीचेरी नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आया है; और

(ग) आज की तारीख में सर्वेक्षण कार्य में परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) मैसूर से मंगलोर तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही प्रगति पर है। फील्ड सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं तथा रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

कूर्ग के रास्ते मैसूर से तेल्लीचेरी तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पहले 1997–98 में पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 298 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत (–) 3.66% प्रतिफल की दर सहित 864 करोड़ रु. आकलित की गई है। लाइन की समग्रतः अलाभप्रद प्रकृति तथा चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड के दृष्टिगत, इस परियोजना पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

एम आर पी एल का पुनर्गठन

2676. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ एन जी सी ने एम आर पी एल के पुनर्गठन हेतु कोई आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो ओ एन जी सी के लिए ऐसे पुनर्गठन पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इतने बड़े खर्च से ओ एन जी सी को कितना लाभ होगा;

(घ) क्या ओ एन जी सी को इस निवेश से पर्याप्त रिटर्न की उम्मीद है; और

(ङ) एम आर पी एल में इस भारी निवेश से, विशेषकर आई सी आई सी आई की हाल की प्रस्तावित पुनर्गठन लागत से समुचित रिटर्न के लिए ओ एन जी सी की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। एम आर पी एल में आदित्य बिरला ग्रुप की सारी शेयरधारिता के अर्जन के लिए ओ एन जी सी के लिए लागत में 59.43 करोड़ रुपए और अतिरिक्त इक्विटी के रूप में लगाई जाने वाली 600 करोड़ रुपए की निषेचन राशि सम्मिलित है।

(ग) से (ङ) ओ एन जी सी, एम आर पी एल में अपने निवेश के लिए 17% से अधिक की आंतरिक प्रतिलाभ दर की अपेक्षा करता है। ओ एन जी सी द्वारा एम आर पी एल के अधिग्रहण से ओ एन जी सी परिवजन ईंधनों के लिए विपणन अधिकारों के तहत उसे संस्वीकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना कर सकेगी। इसके अलावा ओ एन जी सी द्वारा एम आर पी एल रिफाइनरी का स्वामित्व और प्रचालन इसे क्षैतिज रूप से एकीकृत तेल कंपनी बनाएगा।

शस्त्रों का आवंटन

2677. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिना बारी के शस्त्र आवंटन के वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा बिना बारी के किस प्रकार के शस्त्र/हथियार आवंटित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष 2002 में सरकार द्वारा बिना बारी के कितने शस्त्र/हथियार आवंटित किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार को अब तक बिना बारी के कितने शस्त्र/हथियार आवंटन हेतु वर्षवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान शस्त्र आवंटन के कितने आवेदन रद्द और कितने स्वीकृत किए गए हैं; और

(च) इस संबंध में आवेदन रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1996–97 में बिना बारी के अप्रतिषिद्ध बोर हथियारों के आवंटन के लिए रक्षा मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी। आवंटन संबंधी मानदंड धीरे–धीरे विकसित हुए हैं। समिति अलग–अलग लोगों से प्राप्त हुए सभी आवेदन–पत्रों (वैध हथियार लाइसेंस की प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र) की छानबीन करती है और बिना बारी के हथियारों का आवंटन करने के लिए सिफारिशें करती है। विद्यमान मानदंडों के अनुसार, अप्रतिषिद्ध बोर हथियारों के लिए बिना बारी के आवंटन के वास्ते लोगों के आवेदन–पत्रों पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/साक्ष्य के आधार पर संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। समिति द्वारा सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों अर्थात् संघ/राज्य के मंत्रियों, सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायकों, न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों/सशस्त्र सेनाओं/पुलिस के अफसरों आदि के मामलों पर उनके जीवन के लिए संभावित खतरों को आधार मानकर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बिना बारी के राइफलों के आवंटन के वास्ते उन सशस्त्र सेना/सरकारी कार्मिकों के संबंध में भी समिति द्वारा विचार किया जाता है जो सेवा–निवृत्ति के पश्चात् सुरक्षा गार्ड के रूप में पुनः नौकरी करना चाहते हैं। अब यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही कोई हथियार हो और जो बिना बारी के हथियार का आवंटन किए जाने का अनुरोध करते हैं तो वे बिना बारी के कोई और हथियार आवंटन करवाने के हकदार नहीं होंगे। केन्द्रीय/राज्य सरकारी संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए बिना बारी के हथियारों का आवंटन किए जाने के आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जाता है।

(ख) रक्षा मंत्रालय बिना बारी के निम्नलिखित प्रकार के अप्रतिषिद्ध बोर हथियारों/शस्त्रास्त्रों का आवंटन करता है:

0.32 रिवाल्वर

0.22 रिवाल्वर

0.315 राइफल

0.22 राइफल

(ग) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष (2002) के दौरान व्यक्तियों को बिना बारी के हथियारों/शस्त्रास्त्रों का आवंटन किए जाने का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	आवंटनों की संख्या
1999	466
2000	667
2001	490
2002	277
कुल	1900

(घ) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष (2002) के दौरान बिना बारी के हथियारों/शस्त्रास्त्रों का आवंटन किए जाने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की कुल संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या
1999	1001
2000	1411
2001	1656
2002	1001
कुल	5069

(ङ) उक्त अवधि में बिना बारी के हथियारों/शस्त्रास्त्रों के आवंटन के लिए नामंजूर किए गए कुल आवेदनों की संख्या 3046 और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या 1900 है। इस समय लंबित मामलों की संख्या 123 है।

(च) आवेदकों को दी गई धमकियों के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे और कुछ मामलों में आवेदकों के पास पहले से ही हथियार थे।

अश्लील फिल्में

2678. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार से अश्लील फिल्मों से संबंधित नियमों में सुधार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सेंसर बोर्ड हिंसा और सेक्स संबंधी फिल्मों पर रोक लगाने के मामले में कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या नई रणनीति तैयार की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) चलचित्रकी अधिनियम, 1952 और फिल्म प्रमाणन से संबंधित नियमों व दिशानिर्देशों को संशोधित करने हेतु सुझावों पर विचार करने की प्रक्रिया में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (के.फि.प्रा.बो.) द्वारा गठित समिति ने कम अश्लील फिल्मों के लिए एक नई प्रमाणन श्रेणी शुरू करने संबंधी एक सुझाव की जांच करने का प्रस्ताव किया था। सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सलाह दी थी कि इस सुझाव पर विचार करना न तो आवश्यक है और न ही सही है जिस पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया। फिल्मों की विषयवस्तु संबंधी सरकारी नीति चलचित्रकी अधिनियम के रूप में निर्धारित दिशानिर्देशों में वर्णित है जिसका एक उद्देश्य यह है कि फिल्म माध्यम को स्वच्छ व स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराना चाहिए।

(ग) और (घ) प्रत्येक फिल्म की जांच एक जांच समिति द्वारा की जाती है जिसमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल के सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से लिया जाता है। दिशानिर्देशों का एक सेट जिसमें प्रमाणन के मानदंड शामिल हैं। हालांकि, चलचित्रकी अधिनियम को लागू कराना राजय सरकार की जिम्मेदारी है, तथापि, केन्द्रीय

फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने उक्त अधिनियम के उल्लंघन संबंधी मामलों का पता लगाने तथा चार महानगरों में सिनेमाघरों में नियमित जांच करने और संबंधित राज्य प्राधिकारियों को तत्काल जांच करने और संभव अभियोजन के लिए उनकी रिपोर्ट देने हेतु वर्ष 2001–2002 के दौरान एक निजी जासूसी एजेंसी की सेवाएं भी किराए पर ली थीं।

नई विद्युत प्रशुल्क नीति

2679. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत प्रशुल्क नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भावी निवेश और विद्युत कंपनियों द्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थानों के चयन के प्रयोजनार्थ राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) की दरें निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नई विद्युत प्रशुल्क नीति में डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के हितों को व्यापक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क का निर्धारण राज्य के सुधार अधिनियम अथवा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। जिन राज्यों में आयोग नहीं गठित हैं अथवा अभी पूरी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं वहां शुल्क का निर्धारण राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत विभागों/लाइसेंसधारियों द्वारा किया जाता है। विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क में आपूर्ति की लागत की झलक मिलने के साथ–साथ इससे दक्षता, किफायत और स्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विनियामक आयोगों से यह भी अपेक्षित है कि उपभोक्ताओं के हित की रक्षा तो हो ही, वह स्वयं द्वारा प्रयुक्त विद्युत का शुल्क भी आपूर्ति की औसत लागत के आधार पर उचित ढंग से भुगतान करें।

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13 (ई) में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की मदद और सलाह से शुल्क नीति तैयार किए जाने का प्रावधान है।

शुल्क नीति पर एक संकल्पना पत्र तैयार करने के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट मई, 2002 में प्रस्तुत कर दी है।

चूंकि विद्युत क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए शुल्क नीति का अधिक महत्व है। इसलिए कार्यदल की रिपोर्ट के संबंध में विशेषज्ञों और स्टेक होल्डरों से विचार–विमर्श के बाद ही शुल्क नीति (टैरिफ पालिसी) के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक समझा गया है। विशेषज्ञों और स्टेक होल्डरों की टिप्पणियों और विचारों को ध्यान में रखते हुए शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति 7 जून, 2002 को गठित की गई थी।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

2680. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग एशियाई विकास बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय एशियन विकास बैंक से 313.6 मिलियन यू.एस. डालर के ऋण के लिए बातचीत कर रहा है। यह एक सेक्टर ऋण है। यह ऋण उप परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए लिया जा रहा है जो राष्ट्रीय रेल विकास योजना का एक भाग है।

(ग) भारत सरकार, अनुमोदन के लिए ऋण प्रस्ताव पर विचार करते समय एशियन विकास बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार एशियन विकास बैंक की

सामान्य शर्तों के अनुसार एशियन विकास बैंक को ऋण का भुगतान करेगी।

[हिन्दी]

सतना-रीवा लाइन का मिर्जापुर तक विस्तार

2681. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से सतना–रीवा रेल लाइन का विस्तार मिर्जापुर तक करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादी हमले

2682. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी देश के नगरों में आए दिन कोई न कोई घटना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नागरिकों को आतंकवादियों के हमले से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना को जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, उग्रवादी समूहों के क्रिया–कलापों से संबंधित संभावित खतरे के बारे में राज्य सरकारों को सचेत किया जाना तथा ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनाया जाना शामिल है। इस समस्या से निबटने के लिए केन्द्र तथा राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कार्य करती रही हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 अधिनियमित किया गया है, जिसके तहत 32 उग्रवादी संगठनों को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में अधिसूचित किया गया है। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मंचों पर कई राजनयिक पहलें भी की हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के संयंत्रों में रसोई गैस

2683. श्री वाई. जी. महाजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के रसोई गैस संयंत्रों में बड़ी मात्रा में रसोई गैस का भंडार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान ओएनजीसी के रसोई गैस संयंत्रों की भंडारण स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक रसोई गैस का कितना उत्पादन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) अनेक अवसरों पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के पास तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की निकासी में विलंब के कारण इसके स्टाक अपेक्षाकृत अधिक हो गए थे।

(ख) 2001–02 के दौरान ओएनजीसी के एलपीजी संयंत्रों की भंडारण स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सभी आंकड़े मीट्रिक टन (एमटी) में

संयंत्र	सकल क्षमता (स्थापित)	सभी गोलकों के प्रचालनरत होने की स्थिति में उपलब्ध कमी (प्रेषण कर रहे गोलक को छोड़कर)
हजीरा	12150	8640
उरण	2430	1296
गांधार	2547	1358
अंकलेश्वर	810	324
योग	17937	11618

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल, 2002 से 16.11.2002 तक ओएनजीसी संयंत्रों से उत्पादित एलपीजी की मात्रा लगभग 7,87,600 एमटी है।

[अनुवाद]

कुटुम्ब न्यायालय

2684. श्री अबुल हसनत खां : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने कुटुम्ब न्यायालय हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अदालतों द्वारा वार्षिक रूप से राज्यवार कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) देश में स्थापित किए गए कुटुम्ब न्यायालयों की कुल संख्या 100 है। कुटुम्ब न्यायलयों की राज्यवार संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण-। में संलग्न है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वार्षिक रूप से निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या विवरण-।। में सलंग्न है।

(ग) से (ङ) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अनुसार, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे शहरों या नगरों में, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करेगी। राज्य भी राज्य में ऐसे अन्य क्षेत्रों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना कर सकेंगे, जिनमें वे आवश्यक समझें। न्याय विभाग विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को आवधिक रूप से यह कहता रहा है कि वे कुटुम्ब संबंधी विवादों के शीघ्र निपटान के लिए अपेक्षानुसार कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करें।

केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान 50 प्रतिशत का आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देकर 34 अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का विनिश्चय किया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान अभी तक विभिन्न राज्यों को 20 अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुदान जारी किया गया है।

विवरण-।

कुटुम्ब न्यायलयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	4
5.	झारखंड	4
6.	जम्मू-कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	10
8.	केरल	9
9	मध्य प्रदेश	7
10.	महाराष्ट्र	16
11.	मणिपुर	1
12.	उड़ीसा	2
13.	राजस्थान	6
14.	सिक्किम	1
15.	तमिलनाडु	6
16.	उत्तर प्रदेश	14
17.	उत्तरांचल	5
18.	पश्चिमी बंगाल	2
19.	पांडिचेरी	1
	योग	100

विवरण-।।

राज्य का नाम	निपटान			
	1999	2000	2001	2002*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3937	3728	4242	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
असम	617	530	840	415(30.6)
बिहार	319	174	253(30.6)	उपलब्ध नहीं
गुजरात	—	6548	5933	3381(30.9)
जम्मू–कश्मीर	440	516	178(30.6)	उपलब्ध नहीं
झारखंड	668	469	54(30.6)	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	5218	5288	6463	1799(31.3)
केरल	11224	12593	11537	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	13767	13994	14673	7369(30.6)
मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	1352	2284	1490	811(30.6)
राजस्थान	5299	4790 (30.9)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सिक्किम	94	213	250	53(30.6)
तमिलनाडु	6004	5249	4905	3501(30.9)
उत्तर प्रदेश	24503	19803	18885	10244(30.6)
उत्तरांचल	973	588	364	857(30.9)
पश्चिमी बंगाल	395	512	484	उपलब्ध नहीं
पांडिचेरी	449	495	409	425(30.6)
योग	75259	77774	70960	28855

*उपलब्ध जानकारी के अनुसार

यौन उत्पीड़न

2685. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवाधिकार विधि नेटवर्क जो वकीलों और कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है, ने अधिकार नामक अपने सहयोगी संगठन के साथ यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई प्रशिक्षण पुस्तिका आरंभ की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पुस्तिका के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के सुझाव और सलाह प्राप्त करने का है;

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए पुस्तिका से संबंधित देश भर के गैर सरकारी संगठनों के सुझाव प्राप्त कर लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (घ) सरकार को अभी तक मानव अधिकार विधि नेटवर्क या उसके भागीदार संगठन अधिकार से महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए पुस्तिका की बाबत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 'कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न' नामक एक प्रारूप विधेयक, विधेयक पर राय/सुझाव प्राप्त करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत स्टेशनों की नयी इकाइयों की स्थापना

2686. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और कितनी नयी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) इन नयी इकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप वार्षिक कितनी विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) देश में 138 ताप विद्युत स्टेशन विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और 13 नई ताप विद्युत यूनिटों को चालू वित्तीय वर्ष में ग्रिड के साथ समकालित किया गया है। वर्ष 2003–04 के दौरान विद्युत उत्पादन की लक्षित मात्रा समेत इन नई यूनिटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	2003–04 के दौरान संभावित विद्युत उत्पादन	
				मि.यू.	संयंत्र भार अनुपात
केन्द्रीय क्षेत्र					
सिम्हाद्री टीपीपी	आंध्र प्रदेश	यूनिट–2	500	3250	74.0
नैवेली टीपीएस विस्तार	तमिलनाडु	यूनिट–1	210	7200	65.2
राज्य क्षेत्र					
प्रगति सीसीपीपी	दिल्ली	जीटी–2	104.6	600	–
लीमाखोंग डीजीपीपी	मणिपुर	डीजी–4	6	–	–
लीमाखोंग डीजीपीपी	मणिपुर	डीजी–5	6	–	–
लीमाखोंग डीजीपीपी	मणिपुर	डीजी–6	6	–	–
रामगढ़ सीसीपीपी–2	राजस्थान	जीटी–2	37.5	270	–
बारामूरा जीटी	त्रिपुरा	जीटी–4	21	126	–
रोखिया जीटी–7	त्रिपुरा	जीटी–7	21	126	–
निजी क्षेत्र					
बम्बूफ्लैट डीजीपीपी	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	डीजी–2	5	–	–
बम्बूफ्लैट डीजीपीपी	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	डीजी–4	5	–	–
पेद्दापुरम सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	एसटी	78	280	–
नैवेली जीरो टीपीपी	तमिलनाडु	यूनिट–1	250	–	–
कुल			1250.1		

[अनुवाद]

त्वरित न्यायालयों के सम्बन्ध में दैनिक समाचार-पत्र 'हिन्दू' में रिपोर्ट का प्रकाशन

2687. श्री चिंतामन वनगा :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री कोलुर बसवनागौड :
श्री विकास चौधरी :
श्री मोइनुल हसन :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 नवम्बर, 2002 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को शीघ्र त्वरित न्यायालय स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या देश में और अधिक त्वरित न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 1234 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें से 968 त्वरित निपटान न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ग) जी, हां।

उच्चतम न्यायालय ने ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में तारीख 6 मई, 2002 के अपने निर्णय में यह निदेश दिया है कि निर्णय की तारीख से 3 मास के भीतर सभी त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

(घ) त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता विवरण में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को मंजूर की गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2249.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.69
3.	असम	530.11
4.	बिहार	4766.39
5.	छत्तीसगढ़	791.10
6.	गोवा	125.09
7.	गुजरात	1939.43
8.	हरियाणा	422.30
9.	हिमाचल प्रदेश	27.15
10.	जम्मू-कश्मीर	300.60
11.	झारखंड	2319.34
12.	कर्नाटक	2431.80
13.	केरल	437.19
14.	मध्य प्रदेश	2223.91
15.	महाराष्ट्र	2175.10
16.	मणिपुर	40.22
17.	मेघालय	89.89
18.	मिजोरम	89.99
19.	नागालैंड	54.90
20.	उड़ीसा	1866.59
21.	पंजाब	746.10
22.	राजस्थान	1198.20
23.	सिक्किम	10.06
24.	तमिलनाडु	1151.90
25.	त्रिपुरा	73.79
26.	उत्तरांचल	1587.59
27.	उत्तर प्रदेश	2824.27
28.	पश्चिमी बंगाल	1331.49
	योग	31857.00

बोकाजन सीमेंट कारखाने का निजीकरण

2688. श्री के. ए. सांगतम : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकाजन सीमेंट कारखाना सरकारी क्षेत्र का एक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपक्रम के निजीकरण की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह निर्णय लेने से पहले पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) केन्द्रीय क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात् सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की बोकाजन सीमेंट फैक्टरी लाभार्जन कर रही इकाई है। बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत् सीसीआई को सम्पूर्ण रूप से रुग्ण घोषित किया हुआ है। बीआईएफआर जो कि एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय है, ने सीसीआई को पूर्ण रूप से या इसके संयंत्रों को पृथक् रूप से या सामूहिक रूप से बेचने का निदेश पहले ही दे दिया है।

भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) में वायु सैनिक

2689. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के वायु सैनिकों के लिए सिविल सेवाओं सहित सरकार की समूह 'क' सेवाओं के लिए आवेदन करना निषिद्ध ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रतिभावान युवकों को 20 वर्षों तक रोक कर दंडित करने के इस नकारात्मक रवैये के बावजूद प्रतिभावान युवकों को आकर्षित करने के लिए सरकार बेहतर वेतन पैकेज और सुविधाएं प्रदान करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। वायु सैनिक 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सिविल सेवाओं सहित समूह 'क' सरकारी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत

2690. श्री रामदास आठवले : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से राज्यवार कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की कुछ और संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) देश के विभिन्न भागों में पवन, लघु पनबिजली, बायोमास, सह–उत्पादन और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं से लगभग 3640 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। राज्यवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जनजातीय क्षेत्रों सहित विद्युत उत्पादन की संभाव्यता और विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में अब तक हुई प्रगति विवरण–II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, विकेन्द्रित अनुप्रयोगों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण, सुदूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में 111 मेगावाट की सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां और बायोमास गैसीफायर प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।

विवरण-I

31 अक्तूबर, 2002 के अनुसार अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से राज्यवार संस्थापित क्षमता—मेगावाट में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल (मेगावाट)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	381.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.37

1	2	3
3.	असम	2.00
4.	बिहार	44.90
5.	छत्तीसगढ़	11.20
6.	गुजरात	176.85
7.	हरियाणा	52.30
8.	हिमाचल प्रदेश	93.24
9.	जम्मू एवं कश्मीर	102.24
10.	झारखंड	4.05
11.	कर्नाटक	363.48
12.	केरल	71.52
13.	मध्य प्रदेश	64.28
14.	महाराष्ट्र	631.93
15.	मणिपुर	4.70
16.	मेघालय	30.71
17.	मिजोरम	14.76
18.	नागालैंड	19.87
19.	उड़ीसा	7.30
20.	पंजाब	125.95
21.	राजस्थान	48.95
22.	सिक्किम	32.60
23.	तमिलनाडु	1075.63
24.	त्रिपुरा	16.01
25.	उत्तर प्रदेश	69.00
26.	उत्तरांचल	61.75
27.	पश्चिम बंगाल	90.38
28.	अंडमान एवं निकोबार	5.25
29.	अन्य	1.65
	कुल	3636.18

विवरण-II

31 अक्तूबर, 2002 के अनुसार अक्षय स्रोतों से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता एवं संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	स्रोत	संभाव्यता (मेगावाट)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	पवन विद्युत	45,000	1702.3
2.	लघु पनबिजली	15,000	1461.4
3.	बायोमास/सहउत्पादन	19,500	449.9
4.	अपशिष्ट से ऊर्जा	1,700	22.5
5.	सौर	20 मे.वा./ वर्ग किलोमीटर	2.3

[अनुवाद]

छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन

2691. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को छावनी बोर्ड को शक्तिसंपन्न बनाने से संबंधित कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छावनी अधिनियम 1924 में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) मौजूदा छावनी अधिनियम 1924 के स्थान पर एक नया छावनी अधिनियम बनाए जाने का विचार है। प्रस्तावित छावनी अधिनियम की स्कीम तैयार की जा रही है। प्रस्तावित अधिनियम बनाते समय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों तथा सिफारिशों का समुचित ध्यान रखा जाएगा। इस कार्य के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

नयी ऑटो ईंधन नीति

2692. श्री नवल किशोर राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 नवम्बर, 2002 के 'द इकानॉमिक टाइम्स' में 'फ्यूल पॉलिसी टू बर्न होल इन ऑटो पेट्रो सेक्टर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार नयी ऑटो ईंधन नीति तैयार किए जाने के कारण पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त सुधारों के अंतर्गत पेट्रोलियम उद्योग में कौन–कौन से सुधार किए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे सुधारों के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सुधारों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आटो ईंधन नीति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए पेट्रोलियम उद्योग को पेट्रोल और डीजल के विनिर्देशों को पूरा करने के लिए काफी निवेश करने होंगे। यह अनुमान है कि वर्ष 2005 तक लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और तेल रिफाइनरियों में उत्पादन उन्नयन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010 तक लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी।

पेट्रोल और डीजल के विनिर्देशों के उन्नयन के लिए परियोजनाओं/योजनाओं को रिफाइनरियों के स्वामित्व और प्रचालन वाली तेल कंपनियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का विपणन

2693. श्री कमलनाथ : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल ने बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के विपणन में गहरी रुचि प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य विदेशी एजेंसी के संबंध में अब तक कोई वार्ता की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन हेलीकॉप्टरों का वार्षिक उत्पादन कितना है और हेलीकॉप्टर की अनुमानित लागत कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा इजराइल विमान उद्योग संभावी क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए एयरो इंडिया 2003 के दौरान उड़ाए जाने वाले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के संयुक्त उत्पादन तथा प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2001–02 के दौरान, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने 7 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की है तथा वर्ष 2002–03 में 11 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति किए जाने की योजना है। निर्यात के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की मूल लागत लगभग 5.25 मिलियन अमेरिकी डालर है। लागत क्रेता की आवश्यकता तथा उपस्कर की भूमिका के आधार पर कम या ज्यादा होगी।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत ग्रिड पारेषण लाइनों का निजीकरण

2694. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार संतोषजनक ढंग से काम न करने वाली विद्युत ग्रिड पारेषण लाइनों और राज्य विद्युत बोर्डों के निजीकरण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। पावरग्रिड की वर्तमान पारेषण लाइनों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। नई पारेषण लाइनों/अंतर्क्षेत्रीय इंटर कनेक्टरों में निवेश हेतु पावरग्रिड की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से नई पारेषण लाइनों/इंटर कनेक्शनों के निर्माण कार्य हेतु निजी क्षेत्र से निवेश आकृष्ट करने के लिए विधायी ढांचे के इस्तेमाल का प्रस्ताव है।

राज्य क्षेत्र में पारेषण लाइनों के निजीकरण संबंधी निर्णय संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटी से परामर्श करने के उपरांत किया जाना है क्योंकि राजय पारेषण यूटिलिटी ही राज्य में विद्युत पारेषण के लिए जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की डाभोल विद्युत परियोजना (डी.पी.सी.)

2695. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 25 सितंबर, 2002 को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और डाभोल विद्युत परियोजना के एक प्रवर्तक जी.ई. कैपीटल की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसमें कौन–कौन से निर्णय लिए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के लिए डाभोल योजना की क्षमता लागतों और ईंधन शुल्क में कमी करने के लिए ब्याज और शुल्क में छूट के एक पैकेज की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) डाभोल स्टेशन से कौन–कौन से राज्यों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना पर चर्चा करने के उद्देश्य से दिनांक 11 नवंबर, 2002 को सभी संबंधित पक्षों की एक और बैठक भी बुलाई है;

(छ) यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम निकला; और

(ज) सरकार ने एनरॉन द्वारा आरंभ की गई डाभोल विद्युत परियोजना को कोई विशेष रियायत अथवा पुनः गारंटी देने की संभावना समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) ने 25 सितंबर, 2002 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), मै. जी. ई. इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) यह बैठक दाभोल विद्युत परियोजना के चरण–1 को पुनः आरंभ करने हेतु मै. जी. ई. इंडिया द्वारा उल्लेख किए गए कुछ तकनीकी मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए बुलाई गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मै. जी.ई. इंडिया, मै. बेकटेल, एन.टी.पी.सी., सी.ई.ए., एम.एस.ई.बी. और आई.डी.बी.आई. द्वारा संयुक्त रूप से दाभोल विद्युत संयंत्र की प्रारंभिक जांच चरण–1 को पुनः शुरू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा इसकी स्थिति के आकलन के लिए की जाएगी।

(ग) से (ङ) और (ज) दाभोल विद्युत परियोजना में हिस्सेदारी रखने वाले भारतीय वित्तीय संस्थान, महाराष्ट्र सरकार और दाभोल विद्युत कंपनी के प्रायोजकों ने दाभोल परियोजना को पुनः जीवित करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रदान किए हैं जिसमें विभिन्न एजेंसियों यथा महाराष्ट्र सरकार/एम.एस.ई.बी., परियोजना प्रयोजक, विदेशी एवं स्वदेशी ऋणदाताओं तथा भारत सरकार द्वारा कुछ छूटें/रियायतें प्रदान करना शामिल है। दाभोल परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार की गई कोई भी स्कीम एक व्यापक पैकेज के रूप में होगी और इससे शामिल कानूनी, वित्तीय और तकनीकी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। यद्यपि इसमें समय लग सकता है फिर भी प्रथम कदम के रूप में यह सहमति प्रकट की गई है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा चरण–1 को पुनः आरंभ करने के लिए एक अंतरिम पुनर्जीवन पैकेज तैयार कर लिया जाए। चरण–1 का कार्यान्वयन करने के लिए एन.टी.पी.सी. प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गया है। संबंधित एजेंसियों यथा एम.एस.ई.बी. जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया, बैकटेल, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एन.टी.पी.सी. और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने संयंत्र का निरीक्षण किया है और वे वर्तमान में चरण–1 को पुनः आरंभ करने के लिए विचार–विमर्श कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने

सूचित किया है कि एम.एस.ई.बी. कुछ शर्तों के तहत विद्यमान चरण–1 विद्युत स्टेशन से समग्र विद्युत की खरीद पुनः आरंभ करेगा।

(च) और (छ) मै. जी.ई. इंडिया, मै. बेकटेल, एन.टी.पी.सी., सी.ई.ए., एम.एस.ई.बी. और आई.डी.बी.आई. द्वारा संयुक्त रूप से दाभोल विद्युत संयंत्र की प्रारंभिक जांच 28–30 अक्तूबर, 2002 तक की गई। संयंत्र स्थल का दौरा करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा के लिए 11 नवम्बर, 2002 को विद्युत मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में टिप्पणियों की समीक्षा की गई तथा निर्णय लिया गया कि एक विशेषज्ञ दल द्वारा उपकरणों की गहन जांच और विस्तृत आकलन किया जाना जरूरी है ताकि परियोजना को पुनः चालू किए जाने की समय–सीमा तथा उस पर होने वाले व्यय का निर्धारण किया जा सके।

बी.आर.पी.एल. का आई.ओ.सी.एल. के साथ विलय

2696. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त रूप से जोखिम वाले खतरनाक एवं गत्यावरोध से प्रभावित तेलशोधकों को बचाने संबंधी सुधारात्मक उपायों के रूप में बी.आर.पी.एल. का आई.ओ.सी.एल. के साथ विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.) की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं-

(1) भारत सरकार ने 1.3.2002 से बी.आर.पी.एल. से उत्पादित और बेचे गए उत्पादों पर 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट प्रदान की है।

(2) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) जो बी.आर.पी.एल. की नियंत्रक कंपनी है, ने बी.आर.पी.एल. के उत्पाद की निकासी और बी.आर.पी.एल. के साथ तकनीकी विशेषज्ञता की भागीदारी का उत्तरदायित्व लिया है।

(3) बी.आर.पी.एल. ने भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए अधिकतम मूल्य योजना के लिए उत्पाद मिश्रण का इष्टतमीकरण, उपयुक्त पुनर्तैनाती के साथ जनशक्ति का इष्टतमीकरण जैसे आंतरिक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

विलम्ब से चलने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां

2697. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की अधिकांश रेलगाड़ियों के नियत समय से पीछे चलने के फलस्वरूप हाल ही में यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर कोंकण रेलवे के यात्रियों से इस संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि रेलगाड़ियां निर्धारित समय पर चलें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विशिष्ट गाड़ियों के देरी से चलने के संबंध में संसद सदस्यों/विधायकों/जनता से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, मंडल और स्टेशन स्तरों पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनकी जांच की जाती है तथा उपयुक्त और औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जाती है।

(ङ) गाड़ियों में समय पालन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं

1. सभी तीनों स्तरों अर्थात् मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तरों पर गाड़ियों की चौबीसों घंटे गहन निगरानी की जाती है।

2. गाड़ियों की निगरानी के लिए मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा समयपालन अभियान चलाए जा रहे हैं।

3. संरक्षा सीमा और गति प्रतिबंध के अध्ययधीन अधिकतम अनुमेय रफ्तार पर गाड़ियां चलाना।

4. रास्ता क्लियर मुहैया कराने के लिए समय सारणी में सुधार।

5. उपस्कर की खराबियों में कमी लाने के लिए अनुरक्षण के मानक में सुधार।

6. गाड़ियां समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को परामर्श और प्रोत्साहन।

7. कानून और व्यवस्था की समस्याओं और शरारती गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क।

[अनुवाद]

केबल टेलीविजन से प्राप्त आय

2698. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टेलीविजन से प्राप्त होने वाली विशाल आय ऑपरेटरों और ब्राडकास्टरों के बीच होने वाले विवाद की जड़ है;

(ख) उपभोक्ताओं और विज्ञापनदाताओं से प्रतिवर्ष लगभग कितनी आय प्राप्त होती है; और

(ग) धन और कार्यक्रमों दोनों की दृष्टि से उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से केबल नेटवर्क रेगुलेशन अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) यह मंत्रालय केबल आपरेटरों अथवा प्रसारकों की कमाई का अभिलेख नहीं रखता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पे चैनलों/केबल आपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले प्रभारों अथवा केबल आपरेटरों द्वारा टी.वी. प्रसारण कंपनियों को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों को विनियंत्रित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ये प्रभार विशुद्धतया प्रसारण कम्पनियों, केबल आपरेटरों के बीच संविदात्मक कार्य है जो बाजार के रुख पर निर्भर करते हैं।

(ग) केबल नेटवर्क के जरिए पे चैनलों को दिखाने के लिए एक संबोधन प्रणाली को आवश्यक बनाने हेतु सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया है। इस प्रणाली को जब आवश्यक बना दिया जाएगा तो इससे उपभोक्ताओं को जिन चैनलों को, वे देखना चाहते हैं उनका चयन करने और उनके लिए भुगतान करने की अनुमति होगी।

संबलपुर-तालचेर रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण

2699. श्री के. पी. सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा में संबलपुर–तालचेर रेल लाइन के निर्माण के लिए कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) क्या सरकार को भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए लोगों की संख्या की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या विस्थापित/प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) कुल 1396.18 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। इसमें 218.033 हेक्टेयर सरकारी भूमि, 928.523 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 249.624 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षतिपूर्ति के रूप में 12.11 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है। 76 व्यक्तियों को दक्षिण पूर्व रेलवे के संबलपुर मंडल में रोजगार दे दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के लिए नियमों और सेवा की शर्तों को अन्तिम रूप देना

2700. श्री सुरेश कुरुप :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने अपने कर्मचारियों के भर्ती नियमों और सेवा की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए नियमों और विनियमों के अधिसूचित हो जाने तक आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों को प्रसार भारती में स्थानांतरित न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रसार भारती के कर्मचारियों की भर्ती नियमों और निबंधनों को अंतिम रूप दिए जाने में अंतर्मंत्रालयीय परामर्श शामिल है, जिस समय भर्ती नियमों और विनियमों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही थी तो उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन अभियांत्रिकी कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने अन्य बातों के साथ-साथ नियमों और विनियमों को तैयार करने की प्रक्रिया में उन्हें भी इसमें सम्मिलित किए जाने की मांग करते हुए कर्मचारियों से हड़ताल करने का आह्वान किया। प्रसार भारती ने 18 सितम्बर, 2002 को संयुक्त मोर्चे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें समझौता ज्ञापन के अनुसार सेवा के निबंधन और शर्तों सहित विभिन्न नियमों और विनियमों की व्यापक सनीक्षा का प्रबंध है।

(ग) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार प्रसार भारती के आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों का स्थानांतरण भर्ती नियमों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में विद्युत प्रणाली को मजबूत करना

2701. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आपके मंत्रालय द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में विद्युत प्रणाली को मजबूत करने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या संबंधित विभाग ने आवंटित धनराशि खर्च कर दी है; और

(ग) विद्युत प्रणाली को मजबूत करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जोधपुर जिला सिटी सर्किल और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट सर्किल नामक दो विद्युत वितरण सर्किलों में विभक्त है। एपीडीआरपी के तहत भारत सरकार द्वारा जोधपुर में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2000-01 में 29.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान जोधपुर के उक्त दोनों सर्किलों के लिए एपीडीआरपी के तहत 270.62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को 28.40 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं।

उपलब्ध सूचनानुसार, राजस्थान राज्य के अलवर, झुंझनू और जोधपुर के तीन सर्किलों में आज की तिथि तक 16.12 करोड़ रु. प्रयोग में लाए जा चुके हैं।

विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की योजना में पुराने और अधिक भार वाले वितरण लाइनों की कंडक्टरिंग, ट्रांसफार्मरों का उन्नयन, उपभोक्ता स्तर तक मीटर व्यवस्था, कैपेसिटर की व्यवस्था आदि शामिल है।

विद्युत उत्पादन

2702. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दशक में देश में राज्यवार वार्षिक रूप से कितनी प्रमात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत दशक में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता अन्य देशों विशेषकर चीन की विद्युत उत्पादन क्षमता की अपेक्षा बहुत कम थी;

(ग) कम विद्युत उत्पादन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु नये लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1992–93 से 2001–02 के दौरान देश में वार्षिक विद्युत उत्पादन, राज्य–वार विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यूनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रकाशित एनर्जी इयर बुक 1998 के अनुसार वर्ष 1998 के दौरान भारत में निवल संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा कुल विद्युत उत्पादन क्रमशः 1,07,453 मेगावाट तथा 494.38 बिलियन यूनिट था तथा चीन में 2,31,167 मेगावाट तथा 1166.20 बिलियन यूनिट था।

(घ) और (ङ) 10वीं योजना के दौरान 14,393 मेगावाट हाइड्रो, 25417 मेगावाट थर्मल तथा 1300 मेगावाट न्यूक्लीयर को मिलाकर 41,110 मेगावाट व्यवहार्य क्षमता संवृद्धि कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। क्षमता संवृद्धि से 10वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह क्षमता संवृद्धि निम्नानुसार निजी क्षेत्र 7,121 मेगावाट तथा क्रियान्वयन की गहन निगरानी की जा रही है।

विवरण

गत 10 वर्षों के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन केन्द्रीय क्षेत्र सहित

राज्य/इकाई का नाम	1992–1993	1993–1994	1994–1995	1995–1996	1996–1997	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बीबीएमबी	12471	10657	12232	12004	12056	10695	14106	12067	10424	9939
दिल्ली	7331	6994	7034	6524	6336	6984	6931	7555	7981	7952
जम्मू एवं कश्मीर	2905	2745	2837	2950	3170	6120	6477	5810	5284	5558
हिमाचल प्रदेश	1899	1566	4257	4341	3612	3956	4570	3748	3926	3895
हरियाणा	3800	3133	3425	3300	3673	3782	3754	5100	6085	8175
राजस्थान	8487	9438	8469	9244	9914	11157	12820	14570	16695	18988
पंजाब	9974	11419	11505	11381	12787	12993	14393	17057	17599	18406
उत्तर प्रदेश	47266	50958	54214	63457	65779	67489	69818	72913	72615	74787
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	3648	3326
गुजरात	24548	27012	28849	33706	35802	39711	44845	46372	46151	44446
महाराष्ट्र	40425	43125	47871	52121	54559	55997	59097	64263	63552	65319
मध्य प्रदेश	33034	37752	39701	42869	44003	44598	46709	48291	29062	30324
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	23628	24740
आंध्र प्रदेश	31036	34809	35891	37533	41738	45911	47820	52066	51961	51172
कर्नाटक	12753	14154	16352	14915	12339	16914	17067	20930	23523	24851
केरल	6195	5823	6573	6701	5491	5250	7829	8899	9099	8874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु	27228	28285	33210	35626	37607	38090	37908	40559	43685	45419
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	132	233	250
बिहार	2963	2988	3286	4698	6078	7093	8212	7906	5591	5244
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	2828	2680
उड़ीसा	5187	5117	5555	7437	8136	11991	12772	16443	16185	18690
पश्चिम बंगाल	15262	17344	19597	20678	20994	20502	21212	23223	26123	28800
डीवीसी	5201	6918	6915	6837	6673	7299	7706	8140	8193	7779
सिक्किम	30	34	55	49	64	43	26	37	325	383
असम	1070	908	1255	1434	1362	1072	939	921	1063	990
नीपको	0	0	0	1052	1389	1527	1921	2214	2555	2766
मेघालय	1290	1490	1241	539	480	598	544	634	658	613
त्रिपुरा	166	145	166	193	244	302	344	312	312	289
मणिपुर	545	617	515	480	497	535	531	506	551	569
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	20	15	17	13	16	14	13	19
कुल अखिल भारत	301066	323531	351025	380084	394800	420622	448367	480682	499548	515247

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस में पुरानी सवारी डिब्बे

2703. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 सितम्बर, 2002 को रफीगंज के निकट हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त राजधानी एक्सप्रेस के अनेक सवारी डिब्बे पुराने थे और अच्छी स्थिति में नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सवारी डिब्बों का व्यापक पिट निरीक्षण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कारखाने से इन सवारी डिब्बों को कब खरीदा गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 9 सितम्बर, 2002 को रफीगंज के निकट रेल दुर्घटना में शामिल 2301 राजधानी एक्सप्रेस के सभी कोच जीवट आयु के अंतर्गत ठीक–ठाक और फिट स्थिति में थे। गाड़ी हावड़ा में प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान भली–भांति अटेंड की गई थी और उस दौरान सभी कोचों की पिट लाइन पर जांच की गई थी।

(ग) और (घ) इस गाड़ी के रेक में 18 कोच थे। कोचों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कोच का प्रकार	कोच संख्या	निर्माण वर्ष
1	2	3	4
1.	रसोई यान	एनआर–82803 ए	11/1982

1	2	3	4
2.	रसोई यान	एनआर–92802 ए	11/1992
3.	वातानुकूलित 2 टियर कोच	एनआर–94128 ए	11/1994
4.	–तथैव–	एनआर–94115 ए	10/1994
5.	–तथैव–	एनआर–94112 ए	9/1994
6.	–तथैव–	एनआर–00105 ए	6/2000
7.	–तथैव–	एनआर–99132 ए	6/1999
8.	–तथैव–	एनआर–94108 ए	8/1994
9.	–तथैव–	एनआर–01102 ए	9/2001
10.	वातानुकूलित 3 टियर कोच	एनआर–9272 ए	1/1992
11.	–तथैव–	एनआर–95052 ए	5/1995
12.	–तथैव–	एनआर–93053 ए	3/1993
13.	–तथैव–	एनआर–89075 ए	3/1989
14.	–तथैव–	एनआर–92071 ए	1/1992
15.	विद्युत यान	एनआर–00856 ए	4/2001
16.	–तथैव–	एनआर–6696 ए	12/1992
17.	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कोच	एनआर–90016 ए	12/1990
18.	–तथैव–	एनआर–99002 ए	10/1999

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में भारी उद्योग

2704. श्री रामानन्द सिंह :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा कौन–कौन से भारी उद्योग चलाए जा रहे हैं;

(ख) उनमें से कौन–कौन से भारी उद्योग और लोक उद्यम लाभ/घाटे में चल रहे हैं;

(ग) इस समय सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में सरकारी क्षेत्र के किन–किन उद्यमों का विनिवेश करने के लिए विचार किया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000–2001 के अनुसार 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं।

उपरोक्त 5 उपक्रमों में से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उपक्रम रुग्ण हैं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे जा चुके हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नामों के साथ लाभ/हानि के रूप में उनके कार्यनिष्पादन, तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा विनिवेश के संबंध में उनकी स्थिति का ब्यौरा दर्शाते हुए विवरण संलग्न है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किए जा रहे हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। कुछ उपायों में मामले के अनुसार वित्तीय पुनर्गठन, संयंत्र व मशीनरी का आधुनिकीकरण, लागत नियंत्रण तथा कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार प्रत्येक मामले के आधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी गैर–रणनीतिक उपक्रमों में सरकारी इक्विटी 26% अथवा इससे कम करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	2001–2002 के दौरान लाभ/हानि (–)	30.6.2002 के अनुसार बीआईएफआर में स्थिति	विनिवेश की स्थिति	प्रशासनिक मंत्रालय
1.	मध्य प्रदेश अशोक होटल लि.	(–) 0.57	–	एमपी अशोक होटल आईटीडीसी की एक सहायक कंपनी है। विनिवेश आयोग ने होटलों को अलग निगम निकाय बनाने तथा बिक्री की सिफारिश की है।	पर्यटन मंत्रालय
2.	नर्मदा हाइड्रो इलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपो.	निर्माणाधीन	–	–	विद्युत मंत्रालय
3.	नेपा लि.	4.86	जांच चल रही है	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भारी उद्योग विभाग द्वारा कंपनी की पुनर्गठन योजना के अनुसार विनिवेश आयोग को सौंपा गया।	भारी उद्योग विभाग
4.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	703.48	–	–	कोयला मंत्रालय
5.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	(–) 100.78	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत	–	कपड़ा मंत्रालय

–'शून्य' दर्शाता है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जाना

2705. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश में विशेषकर मोहन लाल गंज, गोंडा और खीरी (लखीमपुर) में जिलेवार कितने गांवों में बिजली नहीं है;

(ख) उत्तर प्रदेश में पूरी तरह विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) के अनुसार 31.10.2002 को मोहन लाल गंज, गोंडा (बलरामपुर समेत) तथा खीरी में गैर–विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्रमशः 9, 1464 तथा 668 है। उ.प्र. के दूसरे जिलों में गैर–विद्युतीकृत गांवों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में वर्ष 2007 तक सभी गांवों को विद्युतीकृत करने और वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को कवर करने का संकल्प लिया गया।

इन उद्देश्यों की उपलब्धि को सरल बनाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण को वर्ष 2001–02 से प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत बुनियादी न्यूनतम सेवा माना जाता है। वर्ष 2001–02 के दौरान पीएमजीवाई तथा एमएनपी के

अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ.प्र. सरकार को क्रमशः 94.17 करोड़ रु. तथा 39.23 करोड़ रु. जारी किए गए। वर्ष 2002–03 में पुनः एमएनपी के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण के लिए 75.00 करोड़ रु. (50% की पहली किश्त) तथा पीएमजीवाई के अंतर्गत 185.43 करोड़ रु. (50% की पहली किश्त) उ.प्र. के लिए जारी की गई है, इसमें ग्राम विद्युतीकरण समेत पीएमजीवाई के सभी छः घटक शामिल हैं। योजना आयोग द्वारा निरूपित पीएमजीवाई के संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, राज्यों को नम्यता प्राप्त होगी कि वे अपनी योजना प्राथमिकताओं एवं विवेक के अनुसार 6 पीएमजीवाई सेक्टरों के मध्य एसीए का परस्पर आवंटन करने का निर्णय ले सकें।

इसके अलावा उ.प्र. सरकार ग्राम विद्युतीकरण कारपोरेशन (आरईसी), रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) तथा कार्यक्रम के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस) से निधियां ले सकती हैं।

विवरण

31.10.2002 की तिथि अनुसार उत्तर प्रदेश में अविद्युतीकृत गांवों का जिला–वार ब्यौरा

क्र.सं.	मंडल/जनपद	आबाद गांव 1991 की जनगणना के आधार पर	अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	सहारनपुर		
	सहारनपुर	1278	322
	मुजफ्फरनगर	886	52
	योग	2164	374
2.	मेरठ		
	मेरठ / बागपत	900	0
	गाजियाबाद / गौतम बुद्ध नगर	685	24
	बुलन्दशहर	1359	319
	योग	2944	343
3.	मुरादाबाद		
	बिजनौर	2132	849
	मुरादाबाद / ज्योतिबा फुले नगर	2475	843
	रामपुर	1098	528
	योग	5705	2220
4.	आगरा		
	अलीगढ़ / महामाया नगर (हाथरस)	1706	721
	मथुरा	871	70
	आगरा	904	110
	फिरोजाबाद	795	399
	मैनपुरी	826	332
	एटा	1507	862
	योग	6609	2494
5.	बरेली		
	बरेली	1851	511
	बदायूं	1780	707
	शाहजहांपुर	2130	1277
	पीलीभीत	1210	662
	योग	6971	3247
6.	कानपुर		
	फर्रुखाबाद / कन्नौज	1571	732
	इटावा / औरैया	1461	590

1	2	3	4
	कानपुर नगर	247	
	कानपुर देहात	1622	777
	योग	4901	2099
7.	झांसी		
	झांसी	760	183
	ललितपुर	689	311
	जालौन	942	371
	योग	2391	865
8.	चित्रकूट		
	हमीरपुर	926	365
	महोबा		
	बाँदा	1204	416
	चित्रकूट		
	योग	2130	781
9.	इलाहाबाद		
	इलाहाबाद	3539	1157
	कौशाम्बी		
	फतेहपुर	1352	485
	प्रतापगढ़	2181	694
	योग	7072	2336
10.	लखनऊ		
	लखनऊ	824	20
	रायबरेली	1737	222
	उन्नाव	1693	675
	सीतापुर	2314	1196
	हरदोई	1883	881

1	2	3	4
	लखीमपुर खीरी	1712	668
	योग	10163	3662
11.	फैजाबाद		
	फैजाबाद	2647	1502
	अम्बेडकर नगर		
	सुल्तानपुर	2495	670
	बाराबंकी	2050	932
	योग	7192	3104
12.	देवी घाटन		
	गोण्डा	2818	1464
	बलरामपुर		
	बहराइच	1890	756
	श्रावस्ती		
	योग	4708	2220
13.	वाराणसी		
	वाराणसी	3702	1868
	चन्दौली		
	गाजीपुर	2583	1707
	जौनपुर	3269	1827
	योग	9554	5402
14.	मीरजापुर		
	मीरजापुर	1722	676
	संत रविदास नगर (भदोही)		
	सोनभद्र	1346	592
	योग	3068	1268
15.	आजमगढ़		
	आजमगढ़	3721	2292

1	2	3	4
	मऊ	1472	799
	बलिया	1792	610
	योग	6985	3701
16.	गोरखपुर		
	गोरखपुर	2880	1092
	महाराजगंज	1207	316
	देवरिया कुशीनगर	3550	1346
	योग	7637	2754
17.	बस्ती		
	बस्ती संत कबीर नगर	4504	2919
	सिद्धार्थनगर	2437	1448
	योग	6941	4388
	कुल योग	97135	41237

डीलर चयन बोर्डों का गठन

2706. श्री अनंत नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल/डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस एजेंसी हेतु डीलर चयन बोर्डों के गठन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य के डीलर चयन बोर्डों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 1.4.2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन के बाद देश में सभी डीलर चयन बोर्ड (डी एस बीज) 9.5.2002 से भंग कर दिए गए थे। सरकार के पास डीलर चयन बोर्डों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत तथा पर्यावरण संस्थान की स्थापना

2707. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक ईंधन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी अध्यन करने के लिए एक विद्युत तथा पर्यावरण तेल संस्थान (ऑयल इंस्टीट्यूट फार इनर्जी एंड एन्वायरमेंट) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीदरलैंड के एक परामर्शदाता को व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अमेरिका की बीट्ल और ब्रिटेन की एप्री नामक कंपनियों तथा विदेशों के इसी प्रकार के संस्थानों से विशेषता हासिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई तकनीकी समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इंडियन आयल अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने वैकल्पिक ईंधनों पर अध्ययनों के लिए एक ऊर्जा एवं पर्यावरण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

बायोगैस और पवन ऊर्जा का उपयोग

2708. श्री पी. आर. खूंटे : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के संदर्भ में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विशेष महत्व के मद्देनजर बायोगैस/

पवन ऊर्जा के उपयोग के प्रसार हेतु कोई विशेष योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजना–राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत पशु गोबर पर आधारित बायोगैस संयंत्रों का सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में संवर्धन किया जाता है। कार्यक्रम में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, संयंत्रों के निर्माण के लिए गैर–सरकारी संगठनों तथा उद्यमियों को टर्न की कार्य शुल्क और पहले तीन वर्षों के दौरान मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध कराने, मिस्त्रियों, तकनीशियनों, उद्यमियों तथा महिला उपयोग–कर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, राज्य स्तर के बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्रचार एवं विस्तार इत्यादि के लिए केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2002–03 के लिए 59.50 करोड़ रु. के बजट अनुमान के साथ 1.70 लाख परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य की योजना है। एक अलग प्रदर्शन योजना के अंतर्गत विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों में जल पम्पन पवन चक्कियों, लघु एरो जनरेटरों तथा पवन–सौर प्रकाशवोल्टीय हाईब्रिड प्रणालियों का संवर्धन किया जाता है। इस योजना में पम्प के प्रकार पर निर्भर करते हुए 20,000 रु. से 45,000 रु. प्रति पवन चक्की की श्रेणी में केन्द्रीय सब्सिडी की निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। एरो जनरेटरों तथा हाईब्रिड प्रणालियों के लिए अधिकतम 2.00 लाख रु. प्रति कि.वा. के अध्यधीन पूर्व कार्य लागत का 75 प्रतिशत और सामुदायिक तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए अधिकतम 1.25 लाख रु. प्रति कि.वा. के अध्यधीन पूर्व कार्य लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2002–03 के लिए 2.50 करोड़ रु. के बजट अनुमान के साथ 200 पवन चक्कियां और 125 कि.वा. क्षमता के एरो जनरेटरों/हाईब्रिड प्रणालियों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भागलपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिपुल

2709. श्री सुबोध राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भागलपुर रेलवे स्टेशन के निकट पश्चिम मुस्लिम हाई स्कूल और नाथनगर तथा सुल्तानगंज स्टेशनों के पश्चिमी भाग में रेल उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भागलपुर में मुस्लिम हाई स्कूल के निकट एक समपार बनाने का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पुलों के कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। भागलपुर में पुराने ऊपरी सड़क पुल सं. 153 (उल्टा पुल) के बदले एक ऊपरी सड़क पुल लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है परंतु नेतानगर और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भागलपुर में ऊपरी सड़क पुल का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण पर निर्भर करता है क्योंकि रेलवे केवल पुल खास (रेलपथ पर पुल) का निर्माण करती है और पहुंच मार्ग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। रेलवे के हिस्से का कार्य 31 दिसम्बर 2003 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पूर्व रेलवे में रेलों की टक्कर

2710. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश नियम विशेषकर 'सुरक्षा श्रेणी' के रूप में वर्गीकृत नियम अव्यावहारिक हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए संगत उपस्कर उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में पूर्व रेलवे में हुई रेलों के बीच टक्कर उपरोक्त कारणवश घटित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में खामियों को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए अथवा किए जा रहे महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 17,000/– करोड़ रुपए की एक विशेष व्यपगत न होने वाली रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(ii) समूचे 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'डी–स्पेशल' मार्गों पर जहां गति 75 कि.मी. प्र.घं से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है शेष कार्य प्रगति पर है।

(iii) उत्तर रेलवे पर टक्कर रोधी उपकरण का विस्तृत परीक्षण किया गया है। विस्तारित फील्ड परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर भारतीय रेल के अन्य मार्गों पर इसके अनुप्रयोग का निर्णय लिया जाएगा।

(iv) ड्राइवर/गार्ड और कंट्रोल के बीच डुप्लैक्स रेडियो संचार उपलब्ध कराने के लिए कुछेक महत्वपूर्ण खंडों पर डिजिटल मोबाइल गाड़ी रेडियो संचार की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी स्वीकृत की गई है।

(v) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को संचार के तीव्रतर और बेहतर साधन हेतु वॉकी टॉकी सैट्स मुहैया कराए गए हैं।

(vi) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई–टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसके अलावा, रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है।

(vii) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(viii) पटरियों में दरारों/वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा चुकी है। स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण यानों की खरीद की जा रही है।

(ix) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(x) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोक–थाम की जा सके।

(xi) सड़क उपयोगकर्त्ताओं को जागरूक करने के लिए क्रॉसिंग सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, श्रव्य–दृश्य प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं।

(xii) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतः अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की जा रही है।

(xiii) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा जिनमें कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित क्रैश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भी भेजा जाता है।

(xiv) कर्मचारी तथा सड़क उपयोगकर्त्ताओं को संरक्षा के प्रति सजग करने के लिए आवधिक रूप से संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(xv) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने की सीमा तक कड़ा दंड दिया जा रहा है।

केरल में ज्वारीय ऊर्जा योजनाएं

2711. श्री रमेश चेन्नितला : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 500 कि.मी. से अधिक की लम्बाई वाले समुद्र तट का प्रयोग करके केरल में विद्युत उत्पादन वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) वर्तमान में केरल में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महासागर विकास विभाग ने विझिंजम बन्दरगाह, केरल में 50 किलोवाट संस्थापित क्षमता की राष्ट्रीय तरंग ऊर्जा जांच सुविधा स्थापित की है जिसमें अनेक विद्युत मॉड्यूलों की जांच की गई है। इन जांचों के आधार पर महासागर विकास विभाग का उद्देश्य 100 वाट से 50 कि.वा. की दर्जे की तरंग विद्युत युक्तियों का विकास करना है जिसमें अन्य उपयोगों में अलग-थलग पड़े द्वीपों की सीमित विद्युत आपूर्ति के लिए संभाव्यता है। इन भावी प्रयासों के व्यय-ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल सुरक्षा कोष से शुरू की जाने वाली रेल परियोजनाएं

2712. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में विशेष रेल सुरक्षा कोष से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को राज्य में नई रेल लाइनों को बिछाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) केन्द्रीय सरकार ने गतायु परिसंपत्तियों जैसे रेलपथ, पुल, चल स्टॉक तथा सिगनल गियरों इत्यादि को 6 वर्षों की निर्धारित अवधि में नवीकरण के बकाया कार्य को पूरा करने के लिए 17000 करोड़ रु. की एक गैर व्यपगत 'रेल संरक्षा विशेष निधि' की स्थापना की है। रेल संरक्षा विशेष निधि अक्तूबर, 2001 से अस्तित्व में आई है।

रेल बजट रेलवे जौन-वार तैयार किया जाता है, राज्य-वार नहीं। राजस्थान में रेल संरक्षा विशेष निधि से शुरू किए जाने वाले कार्य उत्तर और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के निर्माण, मशीनरी तथा चल स्टॉक कार्यक्रम-भाग-III (ग्रीन बुक) में सूचीबद्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल कंपनियों की उपलब्धि

2713. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं योजना के दौरान पेट्रोल और डीजल उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धि हासिल हुई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

आंकड़े हजार मीटरी टन में

तेल कंपनी का नाम	मोटर स्पिरिट		डीजल	
	ते.आ.ब. लक्ष्य नौवीं योजना	वास्तविक उत्पादन नौवीं योजना	ते.आ.ब. लक्ष्य नौवीं योजना	वास्तविक उत्पादन नौवीं योजना
1	2	3	4	5
आई.ओ.सी.एल.	13,060.60	12,670.60	57,125.70	60,079.50
सी.पी.सी.एल.	1,683.90	1,609.50	11,371.70	12,131.00
बी.आर.पी.एल.	247.10	323.40	3,359.10	3,095.40
एच.पी.सी.एल.	3,874.40	3,457.20	19,133.90	18,336.30
बी.पी.सी.एल.	3,941.40	4,212.50	15,223.10	16,149.80

1	2	3	4	5
के.आर.एल.	3,395.80	3,545.40	16,080.70	15,897.40
एन.आर.एल.		2.80	3,264.90	2,313.60
ओ.एन.जी.सी. (तातीपका)			8.00	2.20
एम.आर.पी.एल.	4,502.80	3,224.00	15,662.60	10,948.20
आर.पी.एल.	6,23200	5,389.00	30,338.00	24,886.80
कुल योग	36,938.00	34.434.40	171.567.70	163.840.20

*तेल आर्थिक बजट

नौवीं योजना अवधि 1997-2002

गैस की आपूर्ति हेतु ग्रिड

2714. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश के लिए गैस की आपूर्ति हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में गैस की आपूर्ति हेतु कोई ग्रिड तैयार करने की योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख गैस उपभोक्ता केन्द्रों को प्राकृतिक गैस के विभिन्न उत्पादन स्रोतों से जोड़ने वाला 6400 कि.मी. लंबा देशव्यापी पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने की योजना की संकल्पना कर ली है।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि

2715. श्री के. येरननायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने रसोई गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि नहीं करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रसोई गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों को घटाने का है क्योंकि इन उत्पादों पर राज सहायता में कमी करने से उपभोक्ताओं को विशेषकर समाज के गरीब तबकों के लोगों को काफी मुश्किल हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या रवैया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के तहत दिए जाने वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एल पी जी के उपभोक्ता मूल्य पिछली बार दिनांक 1 मार्च, 2002 को बढ़ाए गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से कुछ समय पहले मिट्टी के तेल और एलपीजी के मूल्य में वृद्धि न करने के लिए अनुरोध किया था।

सरकार के निर्णय के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से, पीडीएस मिट्टी के तेल तथा घरेलू एलपीजी पर राज सहायता विनिर्दिष्ट समान दर आधार पर होनी चाहिए और इन उत्पादों के खुदरा मूल्य अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में परिवर्तनों के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे। चालू अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों के मूल्यों में कमी का कोई मामला नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी

2716. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र की कंपनियों के पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों के देश में उपभोक्ताओं के लिए कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मुक्त बाजार परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में उतार–चढ़ावों का प्रभाव घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर आवश्यक रूप से पड़ता है। तथापि, खुदरा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में निजी कंपनियों के प्रवेश से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने की संभावना है।

(ग) सरकार ने दो निजी कंपनियों को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए पहले ही प्राधिकार प्रदान कर दिया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का वितरण निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से नहीं किया जाता है।

निजी क्षेत्र द्वारा सौर ऊर्जा का विकास

2717. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन और विकास हेतु सरकारी और निजी स्तर पर कोई प्रभावी कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने हेतु की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सरकार, राजस्थान राज्य सहित समूचे देश में सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) प्रणालियों, सौर तापीय प्रणालियों के परिनियोजन और सौर विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है। राजस्थान में इन योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य नोडल एजेंसी नामतः राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है जिसे अब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसी) के नाम से जाना जाता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल अन्य संगठन हैं—सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र (एसडब्लूआरसी), तिलोनिया और वर्ल्ड रिन्युअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट (डब्लूआरएसटी), माउंट आबू, जो गैर–सरकारी संगठन हैं। कुछ निजी विनिर्माता/आपूर्तिकर्त्ता और सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी नामतः राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड भी सौर युक्तियों की स्थापना में लगे हैं।

राज्य में विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत संयंत्रों का प्रस्ताव करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्त्ताओं (आईपीपी) को कुछ प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए एक नीति अपनाई है। नीति में उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहन हैं :

(i) राज्य विद्युत कंपनी (एसईसी), 5% प्रतिवर्ष वृद्धि सहित, प्रति यूनिट 3.34 रु. (आधार वर्ष 2002–03) की दरी से आईपीपी द्वारा उत्पादित बिजली को खरीदेंगे।

(ii) एसईसी राज्य में कहीं भी व्हील्ड ऊर्जा के 2% के प्रभार पर अपने बिजली नेटवर्क पर इस बिजली की व्हीलिंग की अनुमति देंगे।

(iii) एसईसी के अतिरिक्त आईपीपी को हाइटेंशन शुल्क–दर श्रेणी मे तीसरे पक्ष को बिजली की बिक्री की अनुमति देना।

(iv) आईपीपी द्वारा तीसरे पक्ष को बेची गई बिक्री पर बिजली शुल्क से छूट।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित अवमूल्यन, करावकाश, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट आदि के माध्यम से निजी निवेशकों को नीतिगत सहायता दी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्थान सहित देश में सौर ऊर्जा युक्तियों के बड़े पैमाने पर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार लाभभोगियों को उदार ऋण तथा प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। राज्य नोडल एजेंसियों और कुछ अन्य संगठनों को भी संवर्धनात्मक कार्यकलापों तथा आदित्य सौर दुकानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राजस्थान राज्य में कुछ उपलब्धियां और हाल ही में हुए विकास निम्नलिखित हैं :

(i) दिनांक 31.3.2002 तक लगभग 4,716 सौर

लालटेन, 28,464 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 6,395 सौर सड़क रोशनियां, 253 सौर जल पंप, 36,600 सौर कुकर और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए 7,660 वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की गई है।

(ii) विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सौर स्टीम कुकिंग प्रणाली ब्रह्माकुमारी आश्रम, तलेटी, माउंट आबू के निकट, अप्रैल, 1999 से कार्य कर रही है।

(iii) उपयोगकर्त्ताओं को सौर उत्पाद और मरम्मत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्रह्माकुमारी आश्रम, तलेटी में एक आदित्य सौर दुकान की भी स्थापना की गई है।

(iv) जयपुर में विधानसभा भवन और सचिवालय भवन में प्रत्येक 25 किवापी. के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तिलोनिया में एसडब्लूआरसी के परिसर में छोटे संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(v) जोधपुर के निकट मथानिया में स्थापना के लिए 140 मेगावाट की एक एकीकृत संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना मंजूर की गई है। इस परियोजना में पैराबोलिक ट्रफ संग्राहक प्रौद्योगिकी पर आधारित 35 मेगावाट क्षमता का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र और पुनः गैसीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाला 105 मेगावाट का एक संयुक्त साइकिल संयंत्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में दाय संरक्षण परियोजना

2718. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने दाय संरक्षण परियोजना हेतु धनराशि जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु धनराशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) से जून और नवंबर, 2002 में यह अनुरोध किया है कि वह दाय स्मारक 'वारंगल किले' का तीन चरणों में 2.65 करोड़ रुपए की कुल लागत पर संरक्षण और मरम्मत करवाए।

(ग) से (ङ) आईओसी ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक दाय 'स्थल' का संरक्षण करने के लिए इंडियन आयल फाउंडेशन नामक एक गैर लाभकारी न्यास की स्थापना की है। पहले चरण में दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक-एक दाय स्थल की पहचान कर ली गई है।

[हिन्दी]

पी.एम.एस.वाई. के अंतर्गत मिट्टी के तेल की डीलरशिप

2719. श्री रामशकल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिट्टी के तेल की डीलरशिप का आवंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार का इसे कब तक आवंटित किए जाने की विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) देश में प्रधान मंत्री जी की स्व-रोजगार योजना एसकेओ डीलरशिपें देने के लिए मार्च, 1999 में आरभ की गई थी। तत्पश्चात्, नवंबर, 2000 में पर्याप्त विचार करने के पश्चात्, सरकार द्वारा यह योजना बंद कर दी गई थी।

[अनुवाद]

चीनी मिलों के अवशिष्ट से विद्युत का उत्पादन

2720. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में चीनी मिलों से निकलने वाले अवशिष्ट एवं कचरे से विद्युत का उत्पादन करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उत्तर प्रदेश में उक्त विधि से विद्युत का उत्पादन करने हेतु कितने सहकारी चीनी मिलों ने आवेदन किए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) चीनी मिलों में खोई सह–उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में लगभग 325 मेगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

दसवीं योजना (2002–07) के लिए खोई सह–उत्पादन से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए 400 मेगावाट और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से 80 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ग) शून्य।

पाकिस्तानी अधिकारियों को संवेदनशील सैन्य सूचना देना

2721. श्री रामजीवन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान और आज तक पाकिस्तानी अधिकारियों को गोपनीय सूचना देने के कितने मामलों में रक्षा कार्मिकों को संलिप्त पाया गया है;

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अब तक सरकार द्वारा संवेदनशील दस्तावेज़ों को लीक होने से बचाने के लिए प्रणाली में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पैंतालीस रक्षा कार्मिक पाकिस्तानी अधिकारियों को संवेदनशील सूचना देने के कार्य में संलिप्त पाए गए हैं।

(ख) पैंतालीस व्यक्तियों में से आठ रक्षा कार्मिक सेवा से बर्खास्त/निष्कासित कर दिए गए हैं। एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और एक अन्य व्यक्ति के फरार होने की सूचना है। शेष 35 व्यक्तियों के मामले में अनुशासनिक/जनरल कोर्ट मार्शल/जांच कार्यवाहियां चल रही हैं।

(ग) विरोधी तत्वों को संवेदनशील सूचना लीक करने के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और विरोधी आसूचना एजेंसियों के प्रयासों को विफल करने हेतु समय–समय पर समुचित निवारक उपाय शुरू किए गए हैं।

बहुउद्देशीय जेट लड़ाकू विमान विकसित करना

2722. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा देश में ही विकसित किया गया बहुउद्देशीय जेट लड़ाकू विमान उड़ान के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह लड़ाकू जेट विमान मिग विमान की जगह रखा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। हल्के युद्धक विमान कार्यक्रम दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक विमानों पर परीक्षण उड़ान भरे जाने के उन्नत चरण में है। आगे और तेजी से उड़ान परीक्षण किए जाने के लिए हल्के युद्धक विमान के 5 अतिरिक्त प्रोटोटाइप बनाए जाने के लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है ताकि वर्ष 2005–06 तक प्रारंभिक प्रचालनात्मक स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। हल्का युद्धक विमान वायुसेना की मिग–21 विमान को प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभिकल्पित एवं विकसित किया गया है।

'स्वीकार' को आवंटित भूमि

2723. श्री राजैया मल्याला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र में स्थित किसी रक्षा भूमि को किसी धर्मार्थ न्यास को आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिकन्दराबाद छावनी प्राधिकारियों द्वारा 'स्वीकार' नामक एक गैर-सरकारी संगठन को कितनी भूमि आवंटित की गई है और इसके नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या भूमि का धर्मार्थ प्रयोजनों के अलावा कोई अन्य दुरुपयोग भी किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या उक्त संगठन निःशुल्क सेवा का उल्लंघन करते हुए 'शुल्क' भी लेता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 1981 में 0.95 एकड़ भूमि सिकन्दराबाद छावनी में हैदराबाद स्पेशल स्कूल को पट्टे पर दी गई थी अब इसका नाम बदलकर विकलांगों के लिए 'स्वीकार' पुनर्वास संस्थान कर दिया गया है। यह पट्टा 30 वर्ष के लिए 38,920/- रुपए के एकमुश्त प्रीमियम और 3892/- रुपए के वार्षिक किराए पर दिया गया था जिसे जून 1984 में बढ़ाकर 9662/- रुपए कर दिया गया। इस पट्टे का नवीकरण और दो बार, हर बार 30 वर्ष की समान शर्तों पर प्रत्येक नवीकरण के समय वार्षिक किराए की दर में 50 प्रतिशत वृद्धि करके किया जा सकता है।

(घ) सरकार को किसी किस्म के दुरुपयोग की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस संस्थान द्वारा कोई शुल्क लिया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

नवीन खोज संबंधी लाइसेंसिंग नीति

2724. श्री वाई. वी. राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में अनुपालन की जा रही नवीन खोज लाइसेंसिंग नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक नवीन नीति के अंतर्गत कितने खंड आवंटित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में भविष्य की संभावनाएं एवं योजनाएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) देश में अन्वेषण प्रयासों पर और अधिक बल देने और प्रभावकारिता प्रदान करने के लिए सरकार ने 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तैयार की है। इस नीति में विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अन्वेषण रकबे प्रदान करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान कार्य अवसर की व्यवस्था है। एलईएलपी की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं। सरकार ने अप्रैल 2000 के बाद से दो एनईएलपी दौरों के तहत तेल और गैस के अन्वेषण के लिए 47 ब्लाकों हेतु संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं और इस नीति के तीसरे दौर के तहत हाल में 23 ब्लाक प्रदान किए हैं। पहचान सहित अन्वेषण कार्य और एनईएलपी के माध्यम से ब्लाकों का प्रस्ताव करना एक सतत और जारी प्रक्रिया है।

विवरण

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की व्यापक शर्तें निम्नवत् हैं :

- कोई हस्ताक्षर खोज अथवा उत्पादन बोनस नहीं।
- कोई अनिवार्य राज्य प्रतिभागिता नहीं।
- राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा कोई धारित हित नहीं।
- वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से सात वर्षों के लिए आयकर से छूट।
- पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।
- 100 प्रतिशत तक बोली योग्य लागत वसूली सीमा।
- प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण एवं वेधन व्ययों को चुकाने के लिए विकल्प।

- संविदाकार के द्वारा प्राप्त किए गए कर–पूर्व निवेश अपवर्त्य पर आधारित लाभ पेट्रोलियम की बोली योग्य हिस्सेदारी।
- जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चे तेल के लिए 12.5 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। अपतटीय क्षेत्र के लिए यह तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। 400 मीटर समुद्री गहराई से अधिक गहन जल क्षेत्रों में खोजों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों के लिए लागू दर के आधे पर प्रभार्य होगी।
- संविदा के अंतर्गत राजकोषीय स्थिरता का प्रावधान।
- संविदाकार को घरेलू बाजार में तेल एवं गैस के विपणन की स्वतंत्रता।
- समनुदेशन का प्रावधान।
- सुलह एवं माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 लागू होगा।

[हिन्दी]

पारेषण लाइनों का निर्माण

2725. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने सासाराम–बिहारशरीफ एवं फरक्का को 400 के.वी.ए. की पारेषण लाइन से जोड़ने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में वर्तमान में 400 के.वी.ए. की कितनी लाइनें निर्माणाधीन हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा फरक्का चरण–2 (2x500 मेगावाट) से जुड़ी पारेषण प्रणाली के तहत फरक्का–कहलगांव 400 के.वी. डी/सी लाइन, कहलगांव–बिहारशरीफ 400 के.वी. डी/सी लाइन और बिहार शरीफ 400/200 के.वी. के उप–स्टेशन का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन द्वारा सासाराम–बिहारशरीफ को जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर अंतःक्षेत्रीय एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के तहत बिहारशरीफ सासाराम 400 के.वी. डी/सी लाइन का भी निर्माण किया गया है। कहलगांव विस्तार (2x660 मेगावाट) परियोजना की पारेषण प्रणाली की सुदृढ़ीकरण योजना के तहत कहलगांव से बिहारशरीफ तक 400 के.वी. डी/सी का निर्माण भी पावरग्रिड द्वारा किया गया है। इस लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 2006–07 तक पूरा होने को है। देश के केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन 400 के.वी. की पारेषण लाइनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

देश में निर्माणाधीन 400 के.वी. पारेषण लाइनों की सूची

पावरग्रिड द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में संचालित 400 के.वी. की पारेषण लाइनें

1. मेरठ–मंडोला एस/सी लाइन
2. कोलार–चेन्नई पारेषण प्रणाली
   (क) कोलार–अराकोनन (कर्नाटक का भाग) एस/सी लाइन
   (ख) अराकोणम–चेन्नई (तमिलनाडु का भाग) एस/सी लाइन
3. कोलार–होसुर–पल्लाकोड्डू एस/सी लाइन
4. पल्लाकोड्डू–सेलम एस/सी लाइन
5. सेलम–उदमप्लेट एस/सी लाइन
6. कोलार–हुब्बी डी/सी लाइन
7. जमशेदपुर–राउरकेला (द्वितीय सर्किट) एस/सी लाइन
8. कोल्हापुर–मपुसा डी/सी लाइन
9. भिवाड़ी डीसी लाइन पर बस्सी–बल्लभगढ़ का लीलो
10. आगरा (पीजीसीआईएल)–आगरा (यूपीपीसीएल) डी/सी लाइन
11. पूर्व–पश्चिम अंतःक्षेत्रीय लिंक
    (क) रायपुर–कनकतुरा (पश्चिमी क्षेत्र का भाग) डी/सी लाइन
    (ख) कनकतुरा–राउरकेला (पूर्वी क्षेत्र का भाग) डी/सी लाइन
12. विजयवाड़ा–उपलपाडू डी/सी लाइन

13. उपलपाडू–नैल्लोर डी/सी लाइन

14. नैल्लोर–श्रीपेरम्बदूर डी/सी लाइन

15. मदुरई–तिरुवनंतपुरम डी/सी लाइन

16. सिलीगुड़ी डी/सी लाइन पर बोंगईगांव/मालदा (सर्किट–।) का लीलो

17. पूर्णिया (न्यू) डी/सी लाइन पर बोंगईगांव/मालदा (सर्किट–॥) का लीलो

18. तालचेर–मेरामुंडली डी/सी लाइन

19. मेरामुंडली–जैपोर एस/सी लाइन

राज्य क्षेत्र में संचालित 400 के.वी. की पारेषण लाइनें

1. एसएसएनएल–एमपी बार्डर डी/सी लाइन (गुजरात)

2. देहगाम डी/सी लाइन (गुजरात) में वनाकबोरीसोजा का लीलो

3. सरदार सरोवर (एमपी बार्डर)–नागदा डी/सी लाइन (मध्य प्रदेश)

4. सोलापुर डी/सी लाइन (महाराष्ट्र) में कराड–परली का लीलो

5. डाभोल–नागाथाणे (द्वितीय सर्किट) एस/सी लाइन (महाराष्ट्र)

6. डाभोल न्यू कोयना (द्वितीय सर्किट) एस/सी लाइन (महाराष्ट्र)

7. विजाग एस/एस–वेमागिरि डी/सी लाइन (आंध्र प्रदेश)

8. वेमागिरि–नूना डी/सी लाइन (आंध्र प्रदेश)

9. वेमागिरि एस/एस कोनसीमा पीएस डी/सी लाइन (आंध्र प्रदेश)

10. वेमागिरि एस/एस जीवीके–पीएस डी/सी लाइन (आंध्र प्रदेश)

11. विजाग एस/एस खम्माम 400 के.वी. एस/एस डी/सी लाइन (आंध्र प्रदेश)

12. 400 के.वी. लिंक लाइन तालागुप्पा डी/सी लाइन (कर्नाटक)

13. मेरामुंडली–मिंडहासल (चंडाका)) डी/सी लाइन (उड़ीसा)

14. इब–मेरामुंडली डी/सी लाइन (उड़ीसा)

15. मेरामुंडली–धुबरी डी/सी लाइन (उड़ीसा)

16. आराम बाग (पश्चिम बंगाल में) में केटीपीएस–दुर्गापुर एस/सी लाइन का लीलो।

राजधानी एक्सप्रेस में घटिया किस्म के कंबलों की आपूर्ति

2726. **श्री सईदुज्जमा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'यात्री सुविधा वर्ष में घटिया कंबल मिलते रहे हैं–राजधानी एक्सप्रेस में' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विभिन्न रेलगाड़ियों में यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन, कंबल, बिस्तर, तौलिये इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 6 नवम्बर, 2002 को 'यात्री सुविधा वर्ष में घटिया कम्बल मिलते रहे हैं–राजधानी एक्सप्रेस में' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

रेलवे प्रतिष्ठित निर्माताओं अथवा अपने प्राधिकृत डीलरों से निर्धारित विशिष्टि के अनुसार कम्बल, बिस्तर, तौलिया आदि खरीदती है। स्वीकार करने से पहले नामित निरीक्षण एजेंसी द्वारा सप्लाई का निरीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सप्लाई निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार है, समय–समय पर विभिन्न जांच भी की जाती है।

रेलें, गाड़ियों और परिसरों में अच्छी गुणवत्ता वाली खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी प्रयास करती हैं जिसमें व्यंजन सूची की समीक्षा। खुली थाली के स्थान पर थ्री पीस केसरोल पैक्ड भोजन शुरू करना, पर्यावरण के अनुकूल पैकिंग सामग्री शुरू करना, कुल्हड में दही की आपूर्ति करना, आईएसआई

द्वारा अनुमोदित पैकेज्ड पीने का पानी सुनिश्चित करना और प्रतिष्ठित ब्रांड की खाने की सामग्री आदि की खरीद शामिल है। वाणिज्यिक और स्वास्थ्य निदेशालयों से विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा बार–बार एवं अचानक जांचें की जाती हैं। जब कभी कोई कमी पाई जाती है तो इस प्रकार की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। भारतीय रेलों पर खानपान सेवाओं को अपग्रेड करने और उनका व्यवसायीकरण करने के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की है।

प्रमुख रेलगाड़ियों में घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री की आपूर्ति

2727. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शताब्दी एक्सप्रेस एवं अन्य एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट रेलगाड़ियों जैसी प्रमुख रेलगाड़ियों में घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच–पड़ताल की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर स्टालों और गाड़ियों में खान–पान सेवाओं के संबंध में लगभग 980 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ शिकायतें गाड़ियों में निम्न गुणवत्ता के भोजन की आपूर्ति से संबंधित हैं। शिकायतों की जांच की जाती है और कार्रवाई की जाती है जिसमें जुर्माना लगाने एवं चेतावनी देने के अतिरिक्त ठेके को रद्द करना शामिल है। गलती के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2001–02 में, 199 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।

नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से घाटा

2728. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली–भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस को जन शताब्दी एक्सप्रेस में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे की वेबसाइट

2729. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की वेबसाइट काम नहीं कर रही है और पिछले कुछ दिनों से गायब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसको कब तक अद्यतन करने और पुनः आरंभ करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारतीय रेल की कई वेबसाइटें हैं। अक्तूबर 27 से अक्तूबर 30, 2002 तक यात्री आरक्षण प्रणाली संबंधी वेबसाइट के निष्पादन में गिरावट आई थी जो सही कर दी गई थी। अब सभी साइटें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटे के लिए निर्धारित मानदंड

2730. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष रेलवे स्टेशन के लिए किसी रेलगाड़ी विशेष में आरक्षण कोटा निर्धारित करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों में सदलपुर स्टेशन से विशेषकर जयपुर–मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरक्षित शायिकाओं की संख्या बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) किसी भी स्टेशन पर आरक्षण कोटा गाड़ी में उपलब्ध आरक्षित स्थान और विभिन्न स्टेशनों के मांग के पैटर्न को ध्यान में रखकर आवंटित किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। जयपुर-मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस सहित विभिन्न गाड़ियों में सादुलपुर स्टेशन पर आरक्षण कोटे का आवंटन करने/आरक्षण कोटे को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) सादुलपुर स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और अब इस स्टेशन के यात्री जयपुर-मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस सहित किसी भी गाड़ी में 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आरक्षण करवा सकते हैं।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब

2731. श्री शिवाजी माने : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विद्युत संयंत्र अपनी लक्षित तिथि से काफी पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत माह की स्थिति के अनुसार ये कितने समय पीछे है;

(घ) इनके पूरा करने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण संयंत्रवार बढ़ी हुई लागत कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस अत्यधिक विलंब हेतु किसी अधिकारी को उत्तरदायी पाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) घाटघार जल विद्युत परियोजना (250 मे.वा.) जिसे राज्य क्षेत्र में 485.96 करोड़ रु. की लागत पर 1995-96 में चालू किया जाना तय था, को अब 1184.60 करोड़ रु. की लागत पर 2004-05 में चालू किया जाना निर्धारित है। भूमि अधिग्रहण, सामान्य मूल्य वृद्धि, बड़े कार्यों को सौंपने में विलंब आदि के कारण परियोजना के आरंभन में अधिक समय लगा एवं अधिक लागत आई।

निजी क्षेत्र में दाभोल सीसीजीटी चरण-I (1444 मे.वा.), जिसे 2000-01 में चालू किया जाना तय था, को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और दाभोल पावर कॉरपोरेशन के बीच जारी विवाद की वजह से चालू करने में विलंब हुआ।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संशोधित

2732. श्रीमती प्रभा राव :
प्रो. ए. के. प्रेमाजम :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने घरेलू एवं औद्योगिक इकाइयों, दोनों के लिए दरों में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश की गई संशोधित दरें क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) संशोधित दरों को कब से प्रभावी किया जाएगा; और

(घ) विभिन्न राज्यों में घरेलू एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं हेतु दरों की विभिन्न श्रेणियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अंतिम बार शुल्क आदेश 23 मई, 2001 को जारी किए गए थे जो 1 जून, 2001 से प्रभावी हुआ था और अब भी प्रभावी है। इस शुल्क आदेश में शुल्क निर्धारण के ब्यौरे विवरण-I में हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता शुल्क के ब्यौरे विवरण-II में हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001–02 के लिए टैरिफ

	श्रेणी	न्यूनतम प्रभार (रु/कि.वा./माह)	मांग प्रभार (रु/कि.वा./माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसा/कि.वा.)	नियामक सीमा (कि.वा./माह)	नियामक प्रभार (%)
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू	1.1 घरेलू बिजली/पंखा तथा पावर (एकल डिलीवरी प्वाइंट)	60		लाइफ लाइन (50 यूनिट तक) 125		
				यूनिट/मास ऊर्जा प्रभार		
				0–100 150		
				101–200 210		
				201–400 300		
				400 से ऊपर 360		
	1.2 घरेलू बिजली/पंखा तथा पृथक डिलीवरी प्वाइंटों/मीटरों पर पावर			1.1.360 के अनुसार		
	(क) बिजली/पंखा	60	–		–	
	(ख) पावर	60	–		–	
	1.3 सीजीएचएस तथा अन्य समान ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स के लिए 11 के.वी. सिंगल प्वाइंट पर घरेलू बिजली/पंखा	रु. 150/– केवी ए अथवा उसका मांग प्रति माह अधिकतम भार	–	खपत/माह ऊर्जा प्रभार प्रथम 22.2% 150 दूसरा 22.2% 210 दूसरा 44.4% 300 दूसरा 11.2% 360		
	1.4 नियमित/अनधिकृत कालोनियों में घरेलू बिजली/पंखा तथा पावर कनेक्शन/पाकेट तथा गांव, विद्युतीकृत और गैर विद्युतीकृत दोनों को छोड़ दिया गया तथा गैर विद्युतीकृत प्लाट के आकार :	–	–	150 रु. प्रतिमाह	–	–
		–	–	225 रु. प्रतिमाह	–	–
		–	–	360 रु. प्रतिमाह	–	–
		–	–	510 रु. प्रतिमाह	–	–
	(i) 50 वर्ग यार्ड तक					
	(ii) 51–100 वर्ग यार्ड के बीच					

1	2	3	4	5	6	7
	(iii) 101–150 वर्ग यार्ड के बीच (iv) 151–200 वर्ग यार्ड के बीच (v) डीवीबी द्वारा लगाए गए मीटरों के माध्यम से केवल 200 वर्ग यार्ड से अधिक वाले					
	1.5 दुरुपयोग	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	600	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार
2. गैर घरेलू	2.1 गैर घरेलू (लो टेंशन)	200	–	440	200	30
	4–एनडीएलटी–1 (क) सिंगल फेज (<10 कि.वा.) (ख) तीन चरण (> 10 कि.वा.)	200		500	200	30
	2.1.1 वाणिज्यिक परिसरों या 11 केवी सिंगल डिलीवरी प्वाइंट पर गैर घरेलू लाइट/विद्युत एनडीएलटी–II	रु. 22/केवी ए या पार्ट देयरआफ/मंथ ऑन बिलिंग डिमांड	–	15% छूट के साथ 500(5)	–	–
	2.1.2 औद्योगिक के रूप में दुरुपयोग	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	600	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार
	2.2 मिश्रित भार (हाइ टेंशन) एमएलएचटी (6,7)	–	150	390 पैसे/केवीए एच(8)	–	–
	(क) 11 केवी पर आपूर्ति (ख) एलटी (400 वोल्ट) पर आपूर्ति	–	200	465 पैसे/केवीए एच	–	–
	2.2.1. औद्योगिक के रूप में दुरुपयोग	–	2.2 की तरह	510 पैसे/केवीए एच	–	–
3. औद्योगिक	3.1 लघु औद्योगिक विद्युत एसआईपी(9)					
	(क) नॉन कंटीन्यूस इंडस्ट्री	200	–	410	300	30
	(ख) कंटीन्यूस इंडस्ट्री	200	–	410	400	30

1	2	3	4	5	6	7
	3.1.1 दुरुपयोग (10)					
	(क) नॉन कंटीन्यूस इंडस्ट्री में	300	दुरुपयोग की श्रेणी के	600	300	30
	(ख) कंटीन्यूस इंडस्ट्री में	300	अनुसार	600	400	30
	3.1.2 स्माल इंडस्ट्री पावर के उपभोक्ताओं के लिए 11 कि.वा. सिंगल डिलीवरी प्वाइंट पर इंडस्ट्रियल पावर	रु. 200/केवीए या पार्ट देयरआफ/मंथ ऑन बिलिंग डिमांड	–	उपर्युक्त 3.1 में यथावत 15% छूट के साथ	–	–
	3.1.2.1 दुरुपयोग	350	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	600	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार
	3.2 लार्ज इंडस्ट्रीयल पावर एलआईपी (12)	–	150	340 पैसे/केवीएएच (13)	–	–
	(क) 11 कि.वा. पर आपूर्ति (ख) 400 वोल्ट की कम शक्ति पर आपूर्ति	–	200	525 पैसे/केवीएएच	–	–
	3.2.1 इंडक्शन/आर्क फरनेसिस	न्यूनतम खपत गारंटी प्रभार (14)	3.2 की तरह	3.2 की तरह	–	–
	3.2.2 दुरुपयोग	–	3.2 की तरह	510 पैसे/केवीएएच	–	–
4. कृषि		–	–	75	–	–
	4.1 मशरूम की खेती	100	–	200	–	–
	4.2 दुरुपयोग	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	600	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार	दुरुपयोग की श्रेणी के अनुसार
5. पब्लिक लाइटिंग		मरम्मत प्रभार @60/–माह/स्ट्रीट लाइटिंग प्वाइंट	–	360	–	–
6. रेलवे ट्रेक्शन		क्षमता अवरोध–निर्धारित प्रभार (16)	3.2 में यथावत(17)	3.2 में यथावत	–	–

1	2	3	4	5	6	7
7. लाइसेंसधारी (एनडीएमसी/एमईएस)		–	–	270 पैसे/केवीएएच	–	–
8. अस्थायी आपूर्ति	8.1 (क) 16 दिन से कम अवधि के लिए (ख) 16 दिन से अधिक या 16 दिन की अवधि के लिए	संगत श्रेणी का 50%। संगत श्रेणी की तरह यथावत	संगत श्रेणी की तरह यथावत	शुल्क की संगत श्रेणी के 50% से अधिक (अस्थायी प्रभार)	संगत श्रेणी की तरह यथावत	संगत श्रेणी की तरह यथावत
	8.2 आवासीय सहकारी ग्रुप हाऊसिंग कनेक्शनों के लिए	संगत श्रेणी की तरह यथावत	–	विद्युत लागत के लिए भुगतान किए जाने वाले पूरे भाग की भुगतान की तिथि से बिना प्रभार के घरेलू टैरिफ। विद्युतीकरण योजना चालू होने के एक वर्ष बाद उपलब्ध सामान्य टैरिफ	–	–
	8.3 सांस्कृतिक, पारंपरिक और धार्मिक आयोजनों के लिए	1.1 में यथावत	–	अस्थायी प्रभार के बिना 1.1 में यथावत	–	–
	8.4 निर्माण से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए	संगत श्रेणी की तरह यथावत	संगत श्रेणी की तरह यथावत	संगत श्रेणी की तरह यथावत अस्थायी प्रभार सहित	300	30
	8.5 थेशरों के लिए (क) 30 दिन की थ्रेशिंग की मौसम के दौरान (ख) विस्तारित अवधि के लिए	एमसीडी की विद्युत कर 1.50 रु. प्रति कनेक्शन	–	प्रत्येक सप्ताह या इससे कम की अवधि के लिए प्रोराटा आधार पर 3000 रु. का फ्लैट रेट	–	–

1. न्यूनतम प्रभार प्रति किलोवाट अथवा स्वीकृति/जुडे हुए डिक्लेयर्ड कनेक्टिड लोड का भार, जो भी अधिक हो, के अनुसार लगाए जाते हैं।

2. घरेलू श्रेणी के तहत विभिन्न स्लैबों की पात्रता का निर्धारण बिलिंग साइकल के आधार पर प्रोराटा आधार पर किया जाएगा।

3. 15% की छूट के साथ।

4. औषधालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, दिल्ली नगर निगम और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल तथा दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य स्कूल, पूजा स्थल, गोसदन, चौपाल, ग्रामीण क्षेत्र के समुदाय केन्द्रों और जे.जे. बस्तियों के लिए स्वीकृत कनेक्शन। अंधों, गूंगों और बहरों, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण केन्द्र। दिल्ली नगर निगम द्वारा सहायता प्राप्त महिला हॉस्टल, अनाथालय तथा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त छोटे स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा धर्मार्थ सेवा दान करने मात्र के लिए, विद्युत शवदाह गृहों या बोर्ड/लाइसेंसधारियों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों की बिलिंग घरेलू श्रेणी के दर के अनुसार की जानी है, बशर्ते कि इनका प्रयोग निर्दिष्ट उद्देश्य से किया जा रहा हो।

5. जहां एम डी आई पठन कंट्रेक्ट मांग 5% से अधिक है वहां कुल मांग और बिलिंग साइकल के लिए विद्युत शुल्क पर 30% का प्रभार लगाया जाएगा।

6. उपर्युक्त 4 में यथावत।

7. जहां एम डी आई पठन कंट्रेक्ट मांग 5% से अधिक है वहां कुल मांग और बिलिंग साइकल के लिए विद्युत शुल्क पर 30% का प्रभार लगाया जाएगा।

8. पदधारी 11 के.वी. के दरों पर ऊर्जा प्रभारों के लिए 33/66 के.वी. पर 3 चरण की आपूर्ति का उपयोग करने तथा 220 के.वी. पर आपूर्ति के लिए 2.5% की छूट के हकदार होंगे।

9. मान्य एमसीडी लाइसेंस धारक औद्योगिक उपभोक्ताओं/गांवों के मामले में लाल डोरा प्रमाण पत्र के लिए।

10. बिना नगरपालिका के लाइसेंस के ऐसे औद्योगिक कार्यों समेत शहरीकृत गांव, गैर अनुपालनकर्त्ता क्षेत्रों में।

11. उपरोक्त 5 की तरह।

12. उपरोक्त 7 की तरह।

13. उपरोक्त 8 की तरह।

14. बिलिंग मांग प्रति माह के 360 के.वी.ए.एच. प्रति के.वी.ए. के मांग प्रभार और खपत प्रभार या इसके अंश को शामिल कर। न्यूनतम खपत गारंटी प्रभार का परिकलन करने के लिए नियामक खपत के मामले में 'के' लागू होगा :

(i) जिला कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रमाणित ग्रिड उप केन्द्रों की अभिलेखित लोड शेडिंग की अवधि के लिए एम सी जी प्रभारित नहीं होगा, यदि इनके कारण तथा बिलिंग साइकल में 12 घंटे से ज्यादा का ब्रेकडाउन हुआ हो।

(ii) हालांकि इस अवधि के लिए मांग प्रभार उपरोक्त 1 की तरह लगाया जाएगा।

15. उपरोक्त टैरिफ एकल वितरण तथा एकल वोल्टेज की मीटरिंग प्वाइंट के जरिए दी जा रही आपूर्ति पर आधारित है।

16. रु. 1260 × (2.97 ए + 6) जहां ए कॉंट्रेक्ट/अधिकतम मांग है और जो एमवीए में न्यूनतम 25,000 रु. की सीमा के शर्त पर आधारित है।

17. सभी मीटरिंग प्वाइंट के लिए अधिकतम मांग को मांग उल्लंघन प्रभार आरोपित करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

विवरण-II

(पैसे कि.वा.घं.)

क्र.सं.	राज्य	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि/सिंचाई	औद्योगिक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	174.00	426.00	15.00	439.45
2.	असम	186.76	468.66	272.41	429.66
3.	बिहार	109.50	276.60	13.37	362.26
4.	दिल्ली (डीवीबी)	149.86	415.81	50.00	424.80
5.	गुजरात	243.00	448.00	39.00	439.57
6.	हरियाणा	259.33	411.73	37.02	428.00
7.	हिमाचल प्रदेश	104.00	261.00	50.00	265.00
8.	जम्मू व कश्मीर	85.00	160.00	220.00	135.00
9.	कर्नाटक	198.00	572.12	30.51	409.93
10.	केरल	81.02	436.40	67.21	225.18
11.	मध्य प्रदेश	159.58	430.64	7.20	437.77
12.	महाराष्ट्र	248.02	456.39	82.28	419.93
13.	मेघालय	135.53	192.23	51.72	208.26
14.	उड़ीसा (ग्रिडको)	175.72	369.74	107.73	322.98
15.	पंजाब	211.46	368.56	0.00	300.26
16.	राजस्थान (ट्रांस्को)	190.87	429.76	46.26	392.88
17.	तमिलनाडु	169.26	401.70	1.31	379.60

1	2	3	4	5	6
18.	उ.प्र. (पावर कारपोरेशन)	185.17	431.50	107.83	464.44
19.	पश्चिम बंगाल	148.88	237.28	57.87	320.01
	औसत एसईबी	184.16	406.65	35.38	368.37
II	ईडी				
1.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	300.00	0.00	300.00
2.	गोवा	134.41	390.48	112.84	379.76
3.	मणिपुर	181.90	250.00	171.00	198 50
4.	मिजोरम	129.00	199.00	0.00	245.00
5.	नागालैंड	160.00	280.00	0.00	225.00
6.	पांडिचेरी	94.95	235.82	7.51	205.54
7.	सिक्किम	97.00	152.00	0.00	135.00
8.	त्रिपुरा	92.00	120.00	68.00	118.00
	ईडी का औसत	119.09	254.45	41.69	266.74
	अखिल भारत औसत	183.13	404.21	35.40	366.50

स्रोत : योजना आयोग

आपराधिक मामलों संबंधी आरोपों पर कार्रवाई

2733. श्री टी. गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों में लंबित पड़े रक्षा कार्मिकों द्वारा किए गए आपराधिक मामलों संबंधी आरोपों पर कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सेना अधिनियमों के अनुसार, रक्षा सेना कार्मिकों के विरुद्ध आपराधिक मामले सेनाओं द्वारा, सेवा को जरूरत के अनुरूप, फौजदारी अदालतों से लिए जा सकते हैं और इन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 475 के अनुरूप संबंधित सैन्य अधिनियमों (सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 तथा वायुसेना अधिनियम, 1950) के तहत मुकदमे चलाए जा सकते हैं। मामला लिए जाने के बाद संबंधित सेना अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति पर अनिवार्य रूप से मुकदमा चलाया जाता है। जो मामले सेनाओं द्वारा नहीं लिए जाते हैं उन पर कानून के अनुरूप फौजदारी अदालतों द्वारा कार्रवाई की जाती है। यदि किसी रक्षा सेना कार्मिक को किसी अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है तो अदालत के आदेश लागू किए जाते हैं तथा जब भी आवश्यकता होती है, सशस्त्र बलों द्वारा आगे समुचित कार्रवाई की जाती है।

जम्मू-कश्मीर में रेल परियोजनाएं

2734. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू–कश्मीर में नई–लंबित चालू रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और अब तक प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) अब तक प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी लक्षित तिथि क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाली नयी/लंबित/चालू परियोजनाओं/सर्वेक्षणों के परियोजनावार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	31.3.2002 तक अनुमानतः खर्च	2002–03 परिव्यय	लक्ष्य तिथि	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू–ऊधमपुर (53.6 कि.मी.) के बीच नई रेल लाइन	445.95 करोड़ रुपए	386.59 करोड़ रुपए	36 करोड़ रुपए	31.3.2004	जम्मू तवी से बाजल्टा (11.75 कि.मी.) तक खंड पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बाकी खंड

1	2	3	4	5	6	7
						पर अर्थात् बाजल्टा–ऊधमपुर पर कार्य प्रगति के अंतिम चरण में है।
2.	ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामूला के बीच नयी लाइन	3244 करोड़ रुपए	439.53 करोड़ रुपए	400 करोड़ रुपए	ऊधमपुर–कटरा तथा काजीगुंड–बारामूला खंड मार्च 2005 तक तथा संपूर्ण परियोजना 15.8.2007 तक	कार्य चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, ऊधमपुर–कटरा (26 कि.मी.) पर कार्य प्रगति पर है जहां मिट्टी संबंधी, सुरंग तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है। चरण–II में, काजीगुंड–बारामूला पर कार्य शुरू किया गया है जहां मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। श्रीनगर स्टेशन की इमारत का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। चरण–III में, कटरा–काजीगुंड खंड के लिए विस्तृत निर्माण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
3.	जालंधर–पठानकोट–जम्मूतवी (212 कि.मी.) के बीच दोहरीकरण	374 करोड़ रुपए	–	19.21 करोड़ रुपए	30.6.2007	इस परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी मार्च, 2002 में प्राप्त हुई थी, मिट्टी संबंधी, बड़े तथा छोटे पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं खोल दी गई हैं और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	डोडा (85 कि.मी.) तथा डोडा से किश्तवार (55 कि.मी.) के रास्ते बारामूला से कुपवाड़ा (60 कि.मी.) ऊधमपुर से भदेड़वाह तक नई लाइन का सर्वेक्षण	25.87 लाख रु.	13.95 लाख रु.	–	–	सर्वेक्षण प्रगति पर है तथा 2003–2004 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आ जाने के बाद इन लाइनों पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

(घ) इन परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी गई है। कटरा–काजीगुंड के बीच मध्यवर्ती खंड पर भी कार्य शुरू करने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

बिहार को धन का आवंटन

2735. श्री राजो सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से विद्युत क्षेत्र के लिए योजना आवंटन में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) योजना आयोग ने बिहार सरकार के साथ विचार–विमर्श के बाद वार्षिक योजना 2002–03 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु 275.30 करोड़ रु. के आवंटन को अनुमोदन दिया है। स्पष्टतः यह राशि वार्षिक योजना 2001–02 के लिए

अनुमोदित 61 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में अधिक है।

[अनुवाद]

भांदेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं

2736. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे के भांदेवाड़ी रेलवे स्टेशन सहित कई राज्यों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भांदेवाड़ी स्टेशन पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। लगभग सभी स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। जहां कहीं कुछ कमीबेशी है, वह परिमाणात्मक है, मसलन, एक स्टेशन पर पीने के पानी की कमी तब कहलाएगी जबकि एक विशेष कोटि के स्टेशन पर 12 नलों के मानक के अनुरूप केवल 10 नल ही मौजूद हों, जबकि पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। रेलवे ऐसे मामलों को भी दूर करने पर प्रयास कर रही है।

जहां तक भांदेवाड़ी हाल्ट स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि इस स्टेशन पर निर्धारित मानकों के तहत सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं।

(ग) श्री एम. शिंदे, सचिव, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ईस्ट नागपुर से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) मूत्रालयों तथा बैंचों की व्यवस्था तथा प्रतीक्षालयों में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का निजीकरण

2737. श्री जय प्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह न तो वांछनीय है और न ही जरूरी है।

[अनुवाद]

स्टील्थ फ्रीगेट की खरीद

2738. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के कार्मिक रूसी पोताश्रय से स्टील्थ–फ्रीगेट प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ महीनों से रूस में डेरा डाले हुए हैं;

(ख) क्या फ्रीगेट को दिए जाने में हो रहा विलंब इसकी सतह से आकाश में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण है जिसका रूसियों द्वारा अभी भी उन्नयन किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना ने पहले भी 'तलवार' श्रेणी के फ्रीगेट को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने के पश्चात् फ्रीगेट दिए जाने में हुए विलंब के कारण अपने दल को रूस से वापस बुला लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार ने भारतीय नौसेना के मौजूदा बेड़े को मजबूत करने के लिए रूस से तीन फ्रिगेटों का आयात करने का अनुमोदन दिया है। एक हथियार प्रणाली के असंतोषजनक कार्य–निष्पादन के कारण पहले फ्रिगेट की सुपुर्दगी में विलंब हुआ है। नौसेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण और स्वीकृति परीक्षण में भाग लेने के लिए रूस भेजा गया है। हथियार प्रणाली के असंतोषजनक कार्य–निष्पादन के कारण पहले फ्रिगेट के कर्मी दल को वापस बुलाया जा रहा है।

दूसरे फ्रिगेट के चालक दल को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षणों में विलंब होने के कारण वापस बुलाया गया है।

राजस्व में हिस्सेदारी

2739. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संचालन एवं राजस्व में हिस्सेदारी हेतु निजी पार्टियों के साथ समझौते करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु रेलवे लाइनों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर तमिलनाडु के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में वर्तमान वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आर वी ओ डीलरों के कमीशन में संशोधन

2740. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां आर वी ओ डीलरों के कमीशन में संशोधन के मामले पर विलंब कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो डीलरों पर विलंब का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) तेल कंपनियां कब तक आर वी ओ डीलरों के कमीशन के मामले को अंतिम रूप दे देंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल विपणन कंपनियों ने 1 नवंबर, 2002 से पेट्रोल और डीजल के लिए डीलरों का कमीशन संशोधित कर दिया है। पेट्रोल पर कमीशन 613 रुपए प्रति किलोलीटर (कि.ली.) से बढ़ाकर 639 रुपए प्रति कि.ली. और डीजल पर कमीशन 365 रुपए प्रति कि.ली. से बढ़ाकर 385 रुपए प्रति कि.ली. कर दिया गया है।

पूंजी निवेश पर लाभ

2741. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ह्रास, ब्याज और घाटे की कटौती के बाद निवेश पर कुल लाभ अर्थात् कुल अर्जित लाभ कितना हुआ;

(ख) क्या सरकार द्वारा 1991 में आर्थिक सुधार करने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश पर प्रति प्राप्ति को सुधरने अथवा लाभार्जकता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालसाहिब विखे पाटील) : (क) मूल्यह्रास एवं ब्याज की कटौती के बाद निवल लाभ अर्थात् कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) से संबंधित ब्यौरा संबद्ध वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों के गत तीन वर्षों के घाटे का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000–2001, जिसे दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और जो एक प्रकाशित दस्तावेज है, के विवरण संख्या 7–ख में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य–निष्पादन से संबंधित विविध मापदंडों के बारे में आंकड़े वर्ष 1991 से ही संबद्ध वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिए जाते हैं।

(घ) कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/प्रबंधन द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर स्थिति के अनुसार उद्यम–सापेक्ष उपाय किए जा रहे हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। इनमें से कुछेक उपायों में वित्तीय पुनर्गठन, संयंत्रों एवं मशीनों का

आधुनिकीकरण, बेहतर विपणन रणनीतियां, संयुक्त उद्यमों का गठन, श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण आदि शामिल हैं।

कर्नाटक हेतु रैक

2742. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में विभिन्न अनाजों की निर्यात फर्में रैकों की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में और रैक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त रेलवे रैक उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) बांग्लादेश को अनाज भेजने के लिए कर्नाटक में अनुरोध प्राप्त हुआ है। कर्नाटक से बांग्लादेश को निर्यात अनाज/खाद्यान्न भेजने के लिए रैकों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, बांग्लादेश रेलवे की स्वीकार्य क्षमता सीमित है। भारतीय रेल पर रैकों के लिए अधिक मांग के दृष्टिगत, बांग्लादेश में सभी गंतव्यों के लिए लदान को विनियमित करना पड़ा है।

आवासीय परिसरों का निर्माण

2743. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सी सी पी ए की मंजूरी से हैदराबाद में कॉमन निरीक्षण एजेंसी की स्थापना को मंजूरी इस शर्त के साथ दी थी कि आवासीय परिसरों के निर्माण पर कोई खर्चा नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सी सी पी ए के विशिष्ट प्रतिबंध के बावजूद और उनके पास पहले से उपलब्ध अतिरिक्त आवास की अनदेखी करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा 3.19 करोड़ रुपए की लागत से 28 मैरिड क्वार्टरों के निर्माण को नोट किया है;

(ग) यदि हां, तो सी सी पी ए के विशिष्ट प्रतिबंध का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं;

(घ) सरकार द्वारा सी सी पी ए के प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विवाहित कार्मिकों के लिए जिन 28 मकानों का निर्माण किया गया है, वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्मिकों के लिए विवाहित के वास्ते प्राधिकृत आवासों के अंतर्गत बनाए गए हैं और उनका निर्माण ऐसे आवासों की मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पास कोई अधिशेष आवास नहीं है। वस्तुतः वहां पर आवासों की कमी है।

(ग) सरकारी अनुदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

संचित शेषों में गंभीर चूक

2744. श्री रामजी मांझी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन के बकाया बिलों के रजिस्टरों को वर्षवार रखा जाता था लेकिन बकाया राशि को संचित शेषों में अग्रेनित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अगस्त, 2001 में 1997–98 से 2000–2001 वर्षों से संबंधित 363.51 करोड़ रुपए के बिल बकाया थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 2001 तक उस पर 157.94 करोड़ रुपए की ब्याज राशि देय हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस गंभीर चूक के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है; और

(घ) बकाया धनराशि को संपूर्ण ब्याज सहित वसूल करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन बनाए

गए बिलों की राशि और प्राप्त किए गए भुगतान के पूर्ण विवरण को दर्शाने वाला कार्यक्रमवार और एजेंसीवार एक खाता रख रहा है। प्रत्येक एजेंसी की ओर वर्षवार बकाया का भी हिसाब–किताब रखा जाता है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या–2 (सिविल) में यह कहा है कि बकाया बिल रजिस्टर वर्षवार रखे गए थे और बकाया को संचयी शेष में पहुंचाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया था और अगस्त, 2001 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक के वर्षों के 363.51 करोड़ रुपए के बिल बकाया थे।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैरा की प्रसार भारती के परामर्श से जांच की जा रही है।

(घ) बकाया की मासिक आधार पर मानीटरिंग की जाती है और एजेंसियों को बकाया देयताओं को निपटानें के लिए नियमित रूप से अनुस्मारक दिए जाते हैं। किसी भी चूककर्त्ता एजेंसी/निर्माता को कोई नए कार्यक्रम आवंटित नहीं किए गए हैं। जिन एजेंसियों और निर्माताओं की ओर बकाया हैं उन्हें बकाया चुकाने की भुगतान योजना का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। चूककर्त्ता एजेंसियों को केवल अग्रिम भुगतान आधार पर उनके कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाती है। चूककर्त्ता एजेंसियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

जगुआर विनिर्माताओं से महत्वपूर्ण डाटा हेतु संपर्क

2745. श्री नरेश पुगलिया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मिग–21 और जगुआर विमानों की पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण गत तीन वर्षों में विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विमानों के विनिर्माताओं ने भारतीय विनिर्माताओं को अभिकल्पन संबंधी डाटा उपलब्ध नहीं कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय वायुसेना ने जगुआर विमान के विनिर्माताओं, ब्रिटिश एरोस्पेस से उस महत्वपूर्ण डाटा हेतु संपर्क किया है जिससे कि अम्बाला के निकट पांच नवम्बर को हुई दुर्घटना के कारणों को समझने में सहायता मिल सकती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ब्रिटिश एरोस्पेस से उक्त महत्वपूर्ण डाटा के कब तक प्राप्त होने और प्रक्रमित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि, भारतीय वायुसेना ने 5 नवंबर, 2002 को हुई जगुआर दुर्घटना की जांच कर रही जांच अदालत की मदद करने के लिए इसी प्रकार की विमान दुर्घटनाओं, जो ब्रिटेन नें हुई हों, के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए रॉयल एयर फोर्स तथा ब्रिटिश एयरोस्पेस से संपर्क किया है।

[हिन्दी]

रेलवे आरक्षण में छात्रों को किराये में रियायत

2746. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामशकल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे छात्रों को किराये में रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सुविधा का कितने छात्रों ने लाभ उठाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों के छात्रों को छुट्टियों के दौरान गृह नगर तक यात्रा करने और शैक्षणिक दौरों पर यात्रा करने के लिए मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के द्वितीय एवं शयनयान श्रेणी के किरायों में 50% की रियायत दी जाती है। बहरहाल, अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी रियायत से इतर

50% की अन्य रियायत अर्थात् कुल 75% की रियायत दी जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान यात्री आरक्षण प्रणाली से जारी किए गए कंप्यूटरीकृत टिकटों पर जिन विद्यार्थियों ने रियायत प्राप्त की, उनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार है :

1999–2000	21,42,108
2000–2001	23,60,466
2001–2002	25,97,687

[अनुवाद]

बहुउपयोगी वाहनों की बिक्री

2747. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परम्परागत वाहनों की तुलना में बहुउपयोगी वाहनों की बिक्री अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में बहुउपयोगी वाहनों हेतु सड़कों की हालत अत्यधिक अनुकूल है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस श्रेणी के देश में विनिर्मित वाहनों तथा आयातित वाहनों दोनों के लिए इस क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन की कल्पना की जा रही है अथवा प्रदान किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यूफेक्चर्रस (एसआईएएस) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बहुउपयोगी वाहनों (एमयूवी) की बिक्री देश के ग्रामीण और अर्ध–शहरी (Semi-urban) क्षेत्रों के परम्परागत वाहनों की तुलना में अधिक है। ग्रामीण सड़कों और उबड़–खाबड़ सड़कों (Rough terrains) पर दौड़ने के लिए परंपरागत वाहनों से बहुउपयोगी वाहनों के कुछ डिजाइन के लाभ अधिक हैं।

(ग) और (घ) सरकार की ऑटो नीति यातायात के लिए एक किफायती ~~होने~~ के कारण बहुउपयोगी वाहनों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के लिए विचारणीय है।

[हिन्दी]

रेल यात्रियों के सामान की चोरी

2748. श्री रामटहल चौधरी :
श्री मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा करते समय अनेक रेल यात्रियों के सामान की चोरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है और प्रत्येक मामले में कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) इस संबंध में जोनवार कितने रेल अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चलती गाड़ियों तथा रेल परिसरों में यात्रियों व उनके सामान की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। रेलों पर होने वाले अपराध की रिपोर्ट राजकीय रेल पुलिस को की जाती है। उनके द्वारा मामला दर्ज किया जाता है तथा उनके द्वारा ही जांच की जाती है। रा.रे.पु. द्वारा दिए गए अपराध आंकड़े केवल राज्य–वार उपलब्ध हैं। बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	यात्रियों के सामान की चोरी के कुल रिपोर्ट किए गए मामले
1999	13711
2000	10672
2001	11765

यात्रियों के सामान की स्टेशन पर या गाड़ी में हुई चोरी का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

(ग) यद्यपि यात्रियों द्वारा स्वयं ले जाए जा रहे सामान की चोरी की रोकथाम और पता लगाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है तथापि ऐसे मामलों में जब कभी कर्त्तव्य

में ढिलाई का विशेष आरोप रेल प्राधिकारियों के विरुद्ध लगाया जाता है तब उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रचलन में हैं--

1. रेल सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों और रेलवे परिसरों से असामाजिक तत्वों को हटाया जा रहा है।
2. सवारी डिब्बा परिचरों/चल टिकट परीक्षकों द्वारा रेलों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों पर समुचित निगरानी रखी जा रही है और चलती गाड़ियों में, विशेषकर रात्रि के समय सवारी डिब्बों को ठीक ढंग से बंद कर दिया जाता है।
3. गाड़ी के गार्ड/स्टेशन मास्टर/रे.सु.ब. के पास एफ.आई.आर. फार्म उपलब्ध कराए गए हैं ताकि यात्रियों को अपनी रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराने में सुविधा हो।
4. रे.सु.ब. और रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना तथा अपराध आसूचना का आदान-प्रदान सभी स्तरों पर किया जाता है।
5. यात्रियों को उनके सामान आदि की चोरी से उन्हें सावधान करने हेतु महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और सी.सी.टी.वी. के माध्यम से उद्घोषणा।
6. चलती गाड़ियों में जहां कहीं भी राज्य सरकार अपनी मोबाइल चौकी स्थापित करना चाहे तो उन्हें आवश्यक सुविधाएं जैसे स्थान आदि उपलब्ध कराया जाता है।
7. उपयुक्त निवारक उपाय के लिए रेलों पर अपराध की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए राजकीय रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ आवधिक उच्च स्तरीय समन्वय बैठकों का आयोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

सेना अधिकारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2749. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी 10.0 लाख से 20 लाख तक के वित्तीय पैकेज सहित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए पात्र हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की इन 2000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर सृजित रिक्तियों को भरने की योजना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अफसरों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार को जाने वाली रेलगाड़ियों हेतु नई समय सारणी

2750. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों की समय सारणी में संशोधन करने और उन पर गति सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार द्वारा दोषपूर्ण रेल पटरियों और कमजोर पुलों के मामले में भी रेलगाडियों की गति पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी रेलपटरियों और पुलों की शीघ्र मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात के तौर पर पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद, मुगलसराय तथा दानापुर

मंडलों तथा पूर्व रेले के मधुपुर–झाझा खंड पर रात के समय गति पर अस्थायी रूप से 75 कि.मी./घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के समयपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) रेलपथ और पुलों की हालत के मद्देनजर अस्थायी रूप से गति पर प्रतिबंध लगाया जाता है और यह गति प्रतिबंध कुछ समय के लिए चौबीसों घंटे लागू रहता है और इस प्रकार के गति प्रतिबंधों पर जाया हुआ समय आमतौर पर अनुमेय इंजीनियरी समय–सीमा के भीतर ही होता है और इससे समय–सारणी में तब्दीली करने की कोई जरूरत नहीं है।

(घ) और (ङ) रेलपथ और पुलों पर मरम्मत संबंधी कार्य को निपटाने के लिए गति पर अस्थायी तौर से प्रतिबंध लगाया जाता है और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह एक सतत प्रक्रिया होती है। परिवर्तन/सुदृढ़ीकरण के जरिए इस प्रकार के अस्थायी गति प्रतिबंधों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

दक्षिण मध्य रेलवे से नान्देड़ मंडल को अलग करना

2751. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण मध्य रेलवे के नान्देड़ मंडल का मध्य रेलवे में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निर्माली और सरायगढ़ के बीच रेल लाइन का निर्माण

2752. श्री पी. सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने निर्माली–सरायगढ़ रेल लाइन के निर्माण का उद्घाटन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या बिहार में कोसी नदी पर रेल और सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) कोसी नदी पर कामन गाइड बांध के साथ पृथक् पटरी तथा सड़क पुल और संरक्षण कार्य शुरू करने संबंधी प्रस्तावों की जांच की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जल एवं बिजली अनुसंधान स्टेशन, पुणे को हाइड्रोलिक मॉडल के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है और अध्ययन प्रगति पर है। कोसी नदी पर रेल पुल सहित निर्माली–भपतियाही रेल लाइन की बहाली के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर दिया गया है तथा प्रक्रियाधीन है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क पुलों की योजना बनाई जा रही है।

पन्ना, मुक्ता और ताप्ती गैस/तेल क्षेत्रों पर ओएनजीसी का नियंत्रण

2753. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पन्ना, मुक्ता और ताप्ती तेल क्षेत्रों के स्वामित्व अधिकार पर विवाद के बारे में 21 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2867 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पन्ना, मुक्ता और ताप्ती गैस/तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पन्ना-मुक्ता तथा ताप्ती क्षेत्रों में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) का 40 प्रतिशत प्रतिभागिता हित है तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) एवं ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) लि. (बीजीईपीआईएल) प्रत्येक की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जब तक कि प्रचालक संबंधी मुद्दे का समाधान हीं हो जाता है, तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में इन क्षेत्रों का प्रचालन बीजीईपीआईएल द्वारा किया जाता रहेगा।

[हिन्दी]

अमरीका के साथ संयुक्त अभ्यास

2754. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के पैराट्रूप्स ने अक्तूबर, 2002 से अलास्का में अमरीकी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यासों में कितने भारतीय सैन्य कर्मियों ने भाग लिया;

(ग) क्या ऐसे अभ्यासों को भारत में आयोजित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारतीय सेना के पैराट्रूपरों ने संयुक्त राज्य अमरीका के अलास्का में अमरीकी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। इस अभ्यास में एक प्लाटून ने एक आई एल-76 वायुयान के साथ भाग लिया था। मई, 2002 में हुई भारत-अमरीकी रक्षा नीति समूह और सैन्य सहयोग समूह की बैठकों के परिणामस्वरूप दिसंबर, 2002 में आयोजित होने वाली कार्यपालक संचालन समिति की आगामी बैठक में दोनों देशों की विशेष सेनाओं और पैराट्रूपरों के बीच किए जाने वाले भावी अभ्यास को अंतिम रूप दिया जाएगा। अप्रैल, 2003 में जंगल क्षेत्र में अमरीकी विशेष सेनाओं के साथ एक संयुक्त अभ्यास की योजना बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

तीव्र गति से चलने वाली मालगाड़ियां

2755. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कंटेनरों की ढुलाई के लिए कुछ खंडों पर तीव्र गति से चलने वाली मालगाड़ियां शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इन तीव्र गति से चलने वाली मालगाड़ियों से गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी आय अर्जित की गई है;

(घ) क्या लाभार्जकता और व्यवहार्यता के मद्देनजर सरकार का विचार अन्य खंडों पर ऐसी कुछ रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इन गाड़ियों की गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(छ) सरकार द्वारा खनिज क्षेत्रों में तीव्र गति के माल डिब्बों वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय कंटेनर निगम लि. (कॉनकोर) ने भारतीय रेल के कुछ खंडों जैसे लुधियाना-दिल्ली-तुगलकाबाद-जवाहरलाल नेहरू पत्तन (मुंबई), अहमदाबाद-बड़ोदरा-जवाहरलाल नेहरू पत्तन (मुंबई), दिल्ली-जयपुर/जोधपुर-जवाहरलाल नेहरू पत्तन (मुंबई) आदि पर अंतर्राष्ट्रीय यातयात के संचलन हेतु उच्च गति की कंटेनर गाड़ियां प्रारंभ की हैं।

(ग) उच्च गति रेकों की पृथक् से आमदनी नहीं रखी जाती है, बहरहाल, उच्च गति कंटेनर गाड़ियां चलाने से रेलवे और कॉनकोर को अंतर्देशीय क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने तथा

कम पारवहन समय में कंटेनरों की सम्हलाई तथा चल स्टॉक के फेरों में वृद्धि हो सकी है तदनुसार उच्चतर मात्रा में संचालित किए जा रहे यातायात के कारण रेलों की माल यातायात से आमदनी में वृद्धि हुई है जो उच्च गति की गाड़ियों के चलाने के कारण हुई है।

(घ) और (ङ) कॉनकोर की अन्य खडों जैसे दिल्ली–चेन्नई, दिल्ली–बेंगलूर, बेंगलूर–जवाहरलाल नेहरू पत्तन (मुंबई), मुंबई–चेन्नई, चेन्नई–कोलकाता आदि, पर भी ऐसी गाड़ियां शुरू करने की योजना है।

(च) इनके प्रारंभ से, इन गाड़ियों की कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(छ) खनिजों की दुलाई के लिए भारतीय रेल पहले से ही उच्च गति मालडिब्बों वाली मालगाड़ियां चला रही है।

[हिन्दी]

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा लाभार्जन

2756. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो एकक–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय सीमेंट निगम के विनिवेश के पश्चात् भारत सरकार के पास इसकी कितनी शेयर धारिता बची रहेगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की दस इकाइयां हैं जिनमें से सात इकाइयां अप्रचलानात्मक हैं और तीन प्रचालन में हैं। केवल एक इकाई लाभार्जन कर रही है। विवरण निम्नानुसार हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान सीसीआई द्वारा लगातार घाटा

(रुपए करोड़ में)

1999–2000	216.91
2000–2001	230.76
2001–2002	215.33

इकाई वार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	यूनिट	शुद्ध लाभ/हानि		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	मंढार	–1,521	–1,616	–1,570
2.	कुरकुंटा	–1,637	–1,392	–1,383
3.	बोकाजन	35	150	100
4.	राजबन	–524	–432	–223
5.	नयागांव]	–7,150	–7,473	–7760
6.	दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट]			
7.	अकलतारा	–2,627	–2,544	–2,919
8.	चरखी दादरी	–1,296	–1,406	–1,097
9.	अदिलाबाद	–2,250	–2,793	–3,101
10.	तंदूर	–4,549	–5,302	–3,595
	कारपोरेट कार्यालय (अनावंटित)	–172	–268	15
	कुल	–21,691	–23,076	–21,533

(ग) बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत सीसीआई को रुग्ण घोषित कर दिया है। बीआईएफआर जो कि एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, ने सीसीआई को पूर्णरूप से या इसके संयंत्रों को पृथक् रूप से या सामूहिक रूप से बेचने का पहले ही निदेश दे दिया है।

[अनुवाद]

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र को बंद किया जाना

2757. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र का 'ए' संयंत्र गत दो वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमाह हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के 'ए' संयंत्र को फिर से चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का बोकारो 'ए' ताप विद्युत केन्द्र (3 × 45 मे.वा. + 1 × 40 मे.वा.) प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की पूर्ति नहीं होने के कारण जुलाई 2000 से बंद है। इन यूनिटों में मैकेनिकल डस्ट इन्हें चालू किए जाने के समय उपलब्ध तकनीक के अनुसार ही लगाया गया था। परिणामस्वरूप चिमनी का उत्सर्जन स्तर निर्धारित सीमा से काफी अधिक था।

(ख) इन सभी यूनिटों का आर्थिक जीवन पूरा हो चुका है और इन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं माना है। अतः संयंत्र के प्रचालन नहीं होने से वित्तीय हानि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) और (घ) बीटीपीएस 'ए' संयंत्र को पुनः आरंभ करने/पुनरुद्धार करने का काम डीवीसी के प्राथमिकता एजेंडा में रखा गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार कार्यक्रम के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इन यूनिटों को पुनः आरंभ करने की दृष्टि से इन पर निर्माण कार्य शुरू करने के संबंध में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब इनका प्रचालन शुरू करने के संबंध में तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता प्रमाणित हो जाए।

[हिन्दी]

बायो-डीजल का उत्पादन

2758. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पौधों के बीजों से बायो–डीजल का उत्पादन करने के उद्देश्य से रेल लाइनों के साथ–साथ खाली भूमि पर सैंपलिंग पौधे लगाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त कार्य दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह से उत्पादित बायो डीजल के किफायती और पर्यावरण हितैषी होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में बायो डीजल को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में किए गए अनुसंधान और विकास अध्ययनों की प्रगति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) तथा भारतीय रेलवे ने रेलवे की अधिशेष भूमि पर आदर्श वृक्षारोपण परियोजना आरंभ करने की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना की है। यह परियोजना लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर जटरोफा करकस का रोपण करते हुए आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) चूंकि इस परियोजना को माप–व्यवस्था का लाभ प्राप्त नहीं होगा इसलिए प्रायोगिक अध्ययन के लिए उत्पादित बायो–डीजल, डीजल की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होगा। चूंकि इसमें गंधक अंश शून्य है तथा कोई सुगन्धित द्रव्य नहीं है, इसलिए बायोडीजल पर्यावरण अनुकूल है। इसके अतिरिक्त कार्बन–मोनो–आक्साइड के उत्सर्जन में कमी होती है।

(ङ) सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(च) अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों ने निर्दिष्ट किया है कि बायो–डीजल, डीजल की चिकनाहट की वृद्धि करता है और यह मिश्रित ईंधन पर्यावरण अनुकूल है।

[अनुवाद]

गैस और तेल संबंधी आयात नीति की समीक्षा

2759. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में के.जी. बेसिन में आर.आई.एल. द्वारा बड़ी मात्रा में गैस का पता लगाए जाने के मद्देनजर गैस और तेल संबंधी अपनी आयात नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसके क्षेत्रों से गैस और तेल हासिल करने के लिए आरआईएल के साथ समझौता करने पर विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. को अनुमति

2760. डा. वी. सरोजा :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डी.टी.एच. (डायरेक्ट-टू-होम) टेलीविजन सेवाओं की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं को कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ङ) 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में कितने सेवा प्रदाता डी.टी.एच. सेवाएं प्रदान कर रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। डी.टी.एच. सेवा प्रारंभ करने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश मार्च, 2001 में जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं--

- लाइसेंसधारक कंपनी भारतीय अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होगी।
- लाइसेंसधारक सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करेगा।
- प्रतिस्थापन, अनुरक्षण तथा लाइसेंसधारक की सेवाओं के संचालन हेतु लाइसेंसधारक द्वारा नियुक्ति, ठेका, परामर्श आदि के तरीके से नियुक्त किए जाने वाले सभी विदेशी व्यक्तियों को उनकी तैनाती से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- डी.टी.एच. द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सारी विषयवस्तु चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, को भारतीय भूमि पर स्थित भू-केन्द्र के अन्दर स्थापित, सामान्य एनक्रिप्शन तथा अभिगमन प्रणाली के जरिए गुजरना होगा।
- लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी सुविधाओं का किसी आपत्तिजनक या अश्लील विषयवस्तु, भारत के कानूनों के विपरीत संदेश या सूचना के प्रसारण के लिए उपयोग न हो।
- लाइसेंसधारक को अपने स्वयं की लागत पर डी.टी.एच. प्रसारण सेवा की लगातार मॉनीटरिंग के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराना तथा प्रसारण की तारीख से 90 दिन की अवधि तक प्लेटफार्म पर प्रसारित कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों के रिकार्डिंग रखना होगा और जब भी लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांगे जाने पर, इसे उपलब्ध कराना होगा।
- लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत

प्रतिनिधि द्वारा मांगे जाने पर लाइसेंसधारक के क्रिया–कलापों एवं संचालनों के किसी विशेष पहलू की लगातार मॉनीटरिंग हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया करेगा।

- आवेदक को डी.टी.एच. दिशानिर्देश में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित है और यह संबंधित विभागों से सुरक्षा और तकनीकी अनापत्ति प्रमाणपत्र के अधीन भी है।

ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट एमआईबी.एनआईसी. इन. पर भी उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में डी.टी.एच. सेवा प्रारंभ करने के लिए अनुमति मांगने संबंधी दो आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) वर्तमान में, देश में कोई डी.टी.एच. सेवा प्रदाता नहीं है।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग

2761. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस में रक्षा सहयोग हेतु समिति की वार्षिक बैठक में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहमति हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई; और

(घ) रक्षा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में क्या उपलब्धि रही?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा सहयोग संबंधी भारत–फ्रांस उच्चस्तरीय समिति की 5वीं बैठक नवंबर, 2002 के दौरान पेरिस में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया।

(ग) और (घ) भारत–फ्रांस रक्षा सहयोग की दिशा में प्राप्त उपलब्धि/अभिज्ञात क्षेत्रों के बारे में ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

रक्षा सामग्रियों की खरीद

2762. डा. अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा क्षेत्र हेतु गठित मंत्रियों के समूह ने रक्षा सामग्री की खरीद हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मंत्रियों के समूह ने उच्च कोटि की व्यवसायिकता और लागत किफायत को सुकर बनाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशस्त्र बलों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए, जिससे बेहतर संक्रियात्मक दक्षता प्राप्त हो, प्रक्रिया निर्धारितर किए जाने सहित अधिप्राप्ति से संबंधित समस्त कार्यों को करने के लिए एक पृथक् तथा समर्पित संस्थागत ढांचा अर्थात् रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

रिलायंस की पाइपलाइन परियोजना

2763. श्री जी. जे. जावीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस कंपनी देश के पूर्वी तटों को पश्चिमी तटों के साथ जोड़ने हेतु एक गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने सरकार को उपयोग के अधिकार हेतु भी आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मैसर्स गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जीटीआईसीएल) जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी है, दो पाइपलाइन परियोजनाओं, अर्थात् (1) गोवा–हैदराबाद–काकीनाडा पाइपलाइन परियोजना तथा (2) जामनगर–भोपाल पाइपलाइन परियोजना, चरण–1 जिसका चरण–2 में कटक, उड़ीसा तक विस्तार किया जाएगा, का कार्यान्वयन कर रही है।

उपर्युक्त पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम तथा खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

दूरदर्शन की कार्यक्रम निर्माण सुविधा

2764. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की सुविधा की मंजूरी दी है/मंजूरी देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में राज्य–वार, स्थान–वार, केन्द्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक चालू किए जाने/पुनः चालू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में 12 स्टूडियो परियोजनाएं कार्यान्वयाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उपरोक्त स्टूडियो परियोजनाओं के चरणबद्ध रूप से अगले तीन वर्षों के दौरान पूरा हो जाने चालू हो जाने की आशा है।

विवरण

वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन स्टूडियो परियोजनाएं

1. कालीघाट (केरल)
2. पटियाला (पंजाब)
3. गंगटोक (सिक्किम)
4. वारंगल (आंध्र प्रदेश)
5. राजौरी (जम्मू–कश्मीर)
6. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
7. मदुरै (तमिलनाडु)
8. दिल्ली (दूरदर्शन भवन फेस–II)
9. देहरादून (स्थायी स्थापना) (उत्तरांचल)
10. गोरखपुर (स्थायी स्थापना) (उत्तर प्रदेश)
11. रांची (संवर्धन) (झारखंड)
12. रायपुर (संवर्धन) (छत्तीसगढ़)

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा की आपूर्ति

2765. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष देश के विभिन्न शहरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के नासिम जिले को वर्षवार प्रदान कराई गई सौर ऊर्जा की प्रतिशतता कितनी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में जल तापकों, सौर रोशनियों, सौर पंपों और सौर कुकरों जैसे सौर ऊर्जा उत्पादों का संवर्धन किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों में से, सौर जल तापकों के अनुप्रयोग शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- उपयोगकर्त्ताओं द्वारा इस प्रकार की प्रणालियों की खरीद में वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और कुछ मनोनीत बैंकों के माध्यम से एक उदार ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- सौर चालित जल तापन प्रणालियों को अनिवर्य बनाने के लिए भवन उप–नियमों के एक मॉडल संशोधन

को सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। नगरपालिकाओं/कारपोरेशनों को अपने भवन उप–नियमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की एक योजना प्रारंभ की गई है।

(ख) नासिक जिले में कई सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं। तथापि, जिले में खपत की गई कुल ऊर्जा की तुलना में इन प्रणालियों से उत्पादित ऊर्जा अभी संतोषजनक नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान नासिक में स्थपित सौर ऊर्जा की संख्या का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जाता है–

प्रणाली/वर्ष	1999–2000	2000–2001	2001–2002
सौर जल तापक (लीटर प्रतिदिन)	4000	10700	25375
सौर कुकर (संख्या)	10	10	30
सौर सड़क रोशनी (संख्या)	–	10	15
सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	18	28	15
सौर लालटेन (संख्या)	243	71	60

[अनुवाद]

मुकदमेबाजों को त्वरित न्याय

2766. श्री चिंतामन वनगा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुकदमेबाजों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु सुधारों की सिफारिश करने हेतु न्यायमूर्ति कालीमठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

दांडिक न्यायिक प्रणाली के पुनर्सुधार के लिए उपायों पर विचार करने और सरकार के विचारार्थ सिफारिशें करने के लिए न्यायमूर्ति श्री वी. एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दांडिक न्याय प्रणाली के पुनर्सुधार के लिए न्यायमूर्ति श्री वी. एस. मलिमथ समिति के विचारार्थ विषय।

(i) दांडिक विधि शास्त्र के मूल सिद्धांतों की, जिनके अंतर्गत दांडिक विधि शास्त्र से संबंधित सांविधानिक उपबंध भी हैं, समीक्षा करना और यह देखना कि क्या उनमें कोई उपांतरण या संशोधन उपेक्षित है;

(ii) दांडिक विधि शास्त्र के मूल सिद्धांतों और पहलुओं के संबंध में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस बात की समीक्षा करना कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पुनः प्रारूपित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें समय की मांग और भारत की जनता की आकांक्षाओं के सामंजस्य के अनुरूप बनाया जा सके;

(iii) न्यायिक प्रक्रियाओं और परिपाटियों को सरल बनाने और सामान्यजन को निकटतर, त्वरित, अजटिल और कम खर्चीला न्याय प्रदान कराने के लिए विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

(iv) न्यायपालिका, अभियोजन और पुलिस के बीच ऐसे तालमेल का विकास करने के लिए उपायों का सुझाव देना, जिससे कि निर्दोष और व्यथित व्यक्तियों का संरक्षण करके और दोषी अपराधी व्यक्तियों को बिना किसी ढील के दंड देकर दांडिक न्याय प्रणाली में साधारण व्यक्ति की आस्था को पुनःस्थापित किया जा सके;

(v) अन्वेषण और विचारण के प्रक्रमों पर वृत्तिक रूपरेखा के आधार पर लंबित मामलों का प्रबंध करने और पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका को उनके अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में विलंब के लिए

जवाबदेह बनाने हेतु ठोस प्रणाली का सुझाव देना; और

(vi) 'संघीय अपराध' की अवधारणा को आरंभ करने की संभाव्यता की समीक्षा करना, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में रखा जा सके।

पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय समाचार-पत्रों को निधियां देना

2767. श्री के. ए. सांगतम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापनों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षात्कार और सेवा मामलों से संबंधित विज्ञापनों के संबंध में क्षेत्रीय समाचार–पत्रों को निधियां आवंटित करने में विफल रहा था;

(ख) यदि हां, तो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पास लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित मामलों को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में भविष्य के लिए क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दर्जे की पुनरीक्षा

2768. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दर्जे की पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के और अधिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समय–समय पर मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के और उपक्रमों को नवरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली तैयार की गई है। इस उद्देश्य के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। सरकारी क्षेत्र के वर्तमान नवरत्न उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना तथा सरकारी क्षेत्र के और उपक्रमों को नवरत्न दर्जा प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करना

2769. श्री रामदास आठवले : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के आदिवासी और ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह इकाई कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) फिलहाल नई रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण

2770. श्री दिलीकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निकट अपने बीआरडीई प्रतिष्ठान के लिए भूमि अधिग्रहीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन गांवों से भूमि अधिग्रहीत की जानी है;

(घ) क्या गांव वाले भूमि के अधिग्रहण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली

2771. श्री रामशकल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित राज्य–वार कितने रेलवे स्टेशनों पर 'राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली' लागू की गई है;

(ख) क्या प्रणाली में संतोषजनक उत्तर की कमी के कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में पूछताछ प्रणाली की जवाबदेही तय करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इस पर निगरानी रखी जा रही है। इसकी मानीटरिंग और पर्यवेक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है और जैसा उचित समझा जाता है, निवारक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली वाले स्टेशनों की संख्या
1	2	3
1.	असम	2
2.	आंध्र प्रदेश	11
3.	बिहार	11
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	दिल्ली	3
6.	गुजरात	6
7.	गोवा	1
8.	हरियाणा	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	झारखंड	4
11.	कर्नाटक	5
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	19
14.	महाराष्ट्र	25
15.	उड़ीसा	6
16.	पंजाब	6
17.	राजस्थान	7
18.	तमिलनाडु	8
19.	उत्तर प्रदेश	18
20.	उत्तरांचल	2
21.	पश्चिम बंगाल	11

जम्मू-कश्मीर में चुनावों को बाधित करना

2772. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू–कश्मीर विधान सभा चुनावों के अंतिम चरण के दौरान चुनावों को बाधित करने के प्रयास किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और चुनावों में बाधा पहुंचाने में किन लोगों के शामिल होने का संदेह है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना

2773. श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उम्मीदवारों को लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई विधेयक संसद में पुरःस्थापित किए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय

2774. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय नौवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय से बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना परिव्यय बढ़ाया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नौवीं योजना के 2843.05 करोड़ रुपए (प्रत्यक्ष बजटीय सहायता : 680.05 करोड़ रुपए + अंतरिम एवं अतिरिक्त बजटीय स्रोत : 2163.00 करोड़ रुपए) की तुलना में दसवीं योजना का परिव्यय (प्रत्यक्ष बजटीय सहायता : 2380 करोड़ रुपए + अंतरिम एवं अतिरिक्त बजटीय स्रोत : 2750 करोड़ रुपए) है।

बी.ए.के. लूप लाइन

2775. श्री अब्दुल हसनत खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की बी.ए.के. लूप लाइन का रेल पथ यातायात के लिए असुरक्षित हो गया है;

(ख) क्या रेल लाइन पर गाड़ी के पटरी से उतर जाने और इसके धस जाने की घटनाएं हो रही हैं तथा इस बी.ए.के. लूप लाइन पर यात्री रेल गाड़ियों की गति केवल 35 कि.मी. प्रति घंटे के लगभग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। गत एक वर्ष के दौरान, बरहरवा–अजीमगंज–कटवा (बी ए के) खंड पर गाड़ी के पटरी से उतरने की केवल एक घटना हुई थी। इस खंड में गाड़ियां 60 कि.मी. प्रति घंटे की औसत गति से चल रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलपथ की मरम्मत तथा अनुरक्षण एक सतत कार्यकलाप है। नियमित अनुरक्षण के अलावा, जब कभी अपेक्षित होता है निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रेलपथ का नवीकरण भी किया जाता है। कुछ मामलों में, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त गति प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। बी.ए.के. खंड के अधिकतर खंडों पर, जहां रेलपथ नवीकरण बकाया है, को पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान, इस खंड पर रेलवे के लिए पटरी नवीकरण का 17 कि.मी. तथा स्लीपर नवीकरण का 7 कि.मी. का लक्ष्य है। कार्य प्रगति पर है।

बोडो जनजातीय क्षेत्रों में दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्र

2776. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोडोलैंड क्षेत्र विशेषकर भारत–भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों के भीतर बोडो–जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कुछ और नए आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) इस समय धुबरी जिले के सत्रसाल में दूरदर्शन का एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है। प्रस्तावित विशेष पूर्वोत्तर पैकेज के अंतर्गत बोडो जनजातीय बहुल क्षेत्रों में दूरदर्शन की और परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इन क्षेत्रों को असम में स्थित कोकराझार, धुबरी और गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में सिलीगुडी, सिक्किम में गंगटोक तथा अरुणाचल प्रदेश में तावांग स्थित केन्द्रों से आकाशवाणी के रेडियो सिगनलों द्वारा अच्छी तरह कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला में एक एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाने की योजना है।

रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा

2777. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
डा. मंदा जगन्नाथ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है और भोजन की कितनी कीमत निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा में एक फूड प्लाजा पहले ही आवंटित कर दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, सिकन्दराबाद, तिरुपति, गुंटूर, नेल्लोर तथा राजामुंद्री में छह और स्टेशनों पर फूड प्लाजा खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) भूमि की उपलब्धता तथा उपयुक्त आपरेटर के अध्यधीन फूड प्लाजा खोले जाते हैं, दरें बाजार के अनुरूप होंगी।

बाधित विद्युत क्षेत्र हेतु वित्तीय अनुदान

2778. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाधित विद्युत क्षेत्र को पुनः पटरी पर लाने के लिए विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान कराने हेतु उड़ीसा सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने विद्युत क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सुधार हेतु दिनांक 1.6.2001 को विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत उड़ीसा को वर्ष 2000–01 के दौरान नवीकरण व आधुनिकीकरण/नवीकरण तथा उच्चीकरण के लिए 38 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई है। उप–पारेषण व वितरण के अंतर्गत मीटरिंग व वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए वर्ष 2002–03 में 14.72 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

[हिन्दी]

राजस्थान में परिवहन कंपनियों को ठेका

2779. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले में सलावास ऑयल डिपो से कितनी परिवहन कंपनियों को ठेका मिला है;

(ख) परिवहन कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कंपनियों से कितना भुगतान प्राप्त हुआ; और

(ग) उन परिवहन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान जोधपुर जिले में सलावास ऑयल डिपो से तथा गुजरात में कांडला बंदरगाह से पेट्रोल को लेकर गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले में सालावास तेल डिपो से तेल का परिवहन करने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा संविदा पर ली गई परिवहन कंपनियों और उनको दी गई राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	परिवहन कंपनियों की सं.	दी गई धनराशि (करोड़ रुपए)
अक्तूबर 1999–सितंबर 2000	179	17.69
अक्तूबर 2000–सितंबर 2001	219	23.05
अक्तूबर 2001–सितंबर 2002	224	25.75

(ग) उन परिवहन कंपनियों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले में सालावास डिपो और गुजरात में कांडला पत्तन से पेट्रोल का परिवहन किया :

वर्ष	सालावास डिपो	कांडला पत्तन
अक्तूबर 1999–सितंबर 2000	179	173
अक्तूबर 2000–सितंबर 2001	219	223
अक्तूबर 2001–सितंबर 2002	224	203

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

2780. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मिट्टी का तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम उत्पादों पर वार्षिक रूप से कुल कितनी राजसहायता दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का इन मदों पर राजसहायता समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इस समय केवल पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर सरकार द्वारा राजसहायता दी जा रही है। वर्ष 2002–03 के लिए 'पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर राजसहायता' तथा 'दूरदराज क्षेत्रों के लिए पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर भाड़ा राजसहायता' हेतु बजटीय आवंटन क्रमशः 4495.80 करोड़ रुपए तथा 239.14 करोड़ रुपए है। पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर राजसहायता अगले 3 से 5 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में लंबित विद्युत संयंत्र

2781. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मध्य प्रदेश में बहुत–सी विद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव अथवा सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार से अ... अधिक विद्युत उत्पादन करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश में स्थापित की जाने वाली उन विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रस्तावों के ब्यौरे, जो तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जाचाधीन है, नीचे दिए गए हैं

परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अभ्युक्ति
संजय गांधी टीपीएस विस्तार, राज्य क्षेत्र	500	के.वि.प्रा. द्वारा दी गई टिप्पणी के अनुसार परियोजना के संशोधित तकनीकी एवं लागत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने थे।
मालवा कोल फायर्ड टीपीएस, राज्य क्षेत्र	1000 मे.वा.	16.10.2002 को के.वि.प्रा. में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त और भूमि उपलब्धता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्ति जैसी आवश्यक सूचनाओं को नहीं भेजने के कारण रिपोर्ट राज्य के प्राधिकारियों को वापास भेजी गई।
अमरकंटक टीपीएस विस्तार, राज्य क्षेत्र	210	13.11.2002 को के.वि.प्रा. में डी.पी.आर. प्राप्त।

10वीं योजना में चालू की जाने वाली सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है :

परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का समय	विलंब के कारण
इंदिरा सागर ज.वि. परियोजना, एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश का संयुक्त उद्यम	1000	1997–2000 (मूल) 2004–06 (अद्यतन)	राहत और पुनर्वास की समस्या, वित्तीय अड़चनों के कारण प्रगति धीमी।
ओंकारेश्वर ज.वि. परियोजना राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम (एनएचडीसी)	520	2006–07	–
बानसागर टोंस IV, राज्य क्षेत्र	20	1996–97 (मूल) 2004–05 (अद्यतन)	राहत और पुनर्वास की समस्या, वित्तीय अड़चन।
माधिखेड़ा, राज्य क्षेत्र	40	2004–05	
सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र का संयुक्त उद्यम	826.5 (म.प्र. का भाग)	2002–07	
महेश्वर जल विद्युत परियोजना, निजी क्षेत्र	400	2001–02 (मूल) 2005–07 (अद्यतन)	राहत और पुनर्वास की समस्या, ऋण हेतु पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब।
कुल	2806.5 मे.वा.		

इन सभी परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी संबंधितों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

भागलपुर, बिहार में रसोई गैस भराई संयंत्र

2782. श्री सुबोध राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भागलपुर, बिहार में एक रसोई गैस भराई संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने भागलपुर में इस संयंत्र की स्थापना के लिए सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) अनुमोदित योजना के अनुसार भागलपुर में एक भरण संयंत्र लगाया जाना था, किन्तु उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता तथा अन्य वाणिज्यिक आकलनों के कारण संयंत्र स्थापित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

2783. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्घटनाओं के बाद गठित जांच आयोग द्वारा प्रमुख रेल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे जांच आयोग कुछ खास अन्य मुद्दों पर भी विचार करते हैं और उनके उचित पालन की सिफारिश करते हैं;

(ग) गैसल, खन्ना, राजपुरा में, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाओं के बाद की गई ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में की गई सिफारिशों का और इनके अनुपालन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हाल ही में, 26.11.2998 को खन्ना के निकट, 2.8.1999 को गैसल तथा 2.12.2000 को सराय बंजारा (राजपुरा के निकट) में हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए तीन न्यायिक आयोगों की स्थापना की गई थी।

गैसल दुर्घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति जी. एन. रे की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है एवं पाइंटों की स्थापना, गलत लाइन पर जा रही गाड़ी को संकेत देना, रेल परिपथन, सचल गाड़ी रेडियो संचार इत्यादि जैसे परिचालनिक सुधारों से संबंधित 21 सिफारिशें कीं : स्वीकृत 18 सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, अन्य 3 सिफारिशें विभिन्न प्रशासनिक कारणों से स्वीकार नहीं की जा सकीं।

बहरहाल, खन्ना दुर्घटना की जांच करने वाले न्यायमूर्ति जी. सी. गर्ग की अध्यक्षता में गठित आयोग तथा सराय बंजारा दुर्घटना की जांच करने वाले न्यायमूर्ति सघीर अहमद की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

रेल संरक्षा आयुक्त/उत्तरी सर्किल ने उत्तर रेलवे पर 20.8.95 को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच की थी तथा रेल परिपथन, सिगलन संबंधी संरक्षा कार्यों, बोगी माउन्टेड ब्रेक से सुसज्जित सवारी डिब्बों की फिटिंग, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इत्यादि से संबंधित सिफारिशें कीं।

रेल संरक्षा आयुक्त/पूर्व सर्किल ने पूर्व रेलवे पर 9.9.2002 को राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्घटना की जांच की थी तथा अपनी अंतिम रिपोर्ट में तोड़–फोड़ रोधी–उपायों, सवारी डिब्बों के डिजाइन, दूर संचार सुविधाएं, इत्यादि से संबंधित 25 सिफारिशें कीं। बहरहाल, इस आयोग की प्रारम्भिक रिपोर्ट में प्रकाश में लाई गई 'तत्काल सिफारिशों' पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सिफारिशों की विभिन्न दृष्टिकोणों विशेषकर संरक्षा से उनकी उपयुक्तता तथा संगतता की दृष्टि से जांच की जाती है तथा स्वीकार की जाती हैं एवं चरणों में कार्यान्वित की जाती हैं।

[हिन्दी]

पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा निवेश

2784. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत कार्यों/क्रियाकलापों के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा किए गए निवेश और इस उद्देश्य के लिए मंजूर किए गए ऋण की राज्यवार राशि कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से ऋण की वसूली की दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऋण वसूली की दर को बढ़ाने के लिए कौन–सी योजना तैयार की गई है;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने ऋण को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) कितनी निजी परियोजनाओं को ऋण की मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नौवीं योजना के दौरान विद्युत कार्यों/क्रियाकलापों के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 43,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा है।

(च) निजी परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, विवरण–II में दिया गया है। ऋण की निबंधन एवं शर्तों में ब्याज दर, ऋण अवधि, ब्याज व मूलधन के भुगतान की देय तिथि, पर्याप्त सुरक्षा तंत्र आदि शामिल हैं।

विवरण-I

पावर फाइनेंस द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	क्षमता	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि.	मीरगंज स्थिति कैप्टिव को–जेनेरेशन प्लांट की एडीजी (9–19 मे.वा.) (ऋण सं.–जे 0501001)	19 मे.वा.	5.50.00
2.	जय प्रकाश पावर वेंचर्स लि.	उत्तर प्रदेश में 4 × 100 मे.वा. की विष्णु प्रयाग एचईपी (ऋण सं.–जे. 0202001)	400 मे.वा.	0.00
3.	जय प्रकाश हाइड्रो पावर लि.	बास्पा–2 एचईपी (3 × 100 मे.वा.) (ऋण सं.–जे 0102001)	300 मे.वा.	170.00
4.	मलाना पावर कारपोरेशन लि.	कुल्लू जिले में मलाना एचईपी (2 × 43 मे.वा.) (ऋण सं.–एम 0202001)	86 मे.वा.	25.00
5.	महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लि.	महेश्वर एचईपी (10 × 40 मे.वा.) (ऋण सं.–20502001 और 20502002)	400 मे.वा.	99.33
6.	बाम्बे सब–अरबन इलेक्ट्रिक सप्लाई	पारेषण और वितरण नेटवर्क का उन्नयन और सुधार (ऋण सं.–21407001)		47.50
7.	जीआईपीसीएल	मंगरौल टीपीएस (2 × 125 मे.वा.) (ऋण सं.–84301001)	250 मे.वा.	18.00
8.	सिंघी इंडस्ट्रीज लि.	45.33 मे.वा. क्षमता की कैप्टिव पावर प्लांट (ऋण सं.–एस 0601001)	45 मे.वा.	57.00
9.	क्लैरिआन पावर कारपोरेशन लि.	12 मे.वा. क्षमता की बायोमास आधारित पावर प्रोजेक्ट (ऋण सं.–सी 0301001)	12 मे.वा.	23.50

1	2	3	4	5
10.	लैन्को कोन्डापल्ली पावर लि.	कृष्णा जिले में नापथा आधारित सीसीजीटी (355 मे.वा.) (ऋण सं.–31701003)	355 मे.वा.	223.61
11.	बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स लि.	रामागुंडम में 520 मे.वा. क्षमता की कोल फायर्ड टीपीपी (ऋण सं.–बी 0201001)	520 मे.वा.	0.00
12.	बीएसईएस–केरल पावर लि.	उद्योग मंडल में 165 मे.वा. क्षमता की नापथा आधारित सीसीजीटी (ऋण सं.–बी 0301001)	165 मे.वा.	99.93
13.	बालाजी पावर कारपोरेशन	मदुरई जिले में समयनल्लुर में 7 × 15.143 मे.वा क्षमता की एलएसएफओ आधारित डीजी सेट (ऋण सं.–बी 0101001)	106 मे.वा.	867.70

विवरण-II

1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002 तक संवितरण

राज्य का नाम	संवितरण (करोड़ रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	1721.72
अरुणाचल प्रदेश	230.36
असम	68.24
छत्तीसगढ़	103.21
दिल्ली	280.00
गोवा	24.94
गुजरात	834.60
हरियाणा	1051.59
हिमाचल प्रदेश	489.29
जम्मू तथा कश्मीर	44.55
कर्नाटक	1477.93
केरल	194.53
मध्य प्रदेश	1000.11
महाराष्ट्र	1770.47
मेघालय	0.02
मिजोरम	12.03
नागालैंड	191.83
उड़ीसा	591.27
पंजाब	1204.44
राजस्थान	2926.91
तमिलनाडु	1568.37
उत्तर प्रदेश	741.60
पश्चिम बंगाल	388.39
कुल	16916.40

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियां

2785. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राजस्थान में कितने भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार के सदस्यों ने प्राथमिकता के आधर पर पेट्रोल पंपों और रसोई गैस डीलरशिप आवंटित किए जाने के लिए आवेदन किया है;

(ख) उनमें से मंजूर किए गए आवेदनों और विचाराधीन आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) विचाराधीन आवेदनों को मंजूरी देकर आवेदित पेट्रोल पंपों/रसोई गैस डीलरशिप को कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रब्यूटरशिपों के आवंटन में रक्षा श्रेणी के लिए उपलब्ध 8 प्रतिशत आरक्षण के अलावा, सरकार ने विकलांग रक्षा कार्मिकों तथा युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों के आश्रितों को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटन करने के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं शुरू की हैं :

1. 'आपरेशन विजय (कारगिल) में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकट संबंधी को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए विशेष योजना। इस योजना के तहत पुनर्वास महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर आवंटन किए जाते हैं।

2. डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए सरकार का विवेकाधीन कोटा वास्तविक अनुकंपा आधारों पर तथा योग्य मामलों में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शुरू किया गया है—

   (1) युद्ध में मारे गए रक्षा/अर्ध-सैनिक/पुलिस कार्मिकों के आश्रितों या अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्थायी रूप से विकलांग कार्मिक, जिन्हें उचित प्रकार से पुनर्वासित नहीं किया गया है।

   (2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के मारे गए कर्मचारियों के आश्रित या अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारी जिन्हें उचित प्रकार से पुनर्वासित नहीं किया गया।

उपर्युक्त 1 पर बताई गई योजना के तहत सरकार ने राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को 40 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 9 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन को अनुमोदित कर दिया है।

उपर्युक्त 2 पर बताई गई योजना के तहत राजस्थान राज्य के आवेदकों में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 104 आवेदन तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने अब तक विवेकाधीन कोटा के तहत राजस्थान के एक व्यक्ति को एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप का आवंटन अनुमोदित किया है।

चूंकि विवेकाधीन कोटा के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, अतः आवंटनों के अनुमोदन का सही समय निर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सीएनजी बिक्री केन्द्र

2786. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गेल अथवा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा वर्तमान में कितने सीएनजी बिक्री केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) दिल्ली में ऐसे सीएनजी बिक्री केन्द्रों की संख्या एक वर्ष पहले कितनी थी;

(ग) क्या गेल और इसकी सहायक कंपनियां वाहनों के लिए सीएनजी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री केन्द्र स्थापित करने में विफल रही है;

(घ) गेल में प्रशासनिक क्षमताओं के अभाव के क्या कारण है, जिसके परिणामस्वरूप गेल सीएनजी की इस मांग को पूरा करने में असफल रहा; और

(ङ) गेल और इसकी सहायक कंपनियों की कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड दिल्ली में किसी संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) खुदरा बिक्री केन्द्र का प्रचालन नहीं कर रही है। यहां सीएनजी खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के द्वारा किया जा रहा है जो गेल (इंडिया) लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। एक वर्ष पूर्व 87 सीएनजी खुदरा बिक्री केन्द्रों की तुलना में वर्तमान में इन्द्रप्रस्थ

गैस लिमिटेड दिल्ली में 100 सीएनजी खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही है।

(ग) से (ङ) सीएनजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में सीएनजी की आधारभूत सुविधाओं की चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जा रही है। एक वर्ष पूर्व प्रतिदिन 4.43 लाख कि.ग्रा. सीएनजी संपीड़न क्षमता की तुलना में जून, 2003 तक सीएनजी की संपीडन क्षमता बढ़ाकर 16.11 लाख कि. ग्रा. प्रतिदिन की जाएगी। सीएनजी आधारभूत सुविधाओं के सुधार से यह आशा की जाती है कि आईजीएल दिल्ली की सीएनजी की आवश्यकता को पूरा करने में काफी हद तक समर्थ होगी।

[हिन्दी]

सैनिकों को भूमि का आवंटन

2787. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैनिकों को भूमि आवंटित करने के लिए किसी मानदंड क पालन करती है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा भूमि के आवंटन के बाद राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस मामलों में देरी/विलंब के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई कारण प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा भूमि का आवंटन करने के बावजूद राज्य प्रशासन द्वारा भूमि प्रदान करने में सैनिकों के उत्पीड़न के क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मौजूदा रक्षा भूमि नीति में सेवारत सैनिकों को स्थाई रूप से रक्षा भूमि आवंटित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भूतपूर्व सैनिकों को अस्थायी रूप से अधिशेष रक्षा भूमि कृषि प्रयोजन के लिए अल्पावधि के लिए पट्टे पर दी जाती है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन

2788. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 में इस प्रभाव का एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है कि बलात्संग और बलात्संग करने के प्रयास के लिए अभियोजन में अभियोक्त्री की प्रति–परीक्षा में उसके सामान्य अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न करना अनुज्ञेय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 155 के खंड (4) का, जिसमें यह उपबंध है कि जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग करने के प्रयास के लिए अभियोजित किया जाता है तो यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्त्री सामान्यतः अनैतिक चरित्र की है, लोप करने का भी प्रस्ताव है। इस संबंध में, भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2002 लोक सभा में तारीख 28.11.2002 को पुरःस्थापित किया गया है।

सीमेंट स्लीपरों के निर्माताओं की लामबंदी

2789. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं पटरियों की खराब हालत के कारण घटित हो रही हैं और क्या रेल विभाग सीमेंट स्लीपरों के निर्माताओं की लामबंदी के कारण पटरियों को बदलने में कठिनाई महसूस कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमेंट स्लीपर निर्माताओं की लामबंदी की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या लकड़ी और सीमेंट के स्लीपरों के स्थान पर इस्पात के स्लीपरों के इस्तेमाल का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कितनी रेल पटरियों को बदलने की आवश्यकता है; और

(ङ) लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं को रोकने के

लिए लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर इस्पात के स्लीपरों को कब तक लगा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्टील स्लीपरों का लकड़ी के स्लीपरों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा स्टील/लकड़ी के स्लीपरों को रेलपथ की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध और वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर कंक्रीट स्लीपरों से बदला जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

कावेरी बेसिन में जल विद्युत परियोजनाएं

2790. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कोवरी बेसिन में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) कावेरी बेसिन की कोई भी जल विद्युत परियोजना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। तथापि, कुल 2170 मेगावाट क्षमता की कोवरी बेसिन की 11 स्कीमें संबद्ध परियोजना प्राधिकारियों को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया गया है कि संबद्ध राज्यों के मध्य के विवाद के निपटान के बाद पुनः प्रस्तुत करें।

कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश के आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं के समेकित विकास कार्य के लिए एनएचपीसी ने कावेरी नदी पर लगभग 1140 मेगावाट क्षमता की 4 परियोजनाओं की जल विद्युत सम्भावनाओं को समुचित रूप से उपयोग में लाए जाने हेतु एक योजना तैयार की है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों की सहमति से कोवरी विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, जांच और सर्वेक्षण कार्य शुरू करने के लिए एनएचपीसी से 6.1.2001 को अनुरोध किया गया था तथापि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने मेकेडाटू, रसीमनाल और होगनक्काल परियोजना प्रस्तावों के लिए मंजूरी नहीं दी है क्योंकि इन प्रस्तावित परियोजना स्थलों के कुछ अथवा पूरे भाग कोवरी वन्यजीव अभयारण्य के तहत आ रहे हैं। शिवसमुद्रम परियोजना के चरण–I के लिए स्वीकृति मिल गई है। तमिलनाडु सरकार ने उक्त चारों परियोजनाओं को पैकेज के रूप में, न कि एकल आधार पर, संचालित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

विद्युत उत्पादन और आपूर्ति

2791. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू उत्पादन परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएसपी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान त्वरित उत्पादन ओर आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएसपी) को विस्तार न देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से दसवीं योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम को विस्तार देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) चालू परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के 2007 तक विस्तारण को सरकार द्वारा निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन कर दिया गया है

(i) ब्याज सब्सिडी 4% से घटाकर 3% कर दी गई है। ब्याज सब्सिडी उधार दर तथा बेंचमार्क दर के अंतर तक सीमित होगी, जो अधिकतम 3% हो सकती है। बेंचमार्क दर उस खास वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्रतिभूति के 12 वर्षों को निर्धारित ब्याज

पर होगी। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 1% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

(ii) फंड देने की पात्रता को सुधारों की सहमति न्यूनतम लक्ष्यों के निष्पादन में जोड़ा गया है। केवल वही राज्य, जो विद्युत मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार सुधारों के सहमति लक्ष्यों का संतोषजनक ढंग से निष्पादन करते हैं तथा सुधार कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक क्षमता को प्राप्त करने हेतु कार्य योजना का निष्पादन संतोषजनक ढंग से करते हैं, एजी एण्ड एसपी के तहत फंड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(iii) एजी एंड एसपी का कवरेज रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) एजी एंड एसपी योजना के तहत सहायता की गुंजाइश थर्मल एवं हाइडल परियोजनाओं में केवल राज्य क्षेत्र उत्पादन तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तक सीमित होगी।

कई राज्य सरकारों ने 10वीं योजना तक इस योजना के विस्तारण हेतु भी अनुरोध किया था।

(च) उत्पादन व नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की कई योजनाओं को इस योजनांतर्गत वित्तीय सहायता हेतु लिया जाएगा तथा इन परियोजनाओं का पूरा किया जाना निदेशों जैसे वित्त व्यवस्था करना, ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाएं, विद्युत क्रय करार (पीपीए) आदि पर निर्भर करेगा।

वायु सेना में भर्ती

2792. श्री वाई. वी. राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वायुसेना में सभी क्षेत्रों के लोगों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वायुसेना को अपने भर्ती अभियानों के दौरान पर्याप्त संख्या में वायुसैनिक नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वायुसैनिकों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने और सभी क्षेत्रों से समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) वायुसेना क्षेत्रीय आधार पर भर्ती प्रणाली का अनुसरण नहीं करती है। किसी भी क्षेत्र के पात्र अभ्यर्थी चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और उत्पादन

2793. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री राजो सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बिहार में विद्युत की क्षमता, मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इस समय बिहार राज्य की अधिकतम विद्युत मांग तथा व्यस्ततम समय में खपत लगभग 950 मेगावाट है। बिहार की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 598 मेगावाट तथा अपने संसाधनों से राज्य को 100 से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है।

(ख) और (ग) बिहार पूर्वी क्षेत्र का घटक है जिस क्षेत्र में विद्युत का अतिरेक है अर्थात् इस समय विद्युत की कमी नहीं है। इसी विद्युत में से 1300 मेगावाट पड़ोसी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाती है। तथापि, बिहार राज्य में, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में, अपर्याप्त पारेषण और वितरण व्यवस्था तथा सीमित भुगतान क्षमता के कारण यह राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्वी क्षेत्र के ग्रिड के तहत केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से पर्याप्त विद्युत लेने में असमर्थ रहा। 10वीं योजना के तहत बिहार में निजी क्षेत्र द्वारा बिहटा में 135 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की योजना है। इसके अतिरिक्त, बिहार को केन्द्रीय क्षेत्र से,

पूर्वी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं से तथा भूटान स्थित ताला एचईपी (1020 मेगावाट) से विद्युत प्राप्त होगी।

कुंभ मेले के दौरान एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

2794. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक में वर्ष 2003 में कुंभ मेले के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है और उन रेलगाड़ियों के चलने के स्थान से संबंधित शहरों और राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नासिक से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और उनकी संख्या क्या है; और

(ग) यात्रियों को इन रेलगाड़ियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेलवे 2003 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए विशेष गाड़ियां चलाकर, मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर, अतिरिक्त ठहराव तथा यात्री सुविधाएं मुहैया कराकर अतिरिक्त यातायात की भीड़भाड़ की निकासी का हर संभव प्रयास करेगी, बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात का औचित्य तथा मेला प्राधिकारियों के परामर्श से संसाधनों की उपलब्धता हो। व्यवस्थाओं के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोनेट एलएनजी का इक्विटी ढांचा

2795. श्रीमती प्रभा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पेट्रोनेट एलएनजी के इक्विटी ढांचे के बारे में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या भारतीय कृषक और उर्वरक निगम (इफको) और कृषक भारती कोओपरेटिव्स ने कंपनी के 20 प्रतिशत हिस्से को लेने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो पेट्रोनेट में कुल निवेश और शेयर धारकों के निवेश के हिस्से का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना को पूरा करने का कार्यक्रम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की चार तेल कंपनियों अर्थात् गेल (इंडियन) लिमिटेड, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने 1200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) की स्थापना की है। प्रतिभागी सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों में से प्रत्येक के पास पीएलएल में 12.5 प्रतिशत की इक्विटी है और शेष इक्विटी एलजएनजी आपूर्तिकर्ता, कार्यनीतिक भागीदार और जनता आदि के लिए निर्धारित है।

(ख) और (ग) इफको और कृभको दोनों प्रत्येक 10–10 प्रतिशत की इक्विटी का निवेश करने के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की उचित समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

(घ) पीएलएल की दहेज एलएनजी परियोजना दिसंबर 2003 तक यांत्रिक रूप से पूरी की जाने के लिए निर्धारित है।

सिम्हाद्रि विद्युत संयंत्र की दूसरी यूनिट

2796. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी की सिम्हाद्रि संयंत्र की दूसरी यूनिट का पूरी तरह से गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसने विद्युत क्षेत्र में एक नई बेंच मार्किंग शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो क्या एनटीपीसी के सभी विचाराधीन विद्युत संयंत्रों के संबंध में सिम्हाद्रि यूनिट–II को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए इसे अन्य योजनाओं पर भी लागू करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। सिम्हाद्री विद्युत संयंत्र की दूसरी इकाई दिसम्बर, 2002 में शुरू होने वाली थी किन्तु इसे अगस्त, 2002 में ही शुरू कर दिया गया है।

(ग) जी, हां। सिम्हाद्री विद्युत संयंत्र की 500 मेगावाट

की दूसरी इकाई को मुख्य संयंत्र की सुपुर्दगी के बाद 49 माह में शुरू किया जाना था किन्तु इसे 45 माह में ही शुरू कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा 500 मेगावाट क्षमता वाली भावी परियोजनाओं को एक ही समय में और/या कुछ सुधार के साथ शुरू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

डिजीटल कैमरों की खरीद

2797. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
डा. राजेश्वरम्मा बुक्कला :
श्री रामजी मांझी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की दिनांक 6 सितंबर, 2002 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी कमान क्षेत्र में तैनात सैन्य दलों के लिए लगभग 500 डिजीटल कैमरों और अन्य उपस्करों की खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का एक और मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कथित घोटाले की जांच करने के लिए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसमें लिप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा विभागीय जांच के आदेश देने की सूचना का आधार क्या है;

(ङ) इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को न सौंपने के क्या कारण हैं; और

(च) रक्षा बलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) दिनांक 6 सितंबर, 2002 के समाचार के प्रकाशन से पूर्व, सेना मुख्यालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सामग्री और 500 डिजीटल कैमरों की खरीद में बरती गई अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत छद्म नाम से इस मंत्रालय में जुलाई, 2002 में प्राप्त हुई थी। इस मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए सेना मुख्यालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की सभी बड़ी खरीदों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत का आदेश दिया गया है। उपर्युक्त जांच अभी चल रही है। अनियमितताएं, यदि कोई हों तो, और उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता जांच पूरी होने पर चलेगा। इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य एजेंसी को भेजने के प्रश्न पर इस जांच के परिणाम के आधार पर विचार किया जाएगा।

अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा खरीदों में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

(i) सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सभी बड़ी अधिप्राप्तियों/खरीद के निर्णयों की संवीक्षा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और जहां आवश्यक हो वहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनिवार्य एवं समयबद्ध रूप से किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

(ii) बड़ी रक्षा खरीदों को व्यावहारिक, पारदर्शी और लागत-प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए मंत्रालय, तीनों सेनाओं और रक्षा वित्त प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन किया गया है।

(iii) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाने और उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रक्षा खरीद में अधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों को शामिल करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। इससे पारदर्शिता स्तर में वृद्धि होगी और सेना मुख्यालयों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलेगी।

[हिन्दी]

सीमा सड़क संगठन द्वारा लिए गए कार्य

2798. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा सड़क विकास संगठन के क्या कार्य हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सीमा सड़क संगठन को कितना धन मुहैया कराया गया और योजना तथा गैर–योजना कार्यों पर इसके द्वारा अलग–अलग खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात की सीमावर्ती सड़कों पर क्या कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) संगठन का मुख्य कार्य सड़कों का विकास एवं उनकी मरम्मत करना है ताकि सेना की संक्रियात्मक एवं सामरिक जरूरत पूरी की जा सके। सीमा सड़क संगठन उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सड़क विकास संबंधी परियोजनाओं का कार्य आरंभ करके देश के सीमावर्ती इलाकों के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी योगदान देता है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) गुजरात में सीमावर्ती सड़कों पर कार्य आरंभ करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सीमा सड़क द्वारा शुरू किए गए कार्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	कार्य की मद	यूनिट	जी एस कार्य			एजेंसी/जमा कार्य		
			2000–01	2001–02	कुल	2000–01	2001–02	कुल
1.	निर्माण	किमी	466	331	797	500	389	889
2.	सतह–निर्माण	किमी	677	744	1421	682	589	1271
3.	सुरक्षात्मक कार्य	रु. लाख में	14328	14647	28975	16663	17223	33886
4.	बड़े पुल	मीटर	512	958	1470	518	885	1403

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संगठन को मुहैया कराई गई धनराशि तथा योजना/गैर–योजना कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)		व्यय (करोड़ रुपए में)		कुल (करोड़ रुपए में)
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	
1999–2000	127	751	127	751	878
2000–2001	145	843	145	843	988
2001–2002	175	970	175	970	1145

[अनुवाद]

दूरदर्शन के लिए सेंसर बोर्ड

2799. श्री नरेश पुगलिया :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन और केबल टी.वी. पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों के लिए सेंसर बोर्ड बनाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किसी सेंसर बोर्ड के न होने से दूरदर्शन और केबल टी.वी. पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से अश्लील, अभद्र भाषाओं से परिपूर्ण और नकारात्मक होते हैं;

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन और केबल टी.वी. के लिए कब तक सेंसर बोर्ड स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विगत में कुछ ऐसे सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को प्रसारण संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रमों को निषिद्ध करती है जिसमें अश्लीलता शामिल होती है। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों का यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण से पूर्व पूर्वदर्शन किया जाता है कि वे परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त हों।

निजी उपग्रह चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इनके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित कार्यक्रम संहित के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है जो अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे किसी कार्यक्रम के प्रसारण को निषिद्ध करते हैं जो अच्छी रुचि वाले न हों अथवा अश्लील हों।

दूरदर्शन और केबल टी.वी. पर प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए सेंसर बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की लापरवाही

2800. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न न्यायालयों/उच्च न्यायालयों की लापरवाही के कारण बढ़ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया है।

न्यायालय ने निम्नानुसार सूचित किया है :

"भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति का कथन उनके अपने प्रतिबोधन पर आधारित है जो उन्हें विभिन्न स्रोतों से या समय-समय पर समाचार-पत्रों में प्रकाशनों के द्वारा हुआ है। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, आरोपों के समर्थन में उच्च न्यायालयों के संबंधित मुख्य न्यायमूर्तियों से मामूली से मामूली सामग्री भी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं, जिससे कि वे उच्चतम न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालयों द्वारा की जा रही आंतरिक प्रक्रिया जांच पर कार्यवाही कर सकें।"

गैस मूल्य संरचना की समीक्षा

2801. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री जी. जे. जावीया :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैस दरों की संरचना की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति/पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस पैनल ने प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले बिक्रीकर में मित्रता की भी जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कालर आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम

2802. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने वरिष्ठ अधिकारियों सहित रेलवे स्टेशनों पर कालर आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम को शुरू किया है;

(ख) क्या यह सिस्टम सभी रेलवे जोनों में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। उग्रवादियों के समूहों से धमकी को देखते हुए कतिपय पहचाने गए रेलवे स्टेशनों और रेल पदाधिकारियों को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के टेलीफोनों पर फोन करने वाले की पहचान की सुविधा मुहैया कराई गई है।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल क्षेत्रीय रेलों पर बीएसएनएल के सभी टेलीफोनों पर फोन करने वाले की पहचान की सुविधा मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति

2803. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दावा अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के अनेक पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कितने पद भरे गए हैं; और

(ङ) दावों के शीघ्र निपटान के लिए रेलवे द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। इस समय रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में सदस्य (न्यायिक) के 10 पद रिक्त हैं। इस समय गोरखपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, बंगलोर, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर में प्रत्येक अधिकरण में सदस्य (न्यायिक) का एक–एक पद रिक्त है और न्यायिक सदस्यों के 2 पद कोलकाता अधिकरण पीठ में रिक्त हैं। कुछ अधिकारी जिनका चयन हुआ था और उन्हें बतौर सदस्य न्यायिक की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, किन्तु सदस्यों ने पीठ में कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन रिक्तियों को नहीं भरा गया।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवम्बर, 2002 तक 14 पदों को भरा गया था।

(ङ) रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

[हिन्दी]

एनरॉन परियोजना को स्वीकृति

2804. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितनी एनरॉन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) महाराष्ट्र में लागू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार की वर्तमान विद्युत अभाव की समस्या का किस समय तक समाधान हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) दाभोल पावर कंपनी, जिसका महाराष्ट्र के साथ विद्युत क्रय समझौता है, द्वारा महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही दाभोल विद्युत परियोजना एक ऐसी विद्युत परियोजना है जिसमें एनरॉन का वृहत् शेयर होल्डिंग है और जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान कर दी है।

(ग) राज्य के भीतर विद्युत की आपूर्ति एवं इसका वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है राज्य में विभिन्न उपभोक्ता समूहों को विद्युत आपूर्ति की प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कुल विद्युत को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।

देश में विद्युत की उपलब्धता की वृद्धि करने तथा विद्युत अभाव से निपटने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है–

(i) राज्य/निजी क्षेत्र में 1944 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि के अलावा पश्चिमी क्षेत्र में 10वीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 2480 मे.वा. क्षमता तैयार किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें राज्य का भी अपना हिस्सा होगा।

(ii) टी एंड डी हानि में कमी करने तथा विद्युत आपूर्ति

की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य प्रणाली के उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन/त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/संवर्धन के लिए योजनाएं शुरू करने हेतु राज्यों को निधि मुहैया कराई जा रही है।

(iii) देश की मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए विद्युत के अंतः-राज्यीय और अंतः-क्षेत्रीय अंतरण में वृद्धि हेतु अंतः-क्षेत्रीय पारेषण लिंक की स्थापना/सुदृढ़ीकरण। 220 के.वी. के बुधिपडार-कोरबा परियोजना को पहले ही चालू किया जा चुका है जिससे पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को अधिशेष विद्युत का अंतरण आसान हो गया है।

(iv) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए पुराने एवं अकुशल जेनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार (आरएम एंड एलई)। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत यूटिलिटियों को आरएम एंड एलई शुरू करने के लिए त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ऋण और ब्याजगत सब्सिडी उपलब्ध कराएंगे।

(v) मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा दक्षता एवं इसके संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहन।

(vi) 11वीं योजना के अंत तक पारेषण प्रणाली का सुदृढ़कीरण/संवर्धन तथा राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना, जिससे अधिशेष विद्युत वाले राज्यों/क्षेत्रों से विद्युत अभाव वाले राज्यों/क्षेत्रों को विद्युत का सुगमतापूर्वक अंतरण संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता

2805. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुनील खां :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 सितम्बर, 2002 के 'द स्टेट्समैन में' 'स्टेन्च ऑफ डेथ ओवर रफीगंज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी मशीनरी राजधानी एक्सप्रेस के पीड़ितों को राहत और बचाव उपाय करने में पूर्णतः विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या समय पर बचाव और राहत उपलब्ध न कराने वालों के विरुद्ध कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। 9.9.2002 को रफीगंज के निकट हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों के लिए बचाव एवं राहत कार्य हेतु यथा संभव उपलब्ध संसाधन लगाए गए थे।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खोज और बचाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2806. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में चेन्नई में समुद्री खोज और बचाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) सम्मेलन के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) सम्मेलन की उपलब्धि क्या रही?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेरह समुद्रवर्ती राष्ट्रों अर्थात् आस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, फिलीपीन्स, रूस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाइलैंड, इंग्लैंड और अमरीका तथा छह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् रायल नेशनल लाइफबोट संस्थान (इंग्लैंड), अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती उपग्रह संगठन (इन्मारसैट) (लंदन),

अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन (लंदन), विश्व समुद्रीय विश्वविद्यालय (स्वीडन), कोस्पासरसेट (लंदन) और श्रीलंकाई लाइफबोट संस्थान (कोलंबो) के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे–

(1) समुद्रवर्ती देशों के बीच मित्रतापूर्ण और सहकारी संबंध बढ़ाना।

(2) सहकारी कार्यक्रमों के तहत संसाधन हिस्सेदारी द्वारा सभी नाविकों के लिए खोज और बचाव कार्य चलाना।

(3) भारतीय तटरक्षक द्वारा संचालित खोज और बचाव कार्य के लिए पोत रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करना।

(घ) मोटे तौर पर ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए थे।

वकीलों द्वारा सरकार को दिया गया ज्ञापन

2807. श्री अधीर चौधरी :
डा. रमेश चंद तोमर :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 8 नवम्बर, 2002 को संपूर्ण देश के 8 लाख वकीलों ने भूख हड़ताल की थी, उपवास रखा था और धरने पर बैठे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने लोक अदालतों तथा अन्य मांगों के लिए 'लिगल आथेरिटीज एक्ट' में संशोधन करने हेतु सरकार और अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(च) इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) उनमें से कितनी मांगें मान ली गईं, कितनी निरस्त कर दी गईं और कितनी सरकार के विचाराधीन हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) वकीलों द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 को वापास लिए जाने पर जोर देने के लिए भूख–हड़ताल, उपवास करने, धरने पर बैठने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) और (घ) वकीलों ने सरकार के दिए गए अपने ज्ञापन में विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 का यह दावा करते हुए विरोध किया है कि यह मुकदमा लड़ने वालों के विरुद्ध है।

(ङ) से (छ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने एस. एन पाण्डेय बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 28.10.2002 के अपने आदेश द्वारा उपरोक्त अधिनियम की सांविधानिक विधिमान्यता को सही ठहराया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह कहा कि अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमा लड़ने वालों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 को संशोधित करने या वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

2808. श्री जी. जे. जावीया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मापदंड क्या हैं;

(ख) 1999, 2000 और आज तक सेवा के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या उपरोक्त वर्षों के दौरान मृतक कर्मचारियों के सभी पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त नौकरियां दे दी गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा जिन आश्रितों की अभ्यर्थता अस्वीकृत कर दी गई है उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा मंत्रालय

में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए मानदंड वे ही हैं जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय–समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94–स्थापना (घ), दिनांक 9.10.1998 द्वारा जारी की गई अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की योजना में विहित हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी अनुरोधों पर विचार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भेजा जाता है जिनके मामलों की सिफारिश इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा की जाती है जो एक वर्ष में समूह 'ग' और 'घ' पदों में 5% सीधी भर्ती रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करती है।

(ङ) अनुकंपा आधार पर मियुक्ति की मौजूदा योजना के अंतर्गत ऐसे आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है जिनके मामले नामंजूर कर दिए गए हैं। मौजूदा योजना में कोई परिवर्तन नहीं है और न ही कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है।

लक्ष्य के मुकाबले विद्युत उत्पादन

2809. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में राज्यवार उत्पादित विद्युत की मात्रा कितनी है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित विद्युत उत्पादन कितना है;

(ख) 2002 में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कितनी विद्युत उत्पादित की गई है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 9वीं योजना के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में राज्य वार और वर्ष वार उत्पादित विद्युत का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अप्रैल–अक्टूबर, 2002 (अर्थात् 10वीं योजना का प्रथम वर्ष) के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उत्पादित विद्युत का राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002–03 (अक्टूबर 2002 तक) के दौरान 307836 मि.यू. विद्युत उत्पादित की गई है जबकि इसकी तुलना में लक्ष्य 315813 मि.यू. (अर्थात् 97.5%) थे। जहां ताप विद्युत उत्पादन और न्यूक्लीयर विद्युत उत्पादन लक्ष्य के 100% और 112% थे वहीं जल विद्युत उत्पादन कम मानसून के कारण लक्ष्य का 82.5% था।

इस वर्ष दक्षिण पश्चिम में कम मानसून के मद्देनजर देश के कई भागों में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) के विद्युत मंत्रियों की एक बैठक अगस्त 2002 में आयोजित की गई थी ताकि सूखे की परिस्थितियों के दौरान विद्युत की मांग से निपटने के लिए नीति बनाई जा सके। बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नवत थे :

- ओवर हालिंग के द्वारा विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना।
- गैस/तरल ईंधन संयंत्रों से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना।
- कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ना।
- आई. पी. पी. से असमुपयोजित विद्युत की बिक्री।
- विद्युत के अंतःक्षेत्रीय अंतरण को अधिकतम बनाना।
- वोल्टता में सुधार लाने और लंबी दूरियों तक विद्युत के अन्तरण को सुविधाजनक बनाने के लिए शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना करना।

विवरण-I

9वीं योजना के दौरान राज्यवार विद्युत–उत्पादन

(मिलियन यूनिट)

राज्य/यूटिलिटि का नाम	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6
बीबीएमबी	10695	14106	12067	10424	9939

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	6984	6931	7555	7981	7952
जम्मू और कश्मीर	6120	6477	5810	5284	5558
हिमाचल प्रदेश	3956	4570	3748	3926	3895
हरियाणा	3782	3754	5100	6085	8175
राजस्थान	11157	12820	14570	16695	18988
पंजाब	12993	14393	17057	17599	18406
उत्तर प्रदेश	67489	69818	72913	72615	74787
उत्तरांचल	–	–	–	3648	3326
गुजरात	39711	44845	46372	46151	44446
महाराष्ट्र	55997	59097	64263	63552	65319
मध्य प्रदेश	44598	46709	48291	29062	30324
छत्तीसगढ़	–	–	–	23628	24740
आंध्र प्रदेश	45911	47820	52066	51961	51172
कर्नाटक	16914	17067	20930	23523	24851
केरल	5250	7829	8899	9099	8874
तमिलनाडु	38090	37908	40559	43685	45419
पांडिचेरी	–	–	132	233	250
बिहार	7093	8212	7906	5591	5244
झारखंड	–	–	–	2828	2680
उड़ीसा	11991	12772	16443	16185	18690
पश्चिम बंगाल	20502	21212	23223	26123	28800
डीवीसी	7299	7706	8140	8193	7779
सिक्किम	43	26	37	325	383
असम	1072	939	91	1603	990
नीपको	1527	1921	2214	2555	2766
मेघालय	598	544	634	658	613
त्रिपुरा	302	344	312	312	289
मणिपुर	535	531	506	551	569
नागालैंड	–	–	–	–	4
अरुणाचल प्रदेश	13	16	14	13	19
जोड़ अखिल भारत	420622	448367	480682	499548	515247

विवरण-II

अप्रैल–अक्तूबर, 2001 की तुलना में अप्रैल–अक्तूबर, 2002 के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में राज्यवार विद्युत उत्पादन

राज्य/प्रणाली और विद्युत उत्पादन का प्रकार	कार्यक्रम अप्रैल–2002 से मार्च, 2003	उत्पादन (कि.वा.घं.) अप्रैल–अक्तूबर		
		कार्यक्रम 2002	वास्तविक 2002*	वास्तविक 2001
1	2	3	4	5
(1) उत्तरी क्षेत्र				
बीबीएमबी सार्वजनिक (कुल)	9650	6426	7447	6444
दिल्ली (सार्वजनिक) कुल	9960	5574	5023	4688
जे एंड के कुल	6119	4978	4633	4192
हिमाचल प्रदेश				
हि.प्र. सार्वजनिक	4280	3417	3329	2971
हि.प्र. निजी	375	322	305	147
कुल हि.प्र.	4655	3739	3634	3118
हरियाणा				
हरियाणा (सार्वजनिक) कुल	8802	5184	5139	4675
राजस्थान				
राजस्थान (सार्वजनिक) कुल	21202	11570	11822	10316

1	2	3	4	5
पंजाब				
पंजाब (सार्वजनिक) कुल	18320	11533	10920	11231
उत्तर प्रदेश				
उ.प्र. (सार्वजनिक) कुल	74137	42250	42654	42341
उत्तरांचल				
उत्तरांचल (सार्वजनिक) कुल	3810	2714	2732	2406
(2) पश्चिम क्षेत्र				
गुजरात				
गुजरात (सार्वजनिक)	39878	22867	22023	20668
गुजरात निजी	7420	4554	4844	4662
गुजरात कुल	472[illegible]	27421	26867	25330
महाराष्ट्र				
महाराष्ट्र सार्वजनिक	51922	28917	28533	28602
महाराष्ट्र निजी	13225	7979	8671	8499
महाराष्ट्र कुल	65147	36896	37204	37101
मध्य प्रदेश–एमपीईबी				
म.प्र. (सार्वजनिक) कुल	33380	18975	19125	16495
छत्तीसगढ़				
छत्तीसगढ़ (सार्वजनिक) कुल	24430	13137	13447	13424
(3) दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश				
आ.प्र. सार्वजनिक	51716	28774	28615	26106
आ.प्र. निजी	7722	4621	3675	2555
आ.प्र. कुल	59438	33395	32290	28661

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
कर्नाटक सार्वजनिक	24361	13344	12351	13080
कर्नाटक निजी	3161	1819	1535	1210
कर्नाटक कुल	27522	15163	13886	14290
केरल				
केरल सार्वजनिक	10033	5719	4887	4938
केरल निजी	1305	727	157	308
केरल कुल	11338	6446	5044	5246
तमिलनाडु				
तमिलनाडु सार्वजनिक	43330	24828	22917	24576
तमिलनाडु निजी	4150	2517	2834	1809
तमिलनाडु कुल	47480	27345	25751	26385
पांडिचेरी				
पांडिचेरी (सार्वजनिक) कुल	235	138	155	152
(4) पूर्वी क्षेत्र				
बिहार				
बिहार (सार्वजनिक) कुल	5450	3166	2946	2865
झारखंड				
झारखंड (सार्वजनिक) कुल	2440	1523	1469	1653
उड़ीसा				
उड़ीसा (सार्वजनिक)	16465	9507	8493	10188
उड़ीसा (निजी)	650	379	669	377
उड़ीसा कुल	17115	9886	9162	10565
पश्चिम बंगाल				
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक	24824	14318	14009	12860

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल निजी	6400	4011	3967	3804
पश्चिम बंगाल कुल	31224	18329	17976	1664
डीवीसी सार्वजनिक कुल	8900	5356	4995	4551
सिक्किम				
सिक्किम (सार्वजनिक) कुल	385	290	286	281
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह				
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (सार्वजनिक)	13	8	0	0
(5) पूर्वोत्तर क्षेत्र				
असम				
असम सार्वजनिक	870	475	407	504
असम निजी	180	102	81	85
असम कुल	1050	577	488	589
नीपको सार्वजनिक	4378	2794	1838	1501
मेघालय				
एमएसईबी (सार्वजनिक) कुल	600	378	408	378
त्रिपुरा				
त्रिपुरा (सार्वजनिक) कुल	554	284	168	166
मणिपुर				
मणिपुर (सार्वजनिक)	500	327	319	331
नागालैंड				
नागालैंड (सार्वजनिक)	0	0	2	0
अरुणाचल प्रदेश				
अरुणाचल प्रदेश (सार्वजनिक)	20	11	6	7

*वास्तविक आकलन पर आधारित

जौहर में उच्च क्षमता वाला ट्रांसमीटर

2810. श्री चिंतामन वनगा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के थाणे जिले के जौहर में उच्च क्षमता वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जौहर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

'भेल' और ओ.एन.जी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन

2811. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भेल की कितनी इकाइयां इस नये मिले व्यापार में लगी हुई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति, सुसज्जीकरण और नवीकरण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) भेल की निम्नलिखित इकाइयां इस व्यापार में जुड़ी हुई होंगी :

- हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद
- हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट, भोपाल
- इंडस्ट्रियल सिस्टम ग्रुप, बंगलौर

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

2812. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषतः गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर पीने के जल की बड़ी किल्लत है और जल की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषकर देश के पश्चिमी रेलवे में कोई सर्वेक्षण किया है/करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में पानी की सामान्य उपलब्धता संतोषजनक है। बहरहाल, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग, नगर निगम द्वारा पानी की कम आपूर्ति, उपस्कर की विफलता आदि के कारण कभी-कभी कम आपूर्ति हुई है।

गुजरात में सभी रेलवे स्टेशनों पर आपूर्ति किया गया पीने का पानी पीने योग्य है। सभी स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति रेलवे के स्वयं के स्रोतों से अथवा नगर निगम जैसे बाहरी स्रोतों आदि से क्लोरीनेशन करके पीने योग्य बनाकर की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न स्टेशनों पर ग्रीष्म ऋतु से पहले पानी की आवश्यकता की तुलना में उसकी उपलब्धता की भी प्रति-वर्ष समीक्षा की जाती है तथा पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सेवगांव में दूरदर्शन का सही प्रसारण न होना

2813. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर जिले की पथरड़ी तहसील के सेवगांव में दूरदर्शन का सही प्रसारण न होने के परिणामस्वरूप ग्रामीणवासी दूरदर्शन सुविधा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसारण टावर की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक ट्रांसमीशन की प्रसारण क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) अहमदनगर जिले में इस समय अहमदनगर और संगमनेर स्थित दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अहमदनगर जिले के कुछ भाग औरंगाबाद स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि.वा.) से टी.वी. कवरेज प्राप्त करते हैं। सेवगांव में अच्छी गुणवत्ता के सिग्नल प्राप्त होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, औरंगाबाद की शक्ति और बढ़ाने अथवा अहमदनगर और संगमनेर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उन्नयन करने की कोई स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत का वितरण

2814. श्री नवल किशोर राय :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किए जाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों दी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राज्य-वार औसतन कितना विद्युत वितरण किया जाता है तथा प्रतिवर्ष इस पर कितना खर्च होता है;

(ग) क्या सरकार ने सुधार कार्यक्रम के तहत खर्च की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

(ख) वर्ष 1992-93 से 2000-01 तक विभिन्न राज्यों

के लिए पारेषण एवं वितरण हेतु परिव्यय के प्रावधानों का ब्यौरा विवरण-। में दिया गया है। विभिन्न रा.वि. बोर्डों द्वारा विद्युत की बिक्री का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	1992-97 (8वीं योजना)	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	रा.वि. बोर्ड									
1.	आन्ध्र प्रदेश	1000.00	168.00	192.74	160.00	160.00	354.75	467.69	399.28	703.00
2.	असम	355.09	67.77	48.98	83.15	67.95	50.00	60.00	59.74	37.11
3.	बिहार	460.00	121.97	120.35	134.01	104.00	38.72	156.73	16.00	97.38
4.	दिल्ली	955.53	200.00	229.20	311.50	356.35	276.00	396.50	301.38	428.45
5.	गुजरात	1100.00	200.00	289.00	255.04	280.36	374.69	560.00	501.37	477.95
6.	हरियाणा	783.00	81.00	124.27	50.83	126.30	148.33	386.60	381.60	389.40
7.	हि.प्र.	120.00	30.00	36.70	55.40	35.00	36.17	38.40	38.40	35.75
8.	जम्मू व कश्मीर	450.00	95.00	94.76	102.04	125.05	162.78	165.72	81.99	109.73
9.	कर्नाटक	973.00	159.00	263.26	211.66	232.00	162.41	248.12	258.97	236.18
10.	केरल	693.00	105.00	139.30	200.00	179.00	335.68	286.35	286.35	383.78
11.	म.प्र.	1300.00	265.00	262.00	262.00	304.00	209.80	108.33	352.80	159.66
12.	महाराष्ट्र	1530.00	250.00	246.25	383.85	397.71	500.00	504.25	609.94	568.05
13.	मेघालय	61.11	14.12	20.85	21.00	21.59	11.84	7.60	7.60	9.14
14.	उड़ीसा	620.00	75.92	71.88	120.31	126.79	149.08	332.96	659.90	280.00
15.	पंजाब	939.00	172.00	150.00	78.00	100.00	110.00	300.00	314.00	287.37
16.	राजस्थान	972.11	129.00	164.30	203.41	279.15	239.83	321.33	321.62	395.60
17.	तमिलनाडु	1383.60	170.00	160.00	198.60	239.65	416.12	466.28	529.49	549.77
18.	उत्तर प्रदेश	2800.00	257.72	437.30	770.87	1063.85	715.81	1060.20	971.00	830.82
19.	पश्चिम बंगाल	900.00	93.50	52.00	66.34	100.00	267.48	163.00	342.73	352.50
20.	झारखंड									50.00
21.	छत्तीसगढ									24.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ईडी									
1.	अरुणाचल प्रदेश	68.00	10.00	13.80	17.00	29.50	21.30	3.12	30.00	एन.ए.
2.	गोवा	46.06	9.28	11.60	16.74	16.50	18.73	13.80	29.40	29.90
3.	मणिपुर	77.00	19.50	21.58	24.68	30.23	24.11	17.00	16.79	22.43
4.	मिजोरम	43.00	11.41	8.35	6.03	9.31	17.30	22.62	25.36	28.55
5.	नागालैंड	28.10	7.26	4.06	4.00	4.76	3.20	3.43	5.46	3.19
6.	पांडिचेरी	38.22	10.70	12.90	17.15	23.91	15.69	13.20	18.07	19.24
7.	सिक्किम	40.00	6.00	6.00	10.00	10.50	11.66	12.45	15.51	12.29
8.	त्रिपुरा	40.00	7.50	7.50	4.95	14.83	14.66	20.43	20.00	9.33

स्रोत : योजना आयोग (रा.वि. बोर्डों और विद्युत विभागों के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट) मई, 2002।

विवरण-II

विद्युत की बिक्री

(मि.कि.वा.घं. में)

क्र.सं.	राज्य	1996–97 वास्तविक	1997–98 वास्तविक	1998–99 वास्तविक	1999–2000 (अनंतिम)	2000–01 (आरई)	2001–02 (एपी)
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य बिजली बोर्ड						
1.	आंध्र प्रदेश	21033	29344	25232	25809	28418	29781
2.	असम	1960	1877	1753	1809	1916	2060
3.	बिहार	6855	7337	7066	7662	7897	9099
4.	दिल्ली (डीवीबी)	6860	7956	8168	8407	9154	10259
5.	गुजरात	26696	26783	28828	31178	31435	32693
6.	हरियाणा	9062	8864	9290	9693	10958	11707
7.	हिमाचल प्रदेश	2721	2901	3047	3118	3268	3650
8.	जम्मू व कश्मीर	1988	2578	2873	2638	2812	3375
9.	कर्नाटक	15194	17586	15910	16150	17276	19553

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	केरल	7021	7666	9134	9793	10700	11830
11.	मध्य प्रदेश	23664	24612	26660	23474	25571	26531
12.	महाराष्ट्र	42698	43894	46328	41982	42598	47063
13.	मेघालय	462	551	518	589	606	608
14.	उड़ीसा	4877	5241	5169	10642	10822	11400
15.	पंजाब	17767	18808	21004	21837	22385	23081
16.	राजस्थान (ट्रांसको)	14065	15380	16346	16915	17686	18294
	राजस्थान जेनको					0	0
17.	तमिलनाडु	25659	26943	27862	30434	33290	36350
18.	उत्तर प्रदेश (पावर कारपोरेशन)	27041	27130	27130	26376	25310	28011
	उत्तर प्रदेश (टीपीजी कारपोरेशन)				0	0	0
	उत्तर प्रदेश (जेवीएनएल)				0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	9647	9790	9927	9561	10000	10500
	उप जोड़–1 (एसईबी)	265272	279841	292245	295367	311103	335844
	विद्युत विभाग						
1.	अरुणाचल प्रदेश	99	111	100	81	102	122
2.	गोवा	931	1057	1065	1024	1204	1322
3.	मणिपुर	286	322	180	173	182	250
4.	मिजोरम	124	84	103	114	138	172
5.	नागालैंड	127	132	129	138	165	182
6.	पांडिचेरी	845	938	1058	1240	1413	1559
7.	सिक्किम	86	92	101	106	108	119
8.	त्रिपुरा	259	314	397	406	419	490
9.	अन्य		759	759			
	उप जोड़–II (ईडी)	2759	3810	3891	3282	3732	4216
	कुल जोड़ (I + II)	268031	283650	296136	298649	314835	340061

स्रोत : योजना आयोग (रा.वि. बोर्डों और विद्युत विभागों के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट) मई, 2002।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार के दोहन की योजना

2815. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने आने वाले वर्षों में निवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूंजी बाजार के दोहन की योजना बनाने हेतु राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम और अन्य निगमों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विद्युत मंत्रालय की बहुत अधिक क्षमता बढ़ाने वाले कार्यक्रम की योजना के अनुसार है;

(ग) यदि हां, तो यह निगम मंत्रालयों के निर्देशों से कितना सहमत है; और

(घ) विद्युत बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में यह कहां तक सफल रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) से कहा है कि वे आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के द्वारा घरेलू पूंजी बाजार का उपयोग कर अपनी शेयर पूंजी का आधार बढ़ाए ताकि वे क्षमता अभिवृद्धि/विस्तार तथा अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इन निगमों ने पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए आरंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

बिहार में पेट्रोल पंप/एलपीजी एजेंसियां

2816. श्री राजो सिंह :

श्री सुबोध राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में कुल कितनी रसोई गैस एजेंसियां और डीजल/पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र खोजे जाने का प्रस्ताव है।

(ख) बिहार में वर्तमान में कितने पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियां चल रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में, बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 77 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा 120 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रस्ताव शुरू किए जाने के विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े हैं। तथापि चालू वर्ष में राज्य में शुरू होने वाली संभावित डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और खुदरा बिक्री केन्द्रों की सही संख्या निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। सामान्यतः साक्षात्कार की तारीख के बाद से किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप को शुरू करने में 6 से 12 माह का समय लगता है।

(ख) दिनांक 1.12.2002 को तेल विपणन कंपनियां बिहार राज्य में 219 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 813 खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही हैं।

(ग) बिहार राज्य में तेल विपणन कंपनियों के पास नामांकित एलपीजी ग्राहकों की मांग कुल मिलाकर पूरी की जा रही है।

कार्यक्रम परामर्शदात्री समितियां

2817. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में दूरदर्शन/आल इंडिया रेडियो की कार्यक्रम परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी समिति राजस्थान में भी गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन–कौन हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार की समिति के अभाव में विभाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सड़क उपरिपुल

2818. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जिले के गोमती नं. 1 और मानपुर को नालंदा, बाढ़, राजगीर ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिए तुरंत उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता है जहां भारी यातायात उतरता और चढ़ता है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्थान पर उपरिपुल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कब तक ये पुल बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) मानपुर–बंधुआ के बीच समपार सं. 67/ए के बदले उपरिपुल का कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पहुंच मार्ग (कार्य में अपने भाग) के अनुमान अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। बहरहाल, स्थल नक्शे तथा सामान्य व्यवस्था आरेखण पहले ही अनुमोदित कर दिए गए हैं। इस कार्य के लिए चालू वर्ष के दौरान 20 लाख रु. पहले से मुहैया करा दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण पर निर्भर करता है। रेलवे पहुंच मार्ग का कार्य पूरा होने या उसके साथ ही साथ अपने हिस्से का कार्य (रेलपथ पर पुल) पूरा कर लेगी।

[हिन्दी]

एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहीत किए गए लोगों को मुआवजा

2819. श्री सुबोध राय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भागलपुर और कहलगांव गांवों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या भूस्वामियों को अधिग्रहण के समय यह आश्वासन दिया गया था कि कम से कम उनके परिवार के एक व्यक्ति को एनटीपीसी में नौकरी दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से किन–किन को नौकरियां दी गई हैं और किन–किन को अभी नौकरी देना बाकी है;

(घ) शेष बचे लोगों को नौकरी में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष लोगों को एनटीपीसी द्वारा कब तक नौकरी दी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के कहलगांव स्थित परियोजना के लिए भागलपुर एवं गोड्डा जिले में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। झारखंड राज्य के गोड्डा जिले एवं बिहार राज्य के भागलपुर जिले में से कुल 66 गांवों के विस्थापितों की संख्या 4246 है।

(ख) भूमि अधिग्रहण के समय भूमि अधिग्रहण या अन्य प्रयोजनार्थ भूमि विस्थापितों को एनटीपीसी में नौकरी देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ग) से (ङ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

सुरक्षा श्रेणी में रिक्तियां

2820. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा श्रेणी में कर्मचारियों की कमी है जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर समयोपरि कार्य करने का दबाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप थकान होती है जो मानव चूक का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी अर्थात लोकोमोटिव गार्ड, स्टेशन मास्टर, सिगनल स्टाफ की श्रेणी में कितनी कमी है; और

(ग) रेलवे द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रिक्तियां होना तथा उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया

है और इन्हें भर्ती अथवा सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नत आदि करके भरा जाता है। एक निश्चित समयावधि में इस सतत प्रक्रिया में कुछ रिक्तियों का खाली रहना लाजमी है परन्तु सरकार की नीति रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की है। मानदंड के अनुसार कर्मचारियों को दुर्घटना, बाढ़, आन्दोलनों, उपस्कर की विफलताओं आदि जैसे कुछ आपवादिक मामलों में ही निर्धारित समयसीमा से अधिक समय तक कार्य करना पड़ सकता है। बहरहाल, संरक्षा कोटि में 1.11.2002 को ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों तथा सिगनल स्टाफ की रिक्तियों की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) समय से रिक्तियों को भरना, खास तौर पर संरक्षा कोटियों में, चयन/उपयुक्तता/विषय परीक्षा को आयोजित करने की स्थाई प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है। बहरहाल, अप्रैल 2002 में क्षेत्रीय रेलों को पुनः निर्देश दिए गए हैं कि संरक्षा कोटियों से संबंधित पदों को भरने पर कड़ी चौकसी रखने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि बनाए और विभिन्न बैठकों की स्थाई कार्यसूची में यह मसला निरपवाद रूप से शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

राजस्थान में लोको और सवारी डिब्बा कारखानों का आधुनिकीकरण

2821. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अजमेर स्थित ऐतिहासिक लोको और सवारी डिब्बा कारखानों का उनकी संस्थापित क्षमता की तुलना में कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दोनों निर्माणियों का आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन निर्माणियों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध क्षमता और चल स्टाक की आवधिक ओवरहालिंग की प्राप्ति के अनुसार अजमेर के रेल इंजन और सवारी डिब्बा कारखाने का पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1984-92 के दौरान अजमेर सवारी एवं माल डिब्बा तथा रेल इंजन कारखाने के लिए 31.81 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत पर एक वृहत् कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना आरंभ की गई थी। अजमेर कारखाने का और आधुनिकीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शहरों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

2822. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सभी बड़े शहरों को परिवहन प्रयोजन के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर ही निर्भर बनाने की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी महानगरों की तरलीकृत प्राकृतिक गैस की वार्षिक आवश्यकता के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी शहरों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की डिलीवरी देने हेतु आवश्यक अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) सभी शहरों के लिए ये प्रबंध करने के लिए समय-सारणी क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में गेल (इंडिया) लिमिटेड ने विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किए हैं जिनसे 554.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लखनऊ, कानपुर, आगरा, फरीदाबाद और पुणे में सीएनजी नेटवर्क की स्थापना करने की व्यवहार्यता सिद्ध हुई है। प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और अन्य सांविधिक अनुमोदनों आदि के अधीन पुणे में सीएनजी परियोजना अनुमोदन की तारीख से 24 महीनों के भीतर पूरी की जा सकती है

जबकि अन्य चार परियोजनाएं 18 महीनों के भीतर पूरी की जा सकती हैं।

उत्प्रेरक सुधार प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संबंधी संगोष्ठी

2823. डा. वी. सरोजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने हाल में "उत्प्रेरक सुधार प्रक्रिया प्रौद्योगिकी" (कैटालिटिक रिफार्मिंग प्रोसेस टेक्नोलाजी) के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में भाग लेने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तेलशोधक कारखानों के कार्यों की समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में संगोष्ठी में किए गए विचार–विमर्श के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या गैसोलिन प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई और अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

2824. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गैर–सरकारी क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र, गैर–सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र द्वारा इस समय कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) आज की तिथिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि.प्रा.) ने निजी क्षेत्र की 59 विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) प्रदान की है, जिनकी कुल क्षमता 29806.5 मे.वा. है। इसके अतिरिक्त कई विद्युत परियोजना प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके लिए के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति अपेक्षित नहीं है और इन्हें राज्य सरकार स्तर पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ग) निजी क्षेत्र में टी.ई.सी. प्राप्त 59 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं, जिनकी कुल क्षमता 1772.7 मे.वा. है, पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जा रही है और शेष 55 परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। कथित 55 परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं (दाभोल विद्युत परियोजना का चरण–I समेत) को चालू किया जा चुका है और 4 परियोजनाओं तथा महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना का चरण–II निर्माणाधीन है।

स्वीकृत/निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में 16 ताप विद्युत और 12 जल विद्युत परियोजनाएं, राज्य क्षेत्र में 22 ताप विद्युत और 22 जल विद्युत परियोजनाएं और संयुक्त क्षेत्र में 2 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।

नौवीं योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति

2825. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई और कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली पर आधारित व्यापक श्रेणी के अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का सम्पूर्ण देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है। नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई। मुख्य उपलब्धियों में लगभग 1340 मे.वा. का विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन; समग्र रूप से 13.02 मे.वा. की लगभग 4.68 लाख सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की संस्थापना; और 8.3 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों तथा 97.9 लाख उन्नत चूल्हों की संस्थापना शामिल है। नौवीं योजना के दौरान रिलीज/उपयोग की गई निधियों के राज्यवार विवरण विवरण-I में दिए गए हैं और नौवीं योजना के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों के राज्यवार विवरण विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी/उपयोग की गई राज्यवार निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि करोड़ रु. में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	80.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.30
3.	असम	6.03
4.	बिहार	7.82
5.	गोवा	0.61
6.	गुजरात	29.70
7.	हरियाणा	16.71
8.	हिमाचल प्रदेश	28.35
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8.83
10.	कर्नाटक	56.31
11.	केरल	24.19
12.	मध्य प्रदेश	40.87
13.	महाराष्ट्र	51.74
14.	मणिपुर	5.15
15.	मेघालय	4.82
16.	मिजोरम	21.36
17.	नागालैंड	6.23
18.	उड़ीसा	33.95
19.	पंजाब	39.99
20.	राजस्थान	32.39
21.	सिक्किम	21.44
22.	तमिलनाडु	23.66
23.	त्रिपुरा	8.48
24.	उत्तर प्रदेश	76.20
25.	पश्चिम बंगाल	65.89
26.	अंडमान एवं निकोबार	11.06
27.	चंडीगढ़	0.54
28.	दादरा व नगर हवेली	0.03
29.	दमन एवं दीव	0.07
30.	दिल्ली	3.58
31.	लक्षद्वीप	10.37
32.	पांडिचेरी	0.57
33.	छत्तीसगढ़	10.77
34.	झारखंड	0.13
35.	उत्तरांचल	1.42
36.	अन्य	148.15
	कुल	903.69

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत मेगावाट	एसपीवी विद्युत किलोवाट	लघु पनबिजली मेगावाट	बायोमास विद्युत मेगावाट	बायोमास गैसीफायर किलोवाट	अपशिष्ट से ऊर्जा मेगावाट	बायोगैस संख्या	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी संख्या	उन्नत चूल्हा संख्या लाख में	एसपीवी पम्प संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	38.30	275.00	68.60	100.20	8720.00	9.20	101061	10.00	10.33	203
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	933	0.00	0.02	0
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	722	2.00	0.08	0
4.	बिहार	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	3211	0.00	0.19	38
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745	0.00	0.19	1
6.	गुजरात	20.10	0.00	0.00	0.50	8175.00	2.45	48223	42.00	4.60	8
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10667	0.00	2.76	100
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	4005	0.00	0.65	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.16	2
10.	कर्नाटक	62.80	30.00	41.80	74.60	3170.00	1.00	96057	5.00	2.55	204
11.	केरल	0.00	25.00	23.00	0.00	105.00	0.00	6325	56.00	1.62	472
12.	मध्य प्रदेश	13.00	100.00	2.41	5.00	1000.00	2.70	67898	5.00	4.01	57
13.	महाराष्ट्र	393.80	75.00	31.71	15.50	1300.00	1.90	64666	154.00	5.67	50
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736	0.00	0.10	11
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330	4.00	0.00	5
16.	मिजोरम	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	1489	0.00	018	4
17.	नागालैंड	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	778	10.00	0.29	0
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	48224	11.00	7.93	2
19.	पंजाब	0.00	100.00	9.30	2.00	40.00	0.75	28129	210.00	2.82	777
20.	राजस्थान	16.10	50.00	0.57	0.00	0.00	0.00	5166	22.00	3.26	110
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1007	0.00	0.26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	तमिलनाडु	181.30	50.00	2.80	51.50	2020.00	0.23	9087	15.00	3.75	297
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	815	0.00	0.44	0
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	100.00	9.10	40.00	1320.00	1.00	49249	359.00	8.79	146
25.	पश्चिम बंगाल	1.10	75.00	0.00	0.00	2715.00	0.00	66581	39.00	13.57	3
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.06	0
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7
28.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.03	0
29.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	21.00	0.06	42
31.	लक्षद्वीप	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.21	7
33.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3000	8.00	0.18	0
34.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
35.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634	15.00	0.00	1
36.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210092	811.00	22.26	0

एसपीवी–सौर प्रकाशवोल्टीय

सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी–सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन मिल संख्या	एरो–जनरेटर किलोवाट	सौर कुकर संख्या	सौर प्रकाशवोल्टीय एसएलएस संख्या	एचएलएस संख्या	एसएल संख्या	पीपी किलोवाटपीक	एसएडीपी संख्या	आईआरईपी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	12.00	1011	559	418	23028	3.00	6	160
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	31	18	698	3419	0.00	4	50
3.	असम	0	0.00	0	0	1573	366	0.00	9	105
4.	बिहार	12	0.00	0	106	776	24235	0.00	10	280
5.	गोवा	0	0.00	209	39	20	443	0.00	2	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	277	0.00	25463	312	2519	28665	0.00	6	125
7.	हरियाणा	0	0.00	1827	536	9097	23625	0.00	10	190
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	3727	815	7914	12197	0.00	6	225
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0.00	0	30	8758	6477	40.00	7	140
10.	कर्नाटक	17	8.00	0	369	4156	7034	6.00	4	210
11.	केरल	35	8.00	0	122	7633	17966	40.00	1	220
12.	मध्य प्रदेश	0	0.00	15271	305	87	2216	0.00	8	425
13.	महाराष्ट्र	22	54.30	6259	374	640	4888	0.00	13	185
14.	मणिपुर	0	0.00	0	19	650	3116	0.00	10	95
15.	मेघालय	0	0.00	200	5	310	2720	3.00	6	80
16.	मिजोरम	0	0.00	0	82	385	5252	0.00	6	55
17.	नागालैंड	0	0.00	0	0	135	95	0.00	5	125
18.	उड़ीसा	0	0.00	531	3598	2430	5856	3.00	4	225
19.	पंजाब	0	0.00	8383	1606	2520	13813	36.00	7	200
20.	राजस्थान	150	4.00	1613	1607	27736	4925	25.80	7	180
21.	सिक्किम	0	0.00	0	34	279	524	0.00	3	20
22.	तमिलनाडु	32	24.50	0	391	469	10307	10.00	9	105
23.	त्रिपुरा	0	0.00	40	512	1440	17260	0.00	7	30
24.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	11855	638	45557	40572	0.00	11	575
25.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	3052	534	24608	1542	240.00	5	170
26.	अंडमान एव निकोबार	2	0.00	0	43	15	536	0.00	6	25
27.	चंडीगढ़	0	0.00	165	0	275	1675	0.00	3	5
28	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	5
29.	दमन एवं दीव	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	5
30	दिल्ली	0	0.00	195	0	375	2184	10.00	4	25
31	लक्षद्वीप	0	0.00	0	211	13	6053	0.00	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	पांडिचेरी	0	5.00	14	0	0	422	0.00	2	30
33.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	363	1157	848	0.00	0	0
34.	झारखंड	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
35.	उत्तरांचल	0	0.00	0	0	2000	4500	0.00	5	0
36.	अन्य	0	0.00	12469	0	476	19925	0.00	10	0

एसएलएस–सडक रोशनी प्रणालियां, एचएलएस–घरेलू रोशनी प्रणालियां, एसएल–सौर लालटेन, पीपी–विद्युत संयंत्र, एसएडीपी–विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम, आईआरईपी–एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

खानपान सुविधा

2826. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी खानपान सुविधाएं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं बनाई हैं;

(ख) क्या रेलगाड़ियों में परोसा गया भोजन बड़ा अस्वास्थ्यकर होता है और खाना परोसने वाले कपों और प्लेटों आदि धोने के लिए शौचालय के पानी का प्रयोग करते हैं;

(ग) रेलवे यह सुनिश्चित करने में कितना विफल रहा है कि खानपान विभाग क्षेत्र में निचले स्तर के कर्मचारियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए;

(घ) क्या रेलवे का विचार रेलवे के खानपान विभाग में सुधार लाने हेतु गैर–सरकारी संगठनों की सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेलवे ने खानपान सुविधाओं में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किए हैं।

(ख) केसरोल, बैन–मेरीज का उपयोग करके फूड प्लाजा खोलकर तथा पेय पदार्थ आदि के लिए स्वचालित वेंडिंग मशीनों का उपयोग करके खानपान सेवा में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पेपर कप और प्लेटों के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जिन्हें धोने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) क्षेत्रीय रेलें और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) खानपान कर्मचारियों को समय–समय पर प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करा रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

देवनहाली विमानपत्तन का रेल सम्पर्क से जोड़ना

2827. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्तमान यशवंतपुर–येलहांका रेलवे लाइन का देवनहाली विमानपत्तन तक विस्तार करने हेतु सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गैस मूल्य फार्मूला की समीक्षा करने हेतु राजस्थान का प्रस्ताव

2828. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गैस मूल्य संबंधी फार्मूला की समीक्षा करने और गैस मूल्य तथा परिवहन प्रभार उचित रूप से निर्धारित करने हेतु राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार गैस मूल्य संबंधी फार्मूला की समीक्षा करने और गैस मूल्य और परिवहन प्रभार निर्धारित करने पर नए सिरे से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में गैस मूल्य की कब तक समीक्षा की जाएगी और प्राकृतिक गैस के स्रोतों के उपयोग हेतु कब तक गैस के विशेष मूल्य अधिसूचित करके उचित स्तर पर परिवहन प्रभार पुनर्निर्धारित किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास के लिए एक दीर्घकालिक नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की चरणबद्ध नियंत्रणमुक्ति और प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की चरणबद्ध समाप्ति का प्रावधान है। उपर्युक्त नीति के अनुसार प्राकृतिक गैस के मूल्य बाजार निर्धारित होने चाहिए। राजस्थान सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने, सरकार से प्राकृतिक गैस के मूल्य में कोई वृद्धि न करने का अनुरोध किया है। सरकार द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुद्दे पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार के अनुरोधों सहित सारे घटकों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना

2829. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं में अब तक कितने गैर–सरकारी संगठन लगे हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) देश में पवन, बायोमास, लघु पनबिजली और सौर ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से अब तक लगभग 3700 मेवा. की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित कर ली गई है। इसमें से निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से 2351 मेवा. क्षमता वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में आई है। इसमें 1639 मेवा. की पवन विद्युत परियोजनाएं; 415 मेवा. की बायोमास विद्युत एवं खोई सहउत्पादन परियोजनाएं; 275 मेवा. की लघु पनबिजली परियोजनाएं और 22 मेवा. की अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। ये वाणिज्यिक परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में निजी विकासकर्ताओं, निवेशकों और 'उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई हैं।

[अनुवाद]

उपस्थानीय कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना

2830. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में उपस्थानीय प्रभार केन्द्र शुरू किए हैं/शुरू करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की औसतन कवरेज क्या है; और

(ग) दूरदराज के क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए उपस्थानीय कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की औसतन कवरेज में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की प्राथमिक रेंज लगभग

15–20 कि.मी. है। वे अल्प शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र जहां नैरोकास्टिंग प्रारम्भ कर दी गई है/प्रारम्भ की जानी है, निम्नानुसार हैं :

अकोला, हिसार, कोयम्बटूर, पालाक्कड़, बेल्लारी, बिलासपुर, अमालापुरम, पटियाला, सागर, फिरोजपुर, नैनीताल और हजारीबाग। महाराष्ट्र के अकोला में तथा कर्नाटक के बेल्लारी में दो नैरोकास्टिंग केन्द्रों का उद्घाटन नवम्बर, 2002 के प्रथम सप्ताह में किया गया है।

(ग) अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है तथा इसे उपलब्ध साधनों तथा परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए शुरू किया जाता है।

पार्सल चढ़ाना और उतारना

2831. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे स्टेशनों पर पार्सल चढ़ाने और उतारने की ठेका प्रणाली बंद कर दी गई है;

(ख) कितने रेलवे स्टेशनों पर पार्सलों को चढ़ाने और उतारने के कार्य के लिए लाइसेंसधारी कुलियों की बजाय ठेकेदारों द्वारा बिना लाइसेंस वाले कुलियों को लगाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने पार्सल चढ़ाने और उतारने की ठेका प्रणाली को बंद करने का निर्णय किया है;

(घ) क्या इस संबंध में किया गया निर्णय सभी रेलवे स्टेशनों पर कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सभी रेलवे स्टेशनों पर पार्सल चढ़ाने और उतारने के कार्य के लिए लाइसेंसधारी कुलियों को लगाने हेतु कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पार्सलों के लदान और उतराई के लिए ठेका प्रणाली को बंद नहीं किया गया है।

(ख) ठेकेदार पार्सलों के लदान और उतराई के लिए अपनी शर्तों पर मजदूरों को लगाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे स्टेशनों पर पार्सलों के लदान और उतराई के लिए लाइसेंसधारी कुलियों को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सौर ऊर्जा द्वारा उत्पादित विद्युत

2832. श्रीमती प्रभा राव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और उनसे कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया और उनसे कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ख) क्या इन संयंत्रों से आपूरित विद्युत घरेलू और अन्य उपयोगों के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मौजूदा और नए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की सुविधा और खोज हेतु राज्यों की सहायता करने के लिए राज–सहायता, प्रशुल्क ढांचा और प्रोत्साहनों के रूप में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2002 के अनुसार देश में स्थापित सौर विद्युत संयंत्रों और इन विद्युत संयंत्रों से अनुमानित वार्षिक विद्युत उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संयोजित 1.329 किवा.पी. क्षमता सहित इन विद्युत संयंत्रों की समग्र सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) क्षमता 3.783 किवा.पी. है। इनमें से लगभग 1.200 किवा.पी. एसपीवी क्षमता के विद्युत संयंत्र ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन विद्युत संयंत्रों से रोजाना लगभग 4–5 घंटों के लिए रोशनी, टी.वी., पंखे, रेडियो और अन्य घरेलू इस्तेमालों तथा छोटी दुकानों के लिए बिजली मिलती है। प्रति किवा. पी. स्थापित क्षमता से 20 परिवारों की औसत संख्या के लाभान्वित होने के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार के सौर विद्युत संयंत्रों से लगभग 24,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 2.24 लाख और परिवार अपने घरों में स्थापित सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों से लाभान्वित हो रहे हैं।

सरकार भी अन्वेषण और संसाधन सर्वेक्षणों तथा विस्तृत

परियोजना रिपोर्टों के लिए अनुदान उपलब्ध कराकर विद्यमान और नए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करने और उपयोग करने के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सहायता मंत्रालय की पूंजीगत और/अथवा ब्याज सब्सिडी योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है। मंत्रालय की ब्याज सब्सिडी योजनाओं का कार्यान्वयन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) लि. और कुछ बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, इस प्रकार की प्रणालियों के विनिर्माताओं और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए कर-लाभ और रियायती शुल्क भी उपलब्ध है।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2002 के अनुसार स्थापित सौर विद्युत परियोजनाओं और इन संयंत्रों से अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/अन्य	सौर विद्युत संयंत्र (केडब्ल्यूपी)	अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (हजार यूनिट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	296.60	445
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.9	12
3.	असम	3	5
4.	गोवा	1.72	3
5.	गुजरात	39.70	60
6.	हरियाणा	24.2	36
7.	जम्मू एवं कश्मीर	40	60
8.	कर्नाटक	33.0	50
9.	केरल	69.70	105
10.	मध्य प्रदेश	362.40	544
11.	महाराष्ट्र	191.44	287
12.	मणिपुर	11	17
13.	मेघालय	42	63
14.	नागालैंड	6	9
15.	उड़ीसा	36.50	55
16.	पंजाब	151	227
17.	राजस्थान	90.40	136
18.	तमिलनाडु	242	363
19.	त्रिपुरा	24.57	37
20.	उत्तर प्रदेश	424	636
21.	उत्तरांचल	80	120
22.	पश्चिम बंगाल	453.70	681
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	167	251
24.	दिल्ली	15	23
25.	लक्षद्वीप	385	578
26.	अन्य (गैर-सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राज्य के कार्यक्रम)	584	877
	कुल	3783	5675

उन्नत चूल्हों हेतु धनराशि

2833. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत चूल्हों के बारे में राष्ट्रीय कार्यक्रम का हस्तान्तरण राज्य सरकारों को किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों को पर्याप्त धनराशि दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्य रूप से पंचायत संस्थाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी के द्वारा स्थानीय स्तर पर रखरखाव और मरम्मत/सर्विसिंग सहित विकेन्द्रित कार्यान्वयन की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एनपीआईपी) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य योजना क्षेत्र को स्थानान्तरित करने के लिए पहचान की गई अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में से एक है।

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के हस्तांतरण संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) समिति द्वारा निधियों के प्रावधान सहित योजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की संभावना है। समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2002 तक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चालकों हेतु कार्य घंटे

2834. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल चालकों हेतु अधिकतम कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर, 2002 के दैनिक जागरण में "नींद की हालत में चालक ने देहरादून एक्सप्रेस को मुगलसराय पहुंचाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) ड्राइवरों के कार्य के घंटे रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय xiv में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुरूप विनियमित किए जाते हैं। रेलों पर ड्राइवरों को 'सतत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा 14 दिनों की दो सप्ताह की अवधि में औसतन प्रति सप्ताह 54 घंटे के लिए कार्य करना सांविधिक रूप से अपेक्षित होता है। परन्तु उनके रोस्टर घंटे दो सप्ताह के औसतन आधार पर प्रति सप्ताह 52 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 9.9.2002 को रफीगंज के निकट 2301 अप राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना के परिणामस्वरूप यातायात बाधित हुआ और 14.9.2002 को 3009 अप के ड्राइवर को निर्धारित ड्यूटी घंटों से अधिक कार्य करना पड़ा क्योंकि 14.9.2002 को 3009 अप के अतिरिक्त ठहराव देने पड़े। दुर्घटनाओं, बाढ़ आंदोलन, उपस्कर की विफलताओं आदि जैसी आपात स्थिति में कर्मीदल द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करने के लिए मुहैया कराए गए मानदण्डों के अनुसार इस मामले में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है।

बिहार में रेल परियोजनाएं

2835. श्री राजो सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नई/लंबित/चल रही रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इसमें परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) बिहार में नई परियोजनाओं सहित चल रही विभिन्न परियोजनाओं, उनकी लागत और 2002-2003 के लिए परिव्यय के ब्यौरे सहित स्थिति और चल रहे सर्वेक्षणों के ब्यौरे सहित किया गया खर्च नीचे दिया गया है। इन निर्माण कार्यों की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जा रही है। ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उनकी समग्र प्राथमिकता के अनुरूप प्रगति कर रही हैं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2002 तक खर्च (करोड़ रु. में)	2002–2003 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	नई लाइनें				
1.	कोडरमा–तिलैया	307.71	0.01	10	3 किलोमीटर लम्बाई को छोड़कर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। कार्य 2005–2006 तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है।
2.	राजगीर–हिशुआ–तिलैया	180.82	207.3	15	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। 31 गांवों की भूमि ले ली गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी और छोटे पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई चल रही है। नतेसर–इस्लामपुर के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। कार्य 2006–2007 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
3.	फतुआ–इलामपुर बिहार शरीफ–बारबीघा–शेखपुरा से नई लाइन के लिए एम एम सहित बहाली	232.83	42.99	15	फतुआ–इस्लामपुर खंड पर संपर्क पूरा हो गया है और कार्य 15.12.2002 तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है। बिहार शरीफ–बारबीघा खंड पर भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्यों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई चल रही है।
4.	मुंगेर–गंगा नदी पर रेल पुल	600	0.01	5	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी हैं। इस कार्य को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ लागत भागीदारी के आधार पर शुरू किया जाएगा। आंशिक विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। भूमि अधिग्रहण और निविदा के कार्य के लिए प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
5.	मुजफ्फरनगर–सीतामढ़ी	200	5.31	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। सीतामढ़ी यार्ड की 1 किमी लंबाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और मुजफ्फरपुर छोर की 20 किमी लंबाई के लिए निविदाएं दे दी गयी हैं।
6.	आरा–सासाराम	120	27.45	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। बड़े पुलों सासाराम–नौका खण्ड पर जहां भूमि उपलब्ध है, कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
7.	पटना और हाजीपुर के बीच संपर्क लाइन के साथ पटना–गंगा पुल	624.47	10.17	50	दोनों पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। बोल्डर आपूर्ति और मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। पुल अवसंरचना के लिए ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है। पाटलीपुत्र स्टेशन इमारत और कोचिंग टर्मिनल सुविधा के लिए निविदा देने की प्रक्रिया की गई है।
8.	खगड़िया–कुशेश्वरस्थान	150	5.8	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। खगडिया यार्ड में मिट्टी संबंधी पूरा हो गया है।
9.	बनका–बरहात और बनका–भिटिया रोड से एम एम विस्तार सहित देवगढ़–सुल्तानगंज	312	17.04	15	बनका सुल्तानगंज और बनका–भिटिया रोड का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष भाग पूरा हो गया है। अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। बनका में स्टेशन इमारत की नींव का कार्य पूरा हो गया है।
10.	दुमका के रास्ते मंदारहिल–रामपुर हाट	170.47	14.46	7	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। मिट्टी, छोटे पुल संबंधी कार्य और दुमका स्टेशन की इमारत का कार्य प्रगति पर है।
11.	दुरौधा–महारगंज	8.56	1.4	5	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है और 75 प्रतिशत मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य को 2002–03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
12.	सकरी–हसनपुर	89.7	20.5	10	भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन					
1.	दौराम–मधेपुरा तक एमएम एक्सटेंशन सहित मानसी–सहरसा	89.5	26.59	15	35 किमी. लम्बाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और सभी 12 छोटे पुलों संबंधी कार्य पूरा हो गया है। 10 पुलों में से 4 पुलों का कार्य पूरा हो गया है और 5 पुलों के लिए ठेके दे दिए गए हैं। मानसी–सहरसा कार्य को 31.3.2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	जयनगर–दरभंगा–नर–कटियागंज	335.77	10.55	15	मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों की प्रगति विभिन्न चरणों में है। जयनगर–दरभंगा–सीतामढ़ी के कार्य को 31.3.2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
3.	समस्तीपुर–खगड़िया	70	5	5	मिट्टी संबंधी कार्य के लिए दो सहित निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया गया था और 12.6.2002 को खोला गया था। विस्तृत अनुमान स्वीकृत है।
4.	मुजफ्फरनगर – रक्सौल (रक्सौल–बीरगंज)	130.07	7.1	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
5.	हाजीपुर–बछवाड़ा	75.56	74.43	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
6.	समस्तीपुर–दरभंगा	41.5	37.97	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
7.	कप्तानगंज–थावे–सीवान–छपरा	268	0.08	10	कप्तानगंज–छपरा के लिए मिट्टी संबंधी कार्य के लिए 4 ठेके दे दिए गए हैं। सीवान–थावे के मिट्टी संबंधी कार्य के लिए 2 ठेके दे दिए गए हैं और कार्य शुरू हो गया है।
8.	नरकटियागंज–बाल्मिकीनगर	67.55	66.84	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
9.	छपरा–औड़िहार	170.93	170.01	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
10.	कटिहार–जोगबनी (कटिहार–राधिकापुर सहित)	400	1	10	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
दोहरीकरण					
1.	कजरा–क्यूल	21.45	–	0.01	नक्शे और अनुमान का कार्य प्रगति पर है।
2.	पटना–परसा बाजार	14.39	14.34	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
3.	परसा बाजार–पनपन	17.46	12.46	5	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 2002–03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	पुनपुन–तरेगना	44.42	12.16	5	भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। एक बड़ा पुल पूरा हो गया है।
5.	तरेगना–जहानाबाद	43.62	–	0.001	2002–03 के पूरक बजट में नए कार्य शामिल किए गए हैं।
6.	गया–चकंद	26.12	–	2	नक्शे और निविदा अनुसूची शुरू हो गई है। अनुमान स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6
7.	कर्पूरीग्राम–सिहो	30.98	8.03	10	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 25 छोटे पुलों में से 14 पूरे हो गए हैं। 2002–03 के दौरान दोहरीकरण के कुछ भाग के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	छपरा–हाजीपुर	73.06	7.6	11	अंतिम स्थान निर्धरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के दो ठेको को अंतिम रूप दे दिया गया है।
9.	सोननगर–मुगलसराय	268.15	253.94	0.01	कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
10.	साहिबगंज–न्यू फरक्का–मालदा	67.07	67.06	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
11.	कटिहार–सीमापुर	17.23	–	1.66	नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है।
रेल विद्युतीकरण					
1.	सीतारामपुर–दानापुर–मुगलसराय	363.36	358.58	3.94	कार्य पूरा हो गया है।
2.	पटना–गया	41.24	0.001	5	कार्य शुरू हो गया है और मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सर्वेक्षण प्रगति पर है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (लाख रुपए में)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
नई लाइनें			
1.	जयनगर–जमताला	1.35	31.8.2003
2.	जयनगर–रायदीघी बरास्ता उदयरामपुर	1.69	31.8.2003
3.	गया–चत्रा अपडेटिंग	5.94	31.12.2002
4.	पीरपेंटी–एनटीपीसी का मेरी–गो–राउंड	1.78	31.12.2002
5.	झाझा–गिरिडीह बरास्ता सोनू चकाई	5.74	30.6.2003
दोहरीकरण			
1.	भागलपुर–बरहरवा	8.64	31.8.2003
यातायात सुविधाओं संबंधी कार्य			
1.	पटना, अनुरक्षण सुविधाओं को इष्टतम बनाना	5.00	निर्धारित नहीं है

सड़कों का निर्माण

2836. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य रोका हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जोधपुर जिले में चल रही बनाड–जाजीवाल

बिश्नोईगांव रेलवे लाइन के निकट सड़कों का निर्माण कार्य आपके मंत्रालय द्वारा बंद कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पूर्वोक्त रुका हुआ निर्माण कार्य कब तक पुनः शुरू किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जोधपुर के बानार सामान्य क्षेत्र में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा एक कच्चे रास्ते को पक्की सड़क में बदलने के कार्य को सितंबर 2001 में रोक दिया गया है क्योंकि यह रास्ता संवेदनशील रक्षा स्थापना के अत्यंत नजदीक से रक्षा भूमि से होकर गुजर रहा था और इस कारण सड़क का पुनः आरंभ करना संभव नहीं होगा।

(ख) जी, नहीं। उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित सड़क को छोड़कर किसी अन्य सड़क का कार्य नहीं रोका गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रशासनिक नीतियों संबंधी अध्ययन

2837. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे और रेलवे बोर्ड ने यह जानने हेतु काई विस्तृत अध्ययन किया है कि क्या भर्ती नीति, प्रोन्नति संबंधी नीति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्य करने के नियमों की व्यवहार्यत, काम करने की स्थितियां और कर्मचारियों के मनोबल से संबंधित प्रणालियों में कोई खामी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों का क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण

2838. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया का निजीकरण और विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के विनिवेश के मामले में उसमें काम करने वाले श्रमिकों और कामगारों के संबंध में क्या योजना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात् सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत रुग्ण घोषित किया हुआ है। बीआईएफआर जो कि एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, ने सीसीआई को पूर्णरूप से या इसके संयंत्रों को पृथक रूप से या सामूहिक रूप से बेचने का निदेश पहले ही दे दिया है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सीसीआई में सेवानिवृत्ति की योजना पहले से ही लागू है।

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में भारत-फ्रांस संयुक्त अनुसंधान और विकास

2839. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए मंच बनाने हेतु सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कुछ अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत और फ्रांस के बीच चल रहे रक्षा सहयोग के बारे में और ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

रेलवे ट्रेड अप्रेंटिस

2840. श्री एम. के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे एवं अन्य जोनों में स्थायी नौकरियों में खपाए जाने का इंतजार कर रहे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित, रेलवे ट्रेड अप्रेंटिसों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे प्रशिक्षित कार्मिकों को खपाए जाने एवं उनकी सेवाओं का उपयोग करने संबंधी नीति क्या है; और

(ग) विद्यमान ट्रेड अप्रेंटिसों को विभिन्न जोनों में कब तक खपा लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) देश में विकासशील उद्योगों के लिए औद्योगिक कौशल में पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति मुहैया कराने के उद्देश्य से कतिपय निर्धारित ट्रेड में अप्रेंटिसों को प्रशिक्षित करना अप्रेंटिस अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है। श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, रेलों में विभिन्न यूनिटों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। अप्रेंटिस नियम 1991 की अनुसूची V के पैरा 10 के अन्तर्गत नियोजक किसी भी अप्रेंटिस जिसने उसकी संस्थापना में अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है, को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही अप्रेंटिस, नियोजक के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होगा। बहरहाल, रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं कि भर्ती के मामले जिनमें अन्य बातें समान हैं, संबद्ध ट्रेड में प्रशिक्षित अप्रेंटिस को रेलवे में अन्य उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय रेल पर विगत तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान प्रशिक्षित अधिनियम अप्रेंटिस की संख्या अनुमानतः 4229 (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में प्रशिक्षित 59 अप्रेंटिस सहित) है। उपरोक्त के दृष्टिगत, विभिन्न जोनों में समाहन के लिए प्रतीक्षित अप्रेंटिस और समय जब तक मौजूदा ट्रेड अप्रेंटिसों को समाहित करने की संभावना है, का प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

राजस्थान में पेट्रोल पंप

2841. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किन योजनाओं के अंतर्गत तेल कंपनियों ने विभिन्न व्यक्तियों को संचालन हेतु पेट्रोल पंप प्रदान किए हैं;

(ख) तेल कंपनियां किन–किन जिलों में स्वयं पेट्रोल पंपों का संचालन कर रही है और वे कहां–कहां हैं;

(ग) राजस्थान में किन–किन जिलों में पेट्रोल पंप किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है और उन्हें वर्तमान में भूस्वामियों को उनके स्वामित्व के आधार पर प्रदान किया गया है; और

(घ) ऐसे पेट्रोल पंप कितने हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जिस योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों ने राजस्थान राज्य में विभिन्न व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए हैं उनमें विपणन योजनाएं, 'आपरेशन विजय' (कारगिल) में शहीद हुए रक्षा कार्मिक की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए विशेष योजना और सरकार का विवेकाधीन कोटा सम्मिलित है।

(ख) तेल विपणन कंपनियां राजस्थान में 'कंपनी के स्वामित्व और कंपनी द्वारा प्रचालित' आधार पर कई जिलों में विभिन्न स्थानों में कई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का प्रचालन कर रही हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य में किसी भी तेल विपणन कंपनी द्वारा किसी भूस्वामी को केवल उसके भूमि स्वामित्व के आधार पर कोई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आवंटित करने के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उच्च प्रौद्योगिकी वाले यंत्र

2842. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सुरक्षा वर्ग' में वर्गीकृत किए गए रेल कर्मचारी उच्च प्रौद्योगिक वाले यंत्रों का संचालन करने में समुचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं हैं जिसके कारण हाल ही में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वर्ग के कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। खरीदे गए नए प्रौद्योगिकीय उपकरण का गहन उपयोग करने से पूर्व संरक्षा कोटि के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रौद्योगिकी के बदलाव

के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन करके कर्मचारियों की आवधिक तौर पर ज्ञान और क्षमता के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वेतन हेतु राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश

2843. श्रीमती प्रभा राव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ वेतन वृद्धि और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की थी, की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में वित्तीय अड़चनें हैं और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किए जाने की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायिक आयोग की विभिन्न सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या निर्णय लिया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित 10 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफ.एन.जे.पी.सी.) की सिफारिशों को लागू करने में होने वाला व्यय (आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार का व्यय) 372.33 करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक राज्य में बढ़ाई जाने के लिए सिफारिश की गई न्यायाधीशों की पदसंख्या, जिसे प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के लिए 13 न्यायाधीश के विद्यमान अनुपात से बढ़ाकर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के लिए 50 न्यायाधीश किया जाना है, विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) केंद्रीय सरकार ने संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत, जिनके संबंध में वह प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को भागतः स्वीकार कर लिया है और तारीख 11.10.2001 और तारीख 11.03.2002 के कार्यान्वयन आदेशों द्वारा उन्हें लागू किया है। जहां तक प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय में अंतर्विष्ट उसके निदेशों को लागू करने का संबंध है, राज्य सरकारों ने निर्णय का अनुपालन करने में वित्तीय और सांविधानिक कठिनाइयां व्यक्त की हैं और केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायालय को इन कठिनाइयों से अवगत कराते हुए और उपयुक्त समय बढ़ाए जाने की मांग करते हुए आवेदन फाइल किए थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 25.11.2002 के आदेश में यह निदेश दिया है कि जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के उच्चतर वेतनमानों को लागू करने का संबंध है, उसे तारीख 1 अप्रैल, 2003 को या उससे पूर्व प्रभावी किया जाए और उस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों के साथ ही संघ के बजट में आवश्यक बजट संबंधी प्रावधान किए जा सकते हैं। मामले को आगे और निदेशों के लिए मई, 2003 के दूसरे सप्ताह में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य की न्यायाधीश पदसंख्या में अपेक्षित वृद्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या		2001 की भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार न्यायाधीशों की कुल अपेक्षित पदसंख्या (50 : 10 लाख व्यक्ति)	जनसंख्या अनुपात के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या
		पदों की संख्या	निम्नलिखित तारीख को			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	682	6/2002	75,727,541	3786	3104

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	293	12/1998	1,091,117	55	0
3.	असम	259	6/2001	26,638,407	1332	1073
4.	बिहार	1137	5/2002	82,878,796	4144	3007
5.	छत्तीसगढ़	189	6/2002	20,795,956	1040	851
6,	गोवा	44	6/2002	1,343,998	67	23
7,	गुजरात	655	6/2002	50,596,992	2530	1875
8.	हरियाणा	266	6/2002	21,082,989	1054	788
9.	हिमाचल प्रदेश	100	6/2002	6,077,248	304	204
10.	झारखंड	551	6/2002	26,909,428	1345	794
11.	जम्मू-कश्मीर	197	5/2002	10,069,917	503	306
12.	कर्नाटक	677	6/2002	52,733,958	2637	1960
13.	केरल	380	6/2002	31,838,619	1592	1212
14.	मध्य प्रदेश	792	5/2002	60,385,118	3019	2227
15.	महाराष्ट्र	1280	7/2001	96,752,247	4838	3558
16.	मणिपुर	32	6/2001	2,388,634	119	87
17.	मेघालय	8	6/2002	2,306,169	115	107
18.	मिजोरम	35	6/2001	891,058	45	10
19.	नागालैंड	21	6/2000	1,988,636	99	78
20.	उड़ीसा	483	6/2002	36,706,920	1835	1352
21.	पंजाब	301	6/2001	24,289,296	1214	913
22.	राजस्थान	790	6/2001	56,473,122	2824	2034
23.	सिक्किम	12	6/2001	540,493	27	15
24.	तमिलनाडु	767	6/2001	62,110,168	3106	2339
25.	त्रिपुरा	75	6/2002	3,191,168	160	85
26.	उत्तर प्रदेश	2136	5/2002	166,052,859	8302	6166
27.	उत्तरांचल	183	6/2002	8,479,562	424	241
28.	पश्चिमी बंगाल	588	6/2001	88,221,171	4411	3823
	योग	12933		1,018,562,158	50927	38232

लंबित मामले

2844. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि न्यायालयों में बकाया मामलों से गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही हैं और दस से पन्द्रह वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले अनिवार्य रूप से लोक अदालतों को भेजने के विचार को बल मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समय कुल कितनी लोक अदालतें काम कर रही हैं;

(घ) लोक अदालतों को कितने मामले अग्रेषित किए गए हैं; और

(ङ) इन लोक अदालतों ने न्यायालयों में बकाया मामलों में कितनी कमी की है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) तारीख 21.7.2002 के 'द हिन्दू' के नई दिल्ली संस्करण में रिपोर्ट किए गए अनुसार भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री बी. एन. कृपाल ने भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करने के पश्चात् उपस्थित विशिष्ट जनों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि न्यायालय में बकाया मामलों की संख्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है और यह विचार रखा था कि 10 से 15 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को अनिवार्य रूप से लोक अदालतों को भेजा जाए।

(ख) लोक अदालतों को मामले निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 20 के अधीन उपबंधित है। इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा किसी मामले को लोक अदालत को तभी निर्दिष्ट किया जा सकता है जब दोनों पक्षकार सहमत हों या जब कोई एक पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और न्यायालय का प्रथमदृष्ट्या रूप से यह समाधान हो जाता है कि परस्पर समाधान की संभावनाएं हैं या जब न्यायालय का पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए उपयुक्त है।

(ग) से (ङ) आज तक, देश भर में आयोजित 1,39,172 लोक अदालतों के माध्यम से 1.43 करोड़ से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्वक समाधान किया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों की स्थापना

2845. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोल पंप सरकार द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यमान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया और किस प्राधिकरण ने यह सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे पेट्रोल पंपों की स्थापना के समय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) विगत में सरकार के विवेकाधीन कोटे के तहत आवंटित कुछेक खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंप) के अलावा देश में विद्यमान सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों का सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आवंटन संबंधित तेल कंपनियों/सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र परिमाण–दूरी मानकों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को स्थापित करने के लिए स्थान तेल विपणन कंपनियों द्वारा आवधिक रूप से किए गए व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर विपणन योजनाओं में शामिल किए जाते हैं। 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन से पूर्व संबंधित तेल कंपनियों द्वारा तैयार की गई विपणन योजनाओं को सरकार के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाता था। दिशानिर्देशों/निर्देशों के अतिक्रमण के मामलों, यदि जानकारी में आते हैं, के बारे में संबंधित तेल कंपनियों/सरकार के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अधीनस्थ न्यायपालिका के अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु विशेष अन्वेषण विभाग की स्थापना

2846. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक विशेष अन्वेषण विभाग स्थापित किया है जो अधीनस्थ न्यायपालिका एवं उनकी निपटान दरों, वादियों आदि के द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों संबंधी अभिलेखों का रख-रखाव करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के लिए ऐसे ही विभागों का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (घ) जी, हां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम बनाती है। राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्य इन नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की दशा में, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन, 1999 ने इस संबंध में न्यायाधीशों के लिए 15 सूत्रीय आचार-संहिता अंगीकृत की है। तथापि, सरकार के पास एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायपालिका के लिए आचार-संहिता तैयार करेगा।

यह ध्यान रखा जाता है कि निष्ठावान व्यक्तियों को भरती/प्रोन्नत किया जाए। पारदर्शिता को बढ़ाने और जानकारी तक सहज पहुंच के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे भ्रष्ट व्यवहारों की गुंजाइश कम होती है।

भटिंडा में तेल शोधक कारखाना

2847. श्री भान सिंह भौरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा, पंजाब में स्थापित किए जा रहे गुरु गोविन्द सिंह तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की अनुमति न मिलने के कारण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यह, तेल शोधक कारखाना किस तिथि से कार्य करना आरंभ करेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) गुरु गोविन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा भटिंडा (पंजाब) में रिफाइनरी परियोजना स्थापित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा सभी अनुमोदन दे दिए गए हैं। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है और इसके दसवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं

2848. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है और उन परियोजनाओं से राज्य को कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी;

(ख) उक्त परियोजनाओं की अनुमानित लागत का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत संयंत्रों

की स्थापना करने हेतु कितनी निधि आवंटित की गई है/आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान राज्य में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

परियोजना का नाम/जिला	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का समय	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
केन्द्रीय क्षेत्र			
बारसिंगसार लिग्नाइट आधारित टीपीपी, जिला—बीकानेर	250	10वीं योजना	1138.34
राज्य क्षेत्र			
रामगढ़ सीसीजीटी, चरण—2, जिला—जैसलमेर	75.325	जीटी—2 : 07.08.02 एसटी—03/2003	300.10
कोटा टीपीएस चरण—4 जिला—कोटा	195	07/2003	634.78
सूरतगढ़ टीपीएस चरण—3 जिला—श्री गंगानगर	250	06/2003	752.738

इसके अलावा मथानिया सीसीपीपी, जिला जोधपुर (140 मे.वा.) को भी 10वीं योजना में स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। उक्त परियोजना की लागत 817.63 करोड़ रु. है। परियोजना को वित्तीय समापन से 36 महीने में चालू किया जाना निर्धारित है। अब तक वित्तीय समापन नहीं प्राप्त किया गया है। परियोजना को केएफडब्ल्यू, जर्मन/पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

योजना आयोग में गठित विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने 10वीं योजना में राजस्थान राज्य सरकार के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु 7777 करोड़ रु. के परिव्यय की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

कालोनियों की गलियों और आम रास्तों पर अवैध गेट

2849. श्री सईदुज्जमा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रायः सभी आवास कल्याण संघों (रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन) ने गलियों और आम रास्तों पर अवैध रूप से गेटों का निर्माण कर कानून को अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालय और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी कालोनियों में गेटों के अवैध निर्माण और इनके संचालन के खिलाफ फैसला दिया है; और

(ग) क्या सरकार कानून के शासन को पुनःस्थापित करके इन सभी गेटों को अवैध घोषित कर इस मामले में समुचित कार्यवाही करेगी?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशनों ने गलियों/छोटी गलियों में गेट लगाए हैं। सरकार को सिविल रिट सं. 5523/2000 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश की भी जानकारी है जिसमें नई दिल्ली में ग्रीन पार्क और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में लगाए गए गेटों को खुला रखने और उनके संबंध में चौकीदार रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। दिल्ली नगर निगम ने, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएसनों द्वारा गेटों के निर्माण को विनियमित करने के लिए दिल्ली पुलिस के परामर्श से दिशा—निर्देश भी जारी किए हैं।

आदर्श स्वच्छ स्टेशनों की नई योजना

2850. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रेलवे द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आदर्श स्वच्छ स्टेशनों की एक नई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की योजना शुरू की गई है; और

(घ) इस नई योजना के अन्तर्गत चयनित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों के राज्य—वार नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में सफाई के मानक में

महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से रेलों की प्रौद्योगिकी को सहक्रियात्मक बनाकर, उपयोगकर्ताओं को जागरूक बनाकर, कर्मचारियों के कौशल में उन्नयन और बेहतर उपस्कर की व्यवस्था करके बहुतरफा कार्रवाई करने की योजना है।

(ग) और (घ) यह योजना उत्तर रेलवे के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर शुरू की गई है। इस योजना में शामिल करने के लिए निम्नलिखित स्टेशनों की राज्यवार पहचान की गई है :

1. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस–महाराष्ट्र
2. हावड़ा–पश्चिम बंगाल
3. पटना–बिहार
4. गोरखपुर–उत्तर प्रदेश
5. जयपुर–राजस्थान
6. गुवाहाटी–असम
7. चेन्नै सेंट्रल–तमिलनाडु
8. सिकंदराबाद–आंध्र प्रदेश
9. रांची–झारखंड
10. मुम्बई सेंट्रल–महाराष्ट्र

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के रूप में नागालैंड संसदीय क्षेत्र

2851. श्री के. ए. सांगतम : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इस संसदीय क्षेत्र के साथ इसका उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के रूप में घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग ने संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 द्वारा नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को साधारण (अनारक्षित) निर्वाचन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम होते हैं। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का पुनर्विलोकन करना वर्तमान परिसीमन आयोग का कार्य है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

2852. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने दीपु (आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और लक्षद्वीप (जनजाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की भांति कोकराझार (जनजाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं.–5 को विशेष संरक्षण दिए जाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 में लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं अंतर्विष्ट हैं। इस संबंध में असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के स्वायत्त जिलों की बाबत कतिपय उपांतरणों को छोड़कर साधारण नियम यह है कि लोक सभा में स्थान भरने हेतु चयन किए जाने के लिए अर्हित होने के लिए किसी व्यक्ति को किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह अर्हता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की दशा में भी समान रूप से लागू होती है। इस प्रकार, सरकार कोकराझार (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई संशोधन लाना समुचित नहीं समझती है।

भारत-अमेरिका रक्षा उद्योग संबंधी संगोष्ठी

2853. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.आई.आई. द्वारा हाल ही में भारत–अमेरिका रक्षा उद्योग संबंधी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस संगोष्ठी में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात की शीघ्र मंजूरी हेतु अमेरिकी प्रशासन से कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो अमेरिकी प्रशासन की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सी.आई.आई. ने 12 नवम्बर, 2002 को यू.एस.–इंडिया बिजलेंस काउंसिल के साथ 'इंडो–यू.एस. डिफेंस इंडस्ट्री' पर एक अर्ध दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) संगोष्ठी में सामान्य प्रकृति के विषयों पर चर्चा के साथ–साथ भारत के सुरक्षा सरोकार, अमरीका तथा भारतीय रक्षा उद्योग के मध्य सहयोग हेतु संभावनाओं तथा अवसरों तथा इस संबंध में भारतीय पक्ष के सरोकार जैसे विषय शामिल थे।

(ग) से (ङ) संगोष्ठी में समयबद्ध निर्यात अनुमति तथा बिना रुकावट उत्पाद सहायता की जरूरत पर बल दिया गया था। चूंकि संगोष्ठी का आयोजन सी.आई.आई. तथा यू.एस. इंडिया बिजनेस काउंसिल ने संयुक्त रूप से किया था तथा इसमें अमरीकी कंपनियों ने भाग लिया था, अतः सरकारी प्रतिक्रिया का कोई अवसर नहीं था।

जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी हिस्सेदारी

2854. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी हिस्सेदारी हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा जल विद्युत उत्पादन हेतु राज्य को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव को जल विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसयूज) को भेजा गया है। केन्द्रीय उपक्रम उन राज्यों के साथ जहां परियोजनाएं स्थित हैं, किए गए समझौता करार ज्ञापन के मार्फत विभिन्न राज्यों में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करते हैं। यह उन राज्यों के लिए है, जहां परियोजनाएं स्थित हैं तथा संबंधित केन्द्रीय उपक्रमों को राजस्थान सरकार के अनुरोध पर विचार करना है जहां केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा स्थापित की जा रही हैं। नई विद्युत परियोजनाओं के करारों पर क्रियान्वयन हेतु सहमति हो। भारत सरकार उन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए इच्छुक है जिससे जल विद्युत विकास में तेजी आएगी।

(ग) भारत सरकार किसी राज्य को विशेषतः राज्य क्षेत्र के जल विद्युत उत्पादन के लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि यह अपने सार्वजनिक उपक्रमों के मार्फत या संयुक्त उपक्रम के रूप में राज्यों से इक्विटी हिस्सेदारी कर राज्यों के फायदे के लिए जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करती है, जैसे टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी), सतलुज जल विद्युत निगम (पूर्व में नाथपा झाकड़ी 'पावर कारपोरेशन तथा नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचडीसी)।

पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना

2855. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना के मुद्दे पर विचार करने हेतु विधि आयोग से कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस समय लंबित कितने पर्यावरणीय मामलों का निपटान पर्यावरणीय न्यायालयों द्वारा किया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (II) बनाम प्रोफेसर एम.वी. नायडू (सेवानिवृत्त) और अन्य, 2000

(8) स्केल, 23 के मामले में अपने निर्णय के पैरा 71 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया :

"चूंकि पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अधिकांश कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हमारा विचार यह है कि विधि आयोग पर्यावरणीय विधियों के पुनर्विलोकन और अन्य देशों के अनुभवों को देखते हुए, न्यायिक सदस्यों के अतिनिक्त, पर्यावरणीय विधि में विशेषज्ञों वाले पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करे।"

उपरोक्त निर्णय को देखते हुए विधि आयोग ने हमारे देश में पर्यावरण न्यायालयों के गठन के उद्देश्य से पर्यावरणीय विधियों का अध्ययन आरंभ किया है। इस विषय पर अध्ययन अभी चल रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि पर्यावरणीय न्यायालयों को अभी गठित किया जाना है और उनकी शक्तियों, अधिकारिता और प्रक्रिया को अभी निर्धारित किया जाना है, इसलिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है।

[हिन्दी]

विद्युत की उत्पादन और खरीद लागत

2856. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वहन की जाने वाली खरीद, उत्पादन लागत की तुलना में राज्यों के उपभोक्ताओं के लिए नियत शुल्क में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत की उत्पादन और खरीद लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु क्या शुल्क दर निर्धारित की गई है; और

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को कितनी हानि हुई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6231/2002]

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6232/2002]

(ख) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6233/2002]

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6234/2002]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6235/2002]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : महोदय, मैं श्री के. जना कृष्णामूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6236/2002]

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) प्रसारण (इंजीनियर) सेवा विनियम, 2001 जो 27 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन–10/12/1001–पीबी सेल में प्रकाशित हुए थे।

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ इंजीनियर पद) सेवा विनियम, 2002 जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन–10/1/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(3) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामेन ग्रेड–II पद सेवा विनियम, 2002 जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. एन–10/20/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(4) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (बढ़ई, पेंटर, ड्राईवर, सहायक परिवहन पर्यवेक्षक और परिवहन सहायक पद) सेवा विनियम, 2002 जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन–10/12/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(5) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (हेल्पर, खलासी और मोटर क्लीनर पद) भर्ती विनियम, 2002 जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. एन–10/22/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(6) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (जूनियर प्रोग्राम पद) भर्ती विनियम, 2002 जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन–10/24/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(7) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक और सम्बद्ध पद) सेवा विनियम, 2002 जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. एन–10/14/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6237/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महा की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003

के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6238/2002]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6239/2002]

(4) अधिसूचना संख्या एफ.सं. पी-20021/5/99-पीपी जो 20 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद हेतु लाइनें बिछाए जाने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6240/2002]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य में मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं डा. बल्लभभाई कथीरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6241/2002]

(ख) (एक) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6242/2002]

(ग) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 20001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6243/2002]

(घ) (एक) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6244/2002]

(2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के

बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6245/2002]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन विधेयक, 2002 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

[हिन्दी]

रेल संबंधी समिति

की-गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, 'रेल वित्त' संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रमोद महाजन की ओर से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 9 दिसम्बर, 2002 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा

1. आज की कार्यसूची में बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।
3. वर्ष 2002–03 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (1) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001
   (2) कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001
   (3) भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2002
   (4) संपत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक, 2002
   (5) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2002
   (6) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002
   (7) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रक (भूमि और यातयात) विधेयक, 2002
5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (1) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002
   (2) प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) संशोधन विधेयक, 2002

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद को शामिल किया जाए :

केन्द्र सरकार को राज्यों को उनकी जनसंख्या और अन्य व्याप्त स्थितियों के दृष्टिगत अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए अधिकार संपन्न बनाने के लिए समुचित विधान लाने के लिए आगे आना चाहिए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

(i) केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन ज.ूरी है।

(ii) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य निधि के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय मैं आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. बिहार की वित्तीय स्थिति पर विचार–विमर्श।

2. देश में काले धन की वृद्धि और उसे रोकने पर विचार–विमर्श।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्न विषय जोड़ने की कृपा करें :

1. अन्तर्राज्यीय सिंचाई बांध बानसागर की नहरें शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा जिससे वर्ष 2003 तक इस बांध से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सके तथा चचाई प्रपात से अधिकतम बिजली उत्पादन हो सके।

2. केन्द्रीय वन अधिनियम 1980 के कारण मध्य प्रदेश के सतना जिला की अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाएं– पटना जलाशय योजना तथा श्यामनगर एवं परहट सिंचाई योजनाओं को केन्द्रीय वन तथा पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने तथा बांधों को नहरों समेत शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा।

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं :

1. हमारे देश में आज भी लाखों बाल मजदूर हैं। ये मासूम बच्चे स्कूल की दहलीज पर कदम ही नहीं रख पाते, बचपन से ही श्रम की भट्ठी में झोंक दिए जाते हैं। इनका बचपन छीन लिया जाता है। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम भी बाल मजदूरों को श्रममुक्त नहीं कर सका। बच्चों को शोषण से बचाने, शिक्षा तथा सर्वांगीण विकास के अवसर दिलाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग के समान राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया जाना चाहिए। बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय समिति के गठन जैसे कदमों का उठाया जाना आवश्यक है। बाल कल्याण के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की आवश्यकता।

2. देश सूखे का सामना कर रहा है, इससे स्थाई रूप से निपटने हेतु जल संरक्षण की दीर्घकालीन और व्यापक नीति बनाना बहुत जरूरी है। चैक डैम, स्टापडैम, तालाबों का जीर्णोद्धार, नये तालाब खोदना तथा वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पूर्ण करने जैसा काम तुरन्त हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए व्यापक एवं दीर्घकालीन जल संरक्षण की नीति पर चर्चा की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

1. सरकार ने स्मिथ और स्टेन स्ट्रीट फार्मास्युटिकल इकाई को बंद करने का निर्णय किया है। यह इकाई कोलकाता में स्थित है। सरकार ने इस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। कर्मचारियों को वी.एस.एस. के भुगतान के संबंध में अनिश्चितता है।

2. ए.ए.आई.एफ.आर. ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की दुर्गापुर और बरौनी इकाइयों के बंद करने के बी.आई.एफ.आर. के निर्णय को वापस भेज दिया है और इस फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा है। सरकार को एच.एफ.सी.एल. की दो इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु बी.आई.एफ.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करने का सुझाव देता हूं :

1. परंपरागत रूप से मत्स्यन का कार्य कर रहे मछुआरे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा मत्स्यन

और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निगमों के प्रवेश के कारण गरीबी का जीवन बिता रहे हैं। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलता। उन्हें अन्य लोगों के स्तर तक उठाने के लिए जरूरी है कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों जैसे लाभ और स्तर दिए जाएं।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाये पदों को भरा जाना है। लाभार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकार का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस संवैधानिक दायित्व को पूरा न करने वाले राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में जरूरी विधान लाया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के रोजगार अवसरों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :

1. मेरा संसदीय क्षेत्र जलगांव (महाराष्ट्र) देश में केले के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर प्रतिदिन देश के कोने–कोने से व्यापारी आते हैं, लेकिन एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव न होने से उन्हें काफी तकलीफ होती है, इसलिए जलगांव में सभी एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :

1. देश में बच्चों के लिए एक ऐसे निकाय की जरूरत है, जो बच्चों की शिक्षा, बाल श्रम व बाल विवाह जैसी स्थितियों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर केन्द्र एवं राज्य सरकार को अवगत कराता रहे तथा सरकारी कार्यक्रम प्रभावी बनाए जा सकें।

2. बिलासपुर से पौड़ी मंडला मार्ग वाया मुंगेली तथा राष्ट्रीय मार्ग निर्माण करने की स्वीकृति दी जाए। छत्तीसगढ़ के उक्त राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या–11, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, प्रक्रियानुसार पहले हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे और उसके बाद 'शून्य काल' होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रक्रियानुसार चलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : इसी में जीरो ऑवर खत्म हो जाएगा।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* कभी हमारी तरफ भी देखना चाहिए। इस तरह जीरो ऑवर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।...*(व्यवधान)*

[**جناب جی۔ایم بنات والا (پوننانی)**: اسی میں زیرو آور ختم ہو جائیگا۔ ...(مداخلت) یہ ٹھیک نہیں ہے۔...(مداخلت) کبھی ہماری طرف بھی دیکھنا چاہئے۔اس طرح زیرو آور کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔...(مداخلت)]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया जानते हैं। मैं नियमबद्ध हूं। नियमानुसार सभा पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तीन माननीय सदस्यों के नाम हैं। पहला नाम श्री लक्ष्मण गिलुवा का है।

अपराह्न 12.11 बजे

[हिंन्दी]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही कठिनाइयां

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में आ रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की स्वस्थ परम्परा की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमारे समाज ने मानव जीवन, विशेषकर आदिवासियों के लम्बे समय तक अस्तित्व में बने रहने और प्राकृतिक वनों के रख–रखाव के बीच के नजदीकी संबंध की सदैव प्रशंसा की है। तथापि, स्वतंत्रता के बाद, विकास के दबाव से वन भूमि का विभिन्न गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु व्यापक रूप से अपयोजन हुआ है। 1950 से 1980 की अवधि के दौरान वन भूमि के अपयोजन की दर 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष थी जो कि गंभीर राष्ट्रीय चिंता का एक कारण बना।

यह महसूस करते हुए कि वन भूमि का कम होना एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है जिसमें केन्द्र और राज्यों को एक सकारात्मक भूमिका निभानी होती है, 'वन' विषय को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तत्पश्चात् इस सम्माननीय सभा द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अधिनियमित किया गया जबकि वनों का संरक्षण, विकास और प्रबंधन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों को राज्यों के लिए छोड़ दिया गया। अधिनियम ने काफी हद तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है क्योंकि वन भूमि के अपयोजन की दर जो 1980 से पूर्व 1.5 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी घटकर लगभग 25,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के अपयोजन हेतु अनुमोदन लेते समय वानिकी और परिवेशीय दृष्टि से अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से यह अधिनियम वन भूमि के अविवेकी अपयोजन को रोकने में सफल रहा है। वास्तव में वनों का संरक्षण करके यह अधिनियम आदिवासियों और ऐसे अन्य स्थानीय लोगों की हितों की रक्षा करता है जो अपने भरण–पोषण के लिए वन संसाधनों पर काफी निर्भर रहते हैं।

वर्ष 1980 से लेकर अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 5.76 लाख हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन हेतु कुल 8015 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन सभी महत्वपूर्ण मामलों और मुद्दों की प्रगति की निगरानी करता हूं जो माननीय सदस्य द्वारा मेरे ध्यान में लाए जाते हैं, और यह सुनिश्चित करता हूं कि इन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए। अक्तूबर, 1999 में पर्यावरण और वन मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने उक्त अवधि के दौरान नए प्राप्त 2492 प्रस्तावों सहित 3487 प्रस्ताव अनुमोदित किए और इस प्रकार लगभग 1000 बकाया प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

जहां तक आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जनउपयोगिता और बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी प्रस्तावों को तैयार करते और उन पर निर्णय लेते समय सर्वोच्च प्राथमिकता और विशेष ध्यान दिया जाता है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध आदिवासी लोगों के अधिकारों या उन्हें दी गई रियायतों और विशेषाधिकारों के संबंध में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते अथवा उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा कुछ मामलों का गलत निपटान करने के कारण उनमें से कुछ को वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले माना जाता है। मंत्रालय वनों की गलत परिनिर्धारण प्रक्रिया से उद्भूत आदिवासी लोगों के 1980 से पूर्व के विवादित परिनिर्धारण दावों का निपटान करने हेतु वचनबद्ध है। यदि राज्य सरकारें संगत रिकार्ड के साथ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो वन भूमि पर आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे को निपटाया जा सकता

[श्री टी. आर. बालू]

है। इस संबंध में, मंत्रालय ने 30.10.2002 को सभी राज्यों को एक समयबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजने हेतु एक पत्र जारी किया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में 65,000 हेक्टेयर से अधिक के आदिवासी अतिक्रमण को नियमित करने का आदेश दिया है। इसी प्रकार, मंत्रालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश के तीन जिलों में 9,940 हेक्टेयर वन भूमि के वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने को स्वीकृति दी है। मंत्रालय इस प्रकार के मुद्दों का निपटान करने को वचनबद्ध है बशर्ते कि राज्य अपने प्रस्ताव भेजें।

इन प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) की अवधारणा के अंतर्गत आदिवासी जनता के जीवन यापन हेतु दूरगामी महत्व के कुछ अन्य उपाय भी किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम में काफी तेजी आई है और 27 राज्यों में 14 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की लगभग 65,000 जे.एफ.एम. समितियों के सहयोग से देख-रेख की जा रही है। जे.एफ.एम. के अंतर्गत लगभग 27 लाख परिवारों में से 12 लाख से अधिक आदिवासी परिवार हैं। मंत्रालय ने वन विकास एजेंसियों, जो ग्राम स्तर जे.एफ. एम. समितियों का एक संघ है, के माध्यम से वनों के पुनर्सृजन के अलावा रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। जिससे न केवल मूलतः आदिवासी ग्रामीण लोगों को वैकल्पिक आर्थिक जीवनयापन प्राप्त होता है अपितु इससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिलता है।

मैं आदिवासी लोगों के पक्ष में इस कार्य को जारी रखने के हक में हूं। सरकार ऐसे उन्नयनकारी कार्य जारी रखेगी और ऐसे उपाय करती रहेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन संरक्षण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच सही सामंजस्य बना रहे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस जिले में सरंडा वन अवस्थित है। इस देश में सरंडा सबसे बड़ा वन है, जिसमें 700 पहाड़ियों की शृंखलाएं हैं। आज इस वन की स्थिति यह है कि दिनोंदिन कटाई होने की वजह से इसकी दुर्दशा हो गई है। मुझे लगता है, यदि यही स्थिति रही, तो यह वन रेगिस्तान में बदलने में देर नहीं लगेगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह वन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सम्पत्ति है। यदि समय रहते वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आदिमजाति या जनजाति लोगों को दी जाए, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वन की कटाई हो रही है, उसमें कमी आएगी और कुछ हद तक प्रदूषण की समस्या भी दूर होगी। मैं खास तौर से उस वन में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले उस क्षेत्र में या उस जंगल में रहने वाले जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, वह सुविधा अभी तक नहीं दी गई है।

महोदय, हम आदिवासी और जनजाति लोगों की बात करते हैं। इन लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पीने का शुद्ध जल मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिलता है। वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के गांवों तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है, इस कारण भी उन्हें काफी कठिनाई होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन लोगों तक पहुंचने के लिए रास्ता होना चाहिए। सरकार इस चीज को भी मानती है कि समाज की अंतिम पंक्ति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग खड़े हैं। सरकार को चाहिए कि इन्हें पूरी सुविधाएं पहुंचाए। उस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनके सामने सिंचाई की भी काफी तकलीफें हैं। मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र में सिंचाई के साधन जुटाने के दृष्टिकोण से कुएं, तालाब, चक डैम आदि बनाने चाहिए, जिससे वहां रहने वाले लोग अपनी सिंचाई कर सकें तथा अपना जीवनयापन कर सकें। वहां राजस्व गांव नहीं हैं, वन गांव हैं। वहां राजस्व गांव स्थापित करें और उन्हें उसके अधिकार प्राप्त हों। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, आज वनों की जो स्थिति है, जंगल में रहने वाले जनजाति के लोग और स्थानीय लोगों की जहां जंगल को बचाने में भागीदारी है। हमारे झारखंड राज्य में लोग जंगल की कटाई को रोकते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। वहां के अधिकारी जंगल को काटते हैं या कटवाते हैं। जंगल को उजाड़ने में वन विभाग के अधिकारियों का हाथ है। हमारे राज्य का नाम झारखंड है, जो जंगलों से घिरा हुआ है। वहां के स्थानीय और जनजाति के लोग मिलकर जंगलों को बचाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जंगल बचेगा। जो लोग जंगल को बचाते हैं, उनके लिए सुख-सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, उनके लिए शिक्षा का कोई अच्छा स्कूल नहीं है। पेयजल की सुविधा नहीं है। वहां पीने के लिए पानी का ठीक से प्रबंध होना चाहिए। पहाड़ों के ऊपर जब पानी रुकता है तो पानी रिसता है और जब पानी रिसता है तो जंगल हरा–भरा रहता है। इसलिए इस दिशा में जंगल क्षेत्र में जोरदार काम होना चाहिए, जिससे हम जंगलों को बचा सकें। पहाड़ों तथा जंगलों में जनजाति के लोग वर्षों और सदियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस जंगल में रहने वाले लोगों के लिए सिंचाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। चक डैम बनने चाहिए, पानी का ठीक से प्रबंध होना चाहिए, तालाब और कुएं बनने चाहिए, तभी वे लोग जंगलों को भी बचाएंगे, जिससे पूरा क्षेत्र अच्छा हो पाएगा।

अध्यक्ष जी, जिस क्षेत्र में जंगल हैं वहां बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। रिजर्व फारेस्ट के चलते वहां रोड भी नहीं बन पाते हैं। मैं माननीय वन–विभाग के मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए वे पूरी शक्ति के साथ कदम उठाएं और इस दिशा में काम करें जिससे जंगल भी बचे और जनजाति समाज के लोग भी बचें और जंगल अच्छे रह सकें।

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : अध्यक्ष जी, हमने भी अपना नाम दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा के अतिरिक्त, किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माफ करें। मैं नियमबद्ध हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें, सम्बद्ध करने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें रूल बड़ा क्लीयर है कि जिन लोगों ने नोटिस दिया है उन्हीं लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। दूसरे किसी भी सांसद महोदय को मौका नहीं दिया जाएगा। तीन मैम्बर्स के नोटिस हैं जिनमें से दो अभी बाकी हैं। सच कहें तो इस पर केवल प्रश्न पूछना बाकी रहता है। मैं अब श्री बंगरप्पा को बुला रहा हूं।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष जी, आज देश में 300 जिले हैं जहां जंगल नहीं हैं। उनके लिए कुछ नहीं है। जंगल बचें, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने जंगल बचाए हैं उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। हम चाहते हैं कि नियम 193 के अंतर्गत हमें बोलने की इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम श्री बंगरप्पा के अनुरोध पर ही इस पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि श्री बंगरप्पा ने यह आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, मैंने इसे सभा में विचारार्थ लिया है। और चूंकि दोनों सदस्य जो इस विषय पर बोल चुके हैं, आदिवासी हैं, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स पूरे होने में परेशानी हो रही है...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करायी जाए।...*(व्यवधान)* चार जिलों में इविक्शन के नोटिस दिए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री बंगरप्पा ने सूचना दी है। अतः उन्हें ही बोलने की अनुमति दी जाएगी। आज इस मुद्दे पर भी बंगरप्पा के अनुनय पर ही विचार के लिए लिया गया है। कृपया बोलिए।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को आज की कार्यसूची में रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, मैं आपसे बोलने की अनुमति चाहूंगा क्योंकि इस मुद्दे पर बोलने में थोड़ा अधिक समय लगेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझसे अनुमति मांगेंगे, तो माफ करें मैं अनुमति नहीं दे सकता। आप लंबा भाषण दे सकते हैं किंतु यदि आप इसके लिए मेरी अनुमति मांगेंगे तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस. बंगरप्पा : मैं यह समझता हूं।

मैं वक्तव्य देने के लिए माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं। उनके वक्तव्य के अनुसार यह मुद्दा वन क्षेत्र के बीच में

[श्री एस. बंगरप्पा]

रह रहे आदिवासी लोगों से संबंधित है। तथापि मेरी मंशा इस तक ही सीमित नहीं है। यदि आपने मेरी सूचना पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यह उन गरीब लोगों से संबंधित है जिन्होंने वन में जन्म लिया और शताब्दियों से वनों में रह रहे हैं तथा अपनी जीविका के लिए भूमि के छोटे टुकड़े पर खेती कर रहे हैं। अतः इसमें आदिवासी ही नहीं अन्य लोग भी शामिल हैं। हो सकता है कि अपनी सूचना में मैंने केवल आदिवासी लोग शब्द का ही प्रयोग किया है और इसलिए, शायद माननीय मंत्री ने वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वक्तव्य दिया। अतः आपकी अनुमति से मुझे न केवल आदिवासी लोगों अपितु वनों के बीच रहने वाले अन्य लोगों के बारे में भी बोलने की अनुमति दी जाए।

इस मामले से संबंधित तीन या चार पहलू हैं। पहला, यह है कि जहां तक जमीनी वास्तविकता का संबंध है, सही स्थिति क्या है ? फिर उसका कानूनी और संवैधानिक पहलू आता है। इसका सही हल क्या है ? ये ही तीन-चार मुद्दे हैं जिनके संबंध में चर्चा हो रही है। जहां तक आदिवासियों की स्थिति का संबंध है, महोदय, आपके माध्यम से मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अभी अपनी बात कही है। इस देश में लोगों ने अनेक परियोजनाओं के लिए कुर्बानी दी है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में श्रावती घाटी जल विद्युत परियोजना है, जो एक समय एशिया में सबसे बड़ी परियोजना थी, के लिए लोगों ने लाखों एकड़ भूमि का त्याग कर दिया।

इन लोगों को लारियों और ट्रकों में ले जाकर 1960 में वन में बसा दिया गया। ऐसा 30-40 साल पहले हुआ। कुछ लोगों को राज्य के कानूनों के अंतर्गत पट्टे दिए गए थे क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में अस्तित्व में आया। इससे पहले, सभी राज्य सरकारों के अपने-अपने अधिनियम थे क्योंकि यह विषय राज्य सूची में था। अब इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। उन लोगों को कोई पट्टा नहीं दिया गया जिन्होंने अपनी भूमि का त्याग कर दिया था और अभी भी वनों में रह रहे हैं।

उदाहरण के लिए, हम उन लोगों की बात करते हैं जो केरल में इदुक्की और वायनाड के क्षेत्रों में रह रहे हैं। हम नीलगिरि, तमिलनाडु; पश्चिमी घाट में; रत्नागिरि और विदर्भ महाराष्ट्र; मध्यप्रदेश जहां स्थिति भयानक है; आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, सौराष्ट्र, गुजरात; और उड़ीसा में रहने वाले आदिवासियों को भी ले सकते हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जैसे अनेक स्थान हैं जहां विद्युत उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्य से बांध बनाए गए हैं।

सभी जातियों, आस्थाओं और धर्मों से संबंधित लोग वनों में रहते हैं। उन्होंने वहां जन्म लिया है। वे पेड़-पौधों के साथ रहे हैं। उन्होंने इन वनों की रक्षा की है।

महोदय, 1980 के केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार राज्य वनों की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार की एजेंसियां हैं। केन्द्र सरकार देश की सारी वन भूमि की रक्षोपाय करने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती है। इसलिए, 1980 के अधिनियम के अंतर्गत यह राज्य सरकारों के माध्यम से इन सभी चीजों की व्यवस्था करती है। इससे पूर्व राज्य सरकारों के पास गरीब लोगों को कुछ वन भूमि देने के अधिकार थे, इसे प्रायः समितियों अथवा इसके अपने अधिकारियों के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता था। यह स्थिति पहले की थी। मैं यह नहीं कहता कि आपको संपूर्ण वन भूमि को क्षीण कर देना चाहिए। मैं जानता हूं कि विश्व में लगभग 30 से 33 प्रतिशत भूमि पर वन हैं। यूरोप में 41 प्रतिशत भूमि पर वन हैं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड, फिलीपीन्स और म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में वन भूमि बहुत कम है। भारत में हमारे पास 19 प्रतिशत वन भूमि है। मैं जानता हूं कि वन भूमि का समाप्त होना अच्छी बात नहीं है। जनसंख्या और वाहनों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप वातावरण में प्रदूषण की उच्च दर हो गई। इससे वर्षा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन इसी समय हमें उन आदिवासी लोगों की सहायता भी करनी होगी जो कि पिछले कई वर्षों से वनों में रह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : क्या आप एक मिनट के लिए चुप रह सकते हैं?

श्री एस. बंगरप्पा : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है कि आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। आप शांत कैसे रह सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, कर्नाटक से आने वाले माननीय सदस्य वन भूमि के विनाश और आदिवासियों के पुनर्वास पर बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति दी गई है। वह इस पर बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव : लेकिन कर्नाटक में वनों का सबसे बड़ा विनाशक वीरप्पन है, वह जंगलों को लूट रहा है। आपने उसके बारे में क्या किया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा वीरप्पन से संबंधित नहीं है।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, दो दिन पहले के समाचार पत्र पाइनियर में यह समाचार था कि कर्नाटक सरकार के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कर्नाटक सरकार ने श्री राजकुमार की रिहाई के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए; यदि आप इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो आपको अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी चाहिए। अध्यक्षपीठ से अनुमति लिए बिना आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे एक अपील करनी है। गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। इस तरह के सभी छोटे-मोटे व्यवधान कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देने चाहिए।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : वास्तविक मुद्दा यह है, चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। भारत सरकार अनुमति देने के लिए तैयार है। यही बात उन्होंने कही है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां हैं, वह स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार : इधर-उधर की बातों में कोई तथ्य नहीं होता। यदि हम वास्तव में समाधान ढूंढ़ने में रुचि रखते हैं तो राज्य सरकार को प्रस्ताव करना होगा और भारत सरकार को उसे मंजूरी देनी होगी...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : यह वीरप्पन का प्रश्न नहीं है। उन्हें इस मुद्दे से क्या मिला है? आप इन सभी चीजों को नहीं समझ सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने का प्रयास न करें, आप अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हमें एक-दूसरे से झगड़ना चाहिए। यह आदिवासियों से संबंधित बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही रोक दिया है।

श्री एस. बंगरप्पा : मैं यह कह रहा था कि 1980 के अधिनियम के अंतर्गत एजेंसी राज्य सरकार है, कई लोगों के पास आधा एकड़ कृषि भूमि है जिसके लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी है, ये लोग आपके राज्य और देश के प्रत्येक हिस्से में हैं। हमें पूरे देश के लाखों बेजुबानों और निसहाय लोगों जो आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं की समस्याओं को निपटाना होगा। जहां तक इन लोगों के दीर्घकालिक हितों की व्यवस्था का संबंध है मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करना चाहता हूं कि हम वास्तव में उनके लिए क्या कर रहे हैं। पूरे देश में यही स्थिति उत्पन्न हो गई। वास्तव में सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मैं इस मुद्दे को देख सकता हूं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी को दोष नहीं दे रहा हूं।

मामले के कानूनी पहलू पर आते हुए, वर्ष 1995-96 में, 2000 में और 2002 में कतिपय जनहित मुकदमे उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए थे, उच्चतम न्यायालय ने इन मामलों का निपटान एक नए निर्णय से किया। इससे पूर्व के निर्णय आदिवासी लोगों के हितों की सुरक्षा से संबधित भी हैं।

आदिवासी लोगों की बात करें तो केन्द्र सरकार ने उनके पक्ष में एक वचन दिया था। यह मुद्दा आदिवासी लोगों से संबंधित निर्णय का है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का हाल का निर्णय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के प्रतिकूल है। मैं उच्चतम न्यायालय में त्रुटि ढूंढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अपनी अच्छी मंशा से उन्होंने यह कहते हुए आदेश पारित किए हैं कि वन भूमि में कमी के कारण हमें पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखना है और यह देखना है कि देश के हित की सुरक्षा

[श्री एस. बंगरप्पा]

के लिए वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की भावना को अपवाद स्वरूप नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब तक पूर्व के निर्णयों को नवीनतम निर्णयों के द्वारा बदल नहीं लिया जाता तब तक वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन उन्हें अभी तक बदला नहीं गया है।

अब वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। यह बहुत ही गंभीर अंतरिम आदेश है। यह मामला वनों की सुरक्षा से संबंधित है जिसके कारण देश भर के अनधिकृत भू-कृषकों को बेदखल होना पड़ा। अब उन्होंने कतिपय सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उन्होंने कतिपय निर्देश भी दिए हैं। वे निर्देश क्या हैं? न्यायालयों के अनुसार यह 1980 के अधिनियम की परिधि में है और कोई भी न्यायालय इससे परे नहीं जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों पर एक केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी। यह एक अस्थायी आदेश है। इस आदेश के अनुसार, इस केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है और विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाती हैं। मैं उस मुद्दे को भी समझता हूं और उसमें त्रुटि निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

लेकिन मुद्दा यह है कि आदेश के अनुसार यदि राज्य सरकार एक हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर वन भूमि वाले व्यक्ति को बेदखल करने में असमर्थ रहती है तो राज्य सरकार पर प्रति माह 5000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। कर्नाटक में हमने जनहित याचिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है। लगभग 91000 से 92000 हेक्टेयर भूमि पर भूमिहीन गरीब लोग अनधिकृत रूप से खेती करते हैं। कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यही विवरण दिया था। इसी प्रकार से असम, प. बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों ने भी याचिकाएं दायर की हैं। यदि हम 5000 रुपए प्रतिमाह प्रति एकड़ लेते हैं तो इससे हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कि यदि केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के नाम पर वह पैसा देती है तो राज्य सरकार कैसे चल पाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस. बंगरप्पा : आपकी अनुमति से, मैं अभी दस मिनट और लूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको नियम बताने दें। आप केवल स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं इसे समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के रूप में, मैंने आपको भाषण देने की अनुमति दी थी। इसलिए, कृपया अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनें, अब आप उस केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख हैं जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार के अंतर्गत गठित किया गया है। यह एक छोटा मामला नहीं है। यह समस्या आपके गृह राज्य तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में भी है। समस्या हर जगह है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात पर अडिग हूं।

श्री वी. धनंजय कुमार : मेरा उनसे समझौता हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं करता तो उसके वेतन से हर माह 100 रुपए काट लिया जाएगा। और यह केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के खाते में जाएगा।

अन्य मुद्दा यह है कि देश भर में ऐसी भूमि पर खेती कर रहे भागों को बेदखली संबंधी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हमारे मित्र बता रहे थे कि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। अब, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लोगों को वहां से बेदखल करने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर, 2002 थी। यह दो माह पूर्व की तिथि थी। निर्देशों के अनुसार वन विभाग के अधिकारी, पुलिस की मदद ले सकते हैं। यदि पुलिस अधिकारी जाते हैं तो वन अधिकारी भी जाते हैं और उन लोगों को बेदखल कर रहे हैं जिनकी आजीविका उस पर निर्भर नहीं होती और जिनके पास ऐसी भूमि एक या दो एकड़ भूमि है और उस पर वे खेती नहीं करते। उनके लिए जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या आपको मामले के सामाजिक पहलू पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मान लीजिए आप देश में करोड़ एकड़ भूमि को खाली कराते हैं तो क्या आप लोगों को दूर ले जाएंगे

और उन्हें सड़क पर अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अथवा राज्य राजमार्गों पर अथवा वन क्षेत्रों की परिधि में खुले में बैठा देंगे? महोदय, मामले के इस सामाजिक पहलू को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया अथवा भुला दिया गया है।

इसलिए, मैं अब सरकार से अपील करता हूं कि मुद्दे को तुरंत न्यायालय में ले जाएं और लोगों की बेदखली रोकने हेतु सभी संभव कदम उठाए...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, आप इस विषय पर पूर्ण चर्चा करने की अनुमति दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। संपूर्ण देश में जनजातीय लोग परेशान हैं। इसलिए, अगले सप्ताह में इस नियम पर पूर्ण चर्चा की अनुमति देना बेहतर है ताकि अनेक सदस्य इसमें भाग ले सकें...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मेरा यह भी सुझाव है कि इस विषय पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, लाखों लोगों को सड़कों पर फेंक दिया जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए, इस विषय पर एक पूर्ण चर्चा की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर एक पूर्ण चर्चा की जानी आवश्यक है। मेरी ओर से कोई परेशानी नहीं है। परन्तु मामले को कार्य मंत्रणा समिति के साथ उठाना होगा और यदि कार्य मंत्रणा समिति को लगता है कि मामला इतना महत्वपूर्ण है तो हम एक पूर्ण चर्चा करा सकते हैं। लेकिन इसी बीच चूंकि ध्यानाकर्षण पर चर्चा शुरू हो गई है इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री बंगरप्पा, मैंने आपको आवश्यकता से अधिक समय दे दिया है। अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्यों को भी एक-एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक सुझाव दिया है कि कुछ अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर 'शून्य काल' नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 'शून्य काल' की अनुमति दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य 'शून्य काल' चाहते हैं तो मंत्री जी को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : यह बहुत गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : मंत्री द्वारा उत्तर देने से पूर्व मैं केवल एक या दो प्रश्न रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें क्योंकि मैंने वह नहीं कहा है जो हम वास्तव में कहना चाहते हैं...*(व्यवधान)* बेदखली नोटिस जारी करने के पश्चात काफी शोर-शराबा हुआ है...*(व्यवधान)* यह आपराधिक मामलों के बराबर हो सकता है जो कि गरीब लोगों के खिलाफ दायर किए जा सकते हैं...*(व्यवधान)* कृपया प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, कृपया संबंधित मुद्दे पर ही प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : श्री बंगरप्पा द्वारा समाप्त करने के पश्चात हमें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : उच्चतम न्यायालय का निर्णय 5-7 शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध है जो वन क्षेत्रों में खनन कार्य कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करना चाहिए और उच्चतम न्यायालय से इसमें संशोधन करने की अपील करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, मुझे खेद है। मैं आपको और आगे बोलने की अनुमति नहीं दे पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। यह सही नहीं है। मैं माननीय मंत्री से कपिय स्पष्टीकरण चाहती हूं...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, इस विषय पर एक पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना मत बना लिया है। अब, मंत्री जी उत्तर देंगे। मुझे अफसोस है। केवल तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति देने की इजाजत है जो मैंने दे दी है। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार कर सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, बहुत बार अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक सदस्यों को अनुमति दी है। यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल न हो इसकी वजह से जान-बूझकर व्यवधान करने का प्रयास किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : माननीय मंत्री से केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। मैंने पहले ही कहा है कि यदि नियम, 193 के अंतर्गत चर्चा होती है तो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि आप मेरे साथ सहयोग करें। दिन के प्रथमार्ध के केवल दस मिनट बचे हैं। इसलिए, अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है। इसके पश्चात् यदि माननीय सदस्य इसे उठाने के लिए इतने इच्छुक हैं तो मैं कार्य मंत्रणा समिति में इस मुद्दे को उठाऊंगा। प्रो. मल्होत्रा, आप कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इनका व्यवस्था का प्रश्न है। श्री येरननायडू, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री के. येरननायडू : यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यानाकर्षण से संबंधित लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 197 का उल्लेख करें। खंड 2 में कहा गया है :

> "ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परंतु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अंत में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा..."

इसलिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक को अनुमति देना संभव नहीं है। इसीलिए, मैं आपसे इस विषय पर पूर्ण चर्चा की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री अब उत्तर देंगे। वे कोई भी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इसलिए, कृपया पूर्ण चर्चा की अनुमति दें ताकि हम भी इसमें भाग ले सकें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं आपके द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। नियम स्पष्ट है। मैं केवल तीन सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं जिनके नाम नोटिस में हैं। व्यक्तिगत नोटिस दिए गए हैं।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह उनके व्यवस्था के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री पी. एच. पांडियन : हां।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले उनके व्यवस्था के प्रश्न का निपटारा करने दें। तब आप दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं परन्तु अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप भी एक समय अध्यक्ष थे।

श्री पी. एच. पांडियन : माननीय अध्यक्ष महोदय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं आपके द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ नोटिसें दी हैं। तीन सदस्यों ने नोटिसें दी हैं। सिर्फ वे ही प्रश्न पूछने के हकदार हैं। परंतु मुझे पता है कि इस पक्ष के दो सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने सभा में कभी नहीं बोला है। वे आदिवासी समुदाय से हैं। इसलिए, मैंने सोचा कि उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसी वजह से मैंने विशेष मामले के रूप में उन्हें बोलने की अनुमति दी। ऐसा करना पर्याप्त था। श्री बंगरप्पा की इस मुद्दे को लाने में अहम भूमिका रही है। वह वास्तव में यह नोटिस देना चाहते थे। वह इसके लिए काफी समय से कोशिश कर रहे थे। इसलिए, एक विशेष मामले के रूप में उन सदस्यों को जिन्हें सिर्फ प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त थी, संक्षेप में भाषण देने की अनुमति दी गई। बात सिर्फ यह है कि यदि अन्य सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा इस विषय पर वाद–विवाद करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह बात समझ सकता हूं कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुझे कार्य मंत्रणा समिति से संपर्क करना होगा, वहां तत्संबंधी निर्णय लिया जाएगा और तब जाकर आप इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। वह इस मुद्दे को इस सभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत करने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अधिक हो गया।

डा. वी. धनंजय कुमार : महोदय, अध्यक्षपीठ कभी भी नियम को स्थगित कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा विशेष परिस्थितियों में किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर शुरू करें।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, माननीय मंत्री जी 'शून्य काल' के बाद अपना उत्तर दे सकते हैं। कृपया 'शून्य काल' शुरू कीजिए। महोदय, क्या मुझे आपका सहयोग करने की सजा मिल रही है?...*(व्यवधान)* क्या हमें आपके साथ सहयोग करने की सजा मिल रही है? बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने सबंधी 6 दिसंबर, 1992 के मामले पर 'शून्य काल' के दौरान चर्चा होनी थी।...*(व्यवधान)* यह आपको सहयोग करने तथा एक अनुशासित सदस्य होने की सजा है। महोदय, आपको विशेष अवसरों पर अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मंत्री महोदय का उत्तर बाद में होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर यथासंभव संक्षिप्त होगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि अब आप बोलें।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, सभा में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सिर्फ तभी मैं बोल सकता हूं। यदि सभा में अव्यवस्था हो तो मैं कैसे बोल सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना आरंभ करें तो सभा में शांति हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था स्थापित कीजिए। मैं अव्यवस्था की स्थिति में नहीं बोल सकता।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना आरंभ करें तो सभा में शांति स्थापित हो जाएगी।

श्री टी. आर. बालू : मैं इसे मानता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, यह अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने और अनुशासित सदस्य होने की सजा है।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, यह गरीब लोगों का सवाल है। इसका उत्तर आना चाहिए। इसको बाद के लिए क्यों टाल रहे हैं? इसका उत्तर अभी आना चाहिए।

श्री सालखन मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ आदिवासी जंगलों में विस्थापित होने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा होगी तब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सालखन मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, इस कानून के चलते भारत के एक करोड़ आदिवासी जंगलों से विस्थापित होने वाले हैं। मंत्री जी, इस बारे में आश्वासन अपने उत्तर में दें ताकि वे आदिवासी उन जंगलों से न हटें।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जी.रो ऑवर न हो, यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)* बहुत गंभीर बात है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय मैंने कहा है कि अभी मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अनावश्यक रूप से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। मैं अब मंत्री महोदय को छोड़कर किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी अन्य व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : अध्यक्ष महोदय, श्री बंगरप्पा जो कुछ भी कर रहे हैं वह उचित नहीं है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : अध्यक्ष महोदय, आपने उदारता दिखाते हुए मेरे विस्तृत उत्तर के बावजूद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। साथ ही साथ, आपने माननीय सदस्यों विशेषकर मेरे पुराने मित्र श्री बंगरप्पा को, जो एक बहुत अच्छे प्रशासक और कर्नाटक के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लाने की अनुमति दी है। अब मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

सर्वप्रथम, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 इस सम्माननीय सभा द्वारा कांग्रेस दल की सत्तावधि में लागू किया गया था। परन्तु 1980 के इस अधिनियम हेतु दिशानिर्देश इस कानून के लागू होने के 10 वर्षों के पश्चात् 18.9.90 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश आदिवासियों और समाज के निर्धनतम लोगों के बारे में क्या कहते हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा है? इसमें कहा गया है कि जहां तक जनजाति क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के दावों के निपटान का संबंध है, जहां कहीं प्रथमदृष्ट्या ऐसा साक्ष्य है जब कानून द्वारा विनिर्दिष्ट पीड़ित व्यक्तियों को अपूर्ण अथवा अशुद्ध रिकार्डों, नक्शों अथवा सूचना के अभाव में वन निपटान प्रक्रिया बाधित निष्प्रभावी हुई हो, बशर्ते कि वन निपटान के मामले 1947 के पूर्व के हैं, तब वे लोग दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन दावेदार के पास इस विशेष विवादित भूमि का कब्जा होना चाहिए और यह 1947 से पूर्व की हो।

मार्गनिर्देशों में आगे कहा गया है कि दावेदारों की उपर्युक्त तीन श्रेणियों की पहचान करने के पश्चात्, केन्द्र अथवा राज्य सरकार को ऐसी समिति के माध्यम से इसकी जांच करानी चाहिए जिसमें कम से कम संबंधित डी.एफ.ओ., उपमंडलाधिकारी और जनजातीय कल्याण विभाग का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। समिति को इस बात को स्थापित करने वाले उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के पश्चात् दावों की सत्यता का निर्धारण करना चाहिए।

मार्गनिर्देशों में यह भी कहा गया है कि उचित जांच के माध्यम से एक बार दावों की सत्यता स्थापित हो जाए तो केन्द्र अथवा राज्य सरकार दावेदारों के हक वापिस देने के

बारे में सोच सकती है। ये दिशानिर्देश वर्ष 1990 में उनकी सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अब श्री बंगरप्पा ने यह दावा किया है कि इन बातों के बावजूद यह सरकार आदिवासियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है यह मुद्दा उन्होंने उठाया है। परंतु मैं आपके माध्यम से अपने मित्र को यह सूचित करना चाहता हूं कि यदि किसी विवाद का निपटान नहीं हुआ हो और संबंधित व्यक्ति के पास कोई प्रामाणिक रिकार्ड हो, तो कर्नाटक सरकार अथवा कोई भी राज्य सरकार यह रिकार्ड मेरे पास भेजे।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं मामले को देखूंगा। मैं मामले का निपटान करने की कोशिश करूंगा। इस संबंध में कोई दूसरा मन्तव्य नहीं है। न्यायालय और सरकार में से कोई भी इसके खिलाफ नहीं है।

श्री एच. डी. देवगौड़ा (कनकपुरा) : क्या माननीय मंत्री महोदय एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति देंगे।...*(व्यवधान)* 1996 के दौरान, उसी सरकार ने कृषकों को 15,000 हेक्टेयर वन भूमि प्रदान की थी जो कृषक अनुसूचित जाति के हैं, भूमिहीन व खेतीहर मजदूर हैं।...*(व्यवधान)* आप संबंधित आदेश पढ़ें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अनुमति दे दी है। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति देने के लिए नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, वे खड़े हैं। अतएव, मुझे बोलना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : कृपया अपने अधिकारियों से पूछिए।

श्री टी. आर. बालू : मैं किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पा रहा हूं। साथ ही साथ मुझे जो कुछ कहना है उसे कहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

1980 से 1998 तक के 18 वर्षों के दौरान कितने वन संबंधी मामले निपटाए गए हैं। इन मामलों की संख्या 4,549 है। औसत मात्र 252 है।...*(व्यवधान)* राजग सरकार के सत्तासीन होने पर अर्थात् जब मैंने अपना पदभार संभाला तब यह औसत 866 प्रतिवर्ष था। यह संस्था 1980 से 1998 तक के पिछले 18 वर्षों के दौरान के वार्षिक औसत से चार अथवा पांच गुना अधिक है।

मामले चाहे जनजातियों से संबंधित हों अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों से हम उनका निपटान करेंगे। साथ ही साथ, किसी भी व्यक्ति के पास 1980 में पारित वन 'संरक्षण' अधिनियम के विरुद्ध जाने की क्षमता नहीं है। कोई भी इस मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकता।

भाजपा के दो माननीय सदस्य पेयजल सुविधाओं, बिजली संबंधी सुविधाओं, सड़कों अथवा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानना चाह रहे थे। मेरे प्रिय दोस्तो, चाहे जिस किसी भी सुविधा की बात हो, सर्वप्रथम यदि लोग वन भूमि में ये सुविधाएं चाहते हैं तो इस विशेष भूमि को राजस्व भूमि में बदलना होगा।

यदि आपकी राज्य सरकार इसे राजस्व भूमि में बदलने के लिए तैयार है तो कोई समस्या नहीं है। आप कृपया प्रस्ताव भेजें। उस पर विचार करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : आप सिर्फ आदिवासी लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। पूरे देश में अन्य लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखें। उन माननीय सदस्यों की ओर न देखें जो आपकी बात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

श्री टी. आर. बालू : सबसे पहली बात तो यह है कि बड़ा अफसोस हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री बंगरप्पा जी कोई साधारण सदस्य नहीं हैं। यह मुख्य मंत्री थे। वह मेरे पुराने मित्र हैं। एक पूर्व प्रधान मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। जब वे खड़े हैं तो मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देना है।...*(व्यवधान)*

न ही तो न्यायालय और न ही सरकार इस संबंध में कोई बाधा डाल रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कदम उठाने होंगे। आपने पिछले 40 वर्षों का जिक्र किया है। इन 40 वर्षों का अभिप्राय वर्ष 1980 से पहले की बात है। 40 वर्षों से किसी खास वनभूमि पर काबिज होने के संबंध में वैध दस्तावेज रखने वाले लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती पर कोई भी उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। आप कृपया तत्संबंधी तथ्य और आंकड़े मेरे पास भेजिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आज शाम तक यह मामला सुलझ जाए। आप सिर्फ अस्पष्ट सूचना प्रस्तुत न करें। सूचना विशिष्ट हो। यदि माननीय सदस्यगण इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला सामने लाते हैं तो न्यायालय और सरकार में से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके मित्र हैं, तो मित्र बने रहिए लेकिन कृपया इन्हें भेज दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : मैं माननीय मंत्री महोदय से अन्य लोगों के बारे में कुछ बोलने का अनुरोध कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है?

श्री टी. आर. बालू : नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात पूरा करने दीजिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : सर्वप्रथम, बेदखली को कुछ और समय के लिए रोकिए ताकि हम सूचना दे सकें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इस मुद्दे पर आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा न्यायालय के निर्देश का उल्लेख करने के लिए मात्र एक या दो मिनट का समय लूंगा। सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14.2.2000 को दिए अपने फैसले के द्वारा किसी भी राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य से मृत, रोगग्रस्त, मरणासन्न अथवा हवा से उखड़े पेड़ों, जल में प्रवाहित लकड़ियों और घासों को हटाने पर पाबंदी लगा दी है। आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। दिनांक 23.11.2001 को सभी राज्यों और केन्द्र को और यह नोटिस जारी किया गया कि वे वनों में अतिक्रमण रोकें तथा इस नोटिस के माध्यम से उसने मंत्रालय को भी अतिक्रमण करने से रोक दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने मुझे अतिक्रमण को हटाने से रोका है। परंतु इसके साथ ही इन आदेशों के बावजूद पिछले महीने ही अथवा दो महीने पहले ही मैंने राज्यों के अनुरोध का पालन किया है। मैं पूर्णतः संतुष्ट था और मैंने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया। महोदय, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही सरकार गरीब से गरीब अथवा अ.जा. अथवा अ.ज.जा. हेतु कल्याणकारी उपाय करने के विरुद्ध नहीं है। मुझे यही कहना था। यदि आप चाहते हैं, तो मैं और समय ले सकता हूं और मैं एक और घंटे तक स्पष्टीकरण भी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' की चर्चा आरंभ करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे 'शून्य काल' के लिए अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा। कृपया सहयोग करें। मैंने श्री बनातवाला द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव के बारे में उनको बताया है कि उन्हें 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम वह बोलेंगे और विषय-वस्तु पर ही बोलेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रत्येक सदस्य इस पर बोलना चाहेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके स्थगन प्रस्ताव को 'शून्य काल'

नोटिस में बदल दिया गया, इसलिए उन्हें बोलने की अनुमति दी गई है।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलोर) : महोदय, हमें यह जानने का अधिकार है कि स्थगन प्रस्ताव की विषयवस्तु क्या है...*(व्यवधान)* उन्हें उस विषय पर बोलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा जानना चाहती है तो मुझे श्री बनातवाला द्वारा दिए गए नोटिस को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यह नोटिस 'बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने के समय से देश में लगातार बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति' के बारे में है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : इस घटना को घटित हुए 11 साल हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबे स्पीकर साहब, बाबरी मस्जिद को तोड़े हुए इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन यह सरकार सो रही है...*(व्यवधान)* स्पीकर साहब, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, वह हमला टैररिज्म था। उसी तरह बाबरी मस्जिद पर जो हमला हुआ, वह भी टैररिज्म है। इस टैररिज्म के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)* हद तो यह हो गई है कि मुजरिमों के खिलाफ ठीक तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं...*(व्यवधान)*

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی)**: جناب اسپیکر صاحب، بابری مسجد کو توڑے ہوئے اتنا وقت گذر گیا ہے، لیکن یہ سرکار سو رہی ہے۔...(مداخلت) اسپیکر صاحب، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ حملہ ٹیررزم تھا۔ اسی طرح بابری مسجد پر جو حملہ ہوا، وہ بھی ٹیررزم ہے۔ اس ٹیررزم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔...(مداخلت) حد تو یہ ہو گئی کہ مجرموں کے خلاف ٹھیک طرح سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں...(مداخلت)]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। हमें भी बोलने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस है।

श्री जी. एम. बनातवाला : हमारे सेंटर के तीन-तीन मिनिस्टर्स इसमें इन्वाल्व हैं।

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی)**: ہمارے سینٹر کے تین تین منسٹرس اس میں شامل ہیں۔]

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी आप बैठ जाएं। आपने अपना पाइंट रख दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने इस विषय पर बोल दिया है। इससे ज्यादा जीरो आवर में नहीं बोला जाता है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, इसी विषय पर मेरा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी लिए उसी समय आपको बोलने दिया।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। आपने उस समय कहा था कि जीरो आवर में बोलने देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं कहा था, केवल बनातवाला जी को कहा था। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, 6 दिसम्बर को जो घटना घटी है, उसकी निंदा करने के लिए सदन में प्रस्ताव पास करना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं क्रिटिसाइज नहीं करने वाला

हूं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सदन में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन में शांति रखिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, आज पांचवें दिन लगातार इंडियन एक्सप्रैस में आया है कि बड़ी–बड़ी कम्पनियों ने बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर वापिस नहीं किए हैं। ये कम्पनियां बैंकों का पैसा हड़प करने वाली हैं। इन कम्पनियों ने बैंकों से लिए गए पैसे का रिपेमेंट नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों ने पैसे का गबन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फतेजा नामक एक कम्पनी है। इस कम्पनी ने कामगारों को बेकार कर दिया है और सिस्टर कन्सर्न में भी ताले लगा दिए हैं। जब बैंक अधिकारी वहां जाते हैं, तो कोई नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बैंक ने इन कम्पनियों को पैसे कैसे दिए ? मेरी मांग है कि कम्पनी के सीएमडी और ईडी के खिलाफ एन्क्वायरी होनी चाहिए और उनकी प्रापर्टीज को सीज करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : श्री शिवराज वि. पाटील बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, अयोध्या में जो कुछ हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर नहीं, दूसरे विषय पर।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज वि. पाटील, उनका नोटिस एक अलग मुद्दे पर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लगता है कुछ गलतफहमी है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दूसरे मुद्दे पर नोटिस दिया है। श्री शिवराज वि. पाटील, यदि आप उस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, चेयर की तरफ से क्या एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है कि कल देश में शांति–व्यवस्था बनी रहे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शांति–व्यवस्था बनी रहेगी। आप चिंता मत करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.08 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, हमारे द्वारा सुबह नोटिस दिया गया था। जो लोग बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल हैं, सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 'शून्य काल' समाप्त हुआ। अब सभा विधायी कार्य पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कोई 'शून्य काल' नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैं बोलने के लिए एक-एक करके नाम पुकारूंगा। मैं आप सभी में से प्रत्येक को एक-एक मिनट का समय दूंगा। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कोई 'शून्य काल' नहीं है। मैंने श्री राम विलास पासवान को बोलने का अवसर दिया है क्योंकि वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और वह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते हैं। अब मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आप सभी कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, कल 6 दिसम्बर को डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाकर 6 दिसम्बर को बदनाम कर दिया। हम चाहते हैं कि कल 6 दिसम्बर को पूरे देश में अमन-भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। देश के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होना चाहिए। इसलिए सदन से एक प्रस्ताव सभी पक्षों की राय से पास होना चाहिए जिससे देश में सद्भावना और हारमॉनी बनी रहे। देश के कई भागों से बहुत प्रकार के समाचार आ रहे हैं।

इसलिए हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता की प्लैज लेनी चाहिए। इसके अलावा 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी जिसकी हम सबको निन्दा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, अक्तूबर 1993 में जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उसमें तकनीकी कमियां थीं। श्रीमती उमा भारती, श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल थे लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी और भाजपा की सरकार मिलकर इन लोगों को बचाने का काम कर रही है और पूरे देश में सौहार्द का वातावरण बिगाड़ा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, 'शून्य काल' समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी श्री पासवान के कथन से अपने को संबद्ध करते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी सदस्य श्री पासवान के कथन से अपने को संबद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी श्री पासवान के कथन से संबद्ध हैं। मैं यही कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, यह विधायी कार्य पर चर्चा करने का समय है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। अब उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, 6 दिसम्बर परम पूज्य डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महानिर्वाण दिवस है। इस दिन को सभी लोग मानते

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं और इसका अलग महत्व है। पासवान जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं डा. अम्बेडकर जी का बहुत आदर करता हूं। हमारे परम पूज्य स्व. श्री प्रबोधनकार ठाकरे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ कई आंदोलनों में सहभागी थे। दूसरी बात जो रामविलास जी ने कही, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या श्रीराम का जन्म स्थल है, इसलिए वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पासवान जी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह एक विवादास्पद ढांचा था जो तोड़ा गया।...*(व्यवधान)* दस साल से यह विषय बार-बार उठाया जाता है। शिव सेना के सभी कार्यकर्ता 6 दिसम्बर को हिन्दू गौरव दिन मानते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह 'शून्य काल' नहीं है। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस मुद्दे को नियमों के तहत किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैंने श्री पासवान को अनुमति दी है क्योंकि वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने श्री रामजीलाल सुमन को भी बोलने की अनुमति दी है। आप सभी श्री पासवान और श्री सुमन के कथन से सम्बद्ध हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है। सभी विशेष उल्लेखों का समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य पर चर्चा प्रारंभ करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे—मद संख्या 12

अपराह्न 2.15 बजे

सरकारी विधेयक—पारित

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, यह एक साधारण विधेयक है। यह खाद्य अपमिश्रण, निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) अधिनियम, 1972 (1972 का 24) के निरसन के संबंध में है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों का विस्तारण पहले से ही पूरे भारत में किया जा चुका है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कार्यवाही में अड़चन डाल रहे हैं। हम लोग विधायी कार्य को निपटाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चक्रवर्ती, कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए। कार्यवाही-वृत्तांत में मंत्री के भाषण को छोड़कर कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए. राजा : खाद्य अपमिश्रण, निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों का विस्तारण पहले ही पूरे भारत में किया जा चुका है, इसलिए नागालैंड के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में इसके अलग से विस्तारण संबंधी अधिनियम अब अनावश्यक हो गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामदास, क्या डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सम्मान प्रकट करने का यही तरीका है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए अनुमति दी थी। मैंने श्री पासवान को बोलने की अनुमति दी थी और अन्य सभी सदस्यों को श्री पासवान के वक्तव्यों से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की थी।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री रामदास जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए. राजा : श्री पी. सी. जैन की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक विधि समीक्षा आयोग (कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज) ने अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य अपमिश्रण, निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) अधिनियम, 1972 (1972 का 24) के निरसन की सिफारिश की है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री ए. राजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण, निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) राज्य सभा द्वारा यथापारित अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए...*(व्यवधान)*।"

सभापति महोदय : श्री रामदास, यह क्या है? यह संसद है, यह सभा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रामदास जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। यह क्या है? कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खाद्य अपमिश्रण, निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) राज्य सभा द्वारा यथापारित अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं यहां खाद्य अपमिश्रण, निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन विधेयक, 2002 के समर्थन में बोलना चाहता हूं। यह अधिनियम पूरे देश के लिए अधिनियमित किया गया था, नागालैंड के दो जिलों कोहिमा और मोकोकचुंग में व्यापारियों और खाद्य अपमिश्रणकर्ताओं द्वारा किए जा रहे खाद्य अपमिश्रण और कतिपय अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए वहां इसे वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया। हालांकि कालांतर में कुछ अन्य उपाय किए गए थे और खाद्य अपमिश्रण निवारण का प्रभार कमोवेश नागालैंड सरकार के हाथ में था, और इसलिए इस कार्य को देखने की जिम्मेवारी नागालैंड राज्य को दी गई।

इस अधिनियम के निरसन पर विचार करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पूर्वोत्तर में, विशेषकर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी बंगाल, सिक्किम और नागालैंड में कई व्यापार केन्द्र हैं। इन व्यापार केन्द्रों पर केन्द्र फलों के रस, चीज, मथगन और मारगरीन जैसी कई खाद्य सामग्रियां आती हैं और इन्हें यहां से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। थाइलैंड, म्यांमार, सिंगापुर आदि जैसे पड़ोसी देशों के सीमापार से आने वाली केन्ड और पैकेज्ड खाद्य सामग्रियों पर समुचि तरीके से लेबल नहीं लगे होते हैं और उन पर उपयोग की अंतिम तिथि भी अंकित नहीं होती हैं। पैकेज्ड और केन्ड खाद्य सामग्रियों के अन्दर क्या–क्या चीजें होती हैं, इनका उल्लेख नहीं रहता है। ये खाद्य सामग्रियां इतने सुन्दर ढंग से केन्ड और पैकेज्ड होती हैं कि लोग इन्हें बेहिचक खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये स्वास्थ्य के लिए उतनी ही हानिकारक भी हैं। ऐसी चीजें दिल्ली के बाजारों में अपनी जगह बना चुकी हैं। यह जरूरी है कि हमारे पड़ोसी देशों के सीमापार से आ रही इन पैकेज्ड और केन्ड खाद्य सामग्रियों के तत्वों की जांच की व्यवस्था की जाए। हमें इन देशों से विपणन की जाने वाली इन पैकेज्ड और केन्ड खाद्य सामग्रियों के तत्वों की जांच करनी चाहिए और इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि ये भारत में वितरण के उपयुक्त हैं या नहीं। इसलिए, इन दो जिलों में इस विधेयक के उपबंधों के निरसन पर विचार करने के दौरान मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, दूसरी बात जो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं वह है उन पैकेटों और कैनों की गुणवत्ता के बारे में जिनमें इन खाद्य–सामग्रियों की पैकेजिंग और केनिंग होती है; चाहे वह फलों का रस हो या मांस हो या कोई अन्य चीज। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि कैन और पैकेट के अन्दर कौन–सी सामग्री होती है और खाद्य सामग्रियां जिनसे सीधे संपर्क में आती हैं वे किन चीजों के बने होते हैं। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वे स्वास्थ्यकर और समुचित

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. ए. सांगतम]

तरीके से कलई की हुई हैं या नहीं और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होनी चाहिए।

महोदय, ये सब चीजें हैं जिनमें मैं इस विधेयक को निरसित किए जाने से पहले सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। इन सभी चीजों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ये खाद्य सामग्रियां कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के कारक तो नहीं हैं। खाद्य अपमिश्रण पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस निरसन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, नागालैंड के दो जिलों मोकोकचुंग और कोहिमा के लिए 1972 में फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कानून बना था। फूड एडल्ट्रेशन देश के हर हिस्से में हो रही है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सी. एंड ए.जी. ने संसद में रखी रिपोर्ट में कहा है कि इस कानून के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र और राज्यों के स्तर पर पर्याप्त निगरानी नहीं है। इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को जो ध्यान देना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, वह पर्याप्त नहीं है।

सी. एंड ए.जी. ने संसद में रखी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ राज्यों में कानून क्रियान्वयन की निगरानी और विकास की प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। इसके लिए कुछ राज्यों में राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां काम ही नहीं करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून के लागू होने के 46 वर्ष के बाद क्रियान्वयन में निगरानी के लिए कोई सूचना प्रबंधन तंत्र विकसित नहीं किया गया है। सी. एंड ए.जी. ने रिपोर्ट में आगे कहा है कि यद्यपि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ जांच से मिलावट रोकने में मदद मिलती है, फिर भी एक-तिहाई मामलों में जांच शुरू नहीं हो पाई। जिन मामलों में जांच हुई, उनमें पचास फीसदी मामलों में दोषियों को बरी कर दिया गया। इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन का जो कानून है, उसकी यह स्थिति है जो खासकर नागालैंड में बनाया गया था। लोक सभा के प्रश्न संख्या 3647 दिनांक 31 मार्च, 2001 में यहां लिखित उत्तर में बताया गया था--डिब्बाबंद रसों के लिए गए कई नमूनों में पाए गए अपमिश्रण और विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों द्वारा लगाए गए अभियोग को दर्शाने वाला वक्तव्य। नागालैंड में कुल 17 सैम्पल पकड़े गए, जिनमें एडल्ट्रेशन पाई गई, लेकिन उनमें कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई।

माननीय मंत्री ने दावा किया है कि पी. सी. जैन कमेटी सन् 1998 में बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो सन् 1972 में कानून बना था, इसको इन्होंने समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन यह क्यों बना था और क्यों खत्म किया जा रहा है, इसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। लेकिन फूड एडल्ट्रेशन आज देश में बड़ी भारी समस्या हो गई है। घी में एडल्ट्रेशन हो रहा है, जूस में एडल्ट्रेशन हो रहा है, दूध में एडल्ट्रेशन हो रहा है। खाने के जितने पदार्थ हैं, सभी में एडल्ट्रेशन हो रहा है। एडल्ट्रेशन को रोकना स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है और जो सीएजी की रिपोर्ट है, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? खासकर नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों का वर्णन है—लक्षद्वीप का, दमन का, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, हरियाणा, ये सभी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं,....*(व्यवधान)* नार्थ ईस्ट भी है और देश के अन्य हिस्से भी हैं। जहां-जहां एन.डी.ए. का राज है, हर जगह एडल्ट्रेशन है, मिलावट है और गड़बड़ी हो रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में सुधार करने की जरूरत है, इसको इफैक्टिव बनाने की जरूरत है और सीएजी ने जो संसद को रिपोर्ट दी है, उस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। एडल्ट्रेशन के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। एक बार डालडा में चर्बी मिला दी थी। वे लोग आज राज में सपोर्ट में बैठे हुए हैं जो भाजपा और आर.एस.एस. के लोग हैं। इन लोगों ने यह काम कराया था और आज इस तरह से बीच में कहा-सुनी कर रहे हैं। बड़ा भारी कांड हुआ था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधेयक की परिसीमा से परे न जाएं। आप अपने आपको विधेयक तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : लोग उधर से बाधा डाल देते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है। उधर जो लोग बैठे हुए हैं और फेर-फार करते हैं, एडल्ट्रेशन में माहिर हैं, उन्हीं के समर्थन से ये लोग वहां बैठे हुए हैं।

माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट

पर कौन सी कार्रवाई इन्होंने की है। गवर्नमेंट की निगरानी है ही नहीं। फूड एडल्ट्रेशन में शिथिलता है और जो–जो अनुशंसाएं और इच्छा सी.ए.जी. ने जाहिर कीं, उस पर इन्होंने क्या किया है? यह बताया कि जैन कमेटी ने कहा कि सेंट्रल कानून 2500 हैं और उन कानूनों में से 1324 कानूनों को कहा कि एक कलम से खारिज करिए। अलग–अलग पीसमील में कभी मोकोकचुंग ले आएंगे, कभी मैसूर ले आएंगे। एस. पी. जैन कमेटी की अनुशंसाओं को देखने का कष्ट आपने क्यों नहीं किया जो सन् 1998 में बनी थी? उन 1326 कानूनों में से कितने कानून आप रिपील के लिए लाए और कितने बचे हुए हैं, कब लाएंगे, इन सबके बारे में माननीय मंत्री जी विवरण दें तब मैं समझूंगा कि मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री सांगतम ने कहा है, यह एक निरसन विधेयक है। वर्ष 1954 में इस विधान के अधिनियमन के समय इन दोनों ही जिलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत विशेष अधिकार मिले हुए थे। बाद में संसद द्वारा 1962 के अधिनियम के उपरांत इस प्रयोजनार्थ अब किसी विशेष विधान की जरूरत नहीं है। इसलिए, हम इस अधिनियम का निरसन कर रहे हैं। इसके अलावा, माननीय सदस्यों ने नागालैंड और राज्यों के मामले में कुछ आशंकाएं जाहिर की हैं।

सभापति महोदय : संविधान के अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी बातें कही गई हैं। यह अनुच्छेद 324 होना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मंत्री जी गलत अनुच्छेद उद्धृत कर रहे हैं।

श्री के. ए. सांगतम : संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 371क नागालैंड से ताल्लुकात रखता है।

श्री ए. राजा : इसलिए, इस विधेयक के निरसन में कोई समस्या नहीं है।

किन्तु, माननीय सदस्यों द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि नागालैंड में खाद्य अपमिश्रण हो रहा है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में 1972 से लागू है और इस कड़े कानून को राज्य सरकार के अधीन किया गया है। इसे लागू करने का प्राधिकार राज्य सरकार को है। यदि केन्द्र सरकार को इस मामले में कोई खबर मिलती है, तो हम उस पर टिप्पणी हेतु संबद्ध राज्य के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री को बुला सकते हैं। अभी भी हम राज्य के माननीय सदस्यों से पारदर्शी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम मुख्य मंत्री को भी बुला सकते हैं और इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।

महोदय, हमारी सरकार इस बात के लिए बहुत दृढ़ है कि इस अधिनियम को सभी तरह से अक्षरशः लागू किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस विधेयक को आम सहमति से पारित कराने में सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

सभापति महोदय : यहां पर अनुच्छेद 324 भी लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 324 चुनावों से संबंधित है।

श्री के. ए. सांगतम : महोदय, यह अनुच्छेद 371क में है।

श्री ए. राजा : महोदय, यह अनुच्छेद 244 है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण, निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) राज्य सभा द्वारा यथापारित अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए. राजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.32 बजे

[अनुवाद]

(दो) काउंटेस ऑफ डफरिन निधि (निरसन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 13 काउंटेस ऑफ डफरिन निधि (निरसन) विधेयक पर चर्चा करेगी। इस विधेयक के लिए दिया गया समय आधा घंटा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, 100 से भी अधिक वर्षों पूर्व 1885 में तत्कालीन नेशनल एसोसिएशन फार सप्लाईंग मेडिकल एड टु वुमैन ने जनता के पैसे से काउंटेस ऑफ डफरिन निधि स्थापित की थी। इस निधि का उद्देश्य महिलाओं को चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों के रूप में प्रशिक्षण देना, महिलाओं तथा बच्चों के लिए अस्पताल स्थापित करना और मौजूदा अस्पतालों तथा औषधालयों में महिला अधीक्षकों की देखरेख में महिला वार्ड खोलना था।

स्वतंत्रता के पश्चात् काउंटेस ऑफ डफरिन निधि अधिनियम, 1957 के अधिनियमन के द्वारा केन्द्र सरकार ने इस संचित निधि को अपने अधिकार में ले लिया था। इस अधिनियम के अधिनियमन के साथ द नेशनल एसोसिएशन फार सप्लाईंग मेडिकल एड टु वुमैन को विघटित कर दिया गया था। इस निधि के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं, मेडिकल और नर्सिंग के विद्यार्थियों को कई छात्रवृत्तियां और मेडल प्रदान किए गए थे। 1988 में 16.60 लाख की एकत्रित संचित निधि को भारत सरकार की संचित निधि में शामिल करा दिया गया। छात्रवृत्तियों का नाम भी महिला चिकित्सा और नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति में परिवर्तित कर दिया गया था और फिर ऐसी 63 छात्रवृत्तियां दी जाती रहीं। छात्रवृत्तियां प्रदान करने वाले व्यय को भारत सरकार के बजट से वहन किया जाता था।

चूंकि भारत सरकार ने इस निधि को अधिगृहित कर लिया था। इसलिए काउंटेस ऑफ डफरिन अधिनियम, 1957 वर्तमान संदर्भ में निरर्थक हो चुका है। इसलिए प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा गठित जैन आयोग ने इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की थी। इस संदर्भ में काउंटेस ऑफ डफरिम अधिनियम, 1957 के निरसन का प्रस्ताव लाया गया है।

इसलिए, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काउंटेस ऑफ डफरिन निधि अधिनियम, 1957 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि काउंटेस ऑफ डफरिन निधि अधिनियम, 1957 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, एक निरसन विधेयक होने के कारण हम इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सहमत हैं। लेकिन जब हम माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताए अनुसार कथनों और कारणों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां लोक सभा के प्रति जवाबदेह स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ बातों को स्पष्ट करना होगा।

इस निधि के संस्थापन की तिथि और वर्ष का संबंध हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से अर्थात् 1885 से है।

उन दिनों में ऐसी विजन को 'नाइटिंगेल विजन' समझा जाता था। मेरे राज्य में कोलकाता में डफरिन अस्पताल नामक अस्पताल है। यह महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है अथवा उन्हें अभिप्रेरित कर रहा है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा चिकित्सा शिक्षा की दाइयों और नर्सों को जानकारी प्रदान कर रहा है। निसंदेह स्वतंत्र भारत ने भारत के लोगों, पुरुषों और साथ ही महिलाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं।

मैं जवाबदेही के बारे में अपनी पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि चूंकि अब निधि को भारत की संचित निधि में परिवर्तित कर दिया गया है और सारी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था का कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है, और इसलिए जाहिर है कि इस विधेयक के जारी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, वे इस विधेयक का निरसन कर रहे हैं और हम सब ऐसा ही करेंगे।

जहां भारत में, बच्चों का प्रश्न है, भारत के सैकड़ों सरकारी अस्पतालों में कोई इनक्यूबेटर्स नहीं है। पिछले महीने ही जो कोलकाता शहर में हुआ वह पूरे राष्ट्र ने देख लिया है। एक पखवाड़े के भीतर कोलकाता के अनेक अस्पतालों में दर्जनों बच्चों की मृत्यु हुई। बाद में यह माना गया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि भारत के बहुत से भागों में स्वास्थ्य देखभाल के मामले में शिशु परिचर्या को कम से कम प्राथमिकता मिलती है। मैं यहां कोई राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना नहीं चाहता।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह अवश्य पूछना चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके बाल उपचारार्थ किस बात पर स्वास्थ्य मंत्रालय से दसवीं योजना में विशेष जोर देने जा रही है।

दिल्ली के मामले को लीजिए, जो कि भारत की राजधानी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल को छोड़कर अन्य अस्पतालों में बाल रोग इकाइयां बहुत ही छोटी और उनमें साधनों की इतनी कमी है कि बच्चे अपने माता-पिता के चाहने के अनुसार सामान्य उपचार की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। इसके कारण कितने बच्चों की मृत्यु होती है? क्या माननीय मंत्री ने यह संख्या बताते हुए कि भारत में कितने अस्पतालों में--जिला अस्पतालों और राज्य अस्पतालों--में इनक्यूबेटर्स नहीं हैं, का नोट तैयार किया था? यदि सभा को ऐसी संख्या दी गई तो सभा को धक्का लगेगा। हम आधुनिक भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के युग में रह रहे हैं, फिर भी हम राज्य अस्पतालों की बाल रोग इकाइयों में इनक्यूबेटर्स उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

मैं अब छात्रवृत्ति योजना के विषय पर आता हूं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छात्रवृत्ति देने के लिए मूल मानदंड क्या है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन्होंने कहा कि निधि को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं, चिकित्सा और नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति में परिवर्तित किया गया है।

क्या वे हमें अलग-अलग विवरण देने के लिए तैयार हैं--मेरा विचार है कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं--यह दर्शाते हुए कि नौवीं योजना अवधि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, चिकित्सा शिक्षा और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए कितनी संख्या में छात्रवृत्तियां दी गई हैं? यदि यह संख्या पूरी नौवीं योजना की उपलब्ध नहीं हैं तो वे कृपया नौवीं योजना के कम से कम पिछले वर्ष की संख्या बताएं। क्या वे हमें खंडवार विवरण दे सकते हैं? सभा उसके बारे में जानना चाहती है। यदि उनके पास संख्या की जानकारी तैयार है तो वह हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं अथवा बाद में सभा में पटल पर रख सकते हैं। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे।

अब, मैं नर्सों के प्रशिक्षण के विषय में बोलना चाहूंगा। भारतीय नर्सों ने रोगियों की देखभाल करने में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे मध्यपूर्व अथवा पूरे खाड़ी क्षेत्र में नाम कमाया है। यदि उनके स्वास्थ्य परिचर्या की इस तरह की कोई मांग होती है, तो उसे भारत की प्रशिक्षित नर्सें ही पूरा करती हैं। दक्षिण भारत की अधिकतर शिक्षित नर्सें पूरे खाड़ी क्षेत्र की नर्सिंग परिचर्या की आवश्यकता के 60% की मांग को पूरा कर रही हैं। इस संदर्भ में, यदि सरकार छात्रवृत्ति में वृद्धि करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की रक्षा कर रही है तो यह राष्ट्र की बहुत बड़ी सहायता होगी।

माननीय मंत्री जी से मेरा आखिरी प्रश्न यह है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह महिला चिकित्सा शिक्षा योजना और नर्स प्रशिक्षण योजना के लिए अधिक धन प्रदान करने हेतु दसवीं योजना दस्तावेज में कोई विशेष प्राथमिकता अथवा बल दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाएगा।

यदि ऐसा है, तो कृपया कहिए। सभा इसके बारे में जानना चाहेगी। यदि आप यह सोचते हैं कि चूंकि यह एक निरसन विधेयक है और विपक्ष सिर्फ बैठा रहेगा और अपनी सहमति दे देगा तो आपका ऐसा सोचना गलत है। आप सभा के प्रति जवाबदेह हैं और इस सभा में हमें उत्तर देकर आपको अपनी जवाबदेही निभानी है।

[हिन्दी]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : आपकी पार्टी में और कोई नहीं है, सब आप ही हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, चार-पांच पार्टियों के बदले हम बोल रहे हैं, जो लोग नहीं हैं, उन सबके बदले हम बोल रहे हैं। जिन पार्टियों के लोग मौजूद हैं और जो नहीं हैं, उन चार-पांच पार्टियों के आपकी पार्टी के भी हम ही हैं। द नेशनल एसोसिएशन फार सप्लाईंग मेडिकल एड बाई वूमैन टू वूमैन ऑफ इंडिया। 1985 में इस संस्था का गठन हुआ। उसका उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं, उनको मेडिकल की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई और जो दाई,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

मिडवाइफ गांवों में महिलाएं रहती हैं, क्योंकि अभी भी देहात में महिलाएं प्रिगनेंसी में अस्पताल नहीं जा पातीं, गांव में ही मिडवाइफ दाई होती हैं, उन सभी के प्रशिक्षण के लिए इस संस्था का गठन हुआ था। उसमें राशि एकत्रित थी। 1957 में काउंटेस ऑफ डफरिन निधि अधिनियम बना, जिससे उसमें रुपया देकर पहले की संस्था को खत्म किया गया। द नेशनल एसोसिएशन फार सप्लाईंग मेडिकल एड बाई वूमैन टू वूमैन ऑफ इंडिया को विघटित कर दिया गया और 1988 में 16.60 लाख रुपए की जो राशि एकत्रित थी, उसे सरकार की संचित निधि में शामिल कर दिया गया। अब सरकार ने दावा किया है कि चूंकि शामिल कर लिया गया और निधि का नाम परिवर्तित कर 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के महिला चिकित्सा और नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति' कर दिया गया। यह तो ठीक बात है कि महिला चिकित्सा और नर्सिंग के लिए इन्होंने इन्तजाम कर दिया। लेकिन बालकों के उपचार के लिए चिकित्सकीय राहत और विद्यमान अस्पतालों और औषधालयों में महिला अधीक्षण के अधीन महिला वार्ड खोलना, उस समय यह भी उद्देश्य था। अभी दासमुंशी जी ने सवाल उठाया, अभी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा छोटे-छोटे लड़कों का अजूबा बीमारी से देहांत हो गया तो त्राहि-त्राहि मच गई। गांवों में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारी है। बच्चों की चिकित्सा के लिए व्यवस्था करनी थी, फिर महिलाओं के लिए वार्ड खोलना था, महिला के अधीक्षण में खोलना था। इसके लिए सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है, यह स्पष्ट करें। पुराने कानून को कमीशन की रिपोर्ट पर ये खारिज कर रहे हैं, लेकिन उस कानून के चलते जो सब काम हो रहे थे, उन सब कार्यों के लिए ये अलग-अलग स्पष्ट करें, सदन को बताएं कि महिलाओं के स्कालरशिप के लिए जो ये कहते हैं कि हमने छात्रवृत्ति का उपाय किया है, उसका क्या इन्तजाम किया है, कितना इन्तजाम किया है? बच्चों की बीमारी के लिए, महिलाओं की बीमारी के लिए, महिलाओं के लिए अलग से वार्ड के लिए, इनमें से कौन सा काम किया है, यह सब सरकार स्पष्ट करे।

इस कानून को तो खत्म होना ही है, लेकिन इसका जो उद्देश्य था, उसकी आपूर्ति करने में सरकार कहां तक सक्षम है, इस सदन को स्पष्ट करे और साफ बताए और तब कानून को खत्म करे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : माननीय सभापति महोदय, समस्त सभा काउंटेस ऑफ डफरिन निरसन विधेयक का स्वागत करेगी।

पहले विधेयक की दो परिभाषाएं थीं। एक परिभाषा संघ की है जिसका अर्थ है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा भारत की महिलाओं को महिलाओं द्वारा चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने का राष्ट्रीय संघ। मूल अधिनियम का बहुत ही सीमित उद्देश्य है। इस निधि को हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने हेतु महिलाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु सृजित किया गया है।

यह विधेयक वर्ष 1885 में अधिनियमित किया गया था। उस समय, हमारे समाज में महिलाएं इस प्रकार की सेवा हेतु आगे नहीं आती थीं। उन्हें काफी संकोच होता था। यह निधि उन्हें प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने हेतु सृजित की गई थी। इस प्रकार के कार्य में भाग लेने हेतु महिला संघों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं।

जैसा कि हमारे मुख्य सचेतक श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने ठीक ही कहा है कि नर्सिंग पेशे में काम करने वाले सभी लोगों का 'सेवा करना' एक आदर्श वाक्य है। वे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अनुसरण कर रहे हैं। निस्संदेह यह एक सेवापरक कार्य है। वे हमारे देश के योग्य और जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमें गर्व है कि केरल की सबसे अधिक नर्सें हमारे देश में तथा बाहर काम कर रही हैं। खाड़ी देश और यूरोपीय देशों में कार्यरत कुल नर्सों में से अधिकांश नर्सें केरल की हैं। हमारे यहां पर्याप्त संस्थाएं हैं। हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। वास्तव में हमारे राज्य में बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काफी भीड़ लगी रहती है। छात्र अध्ययन का अवसर पाने के लिए राज्य से बाहर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों पर जा रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पर्याप्त संस्थाएं खोली जानी चाहिए। नर्सिंग काउंसिल (परिचर्या परिषद) जनरल नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग हेतु नए स्कूल और शैक्षिक संस्थाए खोलने में रोड़ा अटकाती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी संस्थाओं को मान्यता देना भी एक बड़ा मुद्दा है। श्री सुरेश यहां पर उपस्थित हैं। वे संसद से नर्सिंग काउंसिल के सदस्य हैं। नर्सिंग काउंसिल की कभी-कभार बैठक होती है। नर्सिंग काउंसिल देश में स्थापित किए गए स्कूलों और संस्थाओं को उचित मान्यता देने हेतु गंभीर प्रयास नहीं कर रही है।

केरल राज्य सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लाई है। यह मुद्दा कोलम्बो में एक जांच केन्द्र के संबंध में है। अमरीका में काम करने के इच्छुक लोगों को कोलम्बो में परीक्षण और जांच से गुजरना होता है। किंतु कोलम्बो में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण भारतीय छात्रों को यह जांच कराने में काफी कठिनाई आती है। अतः भारत में एक केन्द्र खोला जाए ताकि भारतीय छात्र यह परीक्षण भारत में ही करा सकें और उन्हें रोजगार हेतु विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सके।

मैं अधिक विस्तार से इस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि यह एक काफी सीमित विधेयक है। बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखने हेतु परिवार और कल्याण विभाग की ओर से और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हमारे देश के सुदूर भागों में बच्चा वार्ड उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा बच्चों को कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अतः मेरा यह मानना है कि इस संबंध में सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहती हूं कि डाक्टरों, नर्सों और दाइयों के रूप में महिलाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण देने, महिलाओं द्वारा महिलाओं के उपचार हेतु अस्पताल बनाकर चिकित्सा राहत देने और विद्यमान अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में महिला अधीक्षकों के अंतर्गत महिला वार्ड खोलने सहित चिकित्सा अध्यापन देने के अच्छे उद्देश्य से 1885 में काउंटेस ऑफ फडरिन्स निधि सृजित की गई थी। मुझे यह आशंका है कि अनेक क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशित प्रसूति देखभाल की सुविधा नहीं है। यह शिशु मृत्यु और रुग्णता दर के साथ-साथ मातृ मृत्यु और रुग्णता दर में वृद्धि से भी सिद्ध होता है।

1975 से पूर्व, जब बहुउद्देशीय प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, महिला जन्म परिचरों को प्रशिक्षण दिया जाता था और उनके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को किसी न किसी प्रकार की प्रसूति सेवा दे पाते थे। इस विधेयक के निरसन के बाद मंत्री जी ग्रामीण औरतों को उस प्रकार की सेवा किस प्रकार दे पाएंगे?

दूसरे, क्या उपलब्ध सेवा की गुणवत्ता की बराबरी हेतु उस सेवा को वापस लेने की कोई संभावना या कोई प्रस्ताव है? ऐसे अनेक सांसद हैं जिनको यह आशंका है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक सामान्य प्रसूति कार्य हेतु अनेक महिला डाक्टर नहीं हैं। मैं मंत्री जी से इस बात का ठोस उत्तर चाहता हूं कि वे किस प्रकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रयोजनार्थ कम से कम 16.60 लाख रुपए पुनः दिए जाएं। मेरा यह सुझाव है कि उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त उसी प्रकार की महिला जन्म परिचर हैं जो आज भी कार्यरत हैं। इस प्रकार का मानव संसाधन अभी भी हमारे पास है। किन्तु उन्हें यह कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस निधि का उपयोग इन लोगों को नजदीकी अस्तपालों में 15 दिन से 1 महीने के प्रशिक्षण देने हेतु किया जाता है जो कि पहले ही उपलब्ध है?

तीसरे, आज की तारीख तक भारत सरकार के रिकार्ड में कितने लाभार्थी दर्ज है? उनकी गुणवत्ता कैसी है? किन मानदंडों के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति हेतु चुना जाता है?

अंततः क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि डिप्लोमाधारक बनने के बाद, ये नर्से वार्डों में केवल रिकार्डों का रख-रखाव कर रही हैं? उनसे चारपाई के पास प्रसूति देखभाल करने की आशा की जाती है। यह नर्सिंग सेवा की परिभाषा है। आजकल इसका अभाव है क्योंकि उनका समय और ऊर्जा रिकार्ड लिखने और औषध मांग पत्र और अन्य चीजों के रख-रखाव करने में लग रहा है। क्या मंत्री जी रिकार्ड के रखरखाव और औषधि मांग पत्र के रखरखाव हेतु सामाजिक कार्यकर्त्ता अथवा डी-फार्मा डिप्लोमा धारक उपलब्ध कराएंगे ताकि स्टाफ नर्सों और डिप्लोमा धारकों की सेवाओं का मरीजों के कल्याणार्थ समुचित उपयोग किया जा सके।

श्री ए. राजा : सर्वप्रथम, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जो इस विधेयक पर बोले हैं।

मैं उत्तर प्रदेश में घटित एक घटना पर माननीय सदस्य श्री दासमुंशी द्वारा व्यक्त की गई वेदना को समझता हूं। किन्तु मेरी समस्या जिसे सभा के समक्ष पुनः व्यक्त करना बेकार है, यह है कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है सिवाय उन मामलों के जहां केन्द्रीय सरकार के कुछ अस्पताल हैं जैसे दिल्ली में ए.आई.आईएम.एस. और आर.एम.एल., पांडिचेरी में जे.आई. पी.एम.ई.आर और चंडीगढ़ में पी.जी.आई., जिनका वित्त पोषण स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त बजटीय सहायता के माध्यम से किया

[श्री ए. राजा]

जाता है। इसके अतिरिक्त, जब कभी हमें राज्य सरकारों से कुछ गंभीर बीमारी फैलने और ऐसी अन्य बातों के होने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हमारा केन्द्रीय दल तुरंत स्थिति की निगरानी हेतु वहां जाता है। राज्य सरकार हमसे जो भी सहायता मांगती है, हम सदैव वह देने को तैयार रहते हैं।

जहां तक निधि का संबंध है, माननीय सदस्यों ने अपनी यह आशंका व्यक्त की थी कि चूंकि अद्यपूर्व निधि भारत की संचित निधि में जमा होती है तो क्या राज्य सरकारों और अन्य अस्पतालों द्वारा खर्च की जा रही राशि उस निधि में से होती है अथवा वह किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आती है।

चूंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हेतु राशि भारत की संचित निधि में जमा होती थी, हमारी अनेक योजनाएं हैं।

श्री दासमुंशी ने दसवीं योजना का विशेष उल्लेख किया था। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि नौवीं योजना के आवंटन की तुलना में दसवीं योजना का परिव्यय लगभग दुगुना है। चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र हो या परिवार कल्याण क्षेत्र हो या भारतीय चिकित्सा पद्धति क्षेत्र हो।

इसके अतिरिक्त, मैं यह कह सकता हूं कि चूंकि यह राज्य का विषय है, जहां तक नर्सिंग शिक्षा का संबंध है, नौवीं योजना में इसके लिए 47 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई और व्यय की गई। एन.डी.सी. अनुमोदन अध्यधीन दसवीं योजना में नर्सिंग शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं जिसमें छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने दिशानिर्देश हैं। हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों पर कितनी संस्थाओं को विधान के माध्यम से मान्यता दी जा सकती है ताकि हम छात्रवृत्ति और अन्य चीजें दे पाएं। यदि यह संभव और आवश्यक हुआ तो हम संस्थाओं से ब्यौरा एकत्र करेंगे और भारत सरकार द्वारा निधियां तो दी ही जा रही हैं।

इसके अलावा मैंने एक बात इस सभा तथा दूसरी सभा के समक्ष कई बार कही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर हम विकसित देशों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का बहुत छोटा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। हम निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को मिलाकर केवल 5.2 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं जबकि विकसित देश 13–14 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। भारत सरकार सकल घरेलू उतपाद का केवल एक प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रही है।

अपराह्न 3.57 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

इस एक प्रतिशत में हमें स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का पूरा लेखा, परिवार कल्याण कार्यक्रम और राज्य सरकारों से संबद्ध अन्य चीजों का प्रबंधन करना है।

यह सच्चाई है कि भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए विशाल आधारभूत संरचना वाला बड़ा देश है। हमारे पास 1.37 लाख उप–केन्द्र, 25000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3000 सी.एच.सी. हैं। ये जिले स्तर के अस्पताल कहलाते हैं। हम राज्य सरकारों पर जोर डाल रहे हैं कि कम से कम जिले स्तर के अस्पतालों में इन्क्यूबेटर तथा अन्य चीजें होनी चाहिए। हमारे पास विशेष कार्यक्रम हैं और हम राज्य सरकारों की सिफारिश पर जब भी उन्हें आवश्यकता होती है, धन दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सी.एच.सी. में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत आर. सी.एच. कार्यक्रम चला रहे हैं। हम प्रसूति परिचर्या के लिए डिलीवरी किट और अन्य चीजें दे रहे हैं।

माननीय सदस्या डा. सरोजा द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला डाक्टर है या नहीं। यहां भी हम समस्या का सामना कर रहे हैं। जब हमने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया था तो हमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला या पुरुष डाक्टर कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला : आप यह अनिवार्य बना दें कि डाक्टरों को तीन या चार वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा।

श्री ए. राजा : मैं इस बात पर आ रहा हूं। हम भारतीय चिकित्सा परिषद् से बातचीत कर रहे हैं जो सांविधिक और स्वतंत्र निकाय हैं जो डाक्टरों का पंजीयन करती है और मान्यता देती है। हमें इस संबंध में कुछ तौर–तरीके ढूंढ़ने होंगे। यह विचार किया जा रहा है कि किसी डाक्टर को पंजीकृत करने से पहले और एम.बी.बी.एस. डिग्री देने के बाद क्या उसे भारतीय चिकित्सा परिषद में बतौर एक डाक्टर पंजीकृत करने के लिए उस पर ग्रामीण क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा करने जैसा अनिवार्य

प्रावधान थोपा जा सकता है। सभी राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता है क्योंकि यह राज्य का विषय है। हमें कुछ अड़चनों से गुजरना है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को पारित करने में आपके सहयोग की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काउंटेस ऑफ डफरिन निधि अधिनियम, 1957, का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए. राजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

(तीन) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, देश में मातृत्व अस्वस्थता और मृत्युदर में कमी लाने के लिए संसद ने 1971 में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया था जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक और चिकित्सीय आधार पर गर्भ के समापन को कानूनी जामा पहनाना था, जिससे कि प्रशिक्षित लोगों द्वारा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में असुरक्षित और गैर–कानूनी गर्भपात को रोका जा सके।

किन परिस्थितियों में गर्भ का चिकित्सीय समापन किया जा सकता है; किस स्थान पर यह किया जा सकता है, गर्भ का चिकित्सीय समापन करने वाले व्यक्ति की योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण क्या होगा; स्थान की अनुमति देने की शर्तें, प्रक्रिया को रिकार्ड करना और रिपोर्ट देने आदि बातों का गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 और गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम तथा विनियम, 1975 में उल्लेख किया गया है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम मुख्य रूप से महिलाओं को अधिकार देता है, जो विगत 30 सालों से चला आ रहा है। इसके कुछ प्रावधानों की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा चिकित्सा तकनीक और सेवाओं का विकास-इन दोनों के संदर्भ में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अतः वैध/सुरक्षित गर्भपात के लिए अधिक प्रभावी ढंग से विनियमन की आवश्यकता है।

जून 1997 में भारत सरकार ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की वर्तमान वातावरण में और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए इसकी समीक्षा की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस अधिनियम में कतिपय संशोधन सुझाए थे। इन सुझावों और समीक्षा पर सचिव, परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा विचार किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की कुछ सिफारिशों तथा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं।

अपराह्न 3.03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

भारतीय पागलपन अधिनियम को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 'पागल' की परिभाषा 'मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति' के रूप में दी गई है। अतः गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 2 के खंड (ख) में 'पागल' अभिव्यक्ति को वर्तमान कानून के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

[श्री ए. राजा]

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम की विद्यमान धारा 4(क)(ख) के उपबंधों में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी गर्भ का समापन निम्नलिखित से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जाएगा :

(क) सरकार द्वारा स्थापित या चलाया गया अस्पताल; अथवा

(ख) कोई ऐसा स्थान जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित हो।

अतः गर्भ का चिकित्सीय समापन किए जाने वाले स्थान को अनुमति देने का अधिकार राज्य सरकार का है। अनुभव से पता चलता है कि राज्य स्तर पर गर्भ का चिकित्सीय समापन केन्द्र के तौर पर स्थानों को स्वीकृति देने की शक्तियों को केन्द्रीयकृत करने पर इन केन्द्रों की मान्यता देने के आवदेनों पर विचार करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। परिणामतः अच्छे उपकरण संपन्न केन्द्र भी वैध दर्जा प्राप्त करने से हतोत्साहित हुए हैं। इस प्रक्रिया को सरलीकृत करने और राज्यों में एम. टी.पी. सुविधाओं को स्वीकृति देने की शर्तों को उदार बनाने के उद्देश्य से अब प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे स्थानों को स्वीकृति देने की शक्तियां सरकार द्वारा गठित जिला स्तर की समितियों को प्रदान की जाएं जिसके अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, जिसमें जिला स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्य चिकित्सक सहित तीन से पांच सदस्य होंगे और अन्य सदस्य चिकित्सा पेशा, गैर सरकारी संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं से बनाए जाएंगे।

यद्यपि गर्भपात को 1971 में वैध बनाया गया था, वस्तुतः गैर कानूनी गर्भपात की संख्या कानूनी रूप से किए गए गर्भपात की संख्या से काफी अधिक है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष गैर प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अस्वीकृत स्थानों पर असुरक्षित गर्भपात के कारण उत्पन्न जटिलताओं की वजह से 10–15 हजार महिलाएं मरती हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की एक कमी यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा, जो नियम के अध्यधीन वर्णित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है को सजा की कोई व्यवस्था नहीं है और गर्भ का चिकित्सीय समापन करने वाले अस्वीकृत अस्पतालों और क्लिनिक को भी दंडित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

1971 के गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिमियम में केवल यह दोहराया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध भारतीय दंड संहिता के समुचित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय हैं। तथापि, भारतीय दंड संहिता में सुसंगत धाराएं हैं जिनमें गर्भपात कराने से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया गया है, परन्तु जो ऐसे अपराध कर रहे हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया है वे अभी भी दंड से बच जाते हैं। अतः भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं हैं।

इसलिए, उन निदान केन्द्रों के मालिकों जो गर्भपात कराने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं और उन व्यक्तियों जो पंजीकृत चिकित्सक नहीं हैं, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है भले ही वे अनुमोदित स्थानों पर गर्भ का चिकित्सीय समापन करते हैं, के लिए दंड निर्धारित करने हेतु गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उप–धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि उन प्रदाताओं जो पंजीकृत चिकित्सक हो सकते हैं, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जहां वे गैर अनुमोदित स्थानों पर गर्भ का चिकित्सीय समापन करते हैं, को दंडित किया जाए। ऐसे सभी मामलों के लिए निर्धारित दंड दो वर्ष से न्यूनाधिक सश्रम कारावास होगा जिसे अधिकतम सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

इन्हीं कारणों से गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 2, 4 और 5 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।

अतः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खडा हुआ हूं। परन्तु इसके साथ ही मुझे कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है।

नई परिभाषा में कहा गया है कि 'पागल' के स्थान पर

'मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति' में बदला जाए। परन्तु इसके साथ ही खंड (ख) में अनुवर्ती व्याख्या में यह कहा गया है :

> "मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मानसिक मंदता से भिन्न किसी मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता है।"

यह विशेष चीज कतिपय लोगों को इस परिभाषा के लाभ से वंचित करती है। इसका अर्थ है कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों को लाभ नहीं मिल सकता। बहुत सी मानसिक रूप से विकलांग बालिकाएं हैं। जब वे गर्भवती होती हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता। उनकी अभिभावक द्वारा ही सहायता की जाती है। उन्हें अभिभावक की सहमति लेनी पड़ती है। परन्तु अब उसे निकाल दिया गया है। इससे, जब बहुत सी महिलाएं मानसिक रूप से विकलांग होती हैं और जब उन्हें गर्भ के समापन हेतु अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें परेशानी होगी। इसलिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए। यदि संभव हो तो नियम बनाने के प्रावधान में इसकी बेहतर तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो जो कि मानसिक रूप से विकलांग हैं।

इसी तरह मैं सभा का ध्यान खंड 4 की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जहां यह कहा गया है :

> "किसी गर्भ का इस अधिनियम के अनुसार समापन निम्नलिखित से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जाएगा, -
>
> (क) सरकार द्वारा स्थापित या चलाया गया अस्पताल; अथवा
>
> (ख) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार द्वारा या उस सरकार द्वारा गठित जिला स्तर समिति द्वारा, जिस समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित हो।"

"सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित" शब्द को अन्य लोगों जिनके मुफस्सिल अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्वास्थ्य केन्द्र या क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम हैं, को देने के लिए कुछ सदस्यता होनी चाहिए थी।

माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि निचले स्तर पर लगभग 15,000 महिलाएं डाक्टरों के गलत रवैये के कारण मर रही हैं। हमें आशंका थी कि ऐसा होगा। सामान्यतः बालिकाएं क्लिनिक में नहीं जाएंगी और वे नहीं बताएंगी कि वे गैर-कानूनी रूप से गर्भवती हो गई हैं और इसलिए वे गर्भ का समापन कराना चाहती हैं। वे इसमें शर्म महसूस करती हैं। वे उन लोगों की मदद लेती हैं जो इस प्रयोजनार्थ विधिक रूप से योग्य नहीं होते। इसलिए समाज में उनके शर्मीलेपन, समाज से बाहर रखे जाने की सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। उन चिकित्सकों को गर्भ का समापन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो निचले स्तर पर सुयोग्य हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैनिक जीवन में अनेक महिलाएं विभिन्न कारणों से गर्भवती हो रही हैं। वे स्कैनिंग करा रही हैं। इन दिनों, उनके स्कैनिंग कराने पर भी चिकित्सक आरंभिक अवस्था में वास्तविक दोष को नहीं बता रहे हैं। कानून कहता है कि केवल पांच माह अर्थात् 20 सप्ताह का शिशु की ऊपरि सीमा होनी चाहिए। 20 सप्ताह के पश्चात्, यदि बच्चे में कोई कमी है, बच्चे में कोई मानसिक विकलांगता है, यदि इसकी पहचान हो जाती है तो गर्भ का समापन नहीं कराया जा सकता इसलिए, ऊपरि सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। समाज को कुछ आपत्तियां हो सकती हैं। परन्तु हमें एक प्रावधान करना होगा जहां इस विधि द्वारा कोई अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए। बहुत से नर्सिंग होम इस कठोर कानून का लाभ उठाना चाहते हैं।

अब, दंड को दो वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया है। सामान्यतः जो ट्रेडर्स इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं वे इसे साधारण गरीब लोगों से धन कमाने के एक रास्ते के रूप में लेंगे। अतः हमें अशिक्षित लोगों और उन लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

मैं यहां एक अन्य सुझाव भी देना चाहता हूं। 'स्थान का स्वामी' को विधेयक में दी गई व्याख्या में परिभाषित किया गया है। एक गृह स्वामी नर्सिंग होम के लिए अपना भवन किराये पर दे सकता है परन्तु उसे यह पता नहीं हो सकता कि भवन के भीतर क्या हो रहा है। यह एक मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम हो सकता है परन्तु कोई अपंजीकृत चिकित्सा अधिकारी वहां आपरेशन कर रहा हो सकता है। उस स्थिति में गृह स्वामी भी सह-अभियुक्तों में शामिल किया जाएगा और उसे सात वर्ष के कारावास का सामना करना होगा। इस मुद्दे पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

इसके बाद, विधेयक में एक अन्य व्याख्या दी गई है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि शल्य क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की छूट से भी कुछ लोगों को अवैध व्यापार में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी।

अंत में, मैं यह विधेयक लाने के लिए सरकार की मंशा की प्रशंसा करता हूं किन्तु इसके साथ ही इन्हें साधारण लोगों विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों की सहायता करनी चाहिए, जो कि अच्छे तथा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में जाकर पैसा खर्च नहीं कर सकते अथवा जिला मुख्यालय अस्पतालों में सहायता प्राप्त नहीं कर सकते जहां सभी सुविधाएं नहीं हैं जहा आपको चिकित्सों को ढूंढ़ना पड़ता है। जब आप यह कहते हैं कि आपरेशन के समय तीन चिकित्सक होने चाहिए और मुख्य चिकित्सक भी उपस्थित होना चाहिए तो यह दैनिक जीवन में व्यवहारिक नहीं है। अतः साधारण लोगों को अवांछित बच्चे का समापन कराने की स्थिति में होना चाहिए जो कि विधेयक के खंड 3(2)(ख) के अंतर्गत पहले ही उचित तरीके से परिभाषित किया गया है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विधेयक लाने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह बहुत आवश्यक है और यह विधेयक इस सभा में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गई राय पर विचार करने के पश्चात् पुरस्थापित किया गया है।

मैं श्री सुदर्शन नाच्चीयपन द्वारा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के संबंध में कही गई बात से सहमत हूं क्योंकि उनका मामला पूर्णतया भिन्न है। मैं समझता हूं कि यह उस वर्ग के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हू कि इस बात पर विचार करें और यदि वह इसमें यहां संशोधन नहीं कर सकते तो वह इसे नियमों में स्पष्ट कर सकते हैं ताकि मानसिक रूप से विकलांगता के नाम पर इस वर्ग के लोग प्रभावित न हों क्योंकि हमारे देश में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग मानसिक रूप से विकलांग है। इसे नियमों में उचित रूप से स्पष्ट करते हुए इसका उचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, हमारा समाज सामंतवादी समाज है और निरक्षरता विशेषकर हमारे ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस स्थिति में सामान्यतः महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। यहां इस मामले में भी उन्हें अपने परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा गर्भ के समापन के लिए बाध्य किया जाता है। मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि प्रसव-पूर्व परीक्षण हमारे देश में विशेषकर उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। हरियाणा में प्रसव-पूर्व परीक्षण में गर्भाशय में यदि बच्चा बालिका होने का पता चलता है तो वे बच्चे को मार देते हैं। महिला शायद उसके लिए सहमत न हो परन्तु समाज की सामंतवादी प्रकृति के कारण उन्हें बच्चे को गर्भ में ही मारने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महिलाओं की इस इच्छा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक दबाव और पारिवारिक दबाव के कारण उन्हें गर्भ के समापन हेतु बाध्य किया जाता है। यह एक चिंता का विषय है।

चिंता का एक अन्य मामला भी है जो मैंने समाचार पत्रों में देखा। उसके कारण हरियाणा में महिलाओं की आबादी में भारी गिरावट आई है। हरियाणा में एक से दस वर्ष की आयु-वर्ग की महिलाओं का मामला लें। प्रत्येक 1,000 लड़कों पर वह 642 लड़कियां हैं। उस आयु वर्ग में लगभग 400 लड़कियां कम हैं। यह बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की उनके पारिवारिक दबावों से रक्षा की जानी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि क्या वे वास्तव में गर्भाधान के दौरान बच्चों को मारने में शामिल हैं। यह बहुत गंभीर सामाजिक समस्या है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनेंसी अमेंडमेंट बिल, 2002 माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसमें इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव पर गठित समिति द्वारा जो अनुशंसाएं की गईं, उसका कार्यान्वयन करने का इसमें निश्चय किया है। मुझे आश्चर्य है कि इस कानून के द्वारा पहले ही गर्भपात को कानूनी दर्जा दे दिया गया था। लेकिन सरकार का एक कानून है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टैस्ट एक्ट 1996। प्रैगनेंसी स्टेज में देखा जाता है कि हर राज्य में अल्ट्रासाउंड से टैस्ट करके जहां लड़की है तो गर्भपात करा दिया जाता

है। एक तरफ गर्भपात को कानूनी दर्जा है और दूसरी तरफ यह कानून प्री नेटल डायग्नोस्टिक टैस्ट एक्ट 1996 है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार हिदायत दी, सरकार को फटकार लगाई। देश भर में इस पर हो-हल्ला हुआ है और जिनते सूझ-बूझ वाले लोग हैं वे कह रहे हैं-भ्रूण हत्या पर नया बिल जल्दी ही, भ्रूण परीक्षा का प्रचार करने वाले क्लीनिकों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश, लिंग परीक्षण यह गर्भपात संबंधी विज्ञापनों पर पाबंदी का आदेश, कन्या भ्रूण हत्या के दोषी को दो से सात साल तक कैद होगी, भ्रूण परीक्षण में लिप्त डाक्टरों पर छापे की योजना, हरियाणा में बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए कारगर उपाय नहीं है।

इन सभी बातों को देखने से साफ नहीं हो रहा है कि एक तरफ चिकित्सकीय समापन का कानून पास कर रहे हैं और विधेयक लाए हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और देश के जितने समझ-बूझ वाले लोग हैं, वे हाय-तौबा मचा रहे हैं कि भ्रूण हत्या रोकी जाए। एक तरफ गर्भपात ठीक से हो, मेडिकल ढंग से हो, गलत आदमी उसको नहीं कराए जिससे बीमारियां हो जाती हैं, इन बातों में कैसा कंट्रैडिक्शन है? एक तरफ गर्भपात कानूनी और दूसरी तरफ भ्रूण हत्या पर रोकने के लिए सरकार का कानून, दोनों के संदर्भ म सरकार क्या सोचती है। देश भर में जनगणना के आधार पर भी देखा गया है कि लडकियों की संख्या परसेंटेज में घट रही है और अपने समाज में पहले से ही बीमारी है कि लड़की होने से खराब मानते हैं और महिलाओं का बचपन से अंत तक शोषण होता है। अल्ट्रासाउंड से टैस्ट पर रोक की बात हो गई, यह कानून बन गया। फिर भ्रूण हत्या पर रोक है, भ्रूण हत्या हत्या के बराबर है, यह भी कानून है और फिर कह रहे हैं कि ठीक से गर्भपात हो और गलत ही आदमी कहीं गर्भपात न करा दे वह कानून लाए हैं। इन दोनों कानूनों को पढ़ने या समझने या विचार करने से हमें आपस में बड़ा विरोधाभास लगता है। इसलिए मंत्री जी साफ करें कि क्या गर्भपात भ्रूण हत्या नहीं है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, संबद्ध मंत्री इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब उनको यह विभाग ही नहीं दिया। शायद उनको मौका ही नहीं मिलता जवाब देने का, लेकिन इस विभाग के कैबीनेट मिनिस्टर फिल्म वाले हैं इसलिए इनको जवाब देने का मौका मिला है।

रूडी जी को चूंकि कोई जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए वे यहां बैठकर लुत्फ उठाते हैं।

छोटे मंत्री जी ठीक जवाब देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी तो डायलॉग मारने में ही लगे रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े तीन बजे तक हमें यह समाप्त करना है। कृपया जल्दी खत्म कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यही सवाल है कि जो कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया है, उसे ये कैसे दूर करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट बार-बार हिदायत दे रही है कि अल्ट्रासाउंड पर रोक लगाई जाए, भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए और आप बिल ला रहे हैं कि गर्भपात सुरक्षित ढंग से हो और इसकी अनुमति दी जाए। महोदय, गर्भपात और भ्रूण हत्या, इन दोनों में क्या फर्क है? आप कहते हैं कि गर्भपात चिकित्सकीय आधार पर, विशेषज्ञ करेगा, ठीक जगह पर करेगा और स्वास्थ्यकर स्थितियों में होगा। दूसरी तरफ भ्रूण हत्या पर आज रोक लगा रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों कानून एक-दूसरे के बहुत विरोधी हैं। इन दोनों के संबंध में माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। हम लोगों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इनके बारे में देश भर में तमाम प्रकार के समाचार छप रहे हैं, राज्य भर में ऐसा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड जांच और विज्ञापन आदि पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब ये दोनों कानून एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं जिन्हें मंत्री जी लाए हैं। इस बारे में मंत्री जी सफाई दें। तभी हम इसको पास करेंगे, नहीं तो हम इस पर झंझट खड़ा करेंगे।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम का उद्देश्य अप्रशिक्षित लोगों और अस्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भपात को समाप्त करना है और इससे देश में मातृत्व संबंधी रुग्णता और मृत्यु को कम करना है।

विधेयक में इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 1997 में एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया गया था। मैं माननीय मंत्री

[डा. वी. सरोजा]

जी से जानना चाहती हूं कि क्या इस समिति का गठन प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में किया गया है। यदि इसे अब तक गठित नहीं किया गया है, तो क्या सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाएगी ताकि कानून बनाया जा सके और इसे देश के हर हिस्से में कार्यान्वित किया जा सके? उन राज्यों और जिलों में जहां समितियों का गठन किया गया है कितने मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

महोदय, थुरुचिथालवी, डा. जयललिता के नेतृत्व में तमिलनाडु में हाल ही में भारतीय चिकित्सा संघ की तमिलनाडु शाखा के साथ चिकित्सीय उपेक्षा और मरीजों के साथ-साथ चिकित्सकों को भी न्याय प्रदान करने हेतु चिकित्सा शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। क्या भारत सरकार आगे आएगी और ऐसे शिकायत प्रकोष्ठों का सभी राज्य में गठन करेगी ताकि उपेक्षा के प्रत्येक मामले की चिकित्सकीय रूप से जांच की जाए और दोषी को कानून के अंतर्गत सजा दी जाए।

तत्कालीन, पूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने इस सभा में वायदा किया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से चिकित्सीय व्यवसाय को हटा दिया जाएगा। मैं व्यवसाय से चिकित्सक हूं और मेरा कहना है कि दोषी को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसी समय, चिकित्सकों को भी न्याय दिया जाना चाहिए। क्या माननीय मंत्री इस पर गौर करेंगे?

महोदय, यदि इस एकक द्वारा प्रणाली देश भर में शत-प्रतिशत प्रसव रोधी पंजीकरण कर लिया जाता है तो आप अत्यधिक जोखिम वाले गर्भ का पता लगा सकते हैं इससे मातृत्व संबंधी रुग्णता और मृत्यु के उद्देश्य का पता लग सकता है और इसे उचित समय पर संबंधित चिकित्सा केन्द्र पर शीघ्र उपचार हेतु भेजा जा सकता है।

इससे, मातृत्व संबंधी रुग्णता और मृत्यु दर ही नहीं घटेगी बल्कि शिशु रुग्णता और मृत्यु दर में भी कमी आएगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहले के विधेयक में कहा है कि एक लाख से अधिक उप-केन्द्र हैं। यदि एक लाख से अधिक उप-केन्द्र अच्छी सेवा दे रहे हैं तो इतनी अधिक शिशु रुग्णता और मृत्यु दर और मातृत्व संबंधी रुग्णता और मृत्यु दर क्यों है?

महोदय, क्या भारत सरकार प्रत्येक 5000 लोगों पर एक हैल्थ नर्स की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेगी? यदि शत-प्रतिशत प्रसव रोधी पंजीकरण छह माह की अवधि के अंतर्गत किया जाता है, तब कहीं जाकर इसी एक अधिनियम से रुग्णता और मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा और सेवा की गुणवत्ता में विशेषकर महिलाओं से संबंधित समस्याओं, में भी सुधार होगा।

महोदय, इस मामले में, यह कहा गया है कि सजा को सात वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यहां तक कि यदि किसी पंजीकृत मेडिकल डाक्टर को उसकी चिकित्सकीय उपेक्षा के कारण दोषी पाया गया तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। तब ही जाकर हम सेवा की गुणता में सुधार कर सकेंगे।

अंत में, उस क्लिनिक की परिभाषा क्या है जहां गर्भपात किए जाते हैं? यह गुप्त रूप से किया जाता है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। 'आवस्टेरिक रूम' की कोई परिभाषा नहीं है। उनके प्रजनन कक्षों में खुला स्थान और प्रशिक्षित परा-चिकित्सा स्टाफ नहीं होता है।

हाल में, तमिलनाडु में एक चिकित्सा संबंधी उपेक्षा का मामला प्रकाश में आया, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों जो ड्यूटी के समय उस वार्ड में तैनात थे सहित डाक्टरों और पराचिकित्सा कर्मियों पर मामले दर्ज किए गए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। क्या सरकार ऐसी कठोर कार्रवाई मेडिकल और पराचिकित्सीय लोगों के विरुद्ध भी करेगी ताकि गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान की जा सके।

श्री ए. राजा : महोदय, मैं पुनः उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण विषय पर बोले हैं। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सार जवाब के रूप में प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

जहां तक माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन नाच्चीयपन का संबंध है--उन्होंने मानसिक रूप से रुग्ण एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों के बारे में कहा है। कानून का सही अर्थ परिवर्तन लाना है। तत्कालीन अधिनियम में पागल कहा गया था। चूंकि पागल शब्द स्वयं 'मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति' में बदल चुका है, इसलिए इसमें इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य, चाहे वह पागल अथवा मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति हो, गर्भपात, जिसे गर्भ का चिकित्सीय समापन कहा जाता है, के पहले अभिभावक की सहमति अवश्य प्राप्त की जाए। यह महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति या मंदबुद्धि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है।

प्रसव-पूर्व निदान परीक्षण अधिनियम एवं गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह अधिनियम, मातृत्व मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों

में अवैध गर्भपात करने से निपटने के लिए है। यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। परन्तु प्रसव पूर्ण निदान परीक्षण अधिनियम (पी. एन.डी.टी.) का उद्देश्य भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए उपलब्ध उस तकनीक का इस्तेमाल न होने देना है। यह सुरक्षित डिलीवरी के लिए है। जिससे माता की मृत्यु हो सकती है। परन्तु प्रसव पूर्व निदान परीक्षण अधिनियम लिंग अनुपात पर निगरानी रखने के लिए है जिससे कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सकती है।

जहां तक डा. वी. सरोजा द्वारा व्यक्त की गई चिंता का संबंध है, वे संस्थागत डिलीवरी सुनिश्चित करना चाहती हैं। क्रूड डिलीवरी से वे आई.एम.आर. और एम.एम.आर. में कमी नहीं ला सकते हैं। सभी राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया गया है और उन्हें केवल संस्थागत डिलीवरी करने का परामर्श दिया गया है। अन्यथा, माता एवं अन्य को अस्पताल में लाना चाहिए और डिलीवरी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में इस तरह की देखरेख का पहले ही प्रावधान किया गया है।

अब, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए. राजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 4 दिसम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 4 दिसम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) ट्रस्ट निगम विधेयक*

श्री महबूब जाहेदी (कटवा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सामाजिक बाध्यता के साथ उद्यमों के और विकास के लिए ट्रस्ट निगमों के सृजन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 5.12.2002 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामाजिक बाध्यता के साथ उद्यमों के और विकास के लिए ट्रस्ट निगमों के सृजन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महबूब जाहेदी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थपित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नये अनुच्छेद 371ञ का अंतःस्थापन)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक–विचाराधीन
(अनुच्छेद 44, आदि का लोप)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी।

माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे। वे अपनी बात जारी रखेंगे।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 5.12.2002 में प्रकाशित।

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : 22 नवम्बर को जहां मैंने जवाब छोड़ा था, उसे जारी रखते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय उपनेता से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने कहा कि पहले ही समान सिविल संहिता है। मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने संविधान सभा में डा. अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब निर्देशक सिद्धांतों का विरोध हो तो सरकार प्रयास करेगी। आपकी अनुमति से मैं डा. अम्बेडकर के भाषण के एक या दो वाक्य पढ़ना चाहूंगा।

> "हमारे देश में मानव संबंधों के करीब हर पहलू को शामिल करने वाले कानूनों की समान संहिता है। हमारे यहां देश भर में लागू एक समान और संपूर्ण अपराध संहिता है जो दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। हमारे देश में संपत्ति हस्तांतरण के बारे में कानून है जो संपत्ति संबंधों के बारे में है और देश भर में लागू है। इसके अलावा परक्राम्य लिखत अधिनियम है और मैं कई अधिनियमों का उल्लेख कर सकता हूं जिससे साबित होगा कि हमारे देश में व्यवहारिक तौर पर सिविल संहिता है, जिसकी विषय–वस्तु एकसमान है और जो समूचे देश में लागू है।"

यहां मैं डा. बी. आर. अम्बेडकर के भाषण का एक और वाक्य पढ़ना चाहूंगा जिसका अगर मुझे ठीक से याद है तो विपक्ष के उपनेता ने उल्लेख नहीं किया :

> "सिविल कानून अब तक केवल विवाह और उत्तराधिकार के क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो पाया है। केवल इसी छोटे से क्षेत्र में यह अब तक प्रभावी नहीं रहा है और इसी परिवर्तन के लिए लोगों ने संविधान में अनुच्छेद 35 का प्रावधान रखा है।"

अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमें संकल्प का प्रस्ताव करने वाले की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए कि वह कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि 1996 में पूर्ववर्ती सरकार भी उच्चतम न्यायालय में इस आशय का शपथपत्र देने में असफल रही कि वह इस दिशा में पहल करने का प्रयास करेगी।

दुर्भाग्य से चर्चा के दौरान धार्मिक मंशा की बात भी उठाई गई। विपक्ष के एक–दो माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया और वे इस तरह बोले जैसे कि प्रस्तावक हिन्दू सिविल संहिता या कुछ और चाहते थे। मैं संकल्प के

प्रस्तावक को बोलते हुए ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हिन्दू सिविल संहिता या ऐसी कोई और चीज उनके भाषण में नहीं थी। वे समूचे देश में सामान्य सिविल संहिता स्वीकार किए जाने के इच्छुक थे।

सभा से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें संकल्प के प्रस्तावक की मंशा पर शक नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं एक या दो बातों पर जोर देना चाहूंगा। हालांकि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं वह समान सिविल संहिता की मांग करती रही है, इस सरकार के प्रतिनिधि मंत्री के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राजग सरकार एक सहमत एजेण्डा के प्रति वचनबद्ध है। सरकार के उस सहमत एजेण्डे में समान सिविल संहिता जैसी किसी बात का उल्लेख नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव के प्रस्तावक से संशोधन हेतु दबाव न डालने और संशोधन वापस लेने का अनुरोध करूंगा। यदि वे फिर भी जोर देते हैं, तो हम संशोधन का विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक अनुपस्थित है। अब इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखना है। सभा के मत विभाजन हेतु प्रस्ताव रखने से पूर्व, इसके संविधान (संशोधन) विधेयक होने के नाते, इस पर मतदान मत–विभाजन द्वारा होना है। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। दीर्घाएं खाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक पर मतदान रोका जाता है और इस पर मतदान गैर–सरकारी सदस्यों से संबंधित विधेयकों के लिए आवंटित अगले दिन होगा।

चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए गणपूर्ति के अभाव में सभा को स्थगित किया जाता है, अब सभा, सोमवार, 9 दिसम्बर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 2002/ 18 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/29/13/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौंवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।